

ISSN :2582-1792



Special issue for Conference
National Conference on

“The Impact of National Education Policy (2020) on the Higher Education Sector”

30th November 2021

Organised by:

Department of Education

Sandipani Academy,

Kumhari-Ahiwara Road, Achhoti (Murmunda)

Dist- Durg (Chhattisgarh)

&

SHODH SAMAGAM



Double - Blind, peer-reviewed, quarterly,
multidisciplinary and bilingual research journal

Publisher



Aditi Publication





भारत सरकार**राजधानी**रायपुर, गुरुवार 02 दिसम्बर 2021

अछोटी दुर्ग स्थित सादीपनी एकेडमी के शिक्षा विभाग के अंतर्गत

नई शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया

रायपुर/ भारत सरकार

अछोटी दुर्ग स्थित सादीपनी एकेडमी के शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिनांक 30/11/2021 विषय उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव (The Impact of New Education Policy (2020) on the Higher Education Sector) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि माननीय डॉ. अरुणा पलटा (कुलपति, हेमचंद्र नाथ विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़) डॉ. रमेशचंद्र जी कोठारी, (पूर्व कुलपति वीर नर्मद दक्षिण विश्वविद्यालय पूर) एवं डॉ. कल्पेश एच. पाठक (संचालक, प्राचार्य शिक्षा विभाग आईटीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात) उपस्थित थे। संगोष्ठी में स्वागत अधिभाषण संस्था को प्राचार्य डॉ. नाजिया अहमद के द्वारा किया गया। श्रीमती डॉ.आभा दुबे (मुख्य सलाहकार) द्वारा संगोष्ठी के विषय पर सक्षिप्त परिचय दिया गया। मुख्य वक्ता ने बताया कि नई शिक्षा नीति

के क्षेत्र में भारत को 26व से 50व करने का लक्ष्य रखा है एवं इस नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलाव किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक अंकल नामांकन अनुपात लक्ष्य को 100व लाने का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जन्म जर्कतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीति 2020की मंजूरी दी है। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले जाएगी। आदि विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही इस राष्ट्रीय वेबिनार का लाइव प्रसारण संस्था के यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया गया जिसका लाइव प्रसारण के अलावा अन्य प्रदेशों के छात्र/छात्राओं के साथ विभिन्न शिक्षाविदों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों तथा समाजसेवियों ने लिया एवं विभिन्न महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों के द्वारा पेपर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती प्रीति वेदप्रकाश त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही। आभार प्रदर्शन विभागाध्यक्ष डॉ. संध्या पुजारी के द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के निदेशक आदरणीय श्री महेंद्र चौबे, संचालक श्री विनीत चौबे, प्राचार्य डॉ. नाजिया अहमद, विभागाध्यक्ष डॉ. संध्या पुजारी, मुख्य सलाहकार डॉ. आभा दुबे, एवं श्रीमती मीना पाण्डे, (सहायक प्राध्यापक) कुमारी मीनाक्षी पांचाल (सहायक प्राध्यापक)के द्वारा संगोष्ठी का रिपोर्टिंग की गई एवं तकनीकी पक्ष की जिम्मेदारी श्रीमान हर्ष एवं श्री लोकेश देवानग सहायक प्राध्यापक द्वारा बखूबी निभायी गई एवं संस्था के समस्त स्टाफ की प्रतिभागिता एवं योगदान सराहनीय रहा।

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2582-1792 (Print)



Special issue for Conference
National Conference on “The Impact of National Education Policy (2020) on the Higher Education Sector”

30th November 2021

Organised by:
Department of Education,
Sandipani Academy,
Kumhari - Ahiwara Road,
Achhoti (Murmunda),
Distt-Durg, Chhattisgarh, INDIA

&

SHODH SAMAGAM
A Double - Blind, Peer-Reviewed, Quarterly,
Multidisciplinary and Bilingual Research Journal

Editor in Chief

Dr. (Smt.) Shobha Agrawal

M.Com., M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor &

Head of Management Department

Agrasen Mahavidyalaya, Raipur,

Chhattisgarh, INDIA

Conference Editor

Dr. (Smt.) Abha Dubey

M.A. (Eng. Lit.), M.A. (Education), M.Ed., Ph.D.

Advisor,

Sandipani Academy,

Achhoti, Durg,

Chhattisgarh, INDIA

Editorial Board



- **Prof. Girish Kant Pandey**, M.Sc., Ph.D., B.J., D.Litt.
Registrar
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)
- **Dr. Balvant Singh Thakur**, M.Sc. (Maths), Ph.D.
Professor
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)
- **Dr. Surendra Kumar Agrawal**, M.Com., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor
Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
- **Dr. Rajesh Shukla**, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor & Head of Sociology Department
Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
- **Dr. Arun Kumar Dubey**, PGDCA, M.Sc. (IT), M.Ed., Ph.D.
Principal
Columbia College, Tekari, Raipur, (C.G.)
- **Dr. Girish Sharma**, M.Sc., Ph.D.
Professor
Govt. Model Science College, Gwalior (M.P.)
- **Dr. Sameer Babu M**, MA, Ph.D.
Assistant Professor
University of Kerala, Thiruvanthpuram, Kerala
- **Prof Ashok Kumar Chaubey**, M.Sc. (Agri), Ph.D.,
Professor
CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur (Himachal Pradesh)
- **Dr. Rajesh Agrawal**, M.Com., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor & Head Of Commerce Department
Gurukul Mahila Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
Chairman, Board of Commerce, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)
- **Dr. Lalta Prasad**, M.A. (Economics & English), M.Ed., Ph.D.
Associate Professor
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
- **Dr. Anjani Kumar Jha**, M.A.(Journalism), Ph.D.(Journalism)
Associate Professor
Mahatama Gandhi Central University, (East Champaran), Motihari, Bihar

Advisory Board



- **Dr. Meghesh Tiwari**, M.Sc., Ph.D.
Principal
Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G.)
- **Dr. Raghunath Prasad Agrawal**, M.Com., M.Phil., Ph.D
Professor & Head of Commerce and Management Department
Kalyan Mahavidyalaya, Bhilai, Dist. Durg (C.G.)
- **Lieutenant Dr. Sameer Bhargav**, M.Sc., Ph.D.
Assistant Professor
Maharaja Mansingh College, Gwalior (M.P.)
- **Prof. Dipankar Bhowmick**, M.Sc., B.Ed., PGDCPA
Assistant Professor
SCERT, BTI Ground, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)
- **Dr. Sanjay Guhey**, M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Assistant Professor
SCERT, BTI Ground, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)
- **Prof. Vibhash Kumar Jha**, MJMC, MA
Assistant Professor & Head of Journalism Department
Agrasen Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
- **Shri Manoj Kumar**, MA, MJMC
Freelance Journalist
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)
- **Shri Santosh Dubey**, M.Sc.
Professional Teacher and Career Counsellor
Chemistry Classes, Raipur (C.G.)
- **Prof. Amit Agrawal**, M.Com., M.Phil., Diploma in Chhattisgarh Language.
Assistant Professor & Head of Commerce Department
Agrasen Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
- **Prof. Sonu Agrawal**, M.Tech.
Associate Professor
Shri Shankarcharya Technical College, Bhilai, Dist. Durg (C.G.)
- **Dr. Abha Dubey**, M.A. (Eng. Lit., Education), M.Ed., Ph.D.
Head Of Education Department
Sandipani Academy (Education College), Vill.-Achhoti,
Post-Murmunda Kumhari-Ahiwara Road, Dist. - Durg (C.G.)
- **Dr. Ashish Dubey**, M.Com., Ph.D.
Assistant Professor
Vivekanand Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)

- **Dr. Pravin Sharma**, M.A., M. Lib. I.Sc., Ph.D.
Librarian
Govt. Nagarjuna P.G. College of Science, Raipur (C.G.)
- **Dr. Divya Sharma**, M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Assistant Professor
Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G.)
- **Dr. Prafulla Kumar Vyas**, M.Sc. (Electronics), Ph. D.
Assistant Professor
Disha College, Raipur (C.G.)
- **Prof. Sunil Agrawal**, B.Sc., MBA, LLB, M.Phil
Assistant Professor
Mahant Laxmi Narayan Das College, Raipur (Chhattisgarh)
- **Dr. Sachin Kumar**, M.Com., M.Ed., Ph.D. (Commerce, Education)
Assistant Professor, Ranchi Womens's College, Ranchi (Jharkhand)
- **Dr. Jagadish Choith Ajawani**, M.A., Ph.D., D.Lit.(Psychology)
Ex Professor,
Green Avenue, Daldal Seoni, Mowa, Raipur (C.G.)
- **Dr. Amar Nath Prasad**, M.A. (English), Ph.D.
Professor & Head, P.G. Dept. of English,
Jagdam College, (J.P.University), Chapra (Bihar)
- **Dr. Surendra Kumar**, M.A., Ph.D (Political Science)
Head, Dept. of Political Science,
Bhadrakali College, Itkhori, Chatra (Jharkhand)
- **Dr. Sandeep Gandhi**, MBA (Marketing and Finance), Ph.D.(Management)
Registrar
Kalinga University, New Raipur (C.G.)

Note : The views expressed in the published articles, Research Paper etc. are their writers own. Shodh Samagam dose not take any liability regarding approval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Shodh Samagam is not necessary. Disputes, if any shall be decided by the court at Raipur, Chhattisgarh, India.

Patron



Mr. Mahendra Choubey
Director, Sandipani Academy

Conveners



Dr. Nazia Ahmed
Principal, Sandipani Academy,
Achhoti, Durg



Dr. Abha Dubey
Advisor, Sandipani Academy,
Achhoti, Durg

Organising Secretary



Dr. Sandhya Pujari
HOD, Sandipani Academy, Achhoti, Durg

Advisory Board

Mr. Vineet Choubey (Administrator)
Ms. Meena Pandey (Asst. Professor)

Ms. Saroj Shukla (HOD)
Mr. Sudhir Tiwari (Librarian)

Co-ordinator

Ms. Preeti Dewangan (Asst. Professor)

Organising Committee & Editorial Board

Ms. Mona (Asst. Professor)
Mr. Vivek Kumar Gautam (Asst. Professor)
Ms. Ankita Barwa (Asst. Prof.)

Mr. Vinod Sahu (Asst. Professor)
Ms. Vidya Devi (Asst. Prof.)
Mr. Vivek Dewangan (Asst. Prof.)

Ms. Mamta Dhruw (Asst. Prof.)

Technical Team

Mr. Lokesh Dewangan (Asst. Prof.)

Undertaking / Copyright Form

The Submitted manuscript/paper is original, exclusive and unpublished material. It is not under consideration for publication elsewhere. Further, it will not be submitted for publication elsewhere, until a decision is conveyed regarding its acceptability for publication in Aditi Publication Published research journal. I/we also grant permission to organizer for making necessary changes in the title and content of the paper, if required, while being considered for publication. The undersigned hereby represents and warrants that the paper is original and that he/she is the author of the paper, except for material that is clearly identified as to its original source, with permission notices from the copyright owners where required.

Details of Authors & Paper

Title of the research paper _____

Language for the presentation:

CHHATTISGARHI, ENGLISH, HINDI, MARATHI, SANSKRIT

Author Name 1 : Dr./Prof. _____

Author Name 2 : Dr./Prof. _____

Designation: _____

Institution/Organization: _____

Correspondence Address: _____

_____ State _____ Pin: _____

Contact No.1. _____ Contact No.2. _____


Mail id: 1 _____ Mail id: 2 _____

Date _____ Signature of the participant _____

Note : This undertaking/agreement is to be signed by at least one of the authors who have obtained the assent of the co-author(s) where applicable. Send Copyright Declaration form scan copy after sign on it to : shodhsamagam1@gmail.com, Any help please call on : 09425210308

Membership Form

TO,
Publisher,
Aditi Publication
Near Ice factory, Kushalpur Raipur
Dist : Raipur (C.G.)
Pin: 492001 (CHHATTISGARH)



Details of Member

Name of Institution/Organization/ Member

Designation: _____

Subject : _____

Correspondence Address: _____

_____ State _____

Pin: _____

Contact No.1. _____

Contact No.2. _____

Mail id: 1 _____

Mail id: 2 _____

Fees Details

Required Journal Name: _____

Date _____ Signature of the participant _____

Annual Membership Fee : Rs. 1400/- (For Individual), Rs. 3000/- (For Institution)

Note : Send Membership Form scanned copy & Deposited bank slip :
shodhsamagam1@gmail.com, Any help please call on : 09425210308

From the Desk of Director



I am glad to announce that the special issue on “The Impact of National Education Policy (2020) on the Higher Education Sector” published by Shodh Samagam, which is being very relevant on the present context as National education policy 2020 being in force across the country. The implementation of NEP 2020 needs rigorous awareness on part of education fraternity for deriving maximum benefits of the recommendation of NEP invariably.

This special issue helps to accumulate knowledge on various dimension of higher education and school education and create new insight on this inevitable aspects of higher education, provide the foundation for the entire education system. In this context Sandipani Academy, Achhoti, being the education institution organized National Conference for creating consciousness amongst the people on “The Impact of New Education Policy (2020) on the Higher Education Sector” with the aim to understand the basic concept of National Education Policy. I express my sincere thanks and congratulations to everyone who is being associated with this issue and help in developing quality of education.

Best Regards
Mr. Mahendra Choubey
Director,
Sandipani Academy

From the Desk of Advisor



The quality of education decides the quality of the nation. It is our prime responsibility to strive hard for developing education as the education system of the country is the foundation on which the entire prosperity of nation based. To understand the recently implemented education system of the country is national education policy 2020, Sandipani academy organised National Conference on “**The Impact of National Education Policy (2020) on the Higher Education Sector**” in which we received forty research papers and articles on various aspects on National Education Policy with reference to higher education.

It is a matter of immense pleasure that special issue of Shodh Samagam has been published these research articles and papers so that we can have more developed understanding on the basic concept of NEP, key areas, challenges and solutions to achieve the goal of NEP. I heartily welcome and congratulate the authors, readers, research scholars, professors who have been associated with us and contribute in our endeavours to create awareness about National education policy. This special issue definitely will be proved as the tressure house of the knowledge in the various areas of NEP and benefitted the readers.

Best Regards
Dr. Abha Dubey
Advisor,
Sandipani Academy

संदेश



यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हमारे सांदीपनी एकेडमी अछोटी महाविद्यालय में दिनांक 30/11/2021 को “The Impact of National Education Policy (2020) on the Higher Education Sector” Conference” आयोजित किया गया। इस नीति के आरंभ बच्चों को उच्चस्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इस वेबीनार में लगभग 40 शोध पत्रों को शोध समागम द्वारा स्पेशल एडिशन के रूप प्रकाशित किये है। यह एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को नयी शिक्षानीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों एवं उनकी चुनौतियों को विकसित किया गया है। मैं उन सभी शोधार्थियों, सहायक प्राध्यापकों को हृदय की गहराईयों से बधाई देना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े है तथा राष्ट्रीय शिक्षानीति के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु अपना योगदान दिये है, इस नीति से सभी शिक्षा से जुड़े सभी जनो को शिक्षा हेतु समुचित लाभ उठायेंगे।

विभागाध्यक्ष
(डॉ. संध्या पुजारी)
सांदीपनी एकेडमी
अछोटी, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

Dear Scholars,

We are Pleased to inform you that we are publishing 'A multidisciplinary and multilingual research journal called SHODH SAMAGAM. The aim of SHODH SAMAGAM is to acquaint the scholars with the current national and international scenario. I would like to welcome you most warmly to SHODH SAMAGAM website. Through SHODH SAMAGAM we expect to offer solutions to the various education related problems by inviting the opinions of thinkers and scholars. SHODH SAMAGAM is an open access journal available for viewers, contributors, and readers discusses the academic, scientific issues related to diverse stream of Education across the world. I would also like to begin by extending my particular thanks to Scholars, Academicians, and from the deep of my heart I especially thank to contributors for making the effort fruitful.

SHODH SAMAGAM Research Journal`s really want to take up Academicians, Readers, Contributors visions to generate the research related skills and qualities and this is the ultimate and concrete aim of the SHODH SAMAGAM Research Journal`s. With this same aim, SHODH SAMAGAM has taken leading step in the publication. I wish all to stimulate your discussions, innovations and educational practices through this Journal.

SHODH SAMAGAM is the National double - blind, peer-reviewed, refered and Indexed journal published in English, Hindi for scholars, practitioners, and students. The Journal is welcoming original Research Articles, Book Reviews, Commentaries, Reviewed Articles, Technical Notes, Snippets, Case Studies, Books, Thesis and Dissertations relevant to the fields of Science, Social Science, Commerce, Military science, Technology, Education, Computer Science, Arts and Cultural etc Research. All types of articles submitted to the journal are double - blind peer reviewed and subject to be referred at the discretion of the Members of the Editorial Board for publication.

Thank you for visiting to SHODH SAMAGAM and being with us.

Chief Editor

Dr. (Smt.) Shobha Agrawal

Aditi Publication

Raipur (Chhattisgarh)

9425210308

E-mail : shodhsamagam1@gmail.com

CONTENTS

SN.	Particular/Author name	P.N.
1.	Holistic well being of the learners: Envisions in National Education Policy 2020 Dr. Arun Kumar Dubey, Dr. Abha Dubey, Dr. Divya Pandey	01
2.	An Analyses of the Impact of National Education Policy in Education Sector Mrs. Alice Chariyan	08
3.	A Study on the Awareness of New Education Policy (2020) among the Teacher Trainees and Teacher Educators Dr. K. Nagamani, Bhawana Kshatriya	12
4.	New Education Policy & Elementry Education Dhanesh Ram Sinha	16
5.	Impact of New Education Policy 2020 on Legal Education in India Dr. Raju Majhi	20
6.	NEP 2020: Empowering the teacher-opportunities and challenges Dr. Shweta Smrita Soy	25
7.	Integration of ICT in Teaching, Learning and Assessment: A Perspective for National Education Policy 2020 Tanmay Kulshrestha	30
8.	Awareness on National Education Policy 2020 among the High School Teachers in Darbhanga District Dr. Md. Afroz Alam	42
9.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौतियां डॉ. संध्या पुजारी	49
10.	प्रौद्योगिकी का उपयोग व एकीकरण प्राची अनर्थ	53
11.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं व्यावसायिक शिक्षा अमिता जैन	61
12.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावयायिक शिक्षा अनिता पाण्डेय	67
13.	नई शिक्षा नीति में विद्यालयीन वातावरण एवं शैक्षिक दुश्चिंता पर प्रबंध चंकी राज वर्मा	70
14.	बस्तर जिले में नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शैक्षिक अभिवृत्ति पर प्रभाव सुश्री हेमलता नागेश	75
15.	राष्ट्रीय शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए नीति और शिक्षा कविता शर्मा, सीमा	79
16.	नई शिक्षा नीति और अध्यापक शिक्षा मधुमिता सरकार	83
17.	आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का इतिहास : एक अध्ययन ममता ध्रुव	88

18.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अध्यापक शिक्षा मीना पाण्डेय	97
19.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव— हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के संदर्भ में मोनिका चौबे	101
20.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य रेखा यादव	106
21.	इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन डॉ. संगीता सराफ, संध्या मोहबे	109
22.	राज्य एवं देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार सुरेन्द्र प्रसाद साहू, श्रीमती किरण साहू	115
23.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉ. ए. तारा अनंत	119
24.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों के लिए शिक्षा के नए आयाम उपासना श्रीवास्तव	121
25.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव वर्षा रानी, डॉ. अभिनेष सुराना	126
26.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नयी शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव वीरेन्द्र सिंह ठाकुर	129
27.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) एवं शिक्षक शिक्षा डॉ. रीता सिंह, श्री मुकेश खुटले	135
28.	कोरोनाकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ : एक समीक्षात्मक अध्ययन इस्तेखार अहमद, प्रतीक्षा कुमारी	140
29.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण जयति साहू	145
30.	मानव व्यवहार में मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका मोना वर्मा	150
31.	नई शिक्षा नीति 2020 और व्यवसायिक शिक्षा प्रीति देवांगन	156
32.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यावसायिक शिक्षा – एक अवलोकन श्रीमती रंजना ठाकुर	159
33.	व्यवसायिक शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन सरोज शुक्ला, डॉ. रेखा नरेन्द्र जीभकाटे	162
34.	माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आईसीटी का शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव अध्ययन डॉ. संजीत कुमार साहू, विद्याभूषण शर्मा	166
35.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में श्रीमती बर्नाली राय	172
36.	नई शिक्षा नीति एवं व्यावसायिक शिक्षा की क्रमबद्धता कु. पूजा देव, कु. ज्योति होता	175

37.	नई शिक्षा नीति और स्कूल शिक्षा विवेक कुमार गौतम	178
38.	एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौतियाँ विद्या देवी	182

Holistic well being of the learners: Envisions in National Education Policy 2020

Dr. Arun Kumar Dubey
Principal,
Columbia College,
Raipur (C.G.)

Dr. Abha Dubey
Asst. Professor,
Sandipani Academy,
Achhoti, Durg (C.G.)

Dr. Divya Pandey
Principal,
Nakshakra Kids
Academy, Raipur(C.G.)

ABSTRACT

The present research article emphasizes the vision of National Education Policy 2020 to channelize the full learner's potentials for harnessing their inherent quality as well as their achieving the complete self. Education plays a key role to develop physical, social, emotional, intellectual, spiritual domains of life, thus establishes the harmony within as well as with the surrounding. Achieving this state resulted in sound health in physical, emotional, social aspects. The article focuses on to create understanding the provisions of NEP to achieve holistic well being physical social, emotional, mental, intellectual, and spiritual well being of the learners. These are the areas which are the pressing priority in this present era to achieve the goals of education and for the development of the self and the nation. National Education Policy has come in existence when the entire world struggled for survival and sustenance in the time of pandemic and felt the need of learning experiences which enabled him to be fit physically, emotionally, socially and spiritually.

Key words

Holistic well being, NEP, National Education Policy.

Introduction

The education system of our nation is known world wide from ancient time and privileged to be known as Vishwa guru. National education policy 2020 is the comprehensive policy and its foundation lies the Indian ethos and culture. For building the nation, its people should have sound physical, social, emotional health and this can be achieved through education system of the country because education is the strongest tool to unveil the curtain of ignorance and bring forth the light of knowledge. The National Education Policy, 2020 has introduced about a enormous alternate in our education system. In doing so, it has additionally positioned excessive precedence on children's health and their well being. Health and education are interconnected (Zajacova and Lawrence, 2019). While healthy people are much more likely to have higher training outcomes, proper training can enhance the health fame of a household. It proposes to carry a paradigm shift in Indian education. In doing so, it acknowledges the want for correct nourishment and suitable fitness to resource highest quality learning, and proposes certain health-associated interventions.

It has positioned excessive priority for physical and mental fitness for students. Even though the policy emphasises on the budding level, but it is our responsibility to understand the need of student's fitness holistically. In addition to normal school schedules, there also are numerous new programs which have been placed down by the policy to holistically contend with fitness. Understanding NEP 2020 with specific understanding of well being concerned of learners physically, mentally, emotionallly, socially, intellectually, spirituality. Holistic development refers to the development of intellectual, mental, physical, emotional, and social abilities (Nipuan Bharat, 2021). This fitness needs to establish inter-personal and intra-personal relationship for effective and healthy living for the self, family, society and the nation.

NEP 2020 and Holistic Education

Multidisciplinary and holistic education are a part of the key standards of the NEP. Along with subjects like sciences and social sciences, the curriculum ought to include courses that make schooling well-rounded,

beneficial and fulfilling, consisting of games, sports activities and fitness.

At the school level, the NEP proposes sports-integration, or utilising physical activities in pedagogical practices, to grow the students' cognitive abilities, at the same time as promoting their physical and mental well-being. Sports-incorporated learning will assist students acquire health levels envisaged within side the fit India movement, and adopt health as a lifelong attitude. It may also expand their capabilities like collaboration, self-initiative, teamwork and responsibility.

The NEP has a larger quantity of policies which have kept in mind student's intellectual and bodily fitness. With lesser faculty days, no bag days, no extra disturbing assessments and different schemes are aimed to lessen the worry among students. With Fit India Movement and different such star actions with inside the policy the Government has kept in mind the wishes of the students and made the policy intellectual fitness exclusive. However, this will take place only if the policy is applied with inside the proper manner via way of means of all schools across the length and the breadth of the country.

It focuses on students improving their very own and others' health, safety, well being and physical activity participation in various and changing contexts. The curriculum focuses on helping students to develop the knowledge and capabilities they require to make wholesome and secure choices that will beautify their very own and others' fitness and well being.

Studies focus on the wellbeing interventions

Many studies indicated that how health interventions are important in educational settings (Seligman et al., 2015).

Studies also explored the need of interventions which develops mental health and well-being topics or skills training within curriculum (Conley et al., 2015; Seligman et al., 2009), but very less studies explored impact of the design and delivery of learning experiences causes well-being. Some articles established the impacts of learning experiences on particular aspects of well-being such as social connection or resilience (Ewert & Yoshino, 2011; Rowe & Stewart, 2011), the benefits of specific teaching practices such as facilitation techniques, on student well-being given by Adriansen and Madsen (2013), Byrd and Mckinney (2012), Dooris and Doherty (2010), Okanagan (2015) found the importance of institutional factors, such as learning environments, on student well-being.

Principles of NEP 2020

The fundamental principles of NEP2020 themselves reveal the vision and are the torch bearer and guide students, teachers, policy makers, management, administration and create the behavior pattern under which they play their part accordingly to achieve the goals of NEP, Principles are:

- Recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres;
- According the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy by all students by Grade 3;
- Flexibility, so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programmes, and thereby choose their own paths in life according to their talents and interests;
- No hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning;
- Multidisciplinary and a holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge;

- Emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and learning-for-exams;
- Creativity and critical thinking to encourage logical decision-making and innovation; ethics and human & Constitutional values like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice;
- Promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning;
- Life skills such as communication, cooperation, teamwork, and resilience;
- Focus on regular formative assessment for learning rather than the summative assessment that encourages today's 'coaching culture';
- Extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for Divyang students, and educational planning and management;
- Respect for diversity and respect for the local context in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject;
- Full equity and inclusion as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system;
- Synergy in curriculum across all levels of education from early childhood care and education to school education to higher education;
- Teachers and faculty as the heart of the learning process – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions;
- A 'light but tight' regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment; outstanding research as a corequisite for outstanding education and development;
- Continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts.

Reflections of NEP for Holistic Well being

Holistic Well being has been evident in NEP 2020, The 35.3% young population resides in India 41% of the population account for less than 18 years of age (Census, 2001). The future of the nation depends on the quality of the youth and the type of education they acquire. The quality refers to their well being in all its aspects the value system they developed through their education. The study is Decoding the various reflections pervading throughout the policy advocating the holistic growth and well being of the learners.

1. Multidisciplinary Learning

The priority of today's circumstances of pandemics and social issues is to introduce multidisciplinary learning for collaborative research in various diseases management, development of vaccines and health facilities and social research. language, literature, debate, music, sports, etc. Over time, such activities could be incorporated into the curriculum once appropriate faculty expertise and campus student demand is developed. Faculty will have the capacity and training to be able to approach students not just as teachers, but also as mentors and guides.

Outcome: Learners will be multitalented, multitasking, problem solving, innovative, inquisitive, collaborative thus resulted in mentally healthy, physically, socially and spiritually human being.

2. Learning Pattern

21st century demands the skills sets, suitable to meet the quickly changing requirements of time on the global context. Learners should place on the position to not only learn but know the entire process of learning

how to learn. Education should transform from less content to higher cognitive learning as critical thinking, problem solving learning which imbibe creativity, innovativeness, adaptive and flexible.

Outcome: Higher order cognitive development

3. Pedagogical Approach

NEP focuses on more process based learning rather product approach and rote memorization. Pedagogical approach should involve more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capabilities of learners; and make education more well-rounded, useful, and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment.

Outcome: Holistic, well rounded, flexible, good human being, become the active learners




Figure 1 : Personality Domains

Envisioning Holistic well being of the learner

The basic understanding is being drawn to strengthen education system to give maximum benefits to the stakeholders, So many provisions have been there for the holistic wellbeing of the learners. All students, irrespective of their place of residence, birth, caste, religion have the right to access a quality education system, particularly historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. Economic and social mobility, inclusion, and equality are possible only through education.

1. Creative potential of learners should be developed.

Education must develop not only cognitive capacities- both the ‘foundational capacities of literacy and numeracy and ‘higher-order’ cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving - but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions.

2. Early Childhood Development, Care, and Education (ECCE)

Providing intensive early childhood care and stimulation of the brain for healthy brain development and growth. Universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must thus be achieved as soon as possible, and no later than 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school ready.

3. Attractive and Flexible curricular Structure

ECCE has attractive and Flexible curricular structure, including multi-faceted, multi-level, play-based, activity-based, and inquiry-based learning, comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colours, shapes, indoor and outdoor play, puzzles and logical thinking, problem-solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, music and movement.

4. Character and Value Development

Curriculum also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behavior, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation. The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional-ethical development, cultural/artistic development, and the development of communication and early language, literacy, and numeracy.

5. Healthy and Nutritious Food

It is recommended that every child before the age of five must go to preparatory class or balvatika, where focus on to develop cognitive, affective and psychomotor ability through play base learning and to achieve these learners should provide with healthy and nutritious diet along with the learning. The mid-National Education Policy 2020 8 day meal programme shall also be extended to the Preparatory Classes in primary schools. Health check-ups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to Preparatory Class students of Anganwadi as well as of primary schools for optimal learning, the nutrition and health (including mental health) of children will be addressed, through healthy meals.

6. Role of social workers, counsellors, and community

Involvement of social workers, counsellors, and community into schooling system and establishing support system at college and universities in every education institution, there shall be counselling systems for handling stress and emotional adjustments. Furthermore, a systematized arrangement shall be created to provide the requisite support to students from rural backgrounds, including increasing hostel facilities as needed. All HEI's will ensure quality medical facilities for all students in their institutions.

7. Health Checkups

100% immunization in schools and health cards will be issued to monitor the same.

8. Holistic and Multidisciplinary Learning

Developing and channelizing the capacities of individual by integrating intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral capacity of individual. Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields; an ethic of social engagement; soft skills, such as communication, discussion and debate; and rigorous specialization in a chosen field or fields. Such a holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programmes, including those in professional, technical, and vocational disciplines. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research, and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking.

9. Integration of Kalas with Science

Ancient Indian literary works such as Banabhatta's Kadambari described a good education as

knowledge of the 64 Kalaas or arts; and among these 64 'arts' were not only subjects, such as singing and painting, but also 'scientific' fields, such as chemistry and mathematics, 'vocational' fields such as carpentry and clothes-making, 'professional' fields, such as medicine and engineering, as well as 'soft skills' such as communication, discussion, and debate. The very idea that all branches of creative human endeavour, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered 'arts', has distinctly Indian origins. This notion of a 'knowledge of many arts' or what in modern times is often called the 'liberal arts' (i.e., a liberal notion of the arts) must be brought back to Indian education, as it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century.

10. **Autonomy of college**

First, in order to promote creativity, institutions and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy, and assessment within a broad framework of higher education qualifications that ensures consistency across institutions and programmes and across the ODL, online, and traditional 'in-class' modes. Accordingly, curriculum and pedagogy will be designed by institutions and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience for all students, and continuous formative assessment will be used to further the goals of each programme. All assessment systems shall also be decided by the HEI, including those that lead to final certification. The Choice Based Credit System (CBCS) will be revised for instilling innovation and flexibility. HEIs shall move to a criterion-based grading system that assesses student achievement based on the learning goals for each programme, making the system fairer and outcomes more comparable. HEIs shall also move away from high-stakes examinations towards more continuous and comprehensive evaluation

11. **Internationalization at home**

The various initiatives mentioned above will also help in having larger numbers of international students studying in India, and provide greater mobility to students in India who may wish to visit, study at, transfer credits to, or carry out research at institutions abroad, and vice versa. Courses and programmes in subjects, such as Indology, Indian languages, AYUSH systems of medicine, yoga, arts, music, history, culture, and modern India, internationally relevant curricula in the sciences, social sciences, and beyond, meaningful opportunities for social engagement, quality residential facilities and on-campus support, etc. will be fostered to attain this goal of global quality standards, attract greater numbers of international students, and achieve the goal of 'internationalization at home.

12. **Vibrant and Multidisciplinary Campus**

Students are the prime stakeholders in the education system. Vibrant campus life is essential for high-quality teaching-learning processes. Towards this end, students will be given plenty of opportunities for participation in sports, culture/arts clubs, eco-clubs, activity clubs, community service projects, etc.

13. **Financial assistance**

Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.

Conclusion

National Education Policy has pinpointed vision to develop the education system in all its aspects curricular, pedagogical, infrastructure, financial, disciplinary to build the nation by bringing transformation in the future of the country- the learner, visualize them as a complete man with sound moral moorings. He attains the goals of education exits as physical, social, moral, intellectual, spiritual, vocational, scientific effectively as the outcome of the education at the end of his schooling and college. This policy provides every possibility to

create the individual holistically having good and sound health in all its domains. Curriculum, pedagogy, infrastructure, multidisciplinary institute, provisions for health, sports, co-curricular, inclusive education and other recommendations definitely realize the envision of NEP for holistic growth of the learners.

References

1. Adriansen, H. K., & Madsen, L. M. (2013). Facilitation: A novel way to improve student well-being. *Innovative Higher Education*, 38(4), 295-308. <http://dx.doi.org/10.1007/s10755-012-9241-0>
2. Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854-857. <http://dx.doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
3. Byrd, D. R., & McKinney, K. J. (2012). Individual, interpersonal and institutional level factors associated with the mental health of college students. *Journal of American College Health*, 60(3), 185-193. <http://dx.doi.org/10.1080/07448481.2011.584334>
4. Conley, C., Durlak, J., & Kirsch, A. (2015). A meta-analysis of universal mental health prevention programs for higher education students. <http://dx.doi.org/10.1007/s11121-015-0543-1>
5. Dooris, M., & Doherty, S. (2010). Healthy universities: Current activities and future directions-Findings and reflections from a national level qualitative research study. *Global Health Promotion*, 17(3), 6-16. <http://dx.doi.org/10.1177/1757975910375165>
6. Ewert, A., & Yoshino, A. (2011). The influence of short-term adventure-based experiences on levels of resilience. *Journal of Adventure Education and Outdoor*. <http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2010.532986>
7. Nipun Bharat (2021). *A National Mission on Foundational Literacy and Numeracy National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy*. Retrived on 25/11/2021 from <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/jul/doc20217531.pdf>
8. Pietromonaco, P. R., & Collins, N. L. (2017). Interpersonal mechanisms linking close relationships to health. *American Psychologist*, 72(6), 531-542. <https://doi.org/10.1037/amp0000129>
9. Rowe, F., & Stewart, D. (2011). Promoting school connectedness through whole school approaches. *Health Education*, 111(1), 49-65. <http://dx.doi.org/10.1108/09654281111094973>
10. Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). *Positive education: Positive psychology and classroom interventions*. <http://dx.doi.org/10.1080/03054980902934563>
11. Zajacova, A., & Lawrence, E. M. (2018). The Relationship Between Education and Health: Reducing Disparities Through a Contextual Approach. *Annual review of public health*, 39, 273-289. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031816-044628>

-----:-----

An Analysis of the Impact of National Education Policy in Education Sector

Mrs. Alice Chariyan

Assistant Professor

Department of English, GFGC, K R Puram

Bangalore-36

Introduction

In the midst of multiple opinions and commentaries about the NEP, this paper attempts to analyse the policy from the lens of practitioners. The fundamental principal of the policy is to recognize, identify, and foster the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres. The policy accords the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy by all students by Grade 3 and giving flexibility, so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programmes, and thereby choose their own paths in life according to their talents and interests. There are no hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning. It pioneers multidisciplinary and a holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge emphasizing the conceptual understanding rather than rote learning and learning-for-exams. The policy promotes creativity and critical thinking to encourage logical decision-making and innovation. Ethics and human & Constitutional values like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice. It believes in promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning and also life skills such as communication, cooperation, teamwork, and resilience. It focuses on regular formative assessment for learning rather than the summative assessment that encourages today's 'coaching culture'. Through extensive use of technology in teaching and learning, it aims removing language barriers, increasing access for Divyang students, and educational planning and management.

Respect for diversity and respect for the local context in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject. It provides full equity and inclusion as the corner stone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system. This is facilitated through synergy in curriculum across all levels of education from early childhood care and education to school education to higher education. Teachers and faculty are at the heart of the learning process – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions. A 'light but tight' regulatory framework is envisioned to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance and empowerment. By making outstanding research as a corequisite for outstanding education and development thrust is given to research. Continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts will pave way to conceptual understanding. A rootedness and pride in India, and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge systems and traditions is the goal of the inclusive curriculum. Education is a public service, therefore access to quality education must be considered a basic right of every child by a substantial investment in a strong, vibrant public education system as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private and community participation.

Evolution of Education Policy in India

- University Education Commission (1948-49)
- Secondary Education Commission (1952-53)

- Education Commission (1964-66) under Dr. D.S. Kothari
- National Policy on Education, 1968
- 42nd Constitutional Amendment, 1976-Education in Concurrent List
- National Policy on Education (NPE), 1986
- NPE 1986 Modified in 1992 (Program of Action, 1992)
- T.S.R. Subramaniam Committee Report (27 May, 2016)
- Dr. K. Kasturirangan Committee Report (31 May, 2019)

The National Education Policy (NEP) was approved by the Union Cabinet of India on July 28th, 2020. After a gap of 34 years, the Indian Government consolidated feedback from 2.5 lakh village-level stakeholders to two national parliamentary level committees, over more than 50 months of consultations and workshops. However, the extent to which the policy has incorporated recommendations remains unknown.

Curriculum

Curriculum plays a vital role in the formative years of a student's career. A curriculum that develops the overall personality of the student. It will inspire him to achieve his best, like digital fluency, financial literacy, artificial intelligence, constitutional values, Health and wellness, Life Skills under Skill and Ability Enhancement course. The curriculum promotes Multilingual study, with focus on the local and regional language. Respect for local context and autonomy to frame curriculum based on the regional uniqueness. National Skills Qualification Framework has different levels or scores which is linked to the different levels of the course. 40% credits can be earned through authorized online courses like SWAYAM.

Initial Response to the Draft NEP

The draft NEP was a long time coming, but it has made some bold and welcome recommendations to shift the focus of the education system towards quality, and improving student learning outcomes. It takes a long-term view in terms of the emphasis on flexibility and skills to ensure that our children are equipped for a rapidly changing job scenario. We now have a policy document that explicitly recognizes that we are currently in a severe learning crisis. We now have a policy document, even though it's a draft, that explicitly recognizes that we are currently in a severe learning crisis, and that this crisis starts in the early years. This is significant. If we were to focus and get this one thing right, i.e., ensure all children have foundational literacy and numeracy skills, this in itself would have a tremendous impact on the education system.

The key steps for the successful implementation of the policy

The challenge is that current state capacity to deliver quality education is weak, and we do not have the resources to focus on so many things at the same time. My one advice to the Government would be that they should almost ruthlessly prioritize—they should first focus on ensuring that all children achieve foundational literacy and numeracy, and then phase in other priorities, as needed. Successful implementation rests with states. The Centre's role is primarily one of catalyzing demand for critical reforms with the states, setting broader policy goals, providing funding to states and so on. The Centre cannot be too prescriptive in terms of 'how' states need to implement. In fact, it needs to give states the autonomy to choose the most cost-effective pathways, while maintaining accountability for the right outcomes. The Centre should also think about enabling states to develop 3-5 year plans, and not annual plans.

The big misses of the draft NEP

One of the key concerns with the draft education policy is that, like many other policies, it may be attempting to do too much. As a system, we first need to focus on getting the basic right—ensure that all our children achieve foundational literacy and numeracy by class three. Without this prioritization, the system will continue to grapple with multiple competing priorities. One of the key concerns with the draft education policy

is that, like many other policies, it may be attempting to do too much. We cannot hope to achieve foundational learning for all our children if we don't measure it correctly. Therefore, one of the biggest areas of reform in this regard, which is not adequately addressed by the policy in its current form, is the need to ensure independent and reliable learning data to measure early grade learning outcomes. While the NEP does call out regular adaptive assessments, there is a need to have a large-scale, independent, household-based, Government-backed assessment, which measures outcomes for children attending public and private schools. This survey must be housed in and administered by an autonomous institution, which is at arm's length from the delivery ministry, ensuring there is no conflict of interest. This learning data is critical for the Government to meaningfully hold the system accountable and keep us honest.

The proposition to separate regulation, provision, and policy-making in the NEP

The idea of separating roles is very good, because if Government performs all the roles—funder, provider, regulator, policy maker, assessor—it leads to many conflicts of interest. However, the NEP does not go far enough because it does not separate funding and provision—the Government is both the funder and producer of education, i.e., it runs schools itself. The NEP does not consider public funding for privately produced education (public-private partnerships). It is a myth that in educationally developed countries, all schools are state-run. Actually, they are only publicly funded, not publicly run. This is an important distinction that many in Government are unaware of. In India, there is an entrenched belief that the Government shouldn't just fund education, it must also produce it (i.e., run the schools)—even when it has struggled to deliver quality. Our main focus should be to ensure that all elementary education is publicly funded, so that parents do not have to pay to send their children to school. But the operation of the schools themselves could be in private hands if they are deemed to be more efficient, i.e., to deliver better child outcomes at lower cost. The idea of separating roles is very good, because if Government performs all the roles, it leads to many conflicts of interest.

The proposed changes to India's education policy are marred by budgetary constraints and ambitious objectives that may prove impractical.

NEP suggests increasing spending on education from 10% of total Government expenditure to 20% by 2030. However, there is no funding available for such an increase in India's current education budget. Further, since 2015, Government spending on school education has actually decreased after correcting for inflation, according to an analysis of state and central education finances over the years. Good public education is a fundamental right in India, and there is a strong correlation between public investment in education, child development and empowerment. For instance, states that spent more on education, such as Himachal Pradesh and Kerala, scored higher on the empowerment index, which takes into account attendance levels at primary, upper primary, secondary and senior secondary levels, as well as indicators linked with gender equality such as sex ratio at birth and early marriage.

Medium of Instruction

There is need for clarity on the medium of instruction being regional language. Something that is contradictory is the policy favors the graduates of the future learn regional languages, as well proposes to bring global outlook to the courses by relegating English. Learning languages is different from language of instruction. It is good for children to be multi-lingual. Given our colleges, universities and jobs are overwhelmingly in English, it will be difficult to reverse/halt the secular trend towards English medium schools. In any case, the policy big advocate of parents having the choice on which language they want their children to learn in.

Conclusion

India started courting neoliberal capitalism in 1991. Consequently, the Indian economy is already merged with the international political economy; integrated irreversibly with the global economy in all areas, including finance, trade and foreign policies. The middle class believes that it is better to be a part of neoliberal capitalism to protect their interests and that the curriculum of the 21st century should prepare the next generation for

employment in the world market. They, therefore, support the policy whole heartedly. However, how will we overcome the funding challenge? Will education continue to be India's Achilles heel? We need to wait and see.

Reference

1. Jebaraj, Priscilla (2 August 2020). "The Hindu Explains | What has the National Education Policy 2020 proposed?". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 2 August 2020.
2. Vishnoi, Anubhuti (31 July 2020). "No switch in instruction medium from English to regional languages with NEP '20: HRD". The Economic Times. Retrieved 31 July 2020.
3. Gohain, ManashPratim (31 July 2020). "NEP language policy broad guideline: Government". The Times of India. Retrieved 31 July 2020.
4. Chopra, Ritika (2 August 2020). "Explained: Reading the new National Education Policy 2020". The Indian Express. Retrieved 2 August 2020.
5. Chaturvedi, Amit (30 July 2020). "'Transformative': Leaders, academicians welcome National Education Policy". Hindustan Times. Retrieved 30 July 2020. While the last policy was announced in 1992, it was essentially a rehash of a 1986 one.
6. "Kasturirangan-led panel to develop new curriculum for schools". indianexpress.com. 22 September 2021. Retrieved 16 October 2021.
7. "State education boards to be regulated by national body: Draft NEP". The Times of India. Retrieved 21 November 2019.
8. "Here's Why You Can Rejoice Over the New NEP. And Why You Cannot". The Wire. 31 July 2020. Retrieved 2 August 2020.
9. Jebaraj, Priscilla; Hebbar, Nistula (31 July 2020). "Rigorous consultations done before framing new National Education Policy, says Ramesh PokhriyalNishank". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 2 August 2020.
10. Rohatgi, Anubha, ed. (7 August 2020). "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi". Hindustan Times. Retrieved 8 August 2020.

-----:-----

A Study on the Awareness of New Education Policy (2020) among the Teacher Trainees and Teacher Educators

Dr. K. Nagamani

Assistant Professor,
Kalyan P.G.College,
Bhilai Nagar, Chhattisgarh

Bhawana Kshatriya

Assistant Professor
Bhilai College of Information
Technology, Jamul, Chhattisgarh

Abstract

As the new policy on education come into practice after a long gap of 34 years lot of changes be it minor or major needs to be done in the education sector. It is a positive sign to the education sector to reform and flourish in such a way to attain the global standards. The basic purpose of study to understand the awareness of New Education Policy (2020) among the Teacher Trainees and Teacher Educators. In present study 35 Teacher Trainees and 35 Teacher Educators were randomly selected from B.Ed. colleges situated in Durg district. Self made questionnaire was administered on them to find out the awareness about NEP(2020). We found that only 4 Teacher Educators have high level of awareness (75%) about NEP (2020), 11 Educators have average level of awareness (50%) and 20 Educators have very low level of awareness (35.25%) about NEP (2020). We also found that only 4 Teacher Trainees have highly aware (81%) about NEP (2020), 7 Teacher Trainees contains average level of awareness(62%) and 24 Teacher Trainees having very low level of awareness about NEP (2020) with respect to teacher education. From above results it may be conclude that very less number of Teacher Trainees and Teacher Educators having idea about National Education Policy (2020). From the study we interpretate that awareness of NEP (2020) among the Teacher Trainees and Teacher Educators is very low and it is necessary to organize programmes related to National Education Policy (2020) with respect to teacher education in colleges.

Introduction

The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India's traditions and value system. The basic principle of this policy is that education must develop not only cognitive capacities-both the foundational capacities of literacy and numeracy and higher-order cognitive capacities, as critical thinking and problem solving- but also social, critical, and emotional capacities and dispositions.

The teacher educator and teacher trainees must be at the center of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers, all levels, as the most respected and essential member of our society, because they truly shape our next generation of citizens. The basic agenda of this study to know how much teacher educators, teacher trainees are aware about the changes in teacher education system in National Education Policy (2020) and also find out the challenges and barriers, they face in execution of NEP(2020) in their institutions and colleges.

Review of Literature

Kalervo N Gulson and Sam seller (2018), they come to one conclusion that enabling new private and public connections across policy topologies.

Ms.Sujatha Ramesh and Natarajan (2019) they compared the NEP (2019) with the American Education system. The NEP permitted to switch over course like that USA. The flexible approaches are similar to that of the USA.

Nikil Govind (2019) Aithal and Shybhrajyotsna Aithal (2019) they analyzed positive and negative of the proposal and some suggestions to further improvement.

Mahendraprabhu, Mani Mookkiah studied the awareness on the NEP(2020) among the primary school teachers and found that 21.9 % male primary school teacher have low level, 63.1 % of them have moderate and 15 % of them have high level of awareness New Education Policy in Gender. Regarding female primary school teacher 27.9 % of them have low level of awareness, 62.1% of them have moderate level and 10 % of them have high level of New Education Policy in Gender.

Objective of the Study

- To study the awareness of NEP (2020) among Teacher Educators with respect to Teacher Education.
- To study the awareness of NEP (2020) among Teacher Trainees with respect to Teacher Trainees.

Hypothesis

- There is average number of teacher educators aware about the NEP(2020) with respect to teacher education.
- There is average number of Teacher Trainees aware about the NEP(2020) with respect to teacher education.

Delimitations

- The study is confined to 35 teacher educators and 35teacher trainees.
- The present study is limited to only in Durg and Bhilai area.
- The study limited to those colleges and institutions where running B.Ed.programme.

Methodology

- In present study used survey method to collect data from the population for studying the National Education Policy(2020) awareness among Teacher Educators and Teacher Trainees in Durg District.

Population and sample

Total 602 Teacher Educators and 4300 Teacher Trainees of 39 B.Ed. colleges in Durg District considered as a population for present study.

Simple random sampling technique used to collect data in study. Total 70 (35- Teacher Educators and 35 Teacher Trainees) data were collected from various B.Ed. colleges in Durg District.

Tools Description

- Self made questionnaire is use as a tool for collecting data. It includes 16 items related to NEP(2020) awareness.

DATA ANALYSIS

Table 1: Awareness of teacher educators

S.No.	No. of Teacher Educators	Obtained Marks	Max. Marks	Percentage
1	20	5	16	31.25%
2	11	8	16	50%
3	4	12	16	75%
Total	35			

Awareness Level

0-33%	Low
34-66%	Average
67-100%	High

Table 2: Awareness of Teacher Trainees

S.No.	No. of Teacher Trainees	Obtained Marks	Max. Marks	Percentage
1	24	4	16	25%
2	7	10	16	62%
3	4	13	16	81%
Total	35			

Awareness Level

0-33%	Low
34-66%	Average
67-100%	High

Results and Discussion

- According to Table 1; 20 Teacher Educators obtained 5 marks out of 16 (maximum marks) so that they have 25% of awareness about NEP (2020) which is very low percent according to criteria. 11 Teacher Educators obtained 8 marks out of 16 so that they have 50 % aware about NEP (2020) which is average level of awareness. Only 4 Teacher Educators obtained 12 marks out of 16 so they contain 81% which means they are highly aware about NEP (2020).
- According to Table 2 ; 24 Teacher Trainees obtained 4 marks out of 16, percentage of awareness found 25% which means maximum numbers of teacher trainees were not aware about NEP (2020). 7 Teacher Trainees obtained 10 marks out of 16 so they were 62% aware about (2020) which is average with respect to criteria. Only 4 Teacher Trainees scored 13 marks out of 16 and contains 81% which means their awareness level is high according to criteria.

Findings

- In present study we found that maximum number of Teacher Educators having low awareness level about National Education Policy (2020) with respect to Teacher Education.
- We found that maximum number of Teacher Trainees having very low level of awareness about (NEP 2020). 7 Teacher Trainees have average level of awareness of (NEP2020) and only 4 have highly aware to NEP(2020).

Conclusion

In present study we conclude that there is highly need to aware about NEP (2020) for Teacher Educators and Teacher Trainees. Many of these not know that what criteria has to be set and how to execute the new policies in teacher education area. It is very necessary to conduct programmes in colleges to understand the

new strategies of NEP(2020)with respect to Teacher Education. Teacher Educators and Teacher Trainees are the basic elements from school education to higher education and it is necessary to update them about new education policies and points changes by the Government. It is also necessary for stakeholders to arrange mentors support and observers team for colleges and institute to provide a platform for quality enhancement of teacher education.

Reference

1. Aithal, P. S.(2019).Analysis of Higher Education in Indian National Education Policy Proposal and its Implementation Challenges.*International Journal of Applied Engineering and Management Letters*,3(2) 1- 35.
2. “Does the New Draft Education Policy Aim for a Literate India?.” *The Policy Times*, 2019. <https://thepolicytimes.com/does-the-newdraft-education-policy-aim-for-a-literateindia>
3. “Draft National Education Policy 2019.” *PRS Legislative Research*. <https://www.prsindia.org/report-summaries/draft-nationaleducation-policy-2019>.
4. Govind, Nikil.(2019) The New Educational Policy 2019.Opportunities and Challenges for Medical Ethics.*Indian Journal of Medical Ethics*.4(3) 175-177.
5. Khetarpal.Sonal.National Education Policy 2019: Old Wine in New Bottle.*Business Today*.2019, <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/nationaleducation-policy2019-old-wine-in-new-bottle/story/353751>
6. Mahalakshmi et.al.(2020).Work Values of Secondary Grade Teachers based on certain selected variables. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*. 12 (3), 4910-4918.
7. Mani, M. &Prabu, M. M. Review Of ReseaRch. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EfonVJkuI9wJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5
8. Misra, Satya Narayana and Sanjaya Ku. Ghadai.(2015)Make in India and Challenges before Education Policy. *Journal of Education and Practice*.6(1).97-103.
9. Nandini, (2020).New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes. *Hindustan Times*. Retrieved 30 July 2020.
10. NationalEducationPolicy2020:https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

-----:-----

New Education Policy & Elementary Education

Dhanesh Ram Sinha

Lecturer, Govt. H. S. School, Chichola,
Chhuria, Rajnandgaon, Chhattisgarh

Abstract

Development of any country depends upon its educational quality. Education Policy of a country is the mirror of its future plan as well as its past happenings. In this regard New Education Policy of India is going to be a mile stone in the field of education. Right from the day (29.07.2020) of its beginning and application it has been granted that in due course of time, it will change the total education system and education scenario of the country. This education policy is the new format of its previous education policy of 1986 with sea-gap changes. It is said that it is a well designed, well developed, well framed and future planned education. After going through the format (5+3+3+4) of NEP 2020 it goes without saying that the elementary education has been given more importance. Not only primary education but also middle and another stages have been given equal emphasis. In other words we can say that New Education Policy of the country is a comprehensive framework for elementary to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2040. The policy leave free to all states and public for its application according to their wish, choice and circumstances. The aim of this Education Policy is to make India "A Global Knowledge Superpower" in the world scenario .

Key words

Future plan, mile stone, comprehensive framework, superpower.

Introduction

A National Education Policy is a comprehensive framework to guide the development of education in the country. A new policy usually comes along every two decades. India's education policies that are applied by the education authority (at present Ministry of Human Resource Development- MHRD) of the country are based on the overall development of its citizen. In this regard India's education system has a good chronological development and history of 72 years (from 1948-2020). After the independence of India, it was found there was a situation of hue and cry all around the country. Everything was at sixes and sevens. It seemed there were no rules and regulations in the country. System of the country had gone into the drains. There was no atmosphere of education at all in the country. In that critical situation in 1948 first Education policy was applied in the country named "University Education Commission" guided and directed by Dr. Radhakrishnan. After two decades another education policy of India was launched in 1968. Many educationists call it the first education policy of India. Mr. Daulat Singh Kothari the UGC then headed this policy, so it is also called Kothari Commission. The concept of NCERT in National Level and SCERT in state level came into existence after the application of this education policy. This policy was based on radical restructuring and it proposed equal educational opportunities in order to achieve national integration and greater cultural and economic development. After this, in 1986 another new education policy of the country was launched. The education policy of 1986 was revolutionary in many ways. The concept of correspondence course and free education for the children from 06-14 years, Education for women, adult education, Operation Black-Board, promoting SC-ST children, Promoting poor families to send their children school were some striking features of this policy. If we look back the education policies of India right from its beginning, then it seems that the education policy of 2020 took a long time for its implementation. Therefore this education policy is quite different from that of other previous policies.

Objectives of the Education Policy 2020

- To evaluate the previous and the present education systems of the country and taking further steps for upcoming situations.
- To look for the better solutions for the problems of present education system and remold them accordingly.
- To motivate teachers and educationists for Continuous Professional Development for their bright future.
- To globalize Indian education to achieve a better cultural traits and international understanding.
- To prepare the countrymen for future challenges through education.
- To remove the useless unproductive traditional policies and systems of education of the country.

Highlights of New Education policy 2020

- The format of NEP 2020 has been changed from 10+2+3 (of NEP 1986) to 5+3+3+4. It means scaffolding of education from basic level.
- Planning and settlement of teachers, schools and students up to 2025. Similarly, reducing dropout up to 0% and 100% enrolment of the students by 2030.
- Mentioning the value of life, culture, society and surroundings of the country among the children.
- Mentioning the glorious past, culture, tradition, customs and rituals of the country. Dreaming to make India superpower in every respect of life.
- Education will be made flexible for the students. They can opt their subjects according to their wish.
- Physical education, vocational education, art and craft will be the part and parcel of this education policy.
- For national integration Tri-language formula will be applied in the country, so that the quality of nationality could be develop among the students. Teachers will be given ample opportunities to learn multi languages, like Spanish, German, Portuguese, French, Thai, Korean, Russian etc.
- Indian sign language will be applied throughout the country.
- Several local and useful courses will be promoted for the development of local business and professions, knowledge and skills, such as local art, music agriculture sports, carpentry and other vocational crafts. This also aligns with the vision of the policy to provide holistic education.

For students

- Incorporating logical, imaginative, constructive and chronological thinking among the students.
- Focusing more and more emphasize on language learning and mathematics practice.
- Promoting students to revisit the ancient literature of the country like Panchtantra, Hitopdesh and Jatak-katha etc.
- Promoting students for creativity, willingness for learning, invention, discovery, problem solving and constructive learning.
- Special treatment for the physical disabled students to enable them for a better learning and preparation of their future.
- Looking for extra-ordinary qualities among the students and providing them suitable platform for upgrading and better learning.
- Enabling the students for skill development by giving more and more chances. Providing them practical information for skill development.
- A 10 days' intensive practical classes for vocational development for middle school children like, carpentry, gardening, pottery making, metal work, electric work etc.

- Promoting students for creativity, willingness for learning, invention, discovery, problem solving and constructive learning.
- Focusing on qualitative teaching and lessening the burden of school bag. Reducing cramming among the students and incorporating understanding power in the students.

For teachers

- In place of rigidity, teachers will be freed for flexibility to teach and handle the students, and employees according to their abilities.
- Giving teachers freedom for teaching and handling the students according to the contexts and situations. Regional and local languages and dialects can be used by the teachers for the development and betterment of the students for a better learning and understanding. A respectful education for the local and regional language, society and culture.
- Providing professional and vocational development and leadership quality among the teachers and students. Giving them more access for learning maximum languages, multi-disciplinary, peer-learning and peer-assessment.
- Leadership quality will be developed for the teachers. For this several training programs will be organized for teacher development.
- The policy will empower teachers of India and lists out various reforms for their recruitment and other service conditions.
- High quality content and pedagogical knowledge will be provided to the teachers for their continuous upgrade.
- Strong practicum training in the form of student-teaching at local schools.
- Special shorter local teacher education programs will also be available at BITEs, DIETs, and school complexes.
- A new and comprehensive National Comprehensive Framework for Teacher Education, NCFTE 2021 will be formulated.
- Teachers will be recognized for applying novel approaches to improve education quality.

New Education Policy 2020 and Elementary Education

One of the important facts of NEP 2020 is its new format in which Elementary Education has been given more importance. If we go through the format of 1986, then it was 10+2+3 where as it is now 5+3+3+4. It means Government has thought of the plan to consolidate the education system of children for their bright future. In this new format primary education has been divided into two sections:

a. **Foundation Level(Early Child Care and Education: for class 1 and 2):**

The NEP 2020 identifies that over 85% of young child's brain develops by the age of 06 and emphasizes on providing critical importance care and stimulation of the brain in a child's early years for healthy brain development and growth. It states that it is, therefore of the utmost importance that every child has access to quality early childhood care and education. Before this Education policy no proper attention was given to the education system of primary schools. In this policy primary education has been included with an extraordinary care. The Early Childhood Care and Education (ECCE) will be given more importance. In this regard the MDM plan will be expanded according to the demands and needs of the children. Government is looking to train the teachers for a better output. In the process of Continuous Professional Development (CPD) teachers will be given chances to update themselves. Different kinds of certificate courses and leadership training are going to be launched to modify the teachers. Government is also looking to develop a better co-ordination between ECCE and School Education Dept. A special taskforce is going to setup for the implementation of future plans.

b. Preparatory Level (from class 3 to 5)

Government is focusing in this stage for the preparation of upcoming future of the students. Researches show that in Foundation Level a good preparation doesn't take place as far as basic literacy and mathematical understanding are concerned. It is proposed that a "School Preparation Module" will be prepared by SCERT and NCERT. For the dynamic progress of the students, peer teaching and peer assessment by the students and for the students will be given more importance. This will encourage the students for a better performance. It will also help the teachers in many ways. A joyful learning place will take place in all classes. In preparatory level students are a little bit advance and therefore we must provide them ample opportunities for better performance. Indeed these kinds of activities will create better learning environment for the students in due course of time. It has been seen that after finishing primary school education many students leave to carry on their study. Here the aim of the Government is to enhance their abilities so that they could understand their ability and strength and in the long run they will continue their study.

Focus on strengthening the local units for a better performance

NEP 2020 has determined to make strong the local bodies and local units. In this respect all CACs (Cluster Academic Coordinator) will be given intensive training programs for the upliftment of their abilities and skills. To make the cluster strong, the size of the cluster has been minimized from 20 to 10-08 schools. Several training programs are on floor for their professional development. For primary section focus has been given teachers' development like leadership quality, communication skill and other technical fields. These clusters are directly concerned with BEO, DEO, SCERT, NCERT and MHRD. For a dynamic progress teachers under local units are given continuous guidance for working well in the educational field. Many work books have been provided to the teachers to co-operate and assess the students. Recently teachers are being given trainings on the behalf of state and central Government. Government is also trying to calculate the learning loss of the students during this Corona Pandemic. Looking at their problems and learning loss of the students, Government is trying to handle the situation in a very gentle mode. Might be possible in the coming years the fruitful result of the teachers and Government will be visible.

Conclusion

After going through the NEP of 2020, it seems that Government has determined to work hard in the field of primary education. The fact is that one should not forget that primary education provide solid base for the upcoming generation. The base of higher education is totally concerned with the success of elementary education. Therefore the Government is looking for the continuous development of the students. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care, and pre-primary education so that they are ready for primary education.

References

1. Study materials for teachers. (Nov. 2021). CAC Training on NEP 2020, SCERT Raipur Chhattisgarh.
2. vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/national-education-policy-2020
3. idronline.org/nep.-2020-and-early-childhood-education
4. <https://www.education.gov.in>

-----:-----

Impact of New Education Policy 2020 on Legal Education in India

Dr. Raju Majhi,

Assistant Professor,

Law School, Banaras Hindu University,

Varanasi, Uttarpradesh

Abstract

Education plays a very significant role in bringing out social change. It is a potential instrument and a powerful medium of bringing changes in the society it enable drawing out of the best in the body, mind and spirit of individuals. It equips an individual with ability to understand and reflect upon knowledge and processes and to act in a responsible manner. As far as legal education is concerned, it is a species of main stream of education involving the study of law. It inculcates the ability to make use of law, to analyze it and to criticize it as a member of the legal community. It focuses on the individual freedom as also on the development of society, solidarity and strengthening of rule of law. The progress of higher quality of legal education is a prerequisite to high quality legal practitioners. The legal education mainly regulated by the Bar Council of India. The present paper aims to analyze the existing system of legal education in India and impacts of New Education Policy 2020 on legal education.

Kew Words

Legal Education, New Education Policy, Bar Council of India.

Introduction

Education plays a very prominent role in bringing out social change. As a potential instrument and a powerful medium of bringing changes in the society it enable drawing out the best in the body, mind and spirit of child and man. The purpose of education is to impart knowledge to dispel ignorance. Ignorance is the mother of all the evil and all the misery. Education is a liberating force to get rid of such miseries. Proper education of the people helps to cure their miseries.

Spiritually, it is believed that the life on the earth is regulated by the laws of the Lord or the Divinity. It is 'rule of law', that draws the essential difference between human society and animal world. It is the legal education that plays an important role in promoting social justice. Education or awareness of laws, characterize the lawyers as 'Social engineers'.

Imparting of legal education has always been considered as one of the noblest profession, Today, legal education derives its impetus from the economic, social and political set up of the society. Legal profession is objectively in the position of producing Statesmen. This is due to two reasons (1) Lawyers belong to an independent profession. They are not subordinate to the Government or to anyone else., and (2) They are directly in contact with society in its entirety as they have to deal with all kinds of problems of people from all sections of society, unlike say, doctors who are confined to technical problems. Hence, lawyers are the people who are most conversant with the problems of society as a whole. Against this background it is very necessary to have a look on the historical development of legal education in India.

Historical Development of Legal Education in India

The concept of dharma, in the Vedic period, can be seen as the concept of legal education in India. The guiding force for the King or his appointee was the upholding of the dharma. For almost a century from 1857 to 1957 a stereo typed system of teaching compulsory subjects under a straight lecture method and the two year course continued. The need for upgrading legal education has felt for long. Numerous committees were set up periodically to consider and propose reforms in legal education. The University Education Commission, was set up in 1948-49, in the year 1949 the Bombay Legal Education Committee was set up to promote legal

education. The All India Bar Committee made certain recommendations in 1951. In 1954, XIVth Report the Law Commission (Setalvad Commission) of India discussed the status of legal education and recognized the need for reform in the system of legal education. It depicted a very dismal picture of legal education. It was only from 1958 that many universities switched over the three year law degree courses. It was only by 1967, that it became onerous task for the three year law colleges to include procedural subjects into the curriculum of their law school.

The dichotomy between the two courses 3 year LLB course after graduation and 5 year integrated course after 10+2, based on various factors such as professional legal education, mental faculties of students, multi-disciplinary and clinical legal approach to legal education still continues. After analyzing the historical development of legal education in India, it is very pertinent to note here that how this legal education is regulated in our country. To understand the regulating mechanisms of legal education in India we have to give a look on it.

Importance and Regulation of Legal Education in India

Legal study promotes accuracy of the expression, facility in arguments and skill in interpreting the written words, as well as some understanding of social values. So 'Law acts as the cementing material of society and an essential medium of social change'. A well administered and socially relevant legal education is a sine qua non for the proper dispensation of justice. Giving legal education a human face would create cultured law abiding citizens who are able to serve as professionals and not merely as business men.

The quality and standard of legal education acquired at the law school is reflected through the standard of bar and Bench and consequently affects the legal system. The primary focus of law schools should be to identify the various skills that define a lawyer and then train and equip its students with requirements of the fast growing field of law. It is pivotal duty of everyone to know the law. Ignorance of law is not innocence but a sin which cannot be excused. Thus, legal education is imperative not only to produce good lawyers but also to create cultured law abiding citizens, who are inculcated with concepts of human values, legal ethics and human rights.

The Constitution of India basically laid down the duty of imparting education on the states by putting the matter pertaining to education in List II of the Seventh Schedule. But it is now forms part of List III, giving concurrent legislative powers to the Union and States. Legal profession along with the medical and other professions also falls under List III (Entry 26). However, the Union is empowered to co-ordinate and determines standards in institutions for higher education or research scientific and technical institutions besides having exclusive power, inter alia, pertaining to education institutions of national importance, professional, vocational or technical training and promotion of special studies or research.

Empowered by the Constitution to legislate in respect of legal profession, Parliament enacted the Advocates Act, 1961, which brought uniformity in the system of legal practitioners in the form of Advocates and provided for setting up of the Bar Council of India and State Bar Councils in the States. Under clause (h) of sub-sec(1) of Section 7 of the Advocates Act, 1961 the Bar Council of India has power of fix a minimum academic standard as a precondition for commencement of a studies in law. Under clause (i) of sub-section(1) of Section 7, the Bar Council of India is also empowered "to recognize Universities whose degree in law shall be taken as a qualification for enrolment as an advocate and for that purpose to visit and inspect Universities". The Act thus confers on the Bar Council power to prescribe standards of legal education and recognition of law degrees for enrolment of persons as Advocates. However, for promoting legal education and for laying down standards of legal education, the Universities and State Bar Councils must be effectively consulted. The University Grants Commission has in the course of time evinced interest in improving legal education as has taken various steps towards that end, through adequate funding, creation of senior posts and other means. We have learned from the above that how legal education on regulated in it and it maintain its accountability

and standard of legal education. Apart from that there are various weaknesses are facing by Indian legal education. We have to give a brief looks on it. The following paragraph is discussing the weaknesses of legal education in India.

Weaknesses of Legal Education India

The course content for these courses are decided by the universities with guidelines from the Bar Council of India, under the Advocates Act, 1961 inter alia has the function to promote legal education to lay down standards of such education in consultation with the Universities in India imparting such education and the State Bar Councils. The Bar Council of India, Rules provide for compulsory and optional subjects to be taught in the LL.B. course Rule (9) (1) lists 6 subjects for Part-1 (compulsory): Rule 9(2) lists 21 subjects to Part II (compulsory), Rule 9(3) lists 15 subjects (optional) out of 3 which three have to be selected.¹ A fresh UGC Model Curriculum was prepared by the Curriculum development committee constituted by UGC in 2000 which was circulated to various universities for revision of their law courses. Despite measures and recommendation to equip the India Law graduates with better professional capabilities the challenge posed from international as well as the cross country institutions is imminent. Some major shortcoming of our legal education systems are:

- a) **Easy Entry in Legal Education:** Legal education has nowadays emerged as a promising business activity for the law institutions which are mostly run by builders and industrialists. The main problem is that the team of Bar Council and the university which is responsible for the inspection of colleges seeking permission to start law courses.
- b) **The teaching facilities and techniques:** The Law schools are still accustomed to the age old method of teaching through lectures in class room.
- c) **The Faculty Examination System:** The law schools adopt the traditional examination pattern. The covering a part of the prescribed syllabus and fallacy of memorizing the selected questions rules the roost.
- d) **The Irrelevant Syllabus:** Even after being asked by the UGC Committee and Bar Council of India for upgrading of syllabus of law courses here remain a lack of uniformity in law curriculum of different Universities. Law education must be made more relevant to the profession and its challenges.²
- e) **Vast differences among Law Institutions:** The increasing levels of differences amongst the educational institutions have created a big divide into 'elite' education groups and the rest of institutions.
- f) **Shortage of good teachers:** Generally the law colleges fail to attract talented law professional for joining as teachers in their institution.
- g) **Problem of Placement:** Students usually complete their placement with a lawyer, NGO or a corporate house. The law students are expected to learn the skill of reading and maintaining case files, legal research, drafting the client interviewing and counseling.

Now we have to give a focus on the New Education Policy and Its impact on Legal education in India.

The New Education Policy 2020 and Indian Legal Education

The National Education Policy 2020, the third to be adopted by the country has come a long way since its first predecessor, the National Policy on Education adopted in 1968³ by the then Prime Minister Indira Gandhi. It called for the "radical reconstruction of education" on the lines suggested by the Education Commission 1964-1966, headed by D.S. Kothari, Chairman University Grants Commission⁴ that for the first time voiced the need for free and compulsory education up till the age of fourteen years and equalizing education opportunities to transcend regional, social, gender, class and caste boundaries. The subsequent policies adopted in 1986 and modified in 1992 primarily pinned their attention to addressing issues of access and equity in educational opportunities amongst the different social groups. The latest edition of the Education

Policy adopted in 2020 is a significant improvement from the 1986 version, since it accounts for the developments that the country has witnessed post the 1991 reforms and the competitive global landscape that makes it incumbent for the country to align its policies to match the needs of the global scene. The New Education Policy 2020 is the most ambitious education policy adopted by the Government till date, since it takes into account the demands, necessities and aspirations of all the stakeholders. It is a vision document which proposes equitable and inclusive education to achieve social and economic justice and seeks to balance local and global human resources needs of the growing Indian economy. Globalization and integration of world economies has made the thirst for education more insatiable and the necessity of equality educational institutions has never before been so desired. The fundamental Right to Education in Article 21A of the Constitution is not only about primary education or school education but also paves the path for affordable and competitive higher education, which will ensure jobs and lay the foundation for a competitive environment.

Legal Education had its first set of reforms by the introduction of the integrated five years B.A. LL.B. course in the early 1990s. Drawing inspiration from the west, the Law school model became the nurturing ground for young minds to take 'law' as a profession and career. Law schools have provided the necessary impetus for Indian lawyers to practice abroad and embrace trans-nationalism.

Being a vision statement, New Education Policy 2020 has immense positive inputs to achieve potential growth in the ever demanding field of legal education. As expected, however, legal and medical education has been given their autonomy in regulation, but it is also true that these institutions cannot work in isolation. If legal education does not integrate into the 'fourth vertical' or the General Education Council proposed to function under the aegis of the Higher Education Commission of India, set academic standards and replace bodies like the UGC as proposed in the New Education Policy, law schools and universities may lost out on funding and grants from the Government. It is also important for law schools to create accrediting body similar to the one that would be created under the New Education Policy 2020. In legal education, the Bar Council of India continues to play a key role. However, there is a lot to desire especially in raising the standards in local colleges where the quality and pool of teaching faculty is at times dependent on the poor pay for law teachers, since brighter candidates move out to opt for higher paying institutions or alternative career options in the legal field. It is pertinent to note here that the local institutions have played a vital role in legal education and should be supported by the Bar Council. Through philanthropy or State funding special provision for books, computer labs, subscription to online journals, should be facilitated by the Bar Council of India.

The National Education Policy 2020 further suggests by 2040 all Higher Education Institutions including Centres for Legal Education, shall aim to become multidisciplinary institutions having optimal use of infrastructural resources and creation of vibrant higher education institutions having optimal use of infrastructural resources and creation of vibrant higher education institutions resulting in the growth of both public and private universities at par with each other.

Conclusion

From the above discussion it can be concluded by giving some of the suggestions to improve legal education in India. It is very significant to note here that the Law Schools are required to make strategic plans that set out a clear vision of justice delivery and also address the emerging realities of the market. The New Education Policy 2020 must assure the following to achieve the goal of the Law Schools should be to build a 'system of legal education'. These can be the following:

- a) **Promote an inter-disciplinary approach of law with other social sciences:** A person who studies law must have some proficiency in country's history, political theory, economics and philosophy, to enable him or her in becoming agents that participate in institutional changes.
- b) **Encourage proficiency in languages:** Command over spoken and written language, effective oral skills, diction and extensive reading are pre-requisites that go without saying. Knowledge of foreign

language is important to be a lawyer in the global economy. Law students should be provided with the opportunity to learn a foreign language of their choice.

- c) **Personal Characteristics:** Lawyers, solicitors, legal executives all need good intellectual ability, the ability to assimilate and analyse facts quickly. Law students hence need to develop their ability to distinguish the relevant from the irrelevant, screen evidence, and apply the law to the situation under scrutiny.
- d) **Develop a critical outlook:** Law teachers should switch over to what is called as 'comparative method of teaching'. The law students should be mobilized to evaluate the existing or prospective draconian laws, participate in discussions on the latest developments and required amendments.
- e) **Encourage Clinical Training:** 'Justice' must become central to the law curriculum and community-based learning must give the desired value orientation in the making of a lawyer. This concept of justice education in the field of legal education means that the law school curriculum should entail certain programs like Lok Adalats, Legal Aid and Legal Literacy and Para-legal training.

References

1. The Advocates Act, 1961
2. The Constitution of India, 1950
3. Report of the Education Commission 1964-66.
4. The National Policy on Education, 1969
5. The Law Commission of India, 2002
6. The New Education Policy

(Footnotes)

- 1 The Advocates Act, 1961, Section 7(1)(b).
- 2 The Legal Education and Professional Training 184 Report, Law Commission of India, 2002, at 53.
- 3 National Policy on Education 1969
- 4 Report of the Education Commission 1964-66.

-----:-----

NEP 2020: Empowering the Teacher-Opportunities and Challenges

Dr. Shweta Smrita Soy,
Assistant Professor
Department of Education
The University of Burdwan

Abstract

India's first Education Policy was passed and implemented in 1986. After thirty-four years, the National Education Policy (NEP) for India has been updated, revised and approved on 29 July 2020. The policy signifies a huge milestone for India's Education system, which will certainly make India an attractive destination for higher education world-wide.

The policy is based on the pillars of "Access, Equity, Quality, Affordability, Accountability" and will transform India into a vibrant knowledge hub. NEP 2020 recognises that teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy. By 2030, teacher education will gradually be moved into multidisciplinary colleges and universities. This degree will also include strong practicum training in the form of student-teaching at local Schools.

The Kothari Commission, 1966 said, 'Of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant.' The NEP 2020 too exhorts, 'Teachers truly shape the future of our children and, therefore, the future of our nation' thereby implying that teachers play the most important role in nation-building by creating high quality of human resource in their classrooms. Recognising the 'power of teacher' NEP 2020 has put in place systemic reforms that would help 'teaching' emerge as an attractive profession of choice for bright and talented young minds. It proposes several reforms to empower teachers and 'restore the high respect and status' to this profession hoping that it would eventually attract the best minds and talent to choose teaching as their profession. Therefore the present paper tries to high light the NPE 2020 with regard to opportunities and challenges in the way of teacher education sector.

Keywords

NEP 2020, Teacher education, Challenges.

Significance of the Study

Teacher are the farmer of the new generations as well as the new society. Thus, teacher has to play vital role in this regard. Teacher education is important in creating a pool of teachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that required multidisciplinary perspective and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentor. Teachers must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos and traditions. Including tribal traditions, while also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy. Recognizing the contribution, teachers can reform pedagogy to improve the learning outcomes. The NEP 2020 gives teachers autonomy in selecting appropriate pedagogy and encourages them to also ensure socio-emotional learning of their students, which is a critical aspect of holistic development. National Council for Teacher Education (NCTE) needs to be disbanded before any attempts to reform teacher training intuitions and to improved teachers training system is made. This is not out of the box idea and NEP contains adequate enabling provisions to achieve this. It advocates that in place of stand -alone teacher education institutions, they must become an integral part of the multi-disciplinary institutions of higher education.

Objectives of the Study

The present study was undertaken to achieve the following objectives:

- ◆ To highlight the challenges to implement the NEP-2020 in the perspective of teacher education.
- ◆ To discuss the possibilities of NEP-2020 in teacher education.

Major Recommendations of NEP-2020 about Teacher Education

This policy aims to ensure rigorous teacher preparation in vibrant multidisciplinary institutions. Some are the important issues related to the teacher education are;

Moving Teacher Education into the University System

NEP 2020 made an observation that ‘a marriage of high-quality content with pedagogy that can only be truly attained if teacher preparation is conducted within composite institutions offering multidisciplinary academic programmes and environments; NEP 2020, Page 42, 15.4). For the vision implementation, “teacher education for all levels- Foundational, Preparatory, Middle and Secondary will take place within the university/higher education system as a stage -specific, four-year integrated B.Ed. programme, combining content, pedagogy and practical training.;. Hope these changes may help to maintain the integrity of teacher education system in the country.

Dual-Degree Provision

The provision of dual -degree in NEP 2020 stating that “the four year integrated B.Ed. programme of pre-service teacher preparation for different tracks will be offered at the university level ad a dual-degree (in education together with any desired specialized subject) undergraduate programme of study, and will thus include both disciplinary as well as teacher preparation courses; is a fascinating aspect and may be cautioned not to lead to drop outs from the education sector in the context of increased rate of unemployment in India which results in scarcity of committed professionals in the education field (NEP 2020, page 42, 15.5)

Closing down substandard teacher education institutions

The Mission will be taken to shut down the substandard and dysfunctional teacher education institutions by 2023 for promoting only educational teacher education institutions by 2023 for promoting only educationally sound teacher preparation programme in India. All stand-alone teacher’s education institutions should be converted themselves as multidisciplinary HETs by 2030 to offer only four years integrated B.Ed. programme. Mandatory accreditation of all TEIs as multidisciplinary HEIs within the next 3-5 years. The progress of this mission will be supervised by National Higher Education Regulatory Authority (NHERA) every 3 months and Rashtriya Shiksha Aayog (RSA) every 6 months (NEP 2020, page 42, 15.5) which ensures an initiative in maintain quality teacher education.

Secondary specializations for subject teachers or generalist teachers

As per NPE 2020, teacher education facilities include specialized instructors for specialized subjects, generalist special educators for primary school subject areas, subject teacher in middle or high school. “Education of children with singular interests and talents is addressed through secondary specializations for subject teacher or generalist teachers, after initial or pre-service teacher preparation is completed and which would be offered as certificates courses, in the in-service mode, either full time or as part time/ blended courses- again necessarily, at multidisciplinary college or universities.” More clarity is needed in the concept of secondary specializations in the sense that it may not result in less privileged special education B.Ed. course.

All teacher education will happen in multidisciplinary institutions

This is the major transformation in the teacher education sector. Teacher training college or teacher education institutions which are running single-stream programmes must be phased out. “All multidisciplinary

universities and colleges will aim to established education department, which besides carrying out cutting edge research in various aspects of education, will also run B.Ed. programmes, in collaboration with other departments' (NPE 2020, Page 42, 15.4) As a result, majority of teacher training college of the State will be vanished or will be merged to multidisciplinary colleges as a department of education. This results the complete eradications of the great traditions of the prestigious concept of training college in the country.

Creation of substantial new teacher preparation capacity

NEP says that "the fundamental transformation to the four-year integrated teacher preparation programme on one hand and the shutting down of dysfunctional institutions on the other hand, will require the creation of substantial new teacher preparation capacity: substantial public investment will be required for the seat. Philanthropic efforts will be encouraged in this sector through special schemes to be designed by the RSA; (NPE 2020, Page 48, 18.13. & Draft NPE 2019, Page 287, 15.2.3.). It is a fearful fact that these measures will largely allow for greater penetration of private capital in education, especially teacher education which is meant to "shape the next generation."

Departments of education in Universities

NEP-2020 has recommended the department of education in Universities to strengthen and develop the spaces for research and innovation in education system. "Department of education in universities will need to be built up to take on the central role of anchoring education programmes in all disciplines through meaningful relationship with all other departments in education. They will cater to pre-service education and in-service Continuous Professional Development (CPD) of teachers in schools' education as well as the faculty in higher education. They will also prepare faculty for teacher education. They must develop courses and activities for in-service CPD of teachers and offer mentoring programmes for beginners. All courses that are being offered, must be available in a range of formats including part time, evening, blended and online, in addition to full time programmes" (NPE draft 2019, page No 288 & 289, 15.3). Showering more responsibilities to departments of education in universities can be considered as opportunities to act.

Faculty for Teacher Education

NPE 2020 has advised to appoint "Faculty with training in areas of social sciences that are directly relevant to school education e.g., psychology, child development, linguistics, sociology, philosophy, economics and political sciences as well as form science education, mathematics education, socials science education and language education programmes. The faculty profile in departments of education will be diverse with Ph.D.'s in different are. "The faculty profile of department of education will necessarily aim to be diverse, but teaching/field/research experiences will be highly valued" (NPE 2020, page 43, 15.8.). Hope that the concept would be give more dignified individuality to teachers.

In-Service Continuous Professional Development for college and University Teachers

Existing institutional arrangements and ongoing initiatives will continue for the in-service continuous professional development for college and university teachers. "The use of technological platforms such as SWAYAM/DISKSHA for online training of teachers will be encouraged: (NPE 2020, page 43, 15.10) which mostly welcomes and inspires teachers to be continuous learners.

Establishment of National Misssion for Mentoring

NPE 2020 Suggests "farming a pool of outstanding senior/reired faculty to provide short and long-term Mentoring/professional support to university/college teachers" (NPE 2020, page 43, 15.11) which is also a warm welcome supportive system for teachers. All schools of foundations, preparatory, middle and secondary level should be appointed 4- years integrated B.Ed. degree holders as teachers with dual major specialization (Education & Subjects). Till 2030, There will be two years B.Ed. Programme for 3 years UG and one-year B.Ed. for four years UG and those who have master's degree in others in others subjects, M.Ed. will be one year with research focus. All interested senior or retired faculty will be utilized short or long term for guiding,

mentoring or professional support for research/training/innovation. A separate national mission for mentoring, will be established.

Challenges

Major problems related to teacher education are following:

Lack of control over teacher education institutions

NCTE is regulatory body which controls the functioning of teacher education institutions and holds control over the quality education there. It sets and maintains the standards of education in these institutions. But in past few years teacher education institutions are so drastically increase in number that it becomes difficult to monitor all the institutions. Some of these institutions are compromising quality for the sake of money only.

Quality Concern

Quality in education related to the quality of the work undertaken by a teacher, which significantly effects upon his or her pupils. Teacher education has not come up to the requisite standards. Teachers are not able to think critically and solve the issues related to teaching methods, content, organizations etc. More knowledge of theoretical principles is emphasized and it is discussed why teachers are no able to apply these principles in actual classroom situations.

Problem of teaching practice

This is one of the main problems of teacher education. Teaching practice is neither adequate nor properly conducted. Students-teacher does not take the task of teaching practice seriously. They behave irresponsible and aimlessly. They show indifference towards the school and children. They just treat teaching practice as a fun time and way of entertainment. Also, on the other side the school and school management show problems as they do not co-operate, they do not get ready to allow teaching practice session, they did not allow proper lectures to student teacher, interfere much. Teaching practice, held in schools are not of good standard. There is no provision of modern technology. They are mere schools where most of modern facilities are not available.

Less competent teacher educators

Teacher educators are less competent. They are not efficient enough to develop desired level of skills among the students' teachers. They have lack of subject matter mastery. They are less competent to deal with the problems of classroom and behavior problems of student teachers.

Raising the bar for teachers

We need to hire the very best and brightest resources to center, in the teaching profession at all levels. Also, teachers need to be reinstated as the most respected and essential members of our society, as they are the ones who truly shape our next generation of citizens. Works also needs to be done in removing personal and professional barriers of working in remote, inaccessible locations which is crucial for preparing this workforce and also for making the NEP successful.

Teacher Availability and Training

The policy envisages the redesign of the school curriculum. However, in order to deliver the curriculum effectively, schools and concerned authorities need to train teachers and understand the pedagogical needs to make a smooth transition to the new education system. Furthermore, they need to shift the focus from teacher-centred learning to student-centred learning to foster collaborative skills, critical thinking, problem solving and decision-making abilities in the youth.

Since teaching is one of the low-paid professions in India, experimental learning and concept-oriented teaching will be a challenging task. Until the teacher remuneration is revised, the implementation of the NEP 2020 will be quite challenging.

Conclusion

The new National Education Policy (NEP) 2020, is a good policy as it aims at making the education system holistic, flexible, multidisciplinary, aligned to the needs of the 21st century and the 2030 sustainable development goals. NEP-2019 has recommended for the quality education for all by creating an educating system which is deeply rooted in Indian ethos and rebuilds India as a global knowledge power. Teacher education is vital in creating a pool of teachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values and development of practice under the best mentors.

References

1. Best J.W. (2006). *Research in Education*. (9th Edition), New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd.
2. Harma, S. P. (2016). *Teacher Education, Principles, Theories & Practices*. Ansari Road, Daryaganj, New Delhi. Kanishka Publishers, Distributors.
3. <https://www.hindustantimes.com/education/nep-2020-implementation-of-new-education-policy-in-our-education-system/story-bw4OiekFcam17NPoNkgAoJ.html>.
4. Jha, P, &Parvati, P,. (2020), Long on Rehtoric and Short on substance National Education Policy-2020, *Economic and Political Review Journal*, Vol. 55, Issue No. 34.
5. Milind, S. (2020). New Education Policy will Ensure Our Higher Education System Remains a client of Global Science. *The Indian Express*, <http://indianexpress.com/article/opinion/coloumns/the-aspiration-trapnational-education-policy-5834797>.
6. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 20/04/2021
7. Prasad, J (2007). *Principles and Practices of Teacher Education*, Kanishka Publishers, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi.
8. P. S. Aithal & Shubrajyotsna, A, (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. *International Journal of Management, Technology and Social Sciences (IJMTS)*, Vol. 5, Issue. 2, pp. 19-41.
9. Rajput, J. S., &Walia, k. (2022). *Teacher Education in India*. New Delhi. Sterling Publishers Private Limited.
10. Sha, M. (2020). National Education Policy 2020, *International Journal of Research*.

-----:-----

Integration of ICT in Teaching, Learning and Assessment: A Perspective for National Education Policy 2020

Tanmay Kulshrestha,

Junior Project Fellow (Academic),

Central Institute of Educational Technology (CIET),

National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi

Introduction

As we all know, no two individuals are alike. The learners we deal with are also different; they all tend to learn uniquely. They learn better if they get opportunities to involve more than one sense organ in a particular learning situation. Therefore, adopting multisensory learning strategies always enhances the learning experience of learners. A multisensory learning experience provides a learner with visuals, auditory, kinesthetic and tactile stimulus. Therefore, the variety of teaching-learning resources and local environment of the child play an important role in shaping the learning experience of a child. That is why experiences designed within and outside the classroom must include a variety of learning resources to ensure a multisensory approach. We also need to ensure the grooming of every child into a self-learner who is independent, critical, creative and a problem solver. For this purpose, the child needs to be encouraged to collect information, analyse it, synthesise it and draw inferences to make sense out of the collected information. These processes help children in concept formation. Therefore, we as a teacher need to go beyond textbooks and use more and more digital and physical resources. Information and Communication Technology (ICT from hereon) has immense possibilities to go beyond text and to make better sense of what children learn. Many times, ICT is understood as just working with computers. Do you think it is true? Computers or any digital device for that matter is just a vehicle to reach the larger goals of a particular subject. What is ICT? Why should we use it? How to use it? Which ICT tool to use? Where to use it? And when to use it? These are some questions that need to be answered to develop a deeper understanding of the effective integration of content and pedagogy with technology. This module will unfold the concept of ICT and its potential in effective teaching-learning and assessment. It aims at preparing a teacher to critically analyse the content, context, method of teaching and to identify appropriate ICT accordingly. Let us continue to discuss further to answer the questions raised here and enable ourselves to effectively devise an ICT enabled teaching-learning plan.

Review of Literature

Twenty-first-century teaching learning skills emphasize the need to change from the conventional teacher-centered pedagogy to more learner-centered practices. Active as well as collaborative learning conditions supported by ICT endorse to produce a generation of the knowledge-based student community. It also brings in new challenges and pressures for which educational institutions, in their present situation, are not prepared. Even the best of them are unable to meet the demand of the time. These difficulties of the Information Age have put schools and school mechanisms around the world under enormous pressure to provide every classroom, if not every student, ICT supported learning including laptops, tablets, and their accessories along with internet access.

Today's classroom teachers must be able to endow their students with technology-supported learning opportunities. Being prepared to apply technology and also knowing how that technology can cater to student learning need to be an essential skill in every teacher's professional array. However, successful integration of ICTs into the educational program is an intricate, comprehensive process that entails not only technology but also curriculum and pedagogy, institutional motivation, teacher proficiencies, and ongoing financing (Tinio, 2003).

Perhaps one of the significant challenges that the present day teachers face is the integration of technology into education. Several factors impede teachers from using technology in teaching. These “concerns” can be identified as perceptions, attitudes, motivations, and also feelings that teachers experience while implementing something new. (Haydn and Barton 2008).

According to Balanskat (2006), barriers to ICT can be basically classified as ‘micro level’ (teacher attitude) and ‘meso level’ (institutional). He has also included a third division called ‘macro level’, which describes the broader educational system. Meanwhile, Ertmer (1999) has classified the barriers into two extrinsic barriers or first-order barriers, like lack of time, support, resources and training and intrinsic barriers or second order barriers, like attitudes, beliefs, practices and resistance to change. On the other hand, Pelgrum (2001) categorize the barriers as material barriers (lack of real or physical equipment) and non-material barriers (lack of knowledge, confidence or time). This study analyzes the literature related to material and non-material barriers since they cannot be considered as standalone entities.

Important steps have been taken in the state of Kerala towards ICT integration in education and development of ICT equipment to enhance teaching and learning process. However, the information and development programme (InfoDev, 2010) report on ICT in school education in India and South Asia stated that accessibility to adequate infrastructure to promote the use of ICTs in Indian schools is a huge challenge that institutions in the region face today. Several studies that analyzed the factors that hamper the use of ICT show that the barriers Indian teachers face are similar to that of other countries. Insufficient ICT equipment, both hardware, and software, at school, particularly in classrooms stand out as the greatest impediment to technology integration (Azim Premji Foundation, 2008; Thirumurthy & Sundaram, 2003 InfoDev, 2010, Thakur, 2014).

Defining the Concept of ICT

Let us try to understand the concept of ICT. How do we explain ICT? Many times when this question has been asked, we tend to only give the full form as Information and Communication Technology. But it is very important to understand the concept of ICT for its effective use in education. As per UNESCO, ICT refers to a set of technological tools and resources that can create, store and transmit digital information. Whenever we define a concept we try to list the essential attributes, which will help us in categorizing the examples as well as the non-examples. Let us try to list the essential attributes to understand the concept of ICT. Let us take an example. Have you ever clicked a photograph using a smartphone? What do you do when you click a photograph? Whenever we click a photograph, we create digital information of the person or the object or the situation we are photographing. The created digital information gets stored on our mobile. The stored information can be retrieved from our mobile at any time, anywhere, whenever we require. The information that is stored can also be manipulated like editing it, cutting it, or even adding some features to it. Sometimes you want to make multiple copies. So digital information can also be manipulated. The photo that we have stored in our mobile can also be sent to others using any mediums like instant messenger, e-mails or social media. The stored digital image can also be stored with others using any medium like social media, instant messenger or through emails. Moreover, the person who receives it has a scope for giving feedback in the digital medium itself through likes, comments or sometimes even through descriptive feedback. Hence, ICT refers to software, hardware, a process or a system that can create, store, retrieve, manipulate, send and receive digital information. ICT need not be a single thing in this particular case, which we have taken as an **example:** smartphones along with the internet connectivity and the medium that we have used to send communication. For example, the instant messenger could all together form a system which can be called ICT. Many times as teachers, we may not really use ICT in the classroom, but we claim to use ICT in the classroom. Let us consider this example when a teacher uses a slide presentation in her classroom for teaching. Can the teacher claim that she is using ICT? She cannot because the teacher was using a slide presentation that had been created digitally, i.e information has been stored as digital information. She is able to retrieve and use it

in the classroom. Sometimes, when there are some corrections to be made, she may also manipulate them. However, most of the time the communication of the sending and receiving of information is only happening in the physical form and not in the digital form. Hence a teacher who just uses slide presentation in the classroom, shown from a projector cannot claim that she has used ICT. In case if the same teacher sends the same presentation through instant messenger or mail or social media to the students, where the students can also share their feedback in the same digital medium, then all the essential attributes of ICT are being used by teachers and the teacher can claim that she is using ICT. It does not mean that the teacher should not use any partial part of ICT. The teacher can use only digital resources sometimes created for the classroom purpose, or only as a means of communication; in that case, the teacher can claim that she is using digital technology and not ICT. So, there is a possibility for a teacher to always use ICT in the classroom with the existing resources. Now it is time for us to think and reflect whether we are really using ICT or only using digital technology and claiming to use ICT. We may think about where we are and where we can try to use ICT completely so that it is more effective in the class. Let us think about where we should try to use all the essential attributes of ICT to meaningful use of ICT in our classroom.

Integrating Content -Pedagogy -Technology into the Teaching Learning Process?

Keeping in view the advancement in the digital world, teachers need to equip themselves with the necessary professional abilities for using ICT for teaching and learning. ICT integration in teaching-learning does not merely mean the use of the internet and digital devices but to consider using these as a means to achieve the objectives and learning outcomes related to the content to be transacted. Teachers must understand how technology, pedagogy, and content are integrated to facilitate learning leading to the construction of knowledge. Figure 1 below explains how rapidly-changing potentials of technologies may be effectively integrated with a range of pedagogical approaches and content areas.




Figure 1. TPACK

Source : <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TPACK-new.png>

Parameters to be Considered while Integrating ICT

The major parameters to be considered are:

1. Nature of content

2. Context in terms of infrastructure and human resource.
3. Pedagogy approaches of teaching and learning.
4. Type of technology and its features.

Parameter 1: Nature of Content

Is it essential to use ICT for teaching or learning for every content?

Content transacted at the secondary stage may include facts, concepts, theories, procedures, generalisations, prescriptions, etc. which can be broadly classified under four dimensions of knowledge.




Figure 2 : Krathwohl (2002) : "Structure of the knowledge dimensions" of the Revised Bloom's Taxonomy

Depending on the content type it is necessary to decide whether the use of technology is required. If required, the next step is to think about what type of technology or media is required. For example, to teach students the factual knowledge that 'New Delhi is the capital of India' there is no need for technology. But if it is required to describe the neighbouring states of Delhi, locate the region in which it is located, etc. technology can be used. Which media is to be used to teach this content? Image, video, simulation, animation - which of these will be appropriate to use? Though all these types of digital content like video, audio, image etc. can be used, a digital map/globe in software like Bhuvan or Marble would be more appropriate to show the regions based on the requirement.

Certain content requires experiential learning which any PPT, video and multimedia can not provide. In some cases, due to unavailability of resources, the impossibility of the action, etc. technology use is a must. For example, in a biology class dissection of animals and plants is a routine scene. But nowadays the dissection of animals is considered unethical and illegal. Hence, showing students a multimedia-based virtual dissection is a far better option for the teachers. Hence, it is also important to choose the right media/technology based on the nature of the content. Therefore, the questions to be thought of while choosing media/technology include:

- Is ICT necessary for the teaching and learning of a particular content?
- If yes, what type of ICT/ media resource is to be used?




Figure 3 : Broad categories of eContent

Teachers will be able to use ICT judiciously when he/she is able to do content analysis and choose the appropriate media based on the nature of content and treatment to be given to enable students to understand easily.

Parameter 2: Context

Context analysis is a method to analyze the environment in which an ICT enabled teaching-learning process operates. Context analysis considers the entire environment of a teaching-learning situation.

Reflect on the following:-

1. What are the ICT facilities available in your school or with learners?

2. How does the support system in the school/ home motivate the use of ICT?
3. What ICT competencies should a teacher possess?
4. Can all students use ICT?
5. Are the ICT tools selected based on facilities available and the characteristics of learners?

While analysing the classroom environment, two aspects to be taken care of are infrastructure and human resources. Infrastructure includes the general infrastructure of a classroom like availability of electricity, projection system, internet connectivity, availability of printers, desktop PCs/ laptop/ tablets, etc. Human resource refers to the availability of teachers/ technical persons, competency of the teacher in handling ICT, etc.

Let us consider a scenario where students are not able to attend regular schooling in the face to face mode due to some pandemic like COVID-19. In this context, using technology may help in continuing teaching, learning and assessment in online mode, partially online or in complete offline modes like TV and radio. But a few questions to be thought while planning is:

- What facilities are available with teachers and students?
- What digital competency teachers, students and parents have to benefit from online classes?
- How diversity could be addressed even while using digital technology?

It is very important for the teacher to plan the intervention keeping the context in mind.

A teacher also needs to understand the learner to select appropriate strategies and ICT tools/ resources to enhance learning. Four dimensions of the learner that needs to be understood for using ICT are as follows:

Parameters to be considered about a learner




Figure 4: Parameters to be considered while integrating ICT in Pedagogical Practices

1. **Demographics:** A teacher may consider class size, diversity in terms of age, cultural context, socio-economic status, gender, marginality, geographical location and availability/access to technology.
2. **Cognitive and prior knowledge:** Educational level, primary, upper primary, prerequisite knowledge and experience, learning style, level of digital literacy, cognitive ability.
3. **Affective/ Social:** Teachers and students may introspect their attitude towards education and learning, online learning environments, attitude towards self, motivational level, interpersonal

relationships and area of Interest; Hence it is important to understand these aspects of the students while teaching.

4. **Physiological:** A teacher may be aware of the general physical and emotional health and special needs of her students. Such awareness will help her decide what medical and therapeutic help is to be suggested and what assistive technologies are to be adopted.

For example, while providing educational resources to a child who is visually challenged, ICT tools like text to speech play a vital role in the communication of the information. Making the resources open and free provides equal access to children from lower economic backgrounds. Thus understanding the learner helps in selecting appropriate ICT and make the classroom more inclusive.

Parameter 3: Method of Teaching/ Learning

1. How does ICT support the implementation of various methods of teaching-learning?
2. What are the innovative and integrated methods that can infuse ICT for the teaching and learning of specific subjects?

ICT tools/ media become effective only when it is used appropriately with the content and the method of teaching-learning. For example, if a teacher wants to teach the concept of renewable and non-renewable resources, several methods can be used by teachers like explanatory method, project-based method, etc. One way may be using a concept attainment model by giving a group activity to compare and contrast between the given objects and arrive at the definition of renewable and non-renewable resources.

On the pedagogical front the following steps may be adapted to teach the concepts of acids and bases:

- Display substances like acids (lemon, vinegar, etc.) and bases like (toothpaste, soap, baking powder, etc).
- Compare these substances by their taste and by touch.
- Compare these substances using pH paper and by adding turmeric in each substance separately and segregate them based on the common attributes.
- Define acids and bases based on the observed attributes of taste, touch and change in colour.
- Give more examples of acids (eg: milk) and bases (eg: toothpaste) based on the definition.

Or the teacher can just explain directly the concept of acids and bases. Depending on the methods, digital resources or technology tools should be selected by the teacher.

Parameter 4: Technology/ Tools/ e Content

Suitable ICT tools and resources may be selected as per the nature of the content and their suitability to the method to be adopted. Some examples of technology based resources and tools are:

- **Simulations:** ICT can be utilized to provide those substances which are not easily accessible in the classroom situation. For example, bringing substances which are acids and bases and testing them for their properties to derive or arrive at the definition of acids and bases by comparing and contracting. For this purpose, a simulation may be used.
- **Slide presentation:** Defining acids and bases and stating examples.
- **Virtual labs:** Giving a group activity to compare and contrast between the given substances by adding some chemicals may not be feasible due to infrastructural challenges, time constraint, etc. During such situations, virtual labs can be utilised to do virtual testing.

Technology can be used judiciously to show these substances which are not easy to bring into the classroom situation. For example, objects like the sun, tree, water, oil, fossil fuels, and natural gas can not be

brought to the classroom. Hence, for better understanding, students may be taken to the field. But ICT can create a real-world experience inside the classroom itself.

- **Interactives:** An activity to compare and contrast between substances based on their exhaustibility. Then substances can be grouped under two different heads like renewable and non-renewable. For such activities, interactive digital activities can be used.

Hence, it depends upon the teacher to use the appropriate tool based on the method of teaching-learning. It is also important to understand that a teacher can also choose ICT/ media resources based on the purpose like introducing, explaining, summarizing, etc. Thus, it is very important to understand the potential of each strategy of teaching-learning and the way it demands ICT to be used as a tool for better comprehension. By analysing the potentials of a particular method and its demand for ICT, a teacher can make a selection of ICT tools/ media appropriately. Several innovative methods/ approaches like flipped class, blended learning, collaborative learning, etc. are being used to widely improve the learning experiences.

Parameters to be considered by the teachers while choosing e-Content or technology tools/devices are:

Sl. No.	Parameter	Attributes
1	Target audience	Age group, previous knowledge, social-cultural background, learning styles, language, demographic information, emotional development, ability level, social development.
2	Content	Accuracy, relevance, content coverage, prevalence, aligned with curriculum, etc.
3	Pedagogical Consideration	Objectives, strategies of transacting the content, media selection, presentation format, clear communication, free from bias, contextualization to local needs, multiple modes of assessment, learner engagement, etc.
4	Presentation	Aesthetics, motivation, innovative/ creative, font, effects, coherence in media elements, chunking and organization, suitability to the learner with special needs, addressing gender equality, multiculturalism, etc.
5	Technical	Free from technical glitches, audiovisual quality, smooth interactivity and navigation, license etc.
6	Administrative considerations	Cost, delivery mechanism, support, services, training, maintenance, infrastructural and technological requirement, source of procurement/ access.

Digital Education: Implications for School Education

Generally, we use the terms, online education and digital education synonymously. Online education is electronically supported learning that relies on the internet for teachers, student interaction and distribution of learning material. Whereas, digital education can be both online and offline because it also harnesses non-internet-based technologies to reach out to students to support their education. In the current Covid-19 pandemic situation and frequent lockdowns, students have no choice, but to continue their education from home, with varied digital infrastructure available to them. In this situation, we need to explore all possible internet and non-internet-based technologies to reach out to students.

As far as the availability of digital infrastructure in Indian households is concerned, we can classify

Indian households into six categories. We observe different households in India. Number one is the kind of households, which have all the possible internet and non-internet-based technologies, those who have smartphones with 4G network. Those who have smartphones but limited access to the Internet and who have television at home with DTH or cable connection. And those who have a radio or a basic mobile phone with FM and yet there are other kinds of households who do not have any kind of digital device. Apart from varied digital infrastructure, the vastness of our country is another constraint for homogeneous planning for digital education. It is evident from the scale at which school education operates in India with about ninety-five lakhs teachers and twenty-five crore students characterized by geographical, socio-cultural and linguistic diversity.

Therefore, keeping in view the ground realities of each state and union territory, decentralized planning, implementation and evolution of digital education is essential in the existing scenario. One can choose an appropriate mode for implementing digital education. There are various models under all these three modes. Thus, under the online mode model, one teacher shares learning resources through instant messenger or email and students come prepared and discuss their queries during online interactions through video conferencing tools.

Model 2 is conducting scheduled online classes through any of the video conferencing tools. Model 3 conducts a scheduled live class through any of the learning management systems and students interact during live sessions, through forums or groups integrated into learning management systems (LMS). All the learning material and the resources are also shared in the LMS itself and assignments submission also happens in the LMS.

The second mode is partially online and there are various models under this mode.

Teachers who come under the purview of Model one, share links to resources available at DIKSHA, EPathshala, NROER, NDL or any publicly accessible platform through instant messenger or emails. Students can download those resources for offline use. Teachers also suggest activities to be done offline for further exploration.

Under Model two, the teacher asks students to read the textbooks and other reference material physically available with them and interacts with the students periodically through instant messenger, phone calls, video calls to clarify and reach all teaching content.

The third one is offline mode. Resources are disseminated through various platforms, like television, radio, community-radio, etc. These do not depend on internet connectivity. Models use television because the majority of the households in India have a television along with DTH, or cable network. So model one for TV is Class wise and topic wise resources transmitted on TV channels like SWAYAM Prabha, Vande Gujarat, Victor Channel or MANNA TV, etc.

Model two class-wise topic wise resources, like video lectures, demonstrations stories, etc are shared with the students on storage devices. Resources are viewed by students through newer television sets available at their homes.

Model three where TV is also not available with students, community television available at the panchayat union office or in public places can be utilized for mass education. Models using radio are perhaps the most cost effective medium when TV is also not available or when the power supply is erratic. Class wise topic wise audio contents can be broadcasted through dedicated radio channels with the support of All India Radio. Audio programs that are broadcasted through All India Radio itself are developed as per the curricular needs.

So, model 2 community FM radio channels utilize to broadcast teaching-learning resources and at times customized to address the local needs. Model 3 where radio is also not available with students, Community radio is available at Panchayat union office or at a public place can be utilized along with loudspeakers for

mass education.

There are a lot of misconceptions prevailing about digital education. We should not assume that teaching learning through online synchronous communication is the only way to support learning. The goal is not to try and recreate face-to-face classrooms over the internet keeping in view children's overall development. It is better that screen time should be fixed. So here we can see the recommended screen time for pre-primary, primary, upper-primary secondary and higher secondary classes. Therefore for an impactful digital education. The teachers need to reinvent themselves to a role characterized by a designer of powerful learning, a partner in learning community developer and activator of powerful learning. Apart from all this and orientation to do's and don'ts of cyber safety and security are essential components of digital education.

Privacy, Safety and Security during Online Teaching

The COVID-19 pandemic has forced the schools to be closed but efforts are being made to ensure continuity of learning through various digital platforms. Millions of teachers and students are going for online education. And with this, there is a huge increase in the use of electronic devices and information and communication technology. The use of social media either for synchronous or for asynchronous communication as well as internet surfing has increased multifold among teachers as well as among students. However, children are highly vulnerable in the digital world, because they have a very limited understanding of the threats and the safety measures to be taken in such an environment. We must remember that whatever we do online leaves a footprint in cyber worlds. Therefore, whatever we upload, whatever we share or write on any online platform remains there, even after we remove them by deleting them. So, cyber safety is the safe and responsible use of digital technology. Remember, it is not only about keeping information safe and secure but also being responsible with information, being respectful to other people and using good internet etiquettes. So cyber safety includes technologies, processes and practices designed to protect computer software and data from attack, damage or unauthorized access or use.

Let us take an example, one of the students goes for an outing and he or she in return uploads some pictures on social media and his/her friends make some comments on those posts which makes the students feel uncomfortable. So what is that? This is an example of cyber bullying. There is the concern of copyright licensing. So while downloading anything or using anything from the internet, we should always look for open-source materials or else we should try to see that we are not violating any copyright issue.

Another important aspect that we should always remember is the ergonomic aspect of the way we sit and the way we organize our digital equipment also makes an impact on our body and on our mind. Wrist injury, shoulder injury, back pains all that can be avoided if you take smaller breaks in between while we are in a digital environment.

Conclusion

The enormous capability of ICT in advancing the learning result with more recent information and check on openness and distance impediment, but then fix students' reasoning abilities is obvious (Education Blueprint, 2013). With ICT combinations in the classrooms, understudies will actually want to take part in intelligent assignments with a more extensive scope of data and information during their learning. Simultaneously, the instructors' convictions and mentalities will impact them to incorporate ICT in their showing practice (Hatlevik and Arnseth, 2012; Rampersad, 2011). With the full help by the Ministry of Education in incorporating ICT in instruction, educators will be ready to get refreshed and more extravagant assets to further develop their educating rehearses. The education and learning with ICT explicit in web openness will make the instructing and learning information borderless and establish a virtual learning climate for the two educators and understudies.

Other than ICT ability and information, the instructors' mentalities are likewise another key variable that assumes a part in ICT joining in training. Many investigations have discovered that the instructor's

disposition toward ICT will influence ICT incorporation for educating and learning purposes (Albirini, 2004; Hatlevik & Arnseth, 2012). The Ministry of Education of Malaysia has recognized the significance of incorporating ICT into the public educational program for essential and optional schools. As recommended by Summers (1990), instructors' mentalities and abilities will impact their discernment on schooling and will decide their educational style. Consequently, the ICT component of ICT has been incorporated as one of the ground breaking changes in the Malaysia Education Blueprint 2013-2025 as a public training future advancement center.

Strategy producers understood that the establishment and essential expertise of ICT ought to be brought into the elementary school educational program, to outfit kids with 21st century abilities in their initial acquiring climate because of the quick development of worldwide data. The prepared mixed media and set up organization will help learning results by working with under studies to more self-course and discretion in the learning system. Thus, by showing ICT abilities in grade school the understudies are prepared to confront difficulties in the ICT arranged world (Grimus, 2000). Other than upgrading instructor polished skill, ICT likewise helps understudies by fostering their trust in utilizing ICT and creating the ability to be more fruitful later on in a highly innovative world.

References

1. Acharya, D. (2004). Chhatroder Reporte Uttor Bongo Biswavidyalaya Kaaj Gelo Paanch Shikhokher. *Anandabazar Patrika* (May 30, 2004).
2. Balachandran, E.S. (2000). *Student Evaluation for Effective Teaching*. Rajammal Publications. Chennai, India.
3. Bradbeer, R. & Lo.T.(2004). Student rating of teachers in an Electronic Engineering Department. *Paper presented at the International Conference on Engineering Education* (University of Florida, October 17-21, 2004).
4. Eley, Malcolm G & Stecher, Erica J. (1997). A Comparison of Two Response Scale Formats Used in Teaching Evaluation Questionnaires.
5. Education India Journal: A Quarterly Refereed Journal of Dialogues on Education, ISSN 2278- 2435, Vol. 5, Issue-2, May-2016. Page 137 *Assessment and Evaluation in Higher Education*, Vol.22, No. 1, 65-79, March 1997.
6. Evans, D.R. (2004), D.R. (2004). Student Evaluations of Teachers. *Journal of Nursing Studies*. NCNJ, Vol.3, No.1, 91-99.
7. Fox, David J. (1969). *The Research Process in Educational*. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
8. Government of India. (1950). The Report of the University Education Commission (December 1948 – August 1949). Ministry of Education, GOI:New Delhi. Retrieved from <http://www.academics-india.com/Radhakrishnan%20Commission%20Report%20of%201948-49.pdf>
9. Greenwald, G. & Gillmore, G.M. (1997). Grading Leniency is a Removable Contaminant of Student Ratings. *American Psychologist*, 52, 1209-1217.
10. Haskell, Robert. (1997). Academic Freedom, Promotion Reappointment, Tenure and the Administrative Use of Students Evaluation of Faculty: (Part II) Views from the Court. *Education Policy Analysis Archives*, Vol. 5, No. 17.
11. Marsh, Herbert W. & Roche, Lawrence A. (1997). Making Students Evaluations of Teaching Effectiveness Effective: The Critical Issues of Validity, Bias and Utility, *American Psychologist*, 52(11) 1187-1197.
12. McKeachie, Wilbert J. (1997). Student Ratings: The Validity of Use. *American Psychologist*, 52(11) 1217-1225.

13. Neil, B.M., Hoag, J.H., Myers, M.L., & Heirs (1997). Student Evaluation of Teachers as if Critical Thinking Really Mattered. *Journal of General Education*, Vol. 46, No. 3, 192-206.
14. Education India Journal: A Quarterly Refereed Journal of Dialogues on Education, ISSN 2278- 2435, Vol. 5, Issue-2, May-2016. Page 138
15. Papalewis, Rosemary. (1990). Interpretation of Student Data: Contextual Variables and Cultural Implications. *Paper Presented at the National Conference of Professor of Educational Administration*, Los Angeles, CA
16. Patrick, Harold A., & Kennedy, Thomas A. (2001). Testing Teachers. *Deccan Herald* (December, 31).
17. National Council of Educational Research and Training. (1966). Education and National Development: Report of the Education Commission, 1964-66. NCERT: New Delhi, India. Retrieved from http://www.teindia.nic.in/files/reports/ccr/KC/KC_V1.pdf
18. National Commission on Teachers. (1983). *The Teacher and the Society. Report of The National Commission On Teachers-I*. Retrieved from http://www.teindia.nic.in/Files/TE- Vikram/The_Teacher_and_Society_Report_of_National_Commission_on_Teachers.pdf
19. Rebores, Ronald W. (1980). *Educational Administration: A Management Approach*. Prentice Hall, IWC. Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
20. Ronco, Sharron. (1999). Deconstructing the Student Assessment of Instruction Instrument: Some Psychometric Issues. *Paper Presented at the Annual Forum of the Association for Institutional Research* (39th, Seattle, WA, May 30 – June 3, 1999).
21. Ryan, J. M., & Harrison, P.D. (1995). The Relationship between individual Instructional Characteristic and the Overall Assessment of Teaching Effectiveness across Different Instructional Contexts. *Research in Higher Education*, 36, 577-593.
22. Scriven, Michael.(1995). Student Ratings Offer Useful Input to Teacher Evaluations. *Practical Assessment, Research and Evaluation*, 4(7).
23. Education India Journal: A Quarterly Refereed Journal of Dialogues on Education, ISSN 2278- 2435, Vol. 5, Issue-2, May-2016. Page 139
24. Shyamasundar, M.S. & Stella, Antony. (2002). Transforming the Campus Experience of Students. *In: Seventh Quality in Higher Education International Seminar, Transforming Quality, Melbourne, Australia* (November 30-31, 2002).
25. Sproule, R. (2000). Student Evaluation of Teaching: A Methodological Critique of Conventional Practices. *Education Policy Analysis Archives*. Vol.8, No. 50. ISSN1068- 2341.
26. Young, Russell D. (1993). Student Evaluation of Faculty: Faculty Perspective. *Pers*

-----:-----

Awareness on National Education Policy 2020 among the High School Teachers in Darbhanga District

Dr. Md. Afroz Alam

Assistant Professor (Education)

Maulana Azad National Urdu University

College of Teacher Education

Chandanpatti, Laheriasarai

Darbhanga, Bihar

Abstract

The National Education Policy 2020 (NEP 2020), which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, outlines the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous National Policy on Education, 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as teachers training and vocational training in both rural and urban India. National Education Policy 2020 envisions an India-centric education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high-quality education to all.

The present study examines the level of awareness on National Education Policy (2020) among high school teachers in Darbhanga District of Bihar. For the study researcher was adopted descriptive survey method. The total 200 high school teachers from Government and Private High Schools of Darbhanga district of Bihar were selected through purposive sampling method. Out of which there were 100 male and 100 female high school teachers. For measuring the awareness on NEP 2020 among high school teacher, a self-prepared tool was used by researcher which was standardized by calculating validity and reliability. The tool contains total 40 items. Analysis of data was done by using the statistical measures such as mean, percentage and t-test. It was found that the awareness on NEP 2020 is not high among high school teachers. There is a significant difference among high school teachers on awareness of NEP 2020 based on gender. Male high school teachers have more awareness than female teachers. There is no significant difference among high school teachers on awareness of NEP 2020 based on location. Urban high school teachers have more awareness than rural teachers. There is no significant difference among high school teachers on awareness of NEP 2020 based on management. Government school teachers have more awareness than private school teachers. There is a significant difference among high school teachers on awareness of NEP 2020 based on years of service. Those high school teachers who are having below ten years of service have more awareness than above ten years of service teachers. There is a significant difference among high school teachers on awareness of NEP 2020 based on family type. Those high school teachers who are living in a joint family have more awareness than nuclear family teachers.

Key Words

Awareness, National Education Policy 2020 (NEP 2020), High School Teacher, Darbhanga District, Bihar, Gender, Location, Type of Management, Years of Service.

Introduction

The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education.

The National Education Policy 2020 (NEP 2020), which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, outlines the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous National Policy on Education, 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as teachers training and vocational training in both rural and urban India. National Education Policy 2020 envisions an India-centric education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high-quality education to all.

The National Education Policy 2020 lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities – both the 'foundational capacities' of literacy and numeracy and 'higher-order' cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving – but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions.

The National Education Policy 2020 states the aim must be for India to have an education system by 2040 that is second to none, with equitable access to the highest-quality education for all learners regardless of social or economic background.

According to the National Education Policy 2020, the teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers, at all levels, as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. It must do everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. The new education policy must help recruit the very best and brightest to enter the teaching profession at all levels, by ensuring livelihood, respect, dignity, and autonomy, while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability.

To implement the education policy successfully, the teachers must know it. If the teachers have complete knowledge of it, then only it will reach the top. That's why the researcher is conducted this study to find out the awareness on National Education Policy 2020.

Review of Literature

Kaurav, R. P. S et al (2020) conducted a study on the topic "New Education Policy: Qualitative (Contents) Analysis and Twitter Mining (Sentiments) Analysis". They stated that NEP 2020 offers an elaborative framework so that there can be development in the educational system of a country. Generally, it takes decades to replace the policy. The current policy is third in sequence and replaces the NPE 1986. The NEP 2020 provides a concrete path to education in the country. However, it is also not mandatory to follow. Under NEP 2020, the top universities across the world will be able to start their campuses in the country. Under the NEP 2020, there is an extensive focus on reshaping the curriculum. The board examinations will be reformed and there is much emphasis on the development of critical thinking among the students and offering experiential learning to them. The essence of this policy is the introduction of the multi-disciplinary, inter-disciplinary, and trans-disciplinary approaches to humanise the education with an emphasis on humanities-related subjects. Now, even a student taking a professional degree can learn some subjects of humanities, this freedom was not available in earlier policies. Besides, this policy has got an emphasis on vocational skills to meet the growing employment needs as also the focus on employability through skilling. The present policy is considering the training of teachers as an important ingredient.

Kumar, Deep (2020) express his views under 'A Critical Analysis and a Glimpse of New Education Policy - 2020'. It was a long wait of 34 years for the country to see a New Education Policy 2020. The drafting committee gave its final draft to the union cabinet for its approval and it was accepted and approved on the 29th of July 2020. The new policy aims to pave the way for transformational reforms in school education and higher education systems in the country. This was one of the major steps taking to bring a much-needed reform in the education system of the country. It's a matter to the recognition of the merit that would be the key to reconstruct the Indian Education system. But going one step forward I would like to say this policy is

nothing new as it is centered on the concept of basic Education of Gandhi Ji who talked of education that helps a person to earn his livelihood. Just as Gandhi Ji said that education should be job oriented that provides money to live. Education means bread and butter. So when this policy talks of skill development, exit at any stage during a course if a person is eligible to earn his bread and butter he should be allowed to exit with a proper certificate or a degree even if he has achieved the minimum level of learning. The future of New Education Policy 2020 will all depend on the political will and the system that it is going to offer to the nation. Just as the Common School system which is still to see the bright daylight only because of the lack of wiliness in the political class it has yet to be a reality.

Mallik, Saroj (2020) argued upon 'National Education Policy 2020 and Its Comparative Analysis with RTE'. This policy, as expected has a lot of pluses but still needs to be improved. With regular updates in its policies, NEP 2020 may turn out to be the best policy in the field of education and human resource. As the saying goes, "A mad king misuses his power and drags his country to sewers", the policy if mis-handled may prove fatal. In a country riddled with issues like favoritism, corruption, lobbying, etc., the misuse of policy is natural. Also, the hopes that this policy brings to people in need is great. NEP 2020 with student-centered ideology, an improvement is expected in the education system and workforce by 2030.

Statement of the Problem

Awareness on National Education Policy 2020 among the High School Teachers in Darbhanga District.

Objectives of the Study

1. To find out the awareness on National Education Policy 2020.
2. To find out the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender.
3. To find out the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on location.
4. To find out the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management.
5. To find out the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on years of service.
6. To find out the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on family type.

Hypothesis of the Study

1. The awareness on National Education Policy (2020) is not high.
2. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender.
3. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on location.
4. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management.
5. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on years of service.
6. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on family type.

Scope of the Study

The present investigation aims to find the awareness on New Education Policy (2020) among high school teachers in the Darbhanga district of Bihar. It will help teachers, principals, administrators, policymakers and future researchers.

Delimitation of the Study

The study is restricted to High School Teachers who are working in Darbhanga District of Bihar only.

Methodology of the Study

The investigator adopted the descriptive survey method for the collection of data from the population. For studying the National Education Policy awareness among high school teachers in Darbhanga District.

Population and Sample

The high school teachers who are working in Darbhanga District considered as a population for the present study. The Government, Government aided and private school teachers were selected for the above study. The investigator adopted a purposive sampling method for the collection of data. In this study 200 data were collected from selected high school.

Tool Used in the Study

The investigator prepared the National Educational Policy (2020) awareness tool. The investigator selected multiple-choice type questionnaire as a tool for collecting data in the present study. The questionnaire includes 30 items related to National Educational Policy (2020) awareness. The validity and reliability of the questionnaire were checked and corrected by the experts.

Data Analysis and Interpretations of the Study

The mean values on the awareness on National Educational Policy (2020) of high school teachers were calculated concerning the variables of the study. The results of the investigation are presented in the following tables :-

Hypothesis-1: The awareness on National Education Policy (2020) is not high.

Table-1: Showing the Mean Score of Awareness on National Education Policy (2020)

Variables	Specifications	N	M
Gender	Male	100	24
	Female	100	21
Location	Rural	100	26
	Urban	100	28
Type of Management	Government	100	36
	Private	100	35
Years of Service	Above 10 Years	100	30
	Below 10 Years	100	33
Family Type	Joint Family	100	37
	Nuclear Family	100	39

The data of high school teachers are below 50%. Therefore the formulated null hypothesis is rejected. Hence it is concluded that the awareness on National Education Policy (2020) is not high.

Hypothesis 2: There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender.

Table-2: Showing the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender.

Variables	Specifications	N	Mean	SD	t-value	Remark
Gender	Male	100	24	5.23	3.39	Significant
	Female	100	21	6.32		

The calculated t-value is 3.39, which is greater than 1.96 table value of 0.05 level of significance. Hence the formulated hypothesis is rejected. It is found that there is a significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender.

Hypothesis 3: There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on location.

Table-3: Showing the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on location.

Variables	Specifications	N	Mean	SD	t-value	Remark
Location	Rural	100	26	6.14	1.41	Not Significant
	Urban	100	28	6.23		

The calculated t-value is 1.41, which is lesser than the 1.96 table value of 0.05 level of significance. Hence the formulated hypothesis is accepted. It is found that there is no significant difference among high school teachers on awareness on National Education Policy (2020) based on location.

Hypothesis 4: There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management.

Table-4: Showing the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management.

Variables	Specifications	N	Mean	SD	t-value	Remark
Management	Government	100	36	5.21	1.23	Not Significant
	Private	100	35	7.15		

The calculated t-value is 1.23, which is lesser than the 1.96 table value of 0.05 level of significance. Hence the formulated hypothesis is accepted. It is found that there is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management.

Hypothesis 5: There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on years of service.

Table-5: Showing the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on years of service.

Variables	Specifications	N	Mean	SD	t-value	Remark
Years of Service	Above 10 Years	100	30	4.87	3.56	Significant
	Below 10 Years	100	33	5.27		

The calculated t-value is 3.56, which is greater than 1.96 table value of 0.05 level of significance. Hence the formulated hypothesis is rejected. It is found that there is a significant difference among high school teachers on awareness on National Education Policy (2020) based on years of service.

Hypothesis 6: There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on family type.

Table-6: Showing the significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on family type.

Variables	Specifications	N	Mean	SD	t-value	Remark
Family Type	Joint Family	100	37	6.33	3.78	Significant
	Nuclear Family	100	39	8.14		

The calculated t-value is 3.78, which is greater than 1.96 table value of 0.05 level of significance. Hence the formulated hypothesis is rejected. It is found that there is a significant difference among high school teachers on awareness on National Education Policy (2020) based on family type.

Findings of the Study

1. The awareness on National Education Policy (2020) is not high among high school teachers.
2. There is a significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on gender. Male high school teachers have more awareness than female teachers.
3. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on location. Urban high school teachers have more awareness than rural teachers.
4. There is no significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on management. Government school teachers have more awareness than private school teachers.
5. There is a significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on years of service. Those high school teachers who are having below ten years of service have more awareness than above ten years of service teachers.
6. There is a significant difference among high school teachers on awareness of National Education Policy (2020) based on family type. Those high school teachers who are living in a joint family have more awareness than nuclear family teachers.

Conclusion

It is concluded that the high school teachers have average level awareness of the National Education Policy 2020. The awareness and training program must be organized by the Government, training institutions, human resource development centers on different components and aspects of NEP 2020. More than ten

years of serviced teachers are not interested to know about the recent updates due to some reasons behind it or behaviour. Nuclear family teachers have no way to interact with other peoples, so they have low awareness; the Government must arrange awareness programs to make aware of the National Education Policy 2020.

References

1. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Implementation Strategies of Higher Education Part of National Education Policy 2020 of India towards Achieving its Objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2).
2. Aithal, P. S., & Aithal, Shubhrajyotsna (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2).
3. Alam, Md. Afroz. et al. (2016). Curriculum Reforms in B.Ed. Programme with reference to NCTE Regulations 2014. In Jagadeesh, Avuti (Eds.), *New Reforms in Teacher Education: Issues and Challenges*, Hyderabad: Jayam Publications.
4. Alam, Md. Afroz. (2016). Usage of Information and Communication Technologies in Teacher Education. In Ramakrishna, A. (Eds.), *ICT Management and Challenges*, Hyderabad: Pragma Publications.
5. Alam, Md. Afroz. (2019). Teacher Education in India and Its Effectiveness: In the Light of National Curriculum Framework (NCF) on Teacher Education. In *Quality Teacher Education vis-à-vis School Education*, Hyderabad: Pragma Publications.
6. Bates, Jane, et al. (2011). *Education Policy, Practice and the Professional*, Bloomsbury: Oxford.
7. Dyer, Caroline. (1994). Education and the State Policy Implementation in India's Federal Polity, *International Journal of Education Development*, 14(3).
8. Kaurav, R. P. S et al. (2020). New Education Policy: Qualitative (Contents) Analysis and Twitter Mining (Sentiments) Analysis, *Journal of Content, Community and Communication*, 12 (6).
9. Kumar, Deep (2020). A Critical Analysis and a Glimpse of New Education Policy – 2020, *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(10).
10. Mallik, Saroj (2020). National Education Policy 2020 and Its Comparative Analysis with RTE, *American Research Journal of Humanities and Social sciences*, 7(1).
11. Misra, S. N et al. (2015). Make in India and Challenges before Education Policy, *Journal of Education and Practice*, 6(1).
12. National Education Policy (2020). Ministry of Human Resource Development, Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
13. Sohoni, Milind. (2020). New Education Policy will Ensure our Higher Education System Remains a Client of Global Science, *The Indian Express*, <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-aspiration-trap-national-education-policy-5834797>.
14. Tilak, Jandhyala B.G. (2019). Promising but Perplexing Solutions: A Critique of the Draft National Education Policy 2019, *Social Change*, 49(4).
15. Wilkins, Andrew. (2020). The Handbook of Global Education Policy, *Journal of Education Policy*, 35(2).

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौतियां

डॉ. संध्या पुजारी,

(विभागाध्यक्ष)

संदीपनी अकेडमी, अछोटी, दुर्ग, छत्तीसगढ़

सारांश

पाश्चात्य सभ्यता में भारतीय शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, परंतु समय के साथ विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात भारतीय शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता गया। नई शिक्षा नीति शिक्षा सुधारों की नई उम्मीद प्रदान करती है। परंतु जब तक किसी भी नीति पर कानून नहीं लाया जाता उस नीति के असफल होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं।

विविधताओं से भरे भारत देश में नई शिक्षा नीति को सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न तरीके से लागू करने का प्रावधान किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने नवाचार अनुसंधान शैक्षिक तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। भारत के निर्माण के लिए शिक्षा का ढांचा सुधारना ही होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में हम कहीं दूर छूट जाए।

नई शिक्षा नीति 2020 से हम नव निर्माण की आशा रखते हैं। इसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले आएगी।

शब्दकोश

शिक्षा, तकनीकी, अध्यापक, राष्ट्रीय शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, गुणवत्ता, रूपरेखा, प्री स्कूल।

भूमिका

शिक्षा का अर्थ व्यापक होता है। शिक्षा से ही बालकों में नैतिकता स्वस्थ मानसिकता विवेक चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास संभव होता है। शिक्षा का प्रभाव बालक के समुचित एवं संतुलित विकास पर पड़ना चाहिए। मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा के रूप में मानव सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहानुभूति आदि की भी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सफल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्य के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकता का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय का दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्य के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकता का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य

उच्च शिक्षण संस्थानों में नए गुणवत्ता को स्थापित करना आसान पड़ता है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय होगी।

नई शिक्षा नीति 2010 के महत्वपूर्ण प्रावधान

शिक्षण की न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बी.एड. शिक्षक, शिक्षा के लिए एक नवीन और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के परामर्श से बनाई जाएगी। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच एक बराबरी गुणवत्ता वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहायता से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

- स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964 से 1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।
- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया।
- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
- शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6 प्रशिक्षित वहन करने का लक्ष्य रखा गया।
- माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- इसमें प्रवेश परीक्षा की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक मानसिक और वित्तीय समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- शिक्षा की गुणवत्ता को बनानी है।
- नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

जैसा कि वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए तथा शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर जिसने ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्र पर देश की जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का

नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूह में विभाजन।
- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुक्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों तथा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा विभाग स्थापित की जाएगी।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने नवाचार, और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार।
- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम पाठ्यतैर गतिविधियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे।

संबंधित चुनौतियां

महंगी शिक्षा नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

- शिक्षकों का पलायन,
- विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से,
- भारत के दक्ष शिक्षा के विकास के लिए।
- विद्यालयों में अध्यापन हेतु।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के संपर्क में ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है।

34 वर्ष पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक कक्षा के 6 वर्ष की आयु सीमा का सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में सुधार करने के बारे में भी सोचा गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वर्मा, रामपाल सिंह, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निदर्शन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, शिक्षा संबंधी प्रकाशन आगरा 1989.
2. ग्रोवर, जी. एस., वेकेशन एनवायरमेंट एंड एजुकेशन नेशनल च्योइस, साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.
4. चेंज फॉर टीचर्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020.

-----:-----

प्रौद्योगिकी का उपयोग व एकीकरण

प्राची अनर्थ,

शोधार्थी,

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय

धनेली, रायपुर, छत्तीसगढ़

सार

शिक्षा एक सूर्य के समान है, जो केन्द्रीत होती है, तो चमक उठती है, और बहती है, तो प्रवाहित होती चली जाती है और नए ज्ञान को विकसित व समृद्ध करती है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का संतुलित व सर्वांगीण विकास करना है तथा शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से वैयक्तिक सामाजिक व राष्ट्रीय संदर्भ में उपयोगी साधनों का चेतनापूर्ण एकीकृत उपयोग कर कौशल व ज्ञान को सही-सही समय व सही स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। आज के प्रौद्योगिकी युग में उत्तरदायित्व व चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है तथा शिक्षा ही वह धुरी है जिस पर मानवीय विकास आधारित है। आधुनिक तकनीकी युग में आज एकीकृत अध्ययन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के नये आयामों को स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकी युग में अगाध ज्ञान, शोध रचनात्मकता, अद्यतन स्थापनाओं से सम्पन्न ग्रहणशीलता, एकीकरण, व तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मक कदम उठाने की अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार मौलिक परिवर्तन हेतु आज सम्बद्ध समस्याओं का विश्लेषण, विवेचन एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा के विभिन्न अंगों का सबल और सक्षम बनाने का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा की नीतियाँ ही होती है जिसके अंतर्गत शैक्षिक परिषद् केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। आज के वर्तमान युग में तकनीकी शिक्षा के नित नए आयाम ला रही है तथा शिक्षा नीतियों की गतिशील व विकासात्मक प्रक्रिया के कारण ही तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग समस्याओं के समाधान के रूप में किया जाता है।

परम्परागत समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करें तो तकनीकी की अवधारणा परिलक्षित होती है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी अभिरुचि, अभिक्षमता दक्षता व अभिवृत्ति पर आधारित है और समाज व राष्ट्र के निर्माण में भरपूर संसाधनों व मूल्य निरपेक्ष अवधारणाओं के निर्माण से संभव है। अतः नई शिक्षा नीति 2020 ने चेतना के विकास हेतु एकीकृत तकनीकी शिक्षा के उपयोग पर पूर्ण जोर दिया है।

“दो या दो से अधिक वस्तुओं, संख्याओं, मतैक्यों भावों आदि को मिलाकर कार्य करने की प्रक्रिया एकीकरण या एकीकृत अवधारणा कहलाती है।”

तथा

“वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा ज्ञान प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहलाता है।” तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ सिखाते हैं वह शिक्षा कहलाती है।

वास्तव में हमारे चारों ओर जो घटनाएँ तथ्य हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षा का प्रसार नई तकनीकी से युक्त मुल्यों, आदर्शों, नवीन प्रविधियों, कौशलात्मक ज्ञान, संचार व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति से ही संभव है। मूल्यांकन से ही हमारी सफलताओं व असफलताओं का निर्णय किया जा सकता है। इसी पर्याय के रूप में आज संकट कालीन वैश्विक महामारी के दौर में हमें संगठित नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो हमारी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सके, जिसके माध्यम से राष्ट्र व समाज का विकास आधुनिक रूप में गठित हो और यह तकनीकी आधारित एकीकृत शिक्षा द्वारा ही संभव है जो हमें नई दिशा तलाशने में कारगर सिद्ध हो सकेगी।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तकनीकी या प्रौद्योगिकी के उपयोग व एकीकरण को आधार मानते हुए नई शिक्षा

नीति के सम्प्रत्ययों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है और पाया गया है कि शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग सकारात्मक दृष्टि को उत्पन्न करने में सफल है और एकीकरण के आधार पर सार्वभौमिक, सम्प्रत्यात्मक, संगठित, अवधानात्मक और आधुनिक शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति नए आधुनिक तकनीकी व एकीकृत बौद्धिक दक्षता के साथ नई चुनौतियों को ग्रहण करने के अवसर पर नई दिशाएं प्रेरित करती है।

प्रस्तावना

आज का युग भौतिक विज्ञान व तकनीकी का युग है और इस तकनीकी आधुनिक युग में टिके रहने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा आवश्यक उपादान है और तकनीकी (प्रौद्योगिकी) शिक्षा के द्वारा आज विश्व समाज व राष्ट्र में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा के इस दशक में आने बाद भी हम यह तय नहीं कर पाए की समाज व राष्ट्र के निर्माण का आधार क्या हो ? आज के आधुनिक युग में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी विकसित देशों में प्रयोग की जाने वाली तकनीकियों, विधियों, उद्देश्यों, लक्ष्यों का एकीकृत प्रयोग कर देश की परिस्थितियों के अनुकूल नई नीतियों का गठन करें। प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र व समाज राष्ट्र व समाज तकनीकी शिक्षा के द्वारा यथा शीघ्र आंतरिक व बाह्य चुनौतियों को दूर कर नए समाज व राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है और यह वर्तमान संकट की परिस्थितियों के संदर्भ में तभी संभव होगा जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर फिर से नए लक्ष्यों को प्राप्त करने में गहनता से विचार करें।

इसी संदर्भ में नई शिक्षा नीति को लागू किया भी गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर प्रत्येक शिक्षा को एक दिशा प्राप्त होती है, निश्चित लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित कार्य ही नई रणनीतियों को जन्म देते हैं और अनुदेशात्मक प्रणालियों की रचना की जाती है और यही नीतियाँ व प्रणालियाँ प्रयोगात्मक वैज्ञानिक आधार को निर्मित कर नए अनुसंधान की दिशा को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा नीतियाँ ही नई शिक्षा को जन्म देती हैं। अतः हमारी शिक्षा नीतियों को ही परिवर्तनशील व संगठनात्मक विचारों के रूप में लचीला होना आवश्यक है।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और बाद में 1992 में इसमें संशोधन किया गया था, किंतु तीन दशकों के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था व समाज में परिवर्तन को मांग को देखते हुए शिक्षा को तकनीकी व एकीकरण के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को इनोवेशन व क्वालिटी व रिसर्च के कौशलों के साथ लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सार्वभौमिक कौशल युक्त, लक्ष्य निर्धारित समग्र विकास के साथ ज्ञान के तकनीकी प्रयोगों व एक समान एकीकृत शिक्षा पर आधारित होगी। शिक्षा मूल अवधारणाओं पर आधारित होगी साथ ही तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता दूर करने के, छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के साथ शिक्षा और सीखना (Education and learning) तथा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा अनुभव आधारित भी होगी।

NEP-2020 में विश्लेषण, सैद्धांतिक स्पष्टता, के साथ शिक्षा मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (National Educational Technology forum & NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग Higher Educational Commission of India (HECL) का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चार अन्य संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जो कि स्वतंत्र निकाय के रूप में परिषद स्वायत्ता व समावेशित संगठनात्मक व एकीकृत शिक्षा नीतियों के कार्यों को निर्देशित करेंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता घोषणा की। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। बहुविषयक संस्थान व प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। कई बदलाव प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग व व्यवसायिक शिक्षा: कलाशिक्षा, में एकीकृत पाठ्यक्रम को लाना है साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्सेस नई शिक्षा नीति को वैश्विक पटल पर अग्रसर करती है।

किसी भी देश की शिक्षा नीति परिवर्तनकारी मार्गों को प्रशस्त करती है। एच. आर. डी. मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशांक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत अपना वैभव प्राप्त कर सकेगा। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 में समान, समावेशी, गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त केन्द्रीत शिक्षा के शैक्षिक परिदृश्य को कृत संकल्पित कर सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकीकरण का सम्प्रत्यय

एकीकरण मूल्य चरित्र निर्माण व संगठन का प्रतीक है। नई पाठ्यचर्चा में विषयों का एकीकरण अनिवार्य तत्त्व के रूप में व्यवस्था व प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता को खुलकर प्रदर्शित कर सकेंगे। समसामयिक संदर्भ में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अतः बहुपक्षीय परिणामों की प्राप्ति एकीकृत शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। एकीकरण अभ्यास व समग्र शिक्षा की अवधारणाओं को गुणात्मक सुधारों के आधार पर समृद्ध व सार्थक तकनीकी को जन्म दे सकती है। इसी आधार पर सशक्तीकरण के द्वारा विदेशी बाजारों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य प्रबुद्ध ज्ञान का प्रयोग कर तकनीकी आधारित शिक्षा का प्रत्येक शिक्षक व छात्र विस्तृत व आवश्यकता आधारित युक्तियों का गुणात्मक प्रयोग कर सकेगा। नई शिक्षा नीति के आधार पर एकीकरण व तकनीकी दो घटकों को एक ही पर्याय में स्थान दिया गया है, ताकि समान्तर प्रणाली के रूप में योग्यता व क्षमता को आंका जा सके। प्राथमिक माध्यमिक व उच्चतर पर अध्ययन सामग्री, कार्यक्रम, प्रणाली, अधिगम, कला व शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को संकेन्द्रीत लक्ष्यों को अभिन्न घटकों के रूप में सृजित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के साथ मूल्य विकास, नैतिक विकास, समाजिक विकास आर्थिक व अंतः सर्वांगीण विकास का पर्याय शिक्षकों व छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अभियांत्रिकी आदि नव विकासों को गठित कर सकेगा, जिससे शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता बढ़ती दिखाई देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व एकीकरण का सम्प्रत्यय

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरल व उपलब्ध तकनीकी संसाधनों पर आधारित की गई जिसमें विद्यार्थियों को खेल माध्यमों से उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर किया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति के फलक को प्रदर्शित करने हेतु प्रौद्योगिकी व एकीकरण के आधार पर कौशल विकास, वित्तीय, व्यावसायिक, डिजिटल शिक्षा, साक्षरता विकास, विज्ञान के विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक व्यापक परिवर्तन के साथ ऑनलाईन शिक्षा पर जोर दिया गया है जो कि सम्पूर्ण शिक्षा नीति के उद्देश्यों को अंगीकृत करती है।

एकीकृत शिक्षा के माध्यम से शिक्षा नीति के नए मसूदों को तथ्यों और प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिक आधार प्रदान करता है। मौजूदा हालातों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली का पूरा ध्यान पाठ्यक्रम को रूचिर बनाकर काम करना था। समग्र शिक्षा और चर्चा आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर नयी प्रणाली को उचित स्तर आयु के अनुकूल दक्षता व कान्सेप्ट बेस बनाकर शिक्षा प्रणाली में निर्भरता व केन्द्रीकृत मानदंड को निर्मित करती है।

तकनीकी प्रौद्योगिकी की शिक्षा का एकीकरण व उपादेयता

किसी भी समस्या का वैज्ञानिक हल तकनीकी कहलाता है, जो कि शिक्षा संबंधी समस्याओं को व्यवहारिक, प्रत्यक्षात्म व वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करता है तथा शिक्षा नीतियाँ हमारे ज्ञान को अनुभवों के आधार पर लगातार परिवर्तित करती है। भौतिक, ज्ञानात्मक, इन्द्रियातीत अनुभवों से शिक्षा सम्बंधी अन्तिम प्रश्नों को उत्तर ढूंढा जाता है। अतः ये वैज्ञानिक प्रौद्योगिक संसाधनों पर अन्यान्योश्रीत होती है। शिक्षा की प्रकृति समीक्षात्मक मीमांसात्मक, आदेशात्मक होती है और प्रत्येक भौतिक कार्य वैज्ञानिक व प्रयोगात्मक सिद्धांत आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत एक गणतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था तकनीकी, प्रौद्योगिकी वैचारिक रचनात्मक तथ्यों व तर्कों के क्रियान्वयन व एकीकरण के मानकों से संचालित होती है।

आज इक्कीसवीं सदी में विभिन्न अध्ययनों व शोध से यह तथ्य सामने आया है कि तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ा है। मीडिया प्रभावशाली माध्यम है। समाचार पत्र-पत्रिकाएं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया है। मीडिया की स्वतंत्रता, स्वायत्तता व आलोचनात्मक उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से समाचार पत्र-पत्रिकाएं भी अपनी महती भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार शिक्षा ही है और शिक्षा का प्रसार तकनीकी आधारित जनसंचार माध्यमों से ही होता है। जनमत को प्राप्त करने में वैचारिक व रचनात्मक शक्ति एकीकृत मानदण्डों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। इसी संदर्भ में सुशासन व नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में शैक्षिक संगठनों व विभागों व निकायों की प्रक्रिया में एकीकृत व्यावसायिक तकनीकी ही है। आज वर्तमान समय में प्रशासन की संवेदनशीलता व प्रभावशीलता आदि क्षेत्रों में सफलता की कड़ी के रूप में एकीकृत अध्ययन पद्धति ने महती भूमिका अदा की है। शिक्षा नीति के विश्लेषण के आधार पर अन्तःमुखी आत्मप्रेरित जवाबदेही की आवश्यकता है जो कि प्रौद्योगिकी के अनुसंधानिक शोधों के बिना अधुरी परिलक्षित होती है। संकट से उबरना हमारा परम लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य और इन उद्देश्य आधारित ज्ञान से हमारी शिक्षा नीतियां निर्मित व प्रशस्त होती है। नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियाँ अधिक हैं किंतु समस्याएँ इतनी सरल नहीं होती कि केवल विचारों द्वारा हल कर ली जाए।

प्रौद्योगिकी व अनुसंधान की श्रेणी में तभी आते हैं जब किसी सत्य का तत्कालीन अनुभव प्रत्यक्षीकरण द्वारा संभव हो। अतः तकनीकी एकीकृत कला व्यावसायिक दृष्टि से हर प्रश्न को हल ढूँढने की चेष्टा करती नज़र आती है। समाज में आवश्यक वातावरण में उपस्थित शैक्षिक तत्वों का विचारशील अतःज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है और हर दिन नित नए विचारों व समस्याओं के हल में तकनीकी शिक्षा का प्रयोग ही कारगर है जो कि अनवरत भौतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। नए प्रयोगों के आधार पर नई नीतियाँ बनती हैं और नई नीतियाँ संगठित कार्य प्रणाली के रूप में समाज को भी संगठित व एकीकृत करने का कार्य सफल करती हैं। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा का व्यावसायिक एकीकरण बढ़ते समाज में फलीभूत होकर इसकी उपादेयता को नये आयामों में स्थापित करता है।

तकनीकी शिक्षा के द्वारा समाज व राष्ट्र का निर्माण

समाज व शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होता है, जहाँ शिक्षा समाज व राष्ट्र को प्रभावित करती है, वही शिक्षा भी बदलते समाज को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती है। इसीलिए तकनीकी शिक्षा ही एक ऐसा विकल्प है जो राष्ट्र व समाज की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक कदम उठाकर यथाशीघ्र शिक्षार्थियों का ध्यान समाज व राष्ट्र के निर्माण की ओर आकर्षित करती है। इसी पर्याय में नई तकनीकी शिक्षा नीति समाज व राष्ट्र परिवर्तन की उत्पादक भी है और उत्पादन भी। अतः समाज व राष्ट्र की कार्यकुशलता व क्षमता में बदलाव लाने के लिए सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय परिवेश में अनुमोदित प्रगतिशील प्रयासों की बेहद आवश्यकता है, साथ ही सावधानी व संवेदनशीलता के साथ तकनीकी, आधुनिक रचनात्मक क्रियाशक्ति के द्वारा मानक ढाँचा निर्मित करना होगा ताकि अधिक कुशल व गुणात्मक प्रवृत्तियों का प्रयोग कर एक नए समाज व राष्ट्र का निर्माण कर विवेकपूर्ण सम्प्रेषण के द्वारा आधुनिक तकनीकी शिक्षा से अभिमुख अधिगम को प्रोत्साहित करें।

तकनीकी शिक्षा तथा व्यवसायिक अवसर

आज के तकनीकी युग में आधुनिकता की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। आज का प्रत्येक व्यक्ति तकनीकियों के रंग में रंगने के लिए प्रयासरत प्रतीत होता है। जीवन में सुख की प्राप्ति और वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज की परिस्थितियों में नवीनतम ज्ञान, कौशलों व अनुभवों को संग्रहीत करने की आवश्यकता है जिससे देश के भावी जीवन में हम तकनीकी सोच को व्यावहारिक रूप प्रदान कर सकें। व्यावसायिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति इसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन प्राप्त कर सके, व्यावसायिक शिक्षा का आधार रूप तकनीकियों से निर्मित हो और तकनीकी ज्ञान व आकांक्षाओं के विस्फोट को साकार रूप में तकनीकियों से प्राप्त कर व्यावसायिक अवसरों में कुशलता पूर्वक बढ़ोत्तरी की जा सकती है, साथ ही विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक विभिन्नता को आधार मानते

हुए पाठ्यक्रम में भी तकनीकी शिक्षा को पहले ही शामिल किया गया। परंतु जिस गति से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें तकनीकियों का व्यवहारतम प्रयोग हम 50% ही करते हैं। जबकि हमारे ज्ञान के स्तर के आधार पर हमारे देश में भी तकनीकी शिक्षा का स्तर धीमे गति से मंद रफ्तार पकड़कर आगे-आगे बढ़ रहा है। व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र तकनीकी शिक्षा की प्रभावशीलता में कमी रहने वाले कारणों को ज्ञात करना होगा व उन कारणों को दूर करना होगा और व्यावहारिक परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित कर नई तकनीकी सभ्यता में नए व्यावसाय निर्मित करने होंगे।

तकनीकी शिक्षा की समस्याओं को दूर करना

वर्तमान शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा ही पिछड़ी हुई है, इसका सबसे प्रमुख कारण विद्यार्थियों का तकनीकी शिक्षा का सही निर्देशन प्राप्त ना होना, समावेशित शिक्षा प्रणाली को शामिल करना, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को स्पष्ट करना शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन के आधार को निश्चित करना। तकनीकी शिक्षा को अपनाते हुए केन्द्रित पाठ्यक्रमों के बढ़ावा देना आदि बातों को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आवश्यकतानुसार तकनीकी शिक्षा को नियोजित किया जा सके। आज तकनीकी शिक्षा को अपनाने हेतु नीतियों को भी तदानुकूल बनाने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि शिक्षा को सुविधानुसार छात्रों तक पहुंचाकर उनका संख्यात्मक व गुणात्मक विकास कर सकें।

तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान का प्रभाव

आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग में विज्ञान ने हर क्षेत्र को परिवर्तित करके नई सभ्यता को जन्म दिया है तथा ऐसी कोई सभ्यता नहीं जो विज्ञान व नूतन तकनीकियों से प्रभावित ना हुई हो। तकनीकी शिक्षा भी विज्ञान से प्रभावित होकर अपना वर्चस्व बनाये हुए है और नित नये साधनों के द्वारा तकनीकी शिक्षा ने अब विज्ञान को नये साधन जुटाये है, जिससे हमारी शिक्षा नीति सरल, प्रभावशाली व बोधगम्य बन गई है। शिक्षा नीति का आधार विज्ञान है और तकनीकी शिक्षा ने नये साधनों से शिक्षा को रुचिकर बनाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है। अतः आज एकीकृत तकनीकी शिक्षा में शिक्षण करना तथा उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसकी प्रभावशीलता में कमी रहने वाले कारणों को ज्ञात किया जाये और उन कारणों को दूर करने हेतु वैज्ञानिकता को भी साधना आवश्यक है जो कि नई शिक्षा नीति में शामिल है।

शोध व नवाचार

संकट कालीन महामारी के दौर में अब प्रौद्योगिकी व एकीकृत शिक्षा के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में शोध व नवाचार के द्वार खुल सकेंगे। इस हेतु आनलाईन शिक्षा के साथ वर्चुअल क्लास, प्रयोगशाला का फायदा छात्र घर बैठे ले सकेगा। तकनीकी आधारित मंच स्थापित करने से प्रत्येक निकाय स्वायत्त होगा साथ ही नये प्रयोग सुदूर क्षेत्रों को भी फायदा दे सकेंगे। नई प्रौद्योगिकी को शुरू व प्रयोग करने से विषय विशेषज्ञता बढ़ेगी व प्रयोग करने से विषय विशेषज्ञता बढ़ेगी और दक्षता के आधार पर विद्यार्थियों को एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक स्किल्स को बढ़ाने व ग्रहण करने के अवसर प्राप्त होंगे। सम्पूर्ण नयी शिक्षा नीति वंचित छात्रों को भी अवसर प्रदान करती है जिसके लिए राष्ट्रीय कमेटी गठित की भी गई है, जिसके माध्यम से परिचालनगत समस्याओं पर गौर किया जायेगा। शोध नवाचार व पूरी शिक्षा में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है— सीखने, सिखाने, मूल्यांकन, पेशेवर व्यावसायिकता का विकास, प्रशासन, प्रबंधन में सुधार, शिक्षक व छात्रों की दक्षता का विकास व सभी से संबंधित ऑनलाईन, डिजिटल, कापीराइट, रिपोर्टस शैक्षणिक संसाधनों का वर्चुअल प्रयोग, नई शिक्षा नीति को लचीला बनाता है और एकीकरण के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों का एकीकृत रूप नए फ्रेमवर्क में मूलभूत संज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है।

वर्तमान समय के आंकड़ों के आधार पर आज के युवा वर्ग में फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप व सोशल मीडिया आदि को बखूबी प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, ब्राडकास्ट सिस्टम, टेलीकम्यूनीकेशन व अनेकानेक एप व गैजट के प्रयोग ने पूरी दुनिया में क्रांति फैला दी है। पलभर में प्रश्नों के हजारों उत्तर चंद मिनटों में हासिल किए

जा सकते हैं। 2003 में कम्प्यूटर युग में सोशल साइट क्रांति आई। 2004 से 2006 तक फेसबुक लोकप्रिय हो गया उस समय 9 करोड़ लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। 2006 में ट्वीटर किया गया। इस प्रकार के प्रौद्योगिकीय एप्स के उपयोग का चार्ट व ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। एक शोध के आधार पर 81% छात्राएँ मोबाइल का नियमित प्रयोग करती हैं व 63% छात्राएँ खाली समय में भी मोबाइल व कम्प्यूटर चलाना चाहती हैं और उतनी ही सोशल साइट्स की सदस्य भी हैं। इस प्रकार ये आंकड़े 2014 के हैं परंतु अब बीसवीं सदी में 2020 तक कम से 90% से 95% लोग मोबाइल व इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अतः तकनीकी ने घर-घर दस्तक दी है जो यह इंगित करता है कि सभी लोक निकायों में दैनिक क्रियाकलापों में हम किसी भी नए इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करने से कतराते नहीं हैं।

उक्त इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का बढ़ता प्रयोग नई तकनीकियों की खोज के लिए प्रशस्त है, साथ ही आज देश दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक ओर तकनीकी प्राचीन समय से ही धीरे-धीरे विकसित हो रही थी, किंतु शिक्षा द्वारा प्रसार मात्र से नई प्रौद्योगिकी योजनाओं के कारण ही आज हम प्रौद्योगिक नीतियों के तदानुकूल कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत अध्ययन पद्धति से जोड़कर निश्चित धनराशि भी व्यय की आय पर रखी है ताकि तकनीकी शिक्षा के निकाय में वैश्विक स्तर तक गुणवत्ता स्थापित हो। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में नए प्रयोगों, नए विषयों व नवीन व्यावसायिक अवसरों के द्वार खोलकर रख दिए हैं। छात्रों के पाठ्यक्रम में लचीलेपन के लिए सभी विषयों के समन्वयन के साथ दक्षता के आधार पर छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम अनुदेशित किए गए हैं, जो कि नए नवाचार व शोध को ही इंगित करते हैं। नए दृष्टिकोणों का उन्नयन पुरानी शिक्षा को बदल कर ही किया जा सकता था। अतः वर्तमान शिक्षा नीति 2020 आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक व आवश्यकता के अनुरूप नई औद्योगिक दिशाओं को बढ़ाती प्रतीत हो रही है, जिसके आधार पर प्रौद्योगिकी व एकीकरण ही अभिभूत होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व शैक्षिक चुनौतियाँ

भारतीय शिक्षा को बंधनों से विमुक्त करने हेतु उचित प्रौद्योगिकी शिक्षा को अंगीकृत करना आवश्यक है। शिक्षा व नीतियों के आधार पर आधुनिक तकनीकी शिक्षा की विचारधारा को रोपित करना चाहिए ताकि उपनिवेशवाद बन्धनों को तोड़ा जा सके। आर्थिक, सामाजिक, आधुनिक व अनुभव जन्य विविधता में आकर्षक एवं लाभकारी परिणामों को प्राप्त करने हेतु व्यापक तौर पर शिक्षा संज्ञान को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस हेतु तकनीकी प्रौद्योगिकी व एकीकरण आधारित शिक्षा ही एक पर्याय के रूप में गठित की जा सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा में ही तकनीकी गुणात्मक विकास की नींव रखी गई है। उच्च शिक्षा स्तर में मूलभूत रूप से तकनीकी शिक्षा को प्रौद्योगिकी मंच के रूप में स्थापित किया गया है जिससे शैक्षिक, व्यवसायिक वैकल्पिक, स्वायत्त व कौशल युक्त क्षेत्रों में अन्तःनिर्मित प्राणाली को विकसित किया जा सकेगा। सूचना व संचार युक्तियों एवं संचार तकनीकियों के व्यापक प्रयोग से विद्यार्थियों में स्व-अधिगम एवं अधिगम कला को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जा सकेगा। पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में एकीकृत पाठ्यक्रम पद्धति के माध्यम से जनसंचार, सम्प्रेषण, तकनीकी क्षमताओं का प्रयोग निश्चित रूप से गुणवत्ता के विकास में सहायता देगा। मृतप्राय व अनुपयुक्त पाठ्यक्रम को बदलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी को शिक्षा के सैद्धांतिक व व्यावहारिक घटकों से प्रत्यक्षीकरण कर नई शिक्षा नीति शैक्षिक वृत्ति में सम्प्रत्यय आधारित मूल्यों को विकसित करने में सफल उपाय हो सकेगी नीति में शामिल है।

तकनीकी शिक्षा व शिक्षा के बदलते परिदृश्य

वर्तमान समय में नवीन तकनीकी शिक्षा ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है इंटरनेट की सुविधा ने हमारे समक्ष सूचनाओं को अंबार लगा दिया है। सोशल मीडिया, कम्प्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित सूचनाओं व अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। वर्तमान शिक्षा के बदलते परिदृश्य की बात करें तो अब हमारी पहुँच ना सिर्फ उन लोगों तक है जिन्हें हम जानते हैं वरन् उन लोगों तक भी है जिन्हें हम नहीं जानते। तीव्र गति से विकसित सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जनसाधारण बल्कि देश दुनियाँ के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति तक

भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा द्वारा आज कई ऐसे ऐप, एप्लीकेशन, यू-ट्यूब चैनल्स, कई वेब साइट ने मिलकर नयी वेब दुनिया को स्थापित किया है। शुरूवाती दौर पर कम्प्यूटर, मोबाइल, टेबलेट, लैपटाप, इंटरनेट, ब्राउजर्स इत्यादि ने महती भूमिका अदा की जिसका असर आज ऐसा है कि कोई व्यक्ति भी इसके प्रभाव को नहीं देख सका ऐसा संभव नहीं है इसलिए कहा जाने लगा कि तकनीकी शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा के परिवर्तनों को एकत्रित करने की विधि है, साधन है, जिसके द्वारा परिवर्तनों व परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय किया जा सकता है। जीवन के क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा का ज्ञान हमें तकनीकी आधारित शिक्षा ने ही समझाया है। विकास के संबंध में प्रमाण पत्र एकत्रित करना और एकत्रित तत्वों में क्रियात्मक व व्यावहारिक अनुभवों में वृद्धि कर नये अनुभवों का ज्ञान व ज्ञान ने विज्ञान बनाने की प्रक्रिया तकनीकी के बदलते परिदृश्य में परिवर्तन कर तकनीकी शिक्षा व शिक्षा के बदलते परिदृश्यों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

आज के आधुनिक युग में शिक्षा तकनीकी ने शिक्षा की संकल्पना को अनेक ऐसे विषयों से अवगत कराया है जैसे— शैक्षिक तकनीकी प्रशिक्षण व्यूह, शिक्षण कौशल, शिक्षण को तकनीकी संकल्पना, शिक्षण अधिगम की नई तकनीकी व उपकरण नवाचार, शिक्षण प्रतिमान, सूचना व सम्प्रेषण तकनीकी, मास्तिष्क विप्लव इत्यादि इस प्रकार तकनीकी शिक्षा, शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं को छू रही है। भारत में उच्च शिक्षा का सामान्य परिदृश्य वैश्विक गुणवत्ता के मानकों के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी तकनीकी शिक्षा हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में काफी बड़े आकार की प्रणाली में उभरी है। अतः देश की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में तकनीकी शिक्षा एक पर्याप्त औचित्य है और इसके लिए तकनीकी शिक्षा को भारत में विभिन्न स्तरों पर प्रदान किया जा रहा है जो कि कम्प्यूटर हार्डवेयर कम्प्यूटर साफ्टवेयर, दूरसंचार व नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में डिग्री डिप्लोमा स्नातक व स्नातकोत्तर आदि स्तरों में छात्रों को पारंगत कर रहा है। इंटरनेट, वर्चुअल क्लास रूम उपग्रह, अनुसंधान, विज्ञान, कृषि, अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम में वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा को भी सुविधाजनक बना दिया है। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा पारदर्शी व नियंत्रित तथा समन्वयन के निगरानी के साथ शिक्षा व विकास के क्षेत्र में विद्यार्थियों व अन्य जनसाधारण को भी पूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा तकनीकी के उपयोग को सभी विषयों को जोड़कर विज्ञान व अनुसंधान व अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकीकृत शिक्षा को लाकर व्यवसायिक परिदृश्य से अविभूत किया है। इस प्रकार तकनीकी व शिक्षा व एकीकृत अध्ययन सर्वांगीण विकास के औचित्य को पूरा करती नजर आती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तकनीकी शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रभाव डालकर शिक्षा विस्तार में काफी हलचल मचा दी है जिसके द्वारा शिक्षण क्रिया व विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास हुआ है। तकनीकी शिक्षा से विषय वस्तु को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा जिससे छात्र व्यावहारिक अनुभव के आधार पर रुचि, क्षमता, कुशलता, आत्मनिर्भरता तथा किताबी शिक्षा के स्थान पर समाज के उत्पादक अंग बनकर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे तथा शिक्षित व कुशल होकर अपनी योग्यता के आधार पर कार्य कर सकेंगे। साथ ही शिक्षा में उत्तम तकनीकी शिक्षा का एक निश्चित स्तर होना आवश्यक है ताकि हम निश्चित व उपलब्ध संसाधनों का तकनीकी प्रयोग कर शिक्षा को नई ऊँचाईयों तक ले जा सकें और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सार्थक हो सके।

आज संकट की स्थिति में भी तकनीकी शिक्षा ने नये आयाम स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विश्वस्तरीय महामारी के दौर ने आज प्रत्येक मनुष्य को फिर से आर्थिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, भौतिक व आधारभूत समस्याओं ने घेर लिया है किंतु उसमें से निकलने या उबरने में भी हमारी तकनीकी शिक्षा ही कार्यरत है। देश दुनिया की दूर संचार साधनों सम्प्रेषण तकनीकियों, वैज्ञानिक तकनीकी खोजों व संकटकालीन अनिवार्य खबरों से हम रूबरू होते दिखाई दे रहें हैं साथ ही विश्वस्तर पर प्रत्येक देश के साथ एक तकनीकी आधारित ज्ञान की खोज करने में जुटे हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत जैसे विकासशील देश भी देश-दुनिया में तकनीकी की

नई छाप छोड़ेगे और शिक्षा में तकनीकी के बदलते परिदृश्य को स्थापित कर सकेंगे व हमारी हर सफल नीतियों को एकीकृत संगठित रूप में समाज के लोकतांत्रिक वातावरण में स्थापित कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. कुलश्रेष्ठ, एस. पी. (2005) शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ 81.7457.245.7
2. शर्मा, आर. ए. (2004) शिक्षा तकनीकी के तत्व एवं प्रबंधन, सूर्या पब्लिकेशन मेरठ-250001।
3. शर्मा, राजकुमारी एवं अन्य (2004) शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताएँ और प्रबंध, राधा प्रकाशन मंदिर प्रा0 लि0 आगरा- 282002
4. www.google.com
5. <https://lalluram.com/new-national-education-policy-2020/>
6. <https://sarkariyojana.com/new-education-policy-2020-hindi/>
7. <https://www.thehindu.com/education/the-hindu-explains-what-has-the-national-education-policy-2020-proposed/article32249788.ece>

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं व्यवसायिक शिक्षा

अमिता जैन,

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

जगतगुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन

हुडको भिलाई

सारांश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर शिक्षा नीति में बदलाव किया, जिसके अध्यक्ष इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। इस नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 आज से 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी।

व्यवसायिक शिक्षा की अवधारणा नई नहीं है, व्यवसायिक शिक्षा वैदिक काल से ही दी जा रही हैं। वर्तमान में जो शिक्षा छात्रों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाती है, उसे ही व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है। भारत में छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक परिषद् का निर्माण करने पर विचार किया गया जो व्यवसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन एवं नीति निर्माण की योजना बनाए।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम का निर्माण व उसका क्रियान्वयन करें इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई।

व्यवसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का शिक्षण प्रदान किया जाता है साथ ही उस संबंधित व्यवसाय विशेष में कुशलता प्रदान की जाती है।

व्यवसायिक शिक्षा की विशेषताएं

- * व्यवसायिक शिक्षा छात्रों को समाज के साथ जोड़कर सामाजिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं।
- * छात्रों में व्यवसाय कौशलों की प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाती है।
- * व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलती है।

व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

- छात्रों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु व्यवसाय परक बनाना।
- पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन एवं जीविकोपार्जन करने की क्षमता का विकास करना।
- सही दिशा में परिवार समाज व राष्ट्र का विकास करना।

शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा की

- देश एवं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए।
- शैक्षिक एवं व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए।
- छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए।

वैदिक काल में व्यवसायिक शिक्षा

वैदिक काल में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी के लिए चार प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की

व्यवस्था थी। ब्राह्मण को शिक्षण एवं पुरोहित कार्य का, क्षत्रिय को सैन्य कार्य का, वैश्य को वाणिज्य एवं शुद्र को कला कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सबके अलावा चिकित्सा शिक्षण की भी व्यवस्था थी।

बौद्ध काल में व्यवसायिक शिक्षा

बौद्ध काल में भी व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान था। इस काल में कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। परिवारों में भी व्यवसाय सीखने की व्यवस्था थी साथ ही आयुर्वेद व शल्यक्रिया की शिक्षा दी जाती थी।

मध्यकाल में व्यवसायिक शिक्षा

मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा हस्तकला, वास्तुकला व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल हाथी दांत, पच्चीकारी कला कौशल इस काल की विशेषताएं थीं। इन कौशलों को सिखाने के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान तो नहीं थे, किंतु कुशल कारीगरों के साथ रहकर इच्छुक व्यक्ति सीख लिया करते थे। सैनिक शिक्षा का इस काल में बहुत विकास हुआ। घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन व शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता था। भवन कला का प्रशिक्षण इसी काल की देन है। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी।

ब्रिटिश कालीन व्यवसायिक शिक्षा

भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा समय-समय पर अनेक शिक्षा नीतियां प्रस्तुत की गईं जो इस प्रकार हैं:

(1) मैकाले का प्रतिवेदन (1834)

ब्रिटिश शासन काल में प्रस्तुत मैकाले के प्रतिवेदन को भारतीय शिक्षा का मार्गदर्शक एवं अग्रदूत माना गया। भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार इसी घोषणापत्र के कारण खुल सके किंतु व्यवसाय शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

(2) वुड का घोषणा पत्र(1854)

भारतीय इतिहास का क्रांतिक बिंदु था वुड का घोषणा पत्र। इसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना मात्र ही बताया गया। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं जिनमें युवक विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके एवं युवकों को सरकारी नौकरियों के योग्य बनाया जा सके। इस नीति को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र एवं शिलालेख भी कहा गया किंतु इसकी व्यवसायिक शिक्षा नीति बेहद दोषपूर्ण रही क्योंकि भारतीयों को इसका कोई विशेष लाभ ना मिल सका।

(3) लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति (1904)

इस नीति में लॉर्ड कर्जन ने कृषि शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग बनवा कर कृषि विकास एवं कृषि शिक्षा देने की सिफारिश की। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में कृषि विषय शामिल करने की भी सिफारिश की। इस काल में कृषि अनुसंधान विकास की स्थापना की गई एवं कृषि शिक्षा हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन कराया गया निष्कर्षतः लॉर्ड कर्जन ने व्यवसायिक शिक्षा हेतु सिर्फ कृषि पर ध्यान दिया अन्य व्यवसायों को महत्व नहीं दिया।

(4) राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1905-1919)

सभी भारतीय ब्रिटिश शिक्षा नीतियों से असंतुष्ट थे अतः यह आंदोलन भारतीयों द्वारा किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। यहीं से स्वराज्य प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ हुए, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भारतीयों को व्यवसायिक शिक्षा देना होना चाहिए एवं हस्त कार्यों को भी शिक्षा में स्थान देना चाहिए।

(5) इंटर कमीशन/भारतीय शिक्षा आयोग(1882)

इस कमीशन में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा मुस्लिम शिक्षा, हरिजनों व पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा धार्मिक शिक्षा देती पाठशाला उन सभी पर विचार प्रस्तुत किए गए किंतु व्यवसाय शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया।

(6) सैडलर कमिशन/कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919)

इस आयोग के द्वारा अन्य अनेक सिफारिशों के साथ कहा गया कि व्यवसायिक शिक्षा को केंद्रित करते हुए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, इंटरमीडिएट कक्षाओं में व्यवसायों की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राविधिक, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को उचित स्थान देकर शिक्षा को जीवन उपयोगी बना दिया गया।

(7) शिक्षा की वर्धा योजना वर्धा सम्मेलन(1937)

1937 से पहले बनी समस्त योजनाओं में देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आवश्यकताओं को अनदेखा किया गया। उनमें व्यवहारिकता तथा क्रियात्मक कुशलता की अवहेलना की गई। गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से कहा कि मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखा कर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाकर करना चाहता हूँ। यदि राज्य स्कूलों में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को खरीद ले तो प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। गांधीजी चाहते थे कि बालक प्रशिक्षण के समय से ही उत्पादन करने में समर्थ हो जाएं। वे चाहते थे कि शिक्षा की कोई भी योजना बने किंतु शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार कुशलता का आना आवश्यक है। व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के लिए बालकों को हस्त कार्य, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा तथा प्रेम की मदद लेना चाहिए।

गांधीजी के अनुसार "जो शिक्षा चित की शुद्धि ना करें निर्वाह का साधन ना बनाएं तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य ना हो जाए उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो वह सच्ची शिक्षा नहीं है।"

स्वतंत्रता पूर्व हाथ के काम को बेसिक शिक्षा का माध्यम माना गया था। स्वतंत्रता पश्चात् कागज का काम बागवानी, टोकरी बनाना आदि को भी बेसिक शिक्षा के रूप में स्वीकृति मिली।

बेसिक शिक्षा के अनुसार वातावरण के समस्त ज्ञान का केंद्र एक शिल्प है और इसी शिल्प के माध्यम से छात्र भूगोल, इतिहास, गणित, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

बेसिक शिक्षा संपूर्ण ज्ञान को क्रिया प्रधान मानती है जैसे गणित को बुनाई कढ़ाई, कृषि विज्ञान को खेती-बाड़ी, भूगोल को कृषि एवं मौसम-विज्ञान से सिखाया जा सकता है।

बेसिक शिक्षा शारीरिक श्रम को महत्व देती है, जब प्रत्येक व्यक्ति में परिश्रम करके जीविका कमाने की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी तब वह दूसरों की जीविका छीनने का प्रयास नहीं करेगा, वह दूसरों का शोषण नहीं करेगा।

(8) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग/राधाकृष्ण आयोग (1948-49)

आयोग ने अपने 74 प्रश्नों के प्रतिवेदन में शिक्षा, अध्यापक कल्याण, उच्च शिक्षा का स्तर, पाठ्यक्रम, अनुसंधान कार्य, शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा, छात्र कल्याण, ग्रामीण शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संविधान तथा नियंत्रण, शैक्षिक वित्त व्यवस्था, नारी शिक्षा आदि सभी पर अपनी संस्तुति दी।

आयोग के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा संबंधी विचार दिए गए जिसके अनुसार छात्र को कम से कम 4 विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, स्नातकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वाणिज्य में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए एवं बहुत अधिक लोगों को यह डिग्री प्रदान नहीं करना चाहिए।

(9) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

इस आयोग को विद्यालय जीवन की रीढ़ की हड्डी माना गया है। इस आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही छात्रों की उत्पादक एवं व्यवसायिक निपुणता के विकास करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों में काम के प्रति एक नवीन भावना जागृत करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कार्य कोई भी हो महत्वपूर्ण होता है छोटा है या बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। छात्रों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् किसी व्यवसाय कार्य को अपना लें अथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

(10) भारतीय शिक्षा आयोग/कोठारी आयोग (1964-66)

कोठारी आयोग ने व्यवसायिक एवं तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए वह इस प्रकार हैं: व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने पर बल दिया गया, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने पर जोर दिया गया एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देने का सुझाव दिया गया।

(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्र को एक मानकर इस नीति का निर्माण किया गया। इस नीति के अनुसार शिक्षा के व्यवस्थित योजनाबद्ध व शैक्षिक पुनर्गठन के लिए व्यवसायीकरण करना आवश्यक है। शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रों के निर्माताओं के द्वारा व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

नवसाक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, स्कूल छोड़ देने वालों, कार्यरत व्यक्तियों बेरोजगारों को व्यवसायिक शिक्षा के अनौपचारिक, गत्यात्मक व आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आयोग की नीति के अनुसार वर्ष 1990 तक 10% तथा 1995 तक 25% छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया।

आयोग द्वारा बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को समाप्त करने एवं उच्च शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी समस्या को कम करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा को लागू करने पर बल दिया गया, जिसे माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 8) के बाद विद्यार्थी ग्रहण कर सकें एवं उनमें स्वरोजगार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो सकें। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर छात्र आत्मनिर्भर बन सकेंगे एवं अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकेंगे। इस नीति का उद्देश्य नवयुवकों को कैरियर चुनाव के अवसर उपलब्ध कराना, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना था।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के अंतर्गत 1986 तक 120 व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए जिसमें कृषि, व्यापार, अभियांत्रिकी, तकनीकी, पैरा मेडिकल, स्वास्थ्य, गृह विज्ञान, मानविकी आदि शामिल थे, जो लगभग 10 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों की 2000 संस्थाओं में प्लस टू स्तर पर शुरू किए गए, जिसका 2.5% छात्रों ने लाभ प्राप्त किया।

(12) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)

यह नीति शैक्षिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहीं से 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना था।

(13) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (2005)

इस संरचना का निर्माण शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण करने के लिए किया गया। इसके उद्देश्यों का निर्धारण समाज की आवश्यकता एवं देश की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया।

(14) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

स्वतंत्रता पश्चात् समस्त आयोगों नीतियों के द्वारा वर्णित व उद्देश्य जो प्राप्त नहीं किए जा सके एवं वह क्षेत्र जिन पर ध्यान ना दिया जा सका, देश में व्याप्त अन्य अनेक समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो सका। उपरोक्त सभी बातों को नई शिक्षा नीति 2020 में सम्मिलित किया गया। नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का दे रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है लगभग 5% से भी कम, इस प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जिससे छात्रों का संपूर्ण विकास संभव हो सके।

इस शिक्षा योजना के माध्यम से 2025 तक स्कूल व उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

इस योजना के अनुसार:

- * कक्षा छठवीं से व्यवसायिक परीक्षण इंटरनशिप प्रारंभ किया जाएगा।
- * कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम नहीं होगी, अब छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन कर सकेंगे यथा छात्र भौतिकी के साथ कला पढ़ना चाहता है, तो उसे अनुमति होगी।
- * बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- * व्यवसायिक व अकादमिक शिक्षा साथ साथ चलेंगे, जिससे छात्रों को दोनों में साथ साथ दक्षता प्राप्त हो सकेगी।
- * कक्षा 6 से 8 तक व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बागवानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम शामिल किए जाएंगे।
- * कक्षा 6 से 8 के लिए एक पाठ्यक्रम 2020 21 तक तैयार किया जाएगा जो अभ्यास पर आधारित होगा एवं बस्ता रहित होगा। इस पीरियड में छात्र स्थानीय व्यवसाय विशेष बढ़ाई, कुम्हार, माली आदि के साथ प्रशिक्षु की तरह कार्य करेंगे।
- * कक्षा 6 से 12 तक अवकाश के दिनों में विभिन्न व्यवसायिक विषयों को समझाया जाएगा, यह व्यवसाय को ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे।
- * भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी एवं पारंपरिक तरीकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- * गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग वास्तु चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल, शासन, राज व्यवस्था संरक्षण आदि विषयों को भी शामिल किया जाएगा।
- * जनजातीय औषधीय प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक फसलों की खेती, प्राकृतिक खेती आदि को विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
- * सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए पर्याप्त धन व शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- * सभी छात्रों के लिए अकादमिक, व्यवसायिक एवं कैरियर काउंसलिंग प्रदान की जाएगी।

नवीन शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित करने की आवश्यकता

- * 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 –17)के अनुसार 19–24 आयु के केवल 50% छात्रों ने व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की, अतः भारत में व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता थी।
- * व्यवसायिक शिक्षा कक्षा 11 –12 के छात्रों पर केंद्रित होती थी एवं उनके पास उच्चतर शिक्षा में चुनिंदा व्यवसाय की ओर बढ़ने का सही मार्ग नहीं होता था, जिसके कारण वे अपने ही देश में अकादमिक व व्यवसायिक शिक्षा के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते थे, इसलिए नवीन शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित करने की आवश्यकता हुई।
- * व्यवसाय शिक्षा को अकादमिक शिक्षा से कम महत्व दिया जाता था ऐसा माना जाता था कि व्यवसायिक शिक्षा केवल उन लोगों के लिए होती है जो एकेडमिक शिक्षा के साथ समायोजित नहीं हो पाते। इस धारणा को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किए जाने की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं को दूर करना एवं व्यवसायिक शिक्षा को शालेय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ क्रमबद्ध रूप से व्यवसायिक के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक था जिससे प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसाय से भी परिचित हो सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना है। व्यवसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा को बाकी अन्य विषयों से संबंधित होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार द्वारा प्रस्तुत क्रांतिकारी नीति है जो छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी।

संदर्भ सूची

1. प्रगतिशील भारत में शिक्षा, डॉ.उमेश तिवारी, साहित्य प्रकाशन, आगरा प्रथम संस्करण 2007
2. भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, डॉ.करण सिंह, एचपी भार्गव बुक हाउस आगरा, चतुर्थ संस्करण 2007
3. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डॉ.प्रतिभा यादव ,साहित्य प्रकाशन आगरा, चतुर्थ संस्करण
4. शिक्षा के दार्शनिक आधार, प्रोफेसर लाल जी त्रिपाठी एवं डॉ. श्रीधर पांडे , न्यू कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2007–2008
5. शिक्षा के दार्शनिक आधार, डॉ.सुकेश यादव एवं डॉ सविता सक्सेना ,साहित्य प्रकाशन आगरा, प्रथम संस्करण 2007
6. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डॉ. राम शकल पांडेय, अग्रवाल पब्लिकेशन, पांचवा संस्करण 2011
7. भारत में शिक्षा का विकास डॉ.डी.एस. श्रीवास्तव, साहित्य प्रकाशन आगरा, द्वितीय संस्करण, 2007
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यवसायिक शिक्षा

अनिता पाण्डेय,

शोधार्थी

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

सारांश

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज को बदलने में सीधे योगदान देती है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डॉ. के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण की रूप रेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक परीक्षण के लिए व्यापक ढांचा है। इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रोल-आउट के साथ, व्यवसायिक शिक्षा ने आवश्यक ध्यान आकर्षित किया है NEP 2020 एक व्यापक नीति दस्तावेज है जो व्यवसायिक शिक्षा के सुधार का व्यापक रूप से चर्चा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में लाने पर केन्द्रित है क्योंकि हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 5% से भी कम है। नई शिक्षा नीति में यह भी लक्ष्य रखा गया है कि 2025 के अंत तक इस 5% को 50% तक पहुँचाया जाए जिससे सभी छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान कराया जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान कक्षा 6 वीं से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें छात्रों की बागवानी, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, बिजली का काम और लकड़ी का काम सिखाया जाएगा तथा छात्र इंटरशिप भी करेंगे ताकि स्कूल से निकलने से पहले कम से कम एक कौशल सीख सकें।

प्रस्तावना

व्यवसायिक शिक्षा आधुनिक युग की नई मांग है, व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से शामिल किया गया है। यह नीति सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता निर्धारित करती है। यह नीति छात्रों को अपनी पसंद के विषयों में लचीला होने का अवसर देगी और “कला”, “अकादमिक”, “पाठ्यचर्या”, “अतिरिक्त पाठ्यचर्या” या व्यवसायिक धाराओं के बीच कोई दृढ़ विभाजन नहीं करेगी क्योंकि इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है और समग्र विकास करना है। नीति का उद्देश्य नवाचार, अनुकूलन क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम के भीतर व्यवसायिक कौशल के शिक्षण को शामिल करना है। व्यवसायिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम में, छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक शिल्पों का नमूना लेने का अवसर मिलेगा। यह नीति कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी “10-दिन बैंगलैस अवधि” में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें वे स्थानीय व्यवसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटरशिप कर सकते हैं। व्यवसायिक विषयों को सीखने के लिए इसी तरह के इंटरशिप अवसर कक्षा 6 से 12 तक (छुट्टी की अवधि के दौरान सहित) के छात्रों के लिए भी उपलब्ध होंगे। यह नीति ऑनलाइन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के प्रावधान को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। इसके अनुरूप, उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में यह माना गया है कि इक्कीसवीं सदी के लिए सक्षम और सक्षम व्यक्तियों के निर्माण के लिए व्यवसायिक विषयों पर ध्यान देने के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा आवश्यक है नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 % से बढ़ाकर 2035 तक 50 % करने पर केन्द्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यवसायिक शिक्षा पर जोर

वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में आती है। बहु-कौशल विकास केन्द्र (MSDC) राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (MSQF) की मदद से योग्यता आधारित ढाँचे की देख-भाल करता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), आदि जैसे वित्त पोषण और प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा में लाने की दिशा में काम करता है। आज के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सृजन की तत्काल आवश्यकता है। व्यवसायिक शिक्षा नौकरी चाहने वालों को आजीविका के अवसर खोजने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। नीति का उद्देश्य कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान सभी तक पहुँचाने का है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को व्यवसायिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है। इस नीति में यह बदलाव किया गया है कि विशाल बहु-विषयक विश्व विद्यालय जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा जिससे विश्व विद्यालय का छात्र आत्मनिर्भर होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का व्यवसायिक शिक्षा में संगठन और कार्यान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) उन मुद्दों पर प्रकाश डालता है कि शिक्षक विशेष रूप से उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से कुशल नहीं है। भारत में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने दो मॉडल दो स्तरों पर संचालित होता है। व्यवसायिक शिक्षा (सिद्धांत) और प्रशिक्षण (व्यवहारिक) मुख्य धारा के माध्यमिक शिक्षा के साथ छात्रों को जैसे विषयों के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण का सैद्धांतिक हिस्सा पढ़ाया जाता है जो अप्रभावी और एक अतिरिक्त बोझ साबित हुआ है। इसका कारण यह है कि स्कूल स्तर पर इन पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम खंडित और असंबद्ध है। ये पाठ्यक्रम न तो अच्छी तरह से परिभाषित हैं और न ही ठीक तरह से अलग किये गये हैं। इसके बजाय इसे किसी अन्य विषय की तरह पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय SUPW के पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रम के एक कक्षा में बिजली का अध्ययन करने से लेकर दूसरी कक्षा में वस्त्रों पर बुनने तक कोई उचित विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं था। सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का केवल बुनियादी परिचय था जो स्कूली छात्रों के बीच व्यवसायिक शिक्षा में रुचि जागृत करने में अप्रभावित साबित होता है इसलिए मौजूदा प्रणाली भविष्य में छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम लेने के लिए आकर्षित करने में विफल रही है, भले ही छात्र उच्च शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं। व्यवसायिक शिक्षा योग्यता के लिए कोई उचित प्रवेश मानदण्ड नहीं है जो इस शिक्षा प्रणाली में उर्ध्वाधिक गतिशीलता को बाधित करता है। अतः वर्तमान राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जिन पाठ्यक्रमों को आबंटित किया जाए वह मानदण्ड रहित हो या पाठ्यक्रम छात्रों में व्यवसायिक शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करे और वह छात्रों में व्यवसायिक शिक्षा के प्रति प्रभावी साबित होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता

1. व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या के प्राथमिक कारणों में से एक यह तथ्य है कि व्यवसायिक शिक्षा में मुख्य रूप से ग्रेड 11-12 और ग्रेड-8 और उससे ऊपर के ड्रापआउट छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, व्यवसायिक विषयों के साथ कक्षा 11-12 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के पास उच्च शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसायों को जारी रखने का अवसर दिया गया है।
2. इस नीति का उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करना है और चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थाओं में व्यवसायिक कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकत्रित करने की आवश्यकता है।

3. मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में कम उम्र में व्यवसायिक प्रदर्शन के साथ गुणवत्तापूर्वक व्यवसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारु रूप से एकीकृत किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसाय से परिचित हो, इसमें श्रम की गरिमा और भारतीय कला और शिल्प कला से जुड़े विभिन्न व्यवसायों के महत्व पर बल मिलेगा।
4. 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जायेगी।
5. अगले दशक में व्यवसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जायेगा। कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मान चित्रण के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों का चयन किया जायेगा।
6. प्रत्येक अनुशासन व्यवसाय और पेशे के लिए राष्ट्र कौशल योग्यता फ्रेम वर्क को आगे विस्तृत किया जायेगा। राष्ट्र शिक्षा नीति क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा में गतिशिलता की सुविधा भी प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर रखती है। सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा तक पहुंच के अवसरों के समान गारंटी रखती है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता को प्रभावी ढंग से महसूस कराने के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए सभी हितकारियों यानि उद्योग, सरकारों और छात्रों को स्वयं शामिल करने की आवश्यकता है। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा के सुधार पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है एवं इस नीति में व्यवसायिक शिक्षा के लिए रुचि पूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण छात्रों को प्रभावी रूप से व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने पर चर्चा की गई।

संदर्भित ग्रंथ

1. www.google.com
2. www.slideshare.net
3. www.wikipedia.com

-----:-----

नई शिक्षा नीति में विद्यालयीन वातावरण एवं शैक्षिक दुश्चिंता पर प्रबंध

चंकी राज वर्मा,

सहायक प्राध्यापक

मैट्स विश्वविद्यालय (स्कूल ऑफ एजुकेशन),

गुल्लू आंरग, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्तापूर्ण सिस्टम में अखंडता लाने वाली प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नयी शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी।

प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एवं न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक उन्नति राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा व उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इस युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हैं और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के लिए स्कूली शिक्षा में, स्कूल के वातावरण को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार, शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखकर, भारत के युवाओं को भारत के देश के बारे में और इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और तत्त्वों की आवश्यकताओं से यहां की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना, राष्ट्रीय गौरव आत्मविश्वास, आत्मज्ञान परस्पर सहयोग की दृष्टि से भारत के शतक उंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है।

रोजगार और वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे जो सीखे ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे इसीलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक व रचनात्मक रूप से सोचना सीखे, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाए, कुछ नया सोच

पाए और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही, रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प मानविकी, खेल और फिटनेस भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरे विश्व में तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। जलवायु परिवर्तन बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते संक्रामक रोग प्रबंधन और टीको के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे, बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हसिये पर रहे समुदायों वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाली समूह पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है, और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेश और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थिति जन्य बाधाओं के बावजूद हरसंभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी आ सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में यह देखा गया कि लगभग 7.5% भारतीय किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से परेशानी देखने को मिलता है। साथ ही अनुमान लगाते हैं कि वर्ष 2025 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण पीड़ित देखने को मिलते हैं जिसके साथ ही साथ शिक्षा के प्रति उनका रुझान कम होने लगता है जिससे शैक्षिक दुश्चिंता का प्रभाव पाया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

हर बच्चे की विशिष्ट सुविधाओं की स्वीकृति पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों और अभिभावकों को इन संस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे वे बच्चे की अकादमी और अन्य संस्थाओं में उनके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह भी अपनी प्रतिभा और ऊंचाइयों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। जीवन कौशल जैसे आपसी समाज सहयोग सामूहिक कार्य और लचीलापन स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में ताल में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से स्कूली वातावरण विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए और उनका जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, वह उनकी शैक्षिक दुश्चिंता को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त नहीं हुए साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

1. नई शिक्षा नीति के विषय में जानकारी।
2. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के विषय में जानकारी देना।
3. नई शिक्षा नीति के लक्षण सिद्धांतों के बारे में जानकारी देना।
4. नई शिक्षा नीति एवं पुरानी शिक्षा नीति की भिन्नता की जानकारी देना।
5. नई शिक्षा नीति में अभिभावकों और शिक्षकों हेतु नवाचार की जानकारी देना।
6. नई शिक्षा नीति का सर्वोत्तम शालेय वातावरण प्रभाव की जानकारी

नई शिक्षा नीति के सिद्धांत

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम है, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इस उद्देश्य हेतु उत्पादक लोगों को तैयार करना जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था हुआ है, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाए और उसकी देखभाल की जाती है। जहां उनके स्कूली वातावरण और शैक्षिक दुश्चिंता को दूर किया जा सके, जहां बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद रहें। जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव के लब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए एक अच्छी बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है। यह सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। इस नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:

1. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना
2. शिक्षा में लचीलापन लाना ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हो।
3. अवधारणात्मक सोच का विकास करना, न कि रटन्त एवं परीक्षा की पढ़ाई की पढ़ाई पर जोर।
4. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।
5. विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना।
6. विद्यालयों के वातावरण को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाया जाए।
7. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध का विकास करना।

ड्रॉप आउट एवं शैक्षिक दुश्चिंता के प्रभाव से बच्चों की गिरती हुई नामांकन दर्ज को बढ़ाना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना

1. स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, जिससे विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव कम होगा तो वह पढ़ने में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। हालांकि बाद में आंकड़े बच्चों की स्कूल की व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छठवीं से आठवीं का जीईआर 90.9% है जबकि कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए क्रमशः केवल 79.3% और 65.5% है। इसके साथ ही 2030 तक प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर में हंड्रेड परसेंट सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा, और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट के साथ-साथ शैक्षिक दुश्चिंता दर को कम करना होगा। पूर्व माध्यमिक से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुँच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।

2. स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रेन ट्रेकिंग करनी होगी। साथ ही साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं। ड्रॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वह पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने से विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सके उसके साथ ही साथ भारत के स्कूलों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य शैक्षिक दुश्चिंता पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके साथ-साथ स्कूलों के वातावरण को ध्यान देते हुए वहां के बच्चों की पढ़ाई पर जोर देना पड़ेगा।
3. सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों का को हल्का बनाया जाएगा।
4. बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसमें शामिल है, स्कूलों में एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटोरिंग, साक्षात्कार शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण में शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना आदि।

नई शिक्षा नीति के द्वारा सीखने के सर्वोत्तम वातावरण का निर्माण

1. प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम आकर्षक शिक्षण निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए, जिसे समय-समय पर अद्यतन करने करते रहना चाहिए जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं वह सीखने की प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्ता पूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।
2. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनके शारीरिक मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे।
3. अंत में सभी कार्यक्रमों पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या विषयों में शिक्षण विधि इन क्लास ऑनलाइन ओडीएल और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वह गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाए। स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा, ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों छात्रों अभिभावकों प्रधान अध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें जिनका एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।
4. इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में शब्द और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली क्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय, और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे, ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र सभी जेंडर के छात्रों और विकलांग बच्चों सहित एक सुरक्षित समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने

और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो

5. प्रभावशाली स्कूली प्रशासन संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी स्कूल कांप्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानिक कारण स्कूलों तक पहुंचने को कम किए बिना जैसे उन्नत उन्नति शील प्रारूप अपना सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल कांप्लेक्सों का निर्माण जीवन शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।
6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्य और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपनी स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हित धारकों के लाभार्थी एक संत संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।
7. ऐसे ही स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। छात्रावासों में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।
8. देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है, यह शोधपरक नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है सरकार का यह प्रयास है कि 45000 से अधिक महाविद्यालय और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई शिक्षा नीति का विजन है ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जगह मिली शिक्षा प्रणाली में इंडिया की जगह भारत की झलक मिले उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केंद्रित बनाने की जरूरत है। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट संबंधी विषय अंग्रेजी में ही होता है जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है।

निष्कर्ष

21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ-साथ स्कूली वातावरण में बदलाव की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। अगर इस शिक्षा नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है तो यह शिक्षा प्रणाली भारत के स्कूलों के वातावरण एवं शैक्षिक दुश्चिंता को दूर करने में कारगर सिद्ध होगा। नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। यह जो शिक्षा नीति है उसमें लगभग 34 वर्षों के बाद बदलाव देखने को मिला नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को सही शिक्षा एवं सही स्कूली वातावरण मिले जिससे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिसका लक्ष्य 2025 तक जो पूर्व प्राथमिक जिस की औसत आयु सीमा 3 से 6 वर्ष तक माना है जिसको सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक स्तर शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रीडी मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर और रोजगार परक क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ सूची

1. प्रकाश कुमार 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति आउटलुक हिंदी 24 अगस्त 2020
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
3. प्रोफेसर के शर्मा दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण पृष्ठ संख्या दो 24 अगस्त 2020

-----:-----

बस्तर जिले में नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शैक्षिक अभिवृत्ति पर प्रभाव

सुश्री हेमलता नागेश,

शोधार्थी

स्कूल ऑफ एजुकेशन मैट्स यूनिवर्सिटी,
रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बस्तर जिले के नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शैक्षिक अभिवृत्ति पर प्रभाव का अध्ययन करना है। बस्तर जिले के हाईस्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति उनकी नई शिक्षा नीति के प्रति धारणा निर्धारित होती है एवं बस्तर जिले के हाईस्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बहिर्मुखी-अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी उनकी नई शिक्षा नीति के प्रति धारणा से निर्धारित होता है।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में शिक्षा स्थिर नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज का साथ-साथ चलना आवश्यक है। जब-जब समाज में परिवर्तन होता है, तब-तब शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है।

भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थिति का अवलोकन किया जाय तो हमें एक विचित्र चित्र देखने को मिलता है। आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत पिछड़ा है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय अपनी संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। राजनैतिक दृष्टि से लोकतन्त्र को शासन के रूप से ग्रहण किया गया है। वस्तुतः प्रजातन्त्र के नाम पर जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रीयता आदि का बोलबाला है। अतः प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद 29 जुलाई 2020 बुधवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर, सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार, नयी शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के बड़े बदलाव किए गए हैं। नयी शिक्षा नीति 2020 में ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जायेगा। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किए जायेंगे। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बालको के शारीरिक एवं मानसिक विकास करना तथा बालको को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसने समस्त विश्व को परिवर्तन की राह पर अग्रसर किया है। शिक्षा ने ही मनुष्य को अशिक्षित अवस्था से निकालकर आज इस तकनीकी एवं नई सोच, खोज के स्तर तक ला खड़ा किया है। प्रत्येक देश आगे बढ़ने के लिए देश की नीतियों एवं नियमों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए। शिक्षा की नीतियों नियमों का कुछ ऐसा स्वरूप विश्व के सामने आया, जिसने शिक्षा का स्वरूप ही बदल दिया।

“बस्तर जिले के नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शैक्षिक अभिवृत्ति पर प्रभाव का अध्ययन” का विषय इन्हीं कारणों को खोजने व प्रभावहीन बनाने के लिए किया गया है।

प्रयुक्त पदों की प्रकार्यात्मक परिभाषाएं व्यक्तित्व

व्यक्तित्व मानवीय व्यवहार का प्रतिमान है, जो किसी परिस्थिति-विशेष के प्रत्युत्तर में किये जाते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा जिसका उस परिस्थिति विशेष से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति के तत्वों जैसे व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने तथा उसे स्थायी रूप देने में जो तत्व काम आते हैं, उन सभी का योग तथा परिणाम व्यक्ति की समग्र छवि के विषय में एक धारणा प्रस्तुत करता है। यही धारणा व्यक्तित्व कहलाती है।

आदिवासी बालको का व्यक्तित्व

बस्तर के छात्रों का व्यक्तित्व बहुत सरल एवं सुगम होता है। छात्रों को पढ़ाई में कम रुची होती है, क्योंकि वे अपने और अपने परिवार के रोजी-रोटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे पढ़ाई के साथ-साथ मजदूरी एवं अन्य नौकरियां (छोटी-मोटी) करने को तैयार हो जाते हैं। जिनमें उनका मानसिक विकास और शिक्षा से रुचि कम हो जाती है और वे सामान्य व्यक्तित्व वाले ही रह जाते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली बालक एवं सामान्य बालक में ही तुलना करता रहता है। ये बालक अधिकता समस्यात्मक व्यक्तित्व के हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह अपनी समस्याओं से निपटना होता है। इतना व्यक्तित्व कभी-कभी किसी समय पर निर्थक भी हो जाता है, क्योंकि वे अपने परिवार एवं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं।

बस्तर के कुछ शहरी क्षेत्रों के बालको का व्यक्तित्व अधिक प्रतिभाशाली होता है क्योंकि अधिक रुचि अपने पढ़ाई के साथ-साथ कार्यों को करने की ललक क्षमता होती है। छात्र अपने माता-पिता के सहयोग से अपनी अलग पहचान व्यक्तित्व बनाने के उत्साह के साथ कोई कीर्ति जरूर प्राप्त करते हैं। इससे उनकी रुचि एवं व्यक्तित्व होंगे को सामने लाने का समय मिलता है, जिससे वे अधिक प्रतिभाशाली हो सके। शहरी क्षेत्रों में बालको को किसी प्रकार की मजबूरी या पारिवारिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे वे अपनी पढ़ाई अपनी रुचि के अनुसार करते रहते हैं।

बस्तर में आदिवासी जनजातियाँ अधिक निवास करती हैं। जनजातियाँ अपने किसी भी जनजीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इसका व्यवहार, परम्पराएँ रीति रिवाज एवं संस्कृति जैसी है वैसा रखना चाहते हैं। बस्तर जनजातियाँ अधिकतर गाँव में एवं पहाड़ियों क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनका पूरा जीवन वही व्यतित होता है। वे बाहरी दुनिया से परिचित ही नहीं होना चाहते, इनमें से कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित होते हैं, जिससे उनका कोई भी विकास नहीं हो पाता।

शैक्षिक अभिवृत्ति

व्यक्ति की अभिक्षमता का कारण अभिरुचि भी है व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह एक मनो-सामाजिक प्रत्याय है। हम विभिन्न परिस्थितियों में जैसा का व्यवहार करते हैं, उसकी अभिवृत्ति द्वारा जैसा निश्चित होती है।

अभिवृत्तियों के ज्ञान की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व आकलन व विश्लेषण करना संभव होता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में अभिवृत्तियों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

अभिवृत्ति की परिभाषा तथा अर्थ

अभिवृत्ति अपने मनोभावों तथा विश्वासों को इंगित करती है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है अथवा उसका पूर्व विश्वास क्या है ? "अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक अथवा ऋणात्मक भाव है"

"अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है।"

“अभिवृत्ति किन्ही परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने के स्वाभाविक तत्परता है, जिसे सीख लिया गया है तथा जो व्यक्ति के द्वारा प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट ढंग से बन गया है”

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्ट है अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियाँ हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में, किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन अर्जित अनुभवों को सामान्यीकृत करने के फलस्वरूप निर्माण होता है।

अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर किसी को किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होगा, उसे पाने का प्रयत्न करेगा और अगर नकारात्मक अभिवृत्ति हुई, तो वह उससे दूर भागेगा, इसलिए छात्रों तथा अन्य वांछनीय निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए।

नई शिक्षा नीति 2020 का अर्थ

शिक्षा नीति बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई जाती है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाता है इसके अंतर्गत शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाती है जो कि एक ही तहह के पैटर्न के अनुसार पूरे देश में लागू होती है, इसलिए इसे शिक्षा नीति का नाम दिया गया है। देश में अब तक केवल 3 बार शिक्षा नीति बदली गई है।

नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के रूप में है। इसमें 5 का अर्थ है तीन साल तक प्राइमरी स्कूल और उसके बाद दो साल कक्षा 1 और कक्षा 2, 3 का अर्थ है कक्षा 3, 4 तथा 5, आगे 3 का अर्थ है, कक्षा 6,7 और 8 और अंत में 4 का मतलब है 9, 10, 11 एवं 12।

इस शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे 6 साल की उम्र से पहले यानि 3 साल की उम्र में ही फार्मल स्कूल में पढ़ाई करने लगेंगे। अभी तक अभिभावक अपने 2 से 3 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हैं, जो कि स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा नहीं होता था। किंतु शिक्षा नीति में संशोधन से शिक्षा नीति में राईट टू एजुकेशन बढ़ेगा, अब तक 6 से 14 साल के बच्चे के लिए आईटी था, अब यह 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हो गया है। सरकार द्वारा किये गये संशोधन केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के नई शिक्षा नीति का उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के नई शिक्षा नीति का उनकी शैक्षणिक अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को विकसित करना।
4. सभी संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाईन कार्यक्रम चलाने का विकास करना।
5. संस्थानों का पाठ्यक्रम निर्माण ऐसा करना जिसमें कि सार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर जोर दिया जाए।
6. सभी संस्थानों में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कर शामिल करना।

अध्ययन की परिकल्पना

1. बकावंड एवं जगदलपुर ब्लॉक के हाईस्कूल स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों के नई शिक्षा नीति व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
2. बकावंड एवं जगदलपुर ब्लॉक के हाईस्कूल स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों के नई शिक्षा नीति का सार्थक प्रभाव उनकी शैक्षणिक अभिवृत्ति पर नहीं दिखायी देगा।

निष्कर्ष

1. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के हाईस्कूलों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक भिन्नता है ।
2. नई शिक्षा नीति एवं संयुक्त रूप से हाईस्कूल में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति को प्रभावित करती हैं ।

संदर्भ सूची

1. पाण्डेय, डॉ रामशकल, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2
2. माथुर, डॉ.एस.एस., शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2
3. राय, पारमनाथ सी.जी. अनुसंधान परिचय, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2
4. पाठक, पी0डी0, शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2
5. श्रीवास्तव वर्मा, डॉ. डी.एन. डॉ. प्रीति, मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी-विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2
6. कपिल, डॉ. एच.के., सांख्यिकी के मूल तत्व-विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-2

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए नीति और शिक्षा

कविता शर्मा, सीमा

सहा प्राध्यापक,

डी आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी,

कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़

शिक्षा

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सिखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, मगर केन्द्र सरकार 1986 की शिक्षा नीति के अन्दर यह दोनों देखने को मिला। इस नीति के अन्दर बच्चे से केवल रटने का ज्ञान लिया और परीक्षा पास करना पढ़ाई का उद्देश्य समझा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया।

नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति एक नये पाठ्यक्रम की संरचना के गठन की कल्पना करती है जो छात्रों के सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी।

नई शिक्षा नीति डॉ. कृष्णा कस्तूरीरंजन ममेटी की रिपोर्ट (ई 2019) आधार पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमण्डल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली।

राष्ट्रीय शिक्षा को बनाने में देशभर स्कूल कालेज के लाखों शिक्षाविद अध्यापकों के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चेयरमैन के. कस्तूरजन जो कि पूर्व इसरो प्रमुख भी रह चुके हैं।

इस शिक्षा नीति में मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जायेगा जो कि 1986 से पहले था। देश भर की उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। (चिकित्सा और कानून छोड़कर)

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करके प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

मातृभाषा को बढ़ावा देना

- पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान।
- विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर।
- भारतीय संकेत भाषा को देशभर में मानकीकृत किया जायेगा और वधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जायेगी।
- पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना।
- 2020 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फार आत्म का लक्ष्य।

सकल नामांकन अनुपात GER (Gross Enrolment Ratio)

- प्रदेश अथवा देश में स्कूली उम्र के कुल बच्चों और स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात।

- शिक्षा से दूर रहे बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना।
 - स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना पर जोर।
 - स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव
 - स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू।
 - यह ढांचा क्रमशः 3-8 वर्ष 8-11 वर्ष और 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए।
- इसे इस प्रकार चार भागों में बाँट सकते हैं:

फाउन्डेशन स्टेज

- 3-8 वर्ष के बच्चों के लिए।
- पहले तीन वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे।
- अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 में पढ़ेंगे।

प्रीपेटरी स्टेज

- 8-11 वर्ष के बच्चे के लिए कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे।

उच्चतर शिक्षा

- वर्ष 2018 को 26.3 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य (व्यावसायिक शिक्षा सहित)
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नयी सीटे जोड़ी जायेगी।
- Undergraduate के शिक्षा को कोर्स को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने का प्रावधान।
- 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टीफिकेट।
- 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा।
- 3 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने पर बैचलर डिग्री।
- 4 वर्ष बाद शोध के साथ बैचलर डिग्री मिलगी।
- इसके बाद 1 वर्ष का एम.ए व इसके बाद पी.एच.डी.।

उद्देश्य

M.Phil समाप्त कर दिया, परीक्षाएं पार करने तथा वस्तुनिष्ठ और पाठ्यात्मक दो भागों में आयोजित करने का सुझाव, वार्षिक समेस्टर और माड्युलर बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पर जोर। 21 वीं सदी प्रमुख कौशल व व्यवसायिक जानकारियों से विद्यार्थियों का समग्र प्रक्रिया विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिये जायेंगे।

- कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठयोत्तर गतिविधियों के बीच और व्यवसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप से कोई भिन्नता नहीं।
- इस नीति में कस्तूबा गाँधी व्यक्ति का विधान का विस्तार 12 वीं तक करने का सुझाव।

समान एवं समावेशी शिक्षा

- सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों का अवसर उपलब्ध करवाना।
- बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिये।
- प्रभावकारी शिक्षक भर्ती एवं स्कूल प्रशासन।
- विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता।
- ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा।

शिक्षा का वित्त-पोषण

सरकार द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान (SSA) का वर्षों तक बच्चों के प्राथमिक स्कूल प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के तहत 15 से 18 वर्षों तक की उम्र के विकलांग बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति के अनुसार विकलांगों, व्यक्तियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। जनगणना 2001 के मुताबिक देश में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांगता के शिकार हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.13 हिस्सा है। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तथा 49% विकलांग व्यक्ति साक्षर हैं व 34% रोजगार प्राप्त हैं।

पूर्व के मेडिकल पुनर्वास पर जोर डालने की बजाए अब सामाजिक पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विकलांगों की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार ने विकलांगों के लिए तीन कानूनों को लागू किया है। विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो ऐसे लोगों को शिक्षा रोजगार अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करता है।

- आरिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंद बुद्धि व बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में चारों वर्गों के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सह संभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 पुनर्वास सेवाओं के लिए मानव-बल विकास का प्रयास करता है।
- राष्ट्रीय नीति मानता है, कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं तथा वह ऐसे व्यक्तियों को समान अवसरों, उनके अधिकार की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण भागीदारी का प्रयास करती है।

इस नीति के उद्देश्य

- विकलांगता की रोकथाम।
- पुनर्वास के उपाय।
- आरंभिक पहचान तथा उपचार परामर्श तथा मेडिकल पुनर्वास।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुनर्वास।
- सरकारी महकमों में रोजगार, निजी क्षेत्र में दिहाड़ी रोजगार।
- विकलांग महिलाएँ व बच्चे, सामाजिक सुरक्षा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, अनुसंधान, खेल-खूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन।
- विकलांगता से निपटने वाले मौजूद अधिनियमों में सुधार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी व विकलांगों की शिक्षा

सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियों में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में।

पुनर्वास समूहों में वर्गीकरण

- शारीरिक पुनर्वास आरंभिक पहचान तथा उपचार परामर्श व चिकित्सा तथा मदद व उपकरण का प्रावधान है। इसमें पुनर्वास कर्मचारियों का विकास भी शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा समेत शैक्षणिक पुनर्वास समाज में गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास।
- विकलांगता की आरंभिक पहचान व दवा और गैर दवा उपचारों के जरिए इसकी चिकित्सा से इन रोगों की गंभीरता को कम करने में मदद मिलती है। अतः सरकार, ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सूचना का प्रसार करेगी।

- परामर्श तथा मेडिकल पुर्नवास, वर्तमान में पुर्नवास सेवाएं मुख्यतः शहरी और उसके आस-पास के इलाको में उपलब्ध है। चूंकि 75 % विकलांग व्यक्ति देश के ग्रामीण इलाको मे रहते है। अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता-आशा (ASHA) के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण लोगो की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिनमें विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
- एनजीओ की सहायता से विभिन्न खेलों में विकलांग व्यक्तियों की क्षमता की पहचान की जानी चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक ऑगेनाइजेशन तथा सांस्कृतिक सोसाइटी के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समारोहो में विकलांगो के भाग लेने के लिए आवश्यक प्रणाली को लागू किया जाएगा।
- खेल-कूद मे विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षानीति व बच्चों के लिए नीति के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा जिसमें 6 से 14 वर्ष व 15 से 18 वर्ष तक की उम्र के विकलांग बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। समान अवसर अधिकार सुरक्षा तथा पूर्णभागीदारी अधिनियम 1995, शिक्षा रोजगार व अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण का प्रावधान है, तथा विकलांग की शिक्षा में सरकारी नीतियो में पुनर्वास द्वारा विकलांगों को आरंभिक पहचान, उपचार परामर्श प्रशिक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

संदर्भ ग्रंथ

- ◆ शर्मा अनुराधा, एवं नामदेव हरिओम (2018)।
- ◆ *समावेशी शिक्षा* अग्रवाल पब्लिकेशन।
- ◆ www.google.com (Utkarsh classes)
- ◆ <https://lhi.n.wikipedia.org>

-----:-----

नई शिक्षा नीति और अध्यापक शिक्षा

मधुमिता सरकार,

सहा. प्राध्यापक

जगदगुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर हुडको, भिलाई, छत्तीसगढ़

सारांश

अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नवाचार तथा पुनरुद्धार की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा मात्र डिग्री के रूप में ना रह जाए। 2030 तक ऐसे अध्यापक शिक्षण संस्थानों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा जो एक अध्यापक शिक्षा के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को बहुविषयी संस्थानों में क्रियान्वित किया जाना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है ताकि अध्यापक नवीन अनुसंधानों को सीख सकें तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

कुंजी शब्द

नई शिक्षा नीति, अध्यापक, शिक्षा।

बालकों के भविष्य की रचना के लिए एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षक के हाथ में ही शिष्य का भविष्य होता है। शिक्षक के पढ़ाने की योग्यता, अभिरुचि आदि का बालक के गुणों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शिक्षक एक प्रकाशमान दीपक है, जो छात्रों को सही एवं उचित रास्ता दिखाता है।

शिक्षा वह माध्यम है, जो मानव को पशु से मनुष्य बनाती है। किसी भी राष्ट्र, समाज, परिवार, जाति को पूर्ण होने के लिए एवं विकास हेतु शिक्षा अति आवश्यक घटक है। विश्व को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को ख्याति दिलाने में शिक्षा व्यवस्था सशक्त होना आवश्यक है। भारत की सतत विकासशील एवं आर्थिक संपन्नता हेतु शिक्षा ही एक साधन है। भारत के स्वर्णिम भविष्य हेतु उच्च शिक्षा में युवाओं के अधिकाधिक भागीदारी आवश्यक है। नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति है जिसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। 1986 की नीति के बाद इसमें परिवर्तन कर इस नीति को बनाया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को स्थापित करना जिससे समाज को लाभ प्राप्त हो।

भारत में बनी पिछली नीतियां

शिक्षा ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है। वैदिक काल में विद्याविहिन पशु अर्थात् विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है ऐसा माना जाता था। वैदिक काल में नारी शिक्षा, सैनिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, पुरोहित शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, कला कौशल की शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा प्रदान की जाती थी, किंतु जन सामान्य को, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। स्त्रियों को केवल गृह प्रबंधक एवं धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति के उपाय बताना, छात्रों को ऐसे आचरण सिखाना जिससे मस्तिष्क को स्थिरता एवं शांति प्राप्त हो सके। मध्यकालीन शिक्षा काल में जनसाधारण की शिक्षा अपेक्षित थी। इस काल में संस्कृत शिक्षा लगभग समाप्त कर दी। इस काल में शिक्षा ग्रहण करना ही कठिन कार्य था। शिक्षा का माध्यम अरबी व फारसी था। शिक्षक को भी निम्न स्थान दिया गया। निष्कर्षतः इस काल में शिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया गया। आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईसाई मशीनरी को माना जाता है। 1834 में काले के विवरण पत्र में कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। उसमें भारतीय साहित्य व शिक्षा का भी खंडन किया गया। 1854 में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से शिक्षा को एक नवीन व निश्चित दिशा प्रदान की गई। इस घोषणा पत्र के माध्यम से जनसाधारण की शिक्षा व स्त्रियों शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया व शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाश्चात्य प्रकार के

विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता की चर्चा की गई। वुड घोषणापत्र में भारतीय शिक्षा के विभिन्न पक्षों की सिफारिशों व अनुदान प्रणाली का प्रारंभ किया गया। व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। शासकीय सेवा में शिक्षित व्यक्तियों को रखने पर बल दिया गया। अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ देशी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने पर बल दिया गया। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई। 1882 में हंटर कमीशन (भारतीय शिक्षा आयोग) प्रस्तुत हुआ जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजनों व पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों व पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देशी पाठशाला लगभग सभी शिक्षा संबंधी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया जिसके परिणामस्वरूप समस्त श्रेणियों के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई। 1917-1919 (सैंडलर कमीशन) कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार अध्यापकों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, विश्व विद्यालय संचालन के नियम कठोर होने चाहिए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बाह्य विशेषज्ञों से युक्त विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय होने चाहिए। छात्रों के शारीरिक व स्वास्थ्य विकास के लिए शारीरिक शिक्षण व निदेशक नियुक्त करना चाहिए। महिला शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, सह शिक्षा पर बल देना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग का प्रारंभ करना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा की वर्धा योजना (1937) वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का होना चाहिए एवं 7 साल तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। गांधीजी की बेसिक शिक्षा योजना से आशय बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकला का प्रशिक्षण देना जिससे उनमें मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसमें कुल 10 सदस्य थे। इस आयोग का उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा के सभी अंगों पर विचार किया गया तथा आवश्यक सुझाव भी दिए गए। आयोग ने शैक्षिक वित्त व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा, अध्यापक का प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, छात्र कल्याण धार्मिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, अनुसंधान कार्य, पाठ्यक्रम, अध्यापक कल्याण सभी पर अपने सुझाव दिए, किंतु धार्मिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा पर विचार स्पष्ट नहीं थे। (मुदालियर कमीशन) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) आयोग ने ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा की अनिवार्यता, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, पाठ्यक्रम की विभिन्नता, देश के नव युवकों का पथ प्रदर्शन, छात्रों के शारीरिक विकास की रक्षा हेतु सुझाव, अध्यापकों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने व वेतन में सुधार, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु सुझाव दिए। इस आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने जैसा अनुपयुक्त सुझाव दिया, महिला शिक्षा के विस्तार हेतु कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा में सुधार, अध्यापकों की दशा, स्त्री शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं उसमें सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, मार्ग निर्देशन एवं काउंसलिंग, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर विचार एवं आवश्यक सुझाव दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986- यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण समाहित है। 1968 की नीति में जो महत्वपूर्ण घटक छूट गए थे उन्हें 1986 की नीति में शामिल किया गया। 1968 की नीति में जो सुझाव कार्य रूप में परिणित ना किए जा सके उनको क्रियाशील बनाने हेतु 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा सभी के लिए यह हमारे आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। इस नीति में शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया इसके द्वारा देश के प्रत्येक राज्य के लिए शिक्षा संरचना भिन्न-भिन्न थी शैक्षिक समानता के अवसरों पर बल दिया गया जिसमें सभी को समान शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी एवं माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। नई शिक्षा नीति 1986 का गठन

शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु चुनौतियों के रूप में किया गया, इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992— शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने हेतु कमेटी का गठन 1992 में किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संपूर्ण देश के शैक्षिक संरचना किस प्रकार हो एवं सारे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, विद्यालय में सुविधाएं, अनौपचारिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन नवोदय विद्यालय की स्थापना और योजनाओं पर कार्य किया गया।

नई शिक्षा नीति (2020) क्या है इसकी व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के सभी शैक्षणिक संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। नई शिक्षा नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महा शक्तिशाली बनाना। नई शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को सभी के लिए प्रेषित करती है।

नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं

के कस्तूरी (पूर्व प्रमुख इसरो) ने ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो शैक्षिक परिदृश्य का परिवर्तित कर देगी जो युवाओं को वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लेगी। 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा।

- मातृभाषा को बढ़ावा—पांचवी तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर। भारतीय संकेत भाषा को देशभर में मानकीकृत किया जाएगा। पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा।
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात।
- नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना।
- शिक्षा से दूर रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्यधारा में शामिल करने की योजना।
- स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव— स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 की जगह 5+3+3+4 लागू किया जाएगा। इसे मुख्य चार भागों में विभक्त किया गया है:

1) फाउंडेशन स्टेज

3 से 8 वर्ष

- पहले 3 वर्ष के बच्चे (आंगनबाड़ी)
- अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 पढ़ेंगे

2) प्रीपेटरी स्टेज

8 से 11 वर्ष के बच्चे

- कक्षा 3 से 5 तक शिक्षा लेंगे

3) मिडिल स्टेज

11 से 14 वर्ष के बच्चे

- कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे

4) **सेकेंडरी स्टेज**

14 से 18 वर्ष के बच्चे

- कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा आसान होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दो भागों में परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव। वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं मॉडल पर जोर।
- बी.एड. कोर्स
 - ❖ जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बी.एड. करना चाहते हैं वह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड. कोर्स कर सकते हैं।
 - ❖ स्नातक के बाद 2 वर्ष का बी.एड. जबकि स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए 1 वर्ष के बी.एड. का प्रावधान है।
- एम.फिल की समाप्ति।
- 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम, और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं।
- एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने पर बल।
- वर्ष 2025 तक तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता ज्ञान प्राप्त होना चाहिए सिर्फ विज्ञान नहीं पढ़ाना है, बल्कि वैज्ञानिक बनने पर जोर देना है।
- स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार।
- कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य तर गतिविधियों के बीच, और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं।
- इस नीति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया।
- **समान व समावेशी शिक्षा:** डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पियेगा वह दहाड़ेगा अर्थात् जो शिक्षा को प्राप्त करेगा वह हमेशा उन्नति करता रहेगा। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह को अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। दिव्यांगों को लेकर उच्च शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया।
- **प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन:** प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं का निर्माण। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन का प्रावधान। शिक्षकों की पदोन्नति हेतु कार्य प्रदर्शन आकलन को महत्व दिया गया है।
- उच्चतर शिक्षा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। 2035 तक 50% को उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन।
- महाविद्यालयों में क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु तंत्र का विकास।
- शोध को बढ़ावा देने हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना।
- विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता।
- ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा।
- ई-शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल।
- क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए ई-सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- प्रौढ़ शिक्षा
 - वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य।

शिक्षकों के लिए फायदा

नई शिक्षा नीति के लागू होने पर शिक्षा की अवस्था में सुधार के साथ-साथ शिक्षकों की भर्ती पर असर दिखेगा। मुख्य निम्न बातों का असर शिक्षकों पर लागू होगा:

संस्कृत को बढ़ावा: नई शिक्षा नीति लागू होने पर संस्कृत भाषा को एक विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त: पहले अंग्रेजी भाषा को विशेष दर्जा दिया जाता था, कार्य में अंग्रेजी को महत्वपूर्ण माना जाता था परंतु नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है, ताकि व्यक्ति बिना अंग्रेजी के भी किसी भी कार्य को कर सकें।

तबादलों में कमी: शिक्षकों को तबादलों संबंधी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा बेवजह तबादले नहीं किए जाएंगे। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है उसकी भर्ती उसी क्षेत्र में ही की जाएगी।

विदेशी भाषा का कोर्स में समावेश: विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाएगा विदेशी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

आर्टीई 12वीं तक: शिक्षा का अधिकार के तहत 12वीं तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है।

छठवीं से कंप्यूटर शिक्षा: छठी क्लास से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रभावी करने पर बल दिया गया है। इसके लिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

नई शिक्षा नीति: शिक्षा के हर क्षेत्र में आधारभूत बदलाव की संभावना लेकर आई है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों में बदलाव हेतु, उनके माइंडसेट और स्किल सेट दोनों पर कार्य करना होगा क्योंकि हमारे शिक्षक या तो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किया जाए जिससे कि शिक्षकों का जो माइंडसेट है कि हमने जैसा पढ़ा है वैसे ही हम पढ़ाएंगे इस भावना को दूर करना।

निष्कर्ष

34 वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई है। कहते हैं किसी देश में जब कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए ऐसा कोई भी बिंदु जो एक राष्ट्र, समाज, देश, को शक्तिशाली बनाएं एवं शिक्षक और शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित कर सके, उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने हेतु पहल की आवश्यकता है। आशा की जा सकती है कि 2030-40 तक संपूर्ण नीतियां क्रियान्वयन स्थिति में आ चुकी होंगी एवं भारत, अध्यापक शिक्षा के उच्च श्रेणी में होगा।

संदर्भ सूची

1. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डॉ प्रतिभा यादव साहित्य प्रकाशन, आगरा, चतुर्थ संस्करण
2. शिक्षा के दार्शनिक आधार, प्रोफेसर लालजी त्रिपाठी एवं डॉक्टर श्रीधर पांडे 2007-2008
3. प्रगतिशील भारत में शिक्षा डॉ उमेश तिवारी, साहित्य प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, 2007
4. स्मिता एस इंटरनेशनल जर्नल आफ मैनेजमेंट (फ्रिड) 2020
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
6. चेंज फॉर टीचर्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020

-----:-----

आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का इतिहास : एक अध्ययन

ममता ध्रुव,

शोधार्थी

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय,

रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यह शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में और उसमें स्वस्थ दृष्टिकोण एवं अच्छे संस्कार सम्मिलित करने में सहायक होता है। भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से ही है। प्राचीन साहित्य जैसे वेदों ब्राह्मण और उपनिषदों आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता है। संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित किया गया था।

नालंदा विश्वविद्यालय चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली का केंद्र था, जहां प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया गया और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया गया। वहां सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक मूल्यों की भावना का भी संचार किया। भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में 19 वीं शताब्दी है, जब वायसराय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थी। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत सन् 1857 में कोलकाता मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात आरंभ हुआ। इसमें ब्रिटिश कालीन अधिनियम रिपोर्ट एवं आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ एवं एलीफिंस्टन रिपोर्ट 1823 ई. में जिला परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति किया गया।

मैकाले रिपोर्ट 1835 में ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य मैकाले ने धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पश्चिम देशों की शिक्षा पद्धति के सामान भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास पर जोर दिया। हंटर आयोग 1882 ई. में शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1854 के बाद की गई प्रगति की समीक्षा, 1902 ई. के विश्वविद्यालय आयोग द्वारा लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थिति जांचने एवं सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रयास किया। उच्च शिक्षा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 लागू की गई है, जिसके तहत महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए गए हैं।

शब्द कूजी

शिक्षा, आत्मबोध, गुरुकुल, प्रौद्योगिकी, बोर्ड, उर्दू, दूरस्थ, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, ढांचा।

भूमिका

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास रहा है। भारतीय समाज के विकास और उस में होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। प्राचीन काल में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था, वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी। प्राचीन काल में शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी।

प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दिया जाता था, जहां मोक्ष और आत्मबोध पर आधारित शिक्षा दिया जाता था। भारत में आधुनिक शिक्षा के नींव यूरोपीय लोगों ने रखी है। उन्होंने कई विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना किए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले की देन माना जाता है। इस शिक्षा

व्यवस्था में स्वतंत्रता से पूर्व और अब तक इसमें अनेक सुधार किए जा चुके हैं।

भारत में शिक्षा के स्तर को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से तृतीय स्तर उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा का अर्थ सामान्य रूप से सब को दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, वृहद तथा सूक्ष्म शिक्षा के ऊपर दी जाने वाली शिक्षा से है, जो विश्वविद्यालय व व्यवसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं अन्य कालेजों में दिया जाता है। यह प्रायः ऐच्छिक होता है जो किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की रीढ़ होता है। वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थान 1000 से अधिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अपेक्षा है कि यह शिक्षा संस्थानों की समस्या के समाधान पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में परिवर्तन कर देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार का एक परिणाम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है।

यह अच्छी नीति है, क्योंकि यह शिक्षा प्राणी को समग्र लचीला बहुविषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर लक्षित है। नीति को लागू करने की सोच आदर्श प्रतीत होती है लेकिन इसकी सफलता उसके कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। शुरुआत कोलकाता में 1817 ई. में हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरु हुई।

वायसराय लार्ड मेकाले की अनुशंसा के आधार पर 1857 ई. में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1918 में हैदराबाद में निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया। वर्ष 1913 से 1921 के मध्य 6 आवासीय एवं शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

1920 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन 1925 में हंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ रख दिया गया। इस संस्थान के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के 20 सैनिक संस्कृति और संबंधित क्षेत्र के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था।

स्वतंत्रता उपरांत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं यह 21वीं शताब्दी की पहला शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षी लक्ष्य जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं।

शिक्षा से ना केवल साक्षात्कार बल्कि संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली प्रयोग के लिए सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य किया जा रहा है, उसे और समृद्ध किया जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक का योगदान देखने को मिल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ-साथ देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ की गई। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया।

शोध प्रविधि

किसी भी राष्ट्र का सर्वांगण विकास वहां की सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आधुनिक शिक्षा विषय के अंतर्गत किसी भी महत्वपूर्ण शोध बिंदु पर शोध कार्य का प्रत्यक्ष संबंध समाज एवं शिक्षा से होने के कारण

महत्वपूर्ण होता है। शोध कार्य के प्रत्येक चरण को सटीक और प्रमाणित बनाने के लिए शोध की एक विशिष्ट प्रविधि का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत विषय आधुनिक शिक्षा का शोध विषय है जिसके लिए ऐतिहासिक एवं आधुनिक शोध प्रविधि को अपनाया गया।

प्रभावी अध्ययन के लिए शोध पत्र से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के स्रोत विभिन्न रिपोर्ट्स “प्योर्स नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन आगरा”, “ए. पी. एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन नई दिल्ली”, “नई शिक्षा नीति 2020 शासकीय रिपोर्ट्स गजेटियर, सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय रायपुर, महानदी भवन शासकीय ग्रंथालय रायपुर, आधुनिक शिक्षा नीति से संबंधित समय-समय पर प्रकाशित समाचार पत्र, पत्रिका, प्रकाशित दस्तावेज आदि को अध्ययन में शामिल किया गया है तथा इसे अपने शोध पत्र में संकलित किया गया है।

भारत में उच्च शिक्षा की संरचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 3 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। मंत्रालय ने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की है। शिक्षा से जुड़े मामलों में शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा विभाग हैं। उच्च शिक्षा विभाग के घटक विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, भाषा शिक्षा है।

1. विश्वविद्यालय आयोग 1902

लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करने उन पर विचार करने तथा कार्य में सुधार करने आदि के लिए 27 जनवरी 1902 में टामस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनाया गया।

2. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905

वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसके साथ ही कई अन्य संस्थाओं की स्थापना हुई जिसमें एक स्वतंत्रता के पश्चात जाधवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्री रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन विद्यापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह एक शिक्षा केंद्र है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति का प्रसार करना था।

3. कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917

वर्ष 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की:

- इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक की जाए।
- इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए।
- स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हो।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए तथा एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो।
- महिला शिक्षा पर बल दिया जाए तथा औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा सुविधा की जाएगी।

वर्धा शिक्षा योजना 1937

गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुति योजना के आधार पर मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई इस योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो।

- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं भी बन सके।
- छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा मिले।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने कई प्रकार की समितियों एवं आयोग का गठन किया तथा समिति एवं आयोग की सिफारिश ने भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

1. राधाकृष्णन आयोग वर्ष 1948

विश्वविद्यालय ने शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की।

- विश्व विद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन।
- विश्व विद्यालय में परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए जो 11 सप्ताहों के 3 सत्रों में विभाजित होनी चाहिए।
- उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए सामान्य, सरकारी शिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
- प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की वेतन में वृद्धि की जाए।

वर्ष 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाएगा। इस तरह 28 दिसंबर 1953 ई. को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। इसके बाद 1956 में यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधि के तहत सरकार के अधीन लाया गया और औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया।

- विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उस को बढ़ावा देना।
- विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण।
- शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन।
- विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान वितरण।
- उच्च शिक्षण संस्थानों संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक कड़ी का कार्य करना।
- विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देना।

यूजीसी समय-समय पर विश्वविद्यालयों में उपकुलपति प्राध्यापक और अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता निर्धारण का कार्य भी करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले विशेष अधिकारियों, प्राध्यापकों आदि के वेतन निर्धारण में दिशा-निर्देश जारी करता है।

यूजीसी ने विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों का मॉडल पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसी विश्वविद्यालय में नए भर्ती हुए प्राध्यापकों के लिए फ़ैकल्टी डेवलपमेंट या रिफ़्रेशर कोर्स भी आयोजित करवाता है। केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

1. नई शिक्षा नीति में 534 डिजाइन वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया।
2. 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
3. तीन वर्ष का प्रीपेरेटरी स्टेज।
4. तीन वर्ष का मध्य या उच्च माध्यमिक चरण ग्रेड 6 ,7, 8 वीं।
5. वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण ग्रेड 9 ,10, 11 ,12 वीं।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके द्वारा 2028 तक कक्षा उच्चतर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषागत विविधता का संरक्षण

- नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा आठ और आगे की शिक्षा के लिए प्रमाणिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा

विद्यालयों में सभी स्तर पर छात्रों को बागवानी नियमित रूप से खेलकूद, योग, नित्य मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

1. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान व्यवसाय तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
2. कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
4. छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समस्या या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र।
6. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षण की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 20-21 तक शिक्षक के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर 50 तक का करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई चीजों को जोड़ा जाएगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक विजिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुसार डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए 11 एडमिट बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम. फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए काम, विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण उपयुक्त प्रयोग की आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिता मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगी।
- डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग प्रतियोगी की इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयक का कार्य करेगी।
- पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली है जिसमें जनजाति एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।
- आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक व जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा।
- देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा

में एक जेंडर इंकलूजन फंड की स्थापना करेगा।

- 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति की उपलब्धियां

शिक्षा किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है जिससे व्यक्ति के साथ-साथ संपूर्ण राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। भारत में अंतिम शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी तथा उस नीति में 10236 संरचना को पूरे देश में लागू किया गया था। लगभग 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया जिसमें 21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस शिक्षा नीति में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञानी समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है।

1. **महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहन:** शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जिज्ञासा की भावनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करती है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत की शिक्षा के महान केंद्र तक्षशिला और नालंदा के समय के गौरव को हासिल किया जा सकता है।
2. **सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना:** सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक समतामूलक और जीवंत रूप में शिक्षित समाज विकसित करने की सोच का निर्धारण यह नई शिक्षा नीति करती है।
3. **नवाचार को प्रोत्साहन तथा तार्किक निर्णय लेना:** उच्च शिक्षण संस्थानों पर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की अधिक जिम्मेदारी है। इन संस्थानों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों का पालन करेगी। नई शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों में तार्किक निर्णय लेने तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को समाहित करना है।
4. **छात्र व शिक्षक के मध्य अंतर्क्रिया की अवधारणा:** छात्र शिक्षक के मध्य एक मुक्त वार्तालाप अंतर क्रिया की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा गया कि भागवत गीता कृष्ण अर्जुन जैसा संवाद शिक्षा में मुक्त संचार को पैदा करेगा।
5. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में एनसीसी कोर्स:** नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं आईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालय में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एनसीसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्त बन पाएंगे।
6. **शिक्षा में प्री प्राइमरी भी शामिल:** शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच यह निर्णय लिया गया है कि समग्र शिक्षा में अगले वर्ष से प्री प्राइमरी को भी जोड़ा जाएगा और यह एक बहुत बड़ी पहल है। कोरोना वायरस के चलते स्कूल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा मजबूत बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. **स्कूल बैग का वजन तथा होमवर्क कम किया जाएगा:** नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कई नई शिक्षा पद्धति लाई गयी जिसमें की शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक से 10 कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके वजन से 10 प्रतिशत ही होना चाहिए। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत विल कैरीबैग लाना बच्चों के लिए मना किया गया है। सभी विद्यालय में एक डिजिटल वेटिंग मशीन रखी जाएगी जिससे कि सभी बच्चों के स्कूल बैग का वजन मॉनिटर किया सकेगा।
8. **छात्र को वित्तीय सहायता:** नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20-21 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि बच्चे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो और उनकी प्रगति हो। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी प्रोत्साहित

किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें।

- 9 **अध्यापक शिक्षा:** छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है।
- 10 **व्यावसायिक शिक्षा:** हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उसमें से अट्ठारह या 21 वर्ष के लगभग 5 प्रतिशत से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करते हैं जबकि अन्य देशों में यह संख्या 50 से 75 प्रतिशत तक है। व्यावसायिक शिक्षा को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके।
- 11 **नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम:** नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20-21 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। केवल इतना ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा जो अनिवार्य है। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक रूप आदि से भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 12 **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना:** नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से भारत में शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे नई-नई रिसर्च सामने आएगी जो देश की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।
- 13 **नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड का अंत:** इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का महत्व घटाया गया जिससे कि बच्चों के अंतर्मुख में तनाव में कमी आएगी। अब बोर्ड की परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति की चुनौतियाँ

1. **राज्यों का सहयोग:** शिक्षा का एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड है इसलिए इस कौशल के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही सिर्फ नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्य द्वारा विरोध हो सकता है।
2. **महंगी शिक्षा:** नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. **शिक्षा का संस्कृतिकरण:** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य

1. भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना।
2. शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

सुझाव

1. योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लिए साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।
2. इस योजना के माध्यम से सभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य को नई शिक्षा नीति को समझने में मदद प्राप्त होगी।

3. सार्थक योजना की रूपरेखा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है।
4. देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में बनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस योजना को जारी किया गया।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जन्म जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20-20 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अंतर्गत रखा गया है।

34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 36 वर्ष की आयु सीमा को सर्वभौमिक बनाया है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

ऐसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया जिससे व्यवसायिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों को सहयोग प्रदान करना, विदेशी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना करना, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूल बैग का वजन तथा होमवर्क कम किया जाएगा। शिक्षा में प्री प्राइमरी भी शामिल किया गया।

संदर्भ सूची

1. गोवल. जे.एस., "वोकेशनल एनवायरमेंट एंड एजुकेशन", प्योर्स नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा।
2. राव, बी. के., "वोकेशनल एजुकेशन", ए. पी. एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली।
3. गोवर, यशपाल, "आधुनिक भारत का इतिहास", एस चन्द प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास, भारत सरकार, "नई शिक्षा नीति 2020", शासकीय रिपोर्ट्स, नई दिल्ली।

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अध्यापक शिक्षा

मीना पाण्डेय,

सहायक प्राध्यापक

सन्दीपनी एकेडमी, अछोटी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

सार

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है। नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक परीक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है।

एन. ई. पी. 2020 में शिक्षकों की शक्ति को स्वीकार करते हुये उसमें प्रणालीगत सुधार किए हैं और शिक्षक शिक्षा के मामले में कई नीतिगत बदलावों को सामने रखता है। शिक्षक बनने के लिए 2030 तक चार वर्षीय बेचलर ऑफ एजुकेशन न्यूनतम आवश्यकता होगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा 2021 तक, शिक्षकों के लिए 2022 तक फ्रेम किया जायेगा और एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नीति तैयार किया जायेगा जो पदोन्नति और वेतन वृद्धि का आधार होगा।

एक की शक्ति

हमारा जनसांख्यिकीय आकार और चर हमें पराजित कर सकते हैं, हालांकि, यह एक सामान्य कारक है जो ज्वार को मोड़ सकता है और एक प्रगतिशील, लचीली, बहु-विषय प्रौद्योगिकी और कौशल केन्द्रित शिक्षा प्रणाली बनने के लिए भारतीय प्रणाली को लक्ष्यहीनता और अनभ्यता के वर्तमान दलदल से बाहर निकाल सकता है, जिसमें कुशल, रोजगार योग्य और नैतिक शिक्षार्थी पैदा करने की क्षमता होगी। यह सामान्य कारक है— शिक्षक। कोठारी आयोग, 1966 ने कहा, "शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न कारकों में से गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र शिक्षकों की संख्या निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण है।", एनईपी 2020 भी प्रोत्साहित करता है। शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, और इसलिए, हमारे राष्ट्र का भविष्य, जिसका अर्थ है कि शिक्षक अपनी कक्षाओं में मानव संसाधन की उच्च गुणवत्ता बनाकर राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनईपी 2020 ने भारतीय कक्षाओं में खराब परिणामों के लिए शिक्षकों को दोष देने के बजाय, शिक्षकों को सशक्त बनाने और इस पेशे के लिए, उच्च सम्मान और स्थिति बहाल करने के लिए नई सुधारों का प्रस्ताव करता है।

अध्यापक शिक्षा

- अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, और परंपराओं जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहें।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा. आयोग (2012) के अनुसार, स्टैंड-अलोन टीईआई, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं,

बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं, और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

- शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, नियामक प्रणाली को, उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात्, कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2030 तक, केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।
- चूंकि, अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक / बहु-विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी बड़े बहु-विषयक विश्व विद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें, जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिकाविज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें भी 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।
- वर्ष 2030 तक बहु-विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित कम्प्यूटर विज्ञान, रसायनविज्ञान, अर्थशास्त्र, आदि में एक समग्र ड्युअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक-शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों / लोकाचार / कला / परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल होगा। 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, के लिए अपने परिसर में 2-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, के लिए 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4-वर्षीय, 2-वर्षीय और 1-वर्षीय, बी.एड. कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी।
- अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन

जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा, आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।

- शिक्षक शिक्षा के लिए एकसमान मानकों को बनाए रखने के लिए, पूर्व-सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय ओर योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा, और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।
- शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा, लेकिन शिक्षण/फील्ड/शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। सीधे-सीधे विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों (जैसे, मनोविज्ञान, बालविकास, भाषाविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान) के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों की बहु-विषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मज़बूती प्रदान की जा सके।
- सभी नए पीएच-डी. प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें, से अपेक्षित होगा कि वे अपनी डोकटोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएच-डी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली, और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधि/संचारक बनेंगे। पीएच-डी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। देशभर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएच-डी. कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनरुन्मुखीकरण किया जाएगा।
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत् व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा। हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके।
- सहाल (मेंटरिंग) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ/सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

निष्कर्ष

बेजामिन डिसरायली ने कहा था, 'सफलता का रहस्य यह है कि जब अवसर आये तैयार रहना।' भारतीय शिक्षकों के लिए अवसर का लाभ, उनके और अपने भाग्य का निर्माता बनने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मेहनत करे और एक जागरूक, उत्साही सशक्त व्यवसायी बने, अपने विचार साक्षा करे, प्रयोग और शोध करके आगे बढ़े। अपने साथियों के विचारों, विश्वासों और अनुभवों से भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करे। शिक्षार्थियों की पीढ़ियों के साथ सुंदर संबंध बनाकर अपनी यात्रा का आनंद ले, जो आपनी कक्षाओं के माध्यम से परिवर्तन होते हैं और जीवन भर सीखने वाले बने रहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. <https://wiki.pedia.org>
2. <https://timesofindia.Indiatimes.co>.
3. <https://www.education.gov.in>

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव— हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के संदर्भ में

मोनिका चौबे,

पी.एच.डी. शोधार्थी,

मैट्स स्कूल ऑफ एजुकेशन,

मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

शिक्षा के माध्यम से मनुष्य पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में, व्यवस्थित एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास तथा राष्ट्र के विकास में मूलभूत आधार प्रदान करता है। सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समानता, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक प्रगति एवं संस्कृति का संरक्षण, हमारे भारत देश की निरंतर प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा वह साधन है, जिससे देश की प्रतिभाओं और संसाधनों का उचित विकास हो सकता है, जिससे व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में युवा जनसंख्या हमारे समक्ष होगी। अतः इन युवाओं को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर प्रदान कर देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में गुणवत्ता, समानता एवं सुधार लाने की बात कहती है। वर्तमान समय में तीव्रता से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन नवीन परिवर्तनों एवं परिस्थिति के साथ सामंजस्य करने समस्या समाधान करने, तार्किक एवं रचनात्मक सोच को विकसित करने की योग्यता तथा अभिवृत्ति छात्रों में लानी है। हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थी भावी पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि देश को समृद्ध एवं प्रगतिशील बनाना है तो इस स्तर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। यह नीति साक्षरता के साथ-साथ उच्च स्तर की ज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास, नैतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न विषयों के बीच अंतर्संबंध, छात्र केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया, समग्रता सक्षमता लाने वाली शिक्षा एवं लचीली शिक्षण पद्धति देखने को मिलती है। अतः भविष्य में हाई स्कूल स्तर के साथ ही अन्य स्तर की शिक्षा पर इस नीति के प्रभाव देखने को मिलेंगे।

सांकेतिक शब्द

हाई स्कूल स्तर, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र।

प्रस्तावना


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य 21 वीं सदी में हमारे देश के विकास हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इससे पूर्व वर्ष 1968 व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बदले में कार्य करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति का गठन जून 2017 में किया गया एवं मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरी रंगन (पद्म विभूषण) थे, इसलिए इस समिति को कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जाना जाता है जिसे 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिली। यह शिक्षा नीति सभी स्तरों की शिक्षण व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम में सुधार करने का सुझाव प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा नीति हाई स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, शैक्षिक विकास एवं उनकी अभिवृत्ति को प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। यह शिक्षा नीति वर्तमान में प्रचलित 10+2 शैक्षिक संरचना के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली में विभाजित करने की बात कहती है, जिसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस नीति

में प्रारंभिक बाल्यावस्था को मजबूत नींव प्रदान करती है, जिससे आगे चलकर बच्चों का उचित विकास एवं योग्यताओं का निर्माण हो। इस शिक्षा नीति में 27 बिंदु हैं जिसे 4 भागों में विभाजित कर विस्तृत विवरण दिया गया है।

- भाग I स्कूल शिक्षा।
- भाग II उच्चतर शिक्षा।
- भाग III अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे।
- भाग IV क्रियान्वयन की रणनीति।

प्रस्तुत अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 1 स्कूल शिक्षा में अंतर्गत हाई स्कूल स्तर की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है।

भाग I स्कूल शिक्षा वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था 10 +2 में बदलाव कर पाठ्यक्रम एवं शिक्षणशास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की, नवीन शैक्षिक संरचना को प्रस्तावित किया।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। आरंभ से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में उन सभी बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया

है जिससे विद्यार्थियों में उच्च मानसिक योग्यता एवं शैक्षिक विकास हो, साथ ही उनकी अभिवृत्ति वैज्ञानिक हो।

NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कर वैश्विक स्तर पर लाना है।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा में समानता, गुणवत्ता, सभी की पहुँच के अनुरूप एवं उत्तरदायित्व पूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है।
2. विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन एवं कौशलों के विकास विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की कमी को दूर करते हुए देश को शक्तिशाली रूप में स्थापित करना है।
3. इस शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तर्क संगत निर्णय तथा नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करती है, जो हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
4. इस नीति का उद्देश्य शिक्षण प्रणाली में सुधार करना है। पहले कक्षा 11 वीं से विषय का चयन किया जाता था, अब विद्यार्थी कक्षा 9 वीं से विषय का चुनाव कर सकेंगे। कक्षा 9 वीं से 12 वीं की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहन समझ एवं विश्लेषणात्मक योग्यता को बढ़ावा देकर जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
5. परीक्षण एवं मूल्यांकन पद्धति में बदलाव कर वर्ष में दो बार अर्थात् सेमेस्टर प्रणाली द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ पद्धति में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत

शिक्षण पद्धति का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास करना है, जो तार्किक विचार, करुणा, सहानुभूति, योग्यता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता आदि गुणों का विकास करती है।

इस शिक्षा नीति के आधार पर मूलभूत सिद्धांत जो हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन करेंगे जो निम्नलिखित है:

1. प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट क्षमता होती है, इन क्षमताओं की पहचान कर विकास करना।
2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विद्यार्थियों में विकसित करना।
3. शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाना।
4. बहु विषयक एवं समग्र शिक्षा का विकास करना।
5. रचनात्मकता एवं तर्क शक्ति जैसे गुणों को विकसित करना।
6. शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता लाना।
7. विद्यार्थियों को भारत की संस्कृति से जोड़ना।
8. विद्यार्थियों को अनुशासन सीखाना एवं उन्हें सशक्त बनाना।
9. शिक्षा नीति में पारदर्शिता लाना।
10. शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी के यथासंभव प्रयोग पर बल देना।
11. मूल्यांकन पर जोर देना।
12. बहु-भाषिकता एवं भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना।
13. विद्यार्थियों में नैतिकता, मानवीयता आदि गुणों का विकास करना।
14. शिक्षा के सभी स्तर में आपसी तालमेल।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा के घटक हाई स्कूल के संदर्भ में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारतीय मूल्यों द्वारा विकसित शिक्षा प्रणाली है जिससे सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाकर भारत को वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली देश के रूप में लाना है। इसके लिए आवश्यक है कि हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में ज्ञान, योग्यता, कौशल, मूल्यों एवं सोच को विकसित करना होगा जिससे वे वैश्विक स्तर के नागरिक बन सकें।

1. ड्रॉप आउट रेट कम करना एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत करने का एक मुख्य उद्देश्य ड्रॉपआउट रेट में कमी करना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा पद्धति को लचीला बनाया जाएगा, जिससे बच्चे सरलता से शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो साथ ही बच्चे उन विषयों का चयन करें जो वे पढ़ना चाहते हैं। हाई स्कूल स्तर के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा हेतु अपने पसंद के विषयों का चुनाव कर योग्य एवं सक्षम बन सकें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विषय के चयन के लिए विकल्प को लचीला रूप दिया गया है जिससे ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी। वर्ष 2017-18 के NSSO के 75 वें हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6-17 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या 3-22 करोड़ है। इन बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली से जोड़ना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी इस नीति के अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच एवं अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाएगा।

2. 5+3+3+4 की नवीन संरचना में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र का पुर्नगठन

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा की रूपरेखा को 5 + 3 + 3 + 4 के स्कूली पाठ्यक्रम में लाया जाएगा। हाई / हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर चार साल के बहु विषयक अध्ययन को सम्मिलित किया जाएगा, जो इस स्तर के विषय उन्मुख शिक्षाक्रम एवं शिक्षण शास्त्र पर आधारित होंगे। यदि किसी छात्र की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में कक्षा 11-12 वीं में अन्य कोर्स के चयन के विकल्प होंगे।

3. विद्यार्थियों को समग्र विकास

सभी स्तर पर पाठ्यचर्या एवं शिक्षा विधि का मुख्य केन्द्र बिंदु, रटने की पद्धति से अलग कर वास्तविक समझ एवं ज्ञान की ओर ले जाना है। हाई स्कूल स्तर पर इस तरह की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों को विषय का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार विद्यार्थियों की अभिवृत्ति वैज्ञानिक होगी एवं उनकी मानसिक योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनमें कौशलों के विकास के साथ साथ मूल्यों को आत्मसात किया जाये जिससे उनके शैक्षिक विकास के साथ ही सर्वांगीण विकास भी होगा।

4. आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को कम करना

प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को कम करके बहुत ही बुनियादी चीजों को केन्द्रित किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण, चर्चा, खोज आधारित अधिगम के लिए ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु नयी नीति के अनुसार विचारों, अनुप्रयोगों, समस्या समाधान, प्रोत्साहन, योग्यतापरक शिक्षा पर केन्द्रित होगी। कक्षा में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, खोजपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों में गहन समझ एवं सीखने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। हाई स्कूल स्तर पर इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने पर विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता को विकसित किया जा सकता है।

5. कोर्स चयन विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना

हाई स्कूल स्तर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए लचीलापन एवं विषयों के चयन के लिए विकल्प दिये जाएंगे। इस स्तर पर शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प तथा व्यवसायिक विषय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अध्ययन के साथ-साथ अपनी जीवन की योजनाओं के लिए पथ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो

सकेंगे। गणित, विज्ञान, मानविकी के अतिरिक्त भौतिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, व्यवसायिक कौशल जैसे विषयों को प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए रुचिपूर्ण तरीके से पूरे स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।

6. मूल्यांकन संबंधी परिवर्तन

विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी परंतु वर्तमान प्रणाली में सुधार किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा जिससे रटने के बजाए मुख्य रूप से योग्यताओं का आंकलन किया जाएगा। इस नीति में भविष्य में सेमेस्टर प्रणाली विकसित की जा सकती है। कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को दो भागों में तैयार किया जायेगा जिसके एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा दूसरे भाग में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक स्तर की शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस स्तर की शिक्षा के लिए स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षणशास्त्र में परिवर्तन लाकर विद्यार्थियों के हित के लिए सोचा गया। इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, अभिवृत्ति में परिवर्तन तथा मानसिक योग्यता को विकसित कर उनका समग्र विकास किया जा सकता है। इस नीति के अंतर्गत कोर्स के चुनाव में लचीलापन लाया गया है जिसके माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव लाकर विद्यार्थियों के मन से परीक्षा के डर को कम किया जा सकता है। नयी शिक्षा नीति 2020 शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार लेकर आयेगा जिससे छात्रों की मानसिक योग्यता तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षण पद्धति में बदलाव लाने के लिए यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके प्रभाव भविष्य में हाई स्कूल स्तर की शिक्षा में भी देखने को मिलेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ-क्र. 3-30
2. <https://www.drishtias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/new-education-policy>
3. <https://pmmodiyojana.in/national-education-policy/>
4. <https://www.hindi.rajras.in/nayi-rashtriya-shiksha-neeti-2020/>

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

रेखा यादव,

सहायक प्राध्यापक

कोलंबिया कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल एवं कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति 2020 आरंभ की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में सरकार के माध्यम से पुरानी शिक्षा नीति में काफी सारे संशोधन किए गए हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

व्यवसाय को शिक्षा से जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो और इसके साथ ही साथ उस विषय विशेष की शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाए। देश के विकास में उस देश की शैक्षिक व्यवस्था का बहुत महत्व होता है। अगर वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय दिलाना और जीविका उपार्जन योग्य बनाना हो तो उस देश का विकास निश्चित होता है। जब वह शिक्षा व्यवसाय शिक्षा को वर्तमान शिक्षा की गुणवत्ता के ध्यान में रखते हुए जरूरी है, कि शिक्षा को पूर्णतः व्यवसायिक शिक्षा में परिवर्तित किया जाए। व्यवसायिक शिक्षा छात्रों को व्यवसाय चुनने में ही सहायक नहीं है, अपितु इसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है। आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है, कि शिक्षा को छात्रों के अनुरूप बनाया जाए जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार क्षमता को बढ़ावा और उनकी रुचि के अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, शिक्षा के शुभ अवसरों में विभिन्नता लाना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना, उद्देश्य एवं रुचि विहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना, अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित को तैयार करना व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य है।

परिचय

हमारे देश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में 34 साल बाद देश को एक नई शिक्षा नीति हासिल हुई। साल 2020 में वित्तीय बजट के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति को बदला जाएगा। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए 2030 के अनुकूल और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की जरूरत के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक लचीला बनाते हुए देश को एक जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाना व इसके लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सर्वभौमिकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में सरकार के माध्यम से पुराने शिक्षा नीति में काफी सारे संशोधन किए गए हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा। राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% जी.ई.आर. के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सावैभौमिकरण किया जाएगा। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परन्तु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जायेगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र में शामिल था, जिससे कि बच्चों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

व्यवसायिक शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यवसायिक शिक्षा कहलाती हैं। परंतु वास्तव में इसका अर्थ इससे अधिक व्यापक है। व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत राष्ट्र शिक्षा आयोग 1964-67 के सुझाव द्वारा हुई, जिस आधार पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने अपनी मंजूरी प्रदान की और यह शिक्षा का एक माध्यम बन गई। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 से 1995 तक प्लस 2 कक्षा के 25% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु इसे दूरस्थ शिक्षा में भी सम्मिलित किया गया। भारत देश में छात्राओं की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक परिषद् के निर्माण की बात कही गई, जो व्यवसायी शिक्षा के क्रियान्वयन नीति निर्माण की योजना बनाई गई इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त व्यवसायिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। यह परिषद् व्यवसायिक पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु नीति का निर्माण करती है, और उनके क्रियान्वयन हेतु विद्यालय को मंजूरी प्रदान करती है।

व्यवसायिक शिक्षा

हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। इनमें से 18 से 24 आयु वर्ग के लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य देशों में यह संख्या 50% से 75% तक है। व्यवसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। व्यवसायिक शिक्षा को हमारे देश में कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। इस नीति के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक धारणाओं को दूर करना है, और अधिक से अधिक छात्रों तक व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा देने का निर्धारण किया गया है। राधाकृष्णन आयोग 1995 व्यवसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम पूर्व और उत्तर दायित्व सेवा के लिए अपने को योग्य बनाते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

1. छात्रों को व्यवसाय परक बनाना जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके।
2. छात्रों में जीविका उपार्जन करने की क्षमता का विकास करना, जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का भली-भांति निर्वाह कर सकें।
3. राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को मंजूरी प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।
5. शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देना।
6. छात्रों में आत्मविश्वास लाना।
7. शिक्षा के अवसरों में विभिन्नता फैलाना।
8. कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना।
9. निरुद्देश्य एवं रुचिविहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना।
10. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना।
11. प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उनकी रुचि अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

व्यवसाय को शिक्षा से जोड़ना अनिवार्य है व उनके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो। उस विषय की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाए। उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों का विषय सोच विमर्श चर्चा अनुसंधान और नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि, व्यवसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकि विषय से प्रतिज्ञा अलग ना रहे।

इस प्रकार व्यवसायिक विकास की शिक्षा समग्र कुछ शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। कृषि विश्वविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य विषयों Stand & Alone विश्वविद्यालय का उद्देश्य अपने आपको बहुविषयक संस्था के रूप में विकसित करना हो। व्यवसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्था वर्ष 2030 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था समूह बनने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे।

कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय में कृषि और विज्ञान तकनीकी नवीन अनुसंधान और तकनीकी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता गुणवत्ता दोनों को बाहर बेहतर किया जाए। शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशु चिकित्सा, विज्ञान से जोड़े, कृषि शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ें।

विविध शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संविधानिक मूल्यों से संबंधित बनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र कानून के शासन और मानव अधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। विविध शिक्षा पाठ्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के साथ-साथ सक्षम आधारित तरीके से इतिहास न्याय के सिद्धांत ने शास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रम की अवधि, संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली को एकीकृत होना चाहिए। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक की बुनियादी समझ होनी चाहिए।

तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्य संदर्भ शामिल है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग प्रौद्योगिक प्रबंध वास्तविक टाउन फॉर्मसी होटल प्रबंधन पेंटिंग आदि भारत के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें युवाओं के लिए रोजगार संवर्धन हेतु स्रोत तक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

संदर्भ सूची

1. राओ.बी.के. (2003), वोकेशनल एजुकेशन ए.पी.एच.पब्लिशिंग कारपोरेशन न्यू देहली.
2. मिश्र अरुण कुमार (1986), शिक्षा का व्यवसायीकरण भारतीय आधुनिक शिक्षा.
3. <https://www.education-gov-in>, <https://sst.master-com>

-----:-----

इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. संगीता सराफ,
शोध निर्देशक, सहा-प्राध्यापक
मैट्स स्कूल ऑफ एजुकेशन
मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

संध्या मोहबे,
शोधार्थी
मैट्स स्कूल ऑफ एजुकेशन
मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

“विद्या मित्रं प्रवासेतु भार्या मित्रं गृहे शुच ।
व्याधितस्तौश्रधं मित्रं धर्मो मित्रं मतस्य च ॥”

शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदतों, आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परंपराओं आदि सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार हस्तारित करता है, कि उसके हृदय में देश-प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है।

आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक प्रश्न वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, मोबाइल इंटरनेट आदि का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को तकनीकी से निकट लाता जा रहा है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हम जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे वह करके सीखने पर बल देती है और हमारी नई शिक्षा-नीति का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को शिक्षा खेल के माध्यम से दे तथा साथ ही सीखने पर बल देती है।

बालक की शिक्षा के लिए दार्शनिक जॉन डीवी के विचार भी यही है कि बालक करके सीखे शिक्षक को भाषण के द्वारा अपने विचार बालक के कान में नहीं भरने हैं, बल्कि उसे ऐसे काम करने को देने हैं जिससे विभिन्न शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके।

इसी प्रकार फ्रोबेल की खेल प्रणाली विधि जिसे हम किंडर गार्डन प्रणाली तथा मूरिया माश्टसरी की विभिन्न विधि भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं।

उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं, आज हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटरनेट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का एक ऐसा सस्ता और आसान साधन बन गया कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति इसका बेहतरीन उपयोग कर सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग निम्नलिखित माध्यमों के रूप में देखा जा सकता है:

- ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में।
- नौकरी प्राप्त करने में।
- प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता पाने में।
- इलर्निंग के रूप में।
- कम्प्यूनिकेशन के क्षेत्र में।
- कम्प्यूटर के रूप में।

उच्च शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग

आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशलों में वृद्धि हो रही है, जैसे—ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ाई, दूरवर्ती शिक्षा, टेलीकांफ्रेंसिंग, एम. लर्निंग, ऑनलाइन प्रलेख वितरण सेवाएँ, प्रकाशन में इंटरनेट, ई-प्रकाशन, डिजिटल पुस्तकालय इत्यादि।

सांकेतिक शब्द:

अधिगम – सीखना (इंटरनेट के माध्यम से), व्यक्तित्व – व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमान।

प्रस्तावना

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जन्म के समय बालक अबोध होता है। उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है, शिक्षा द्वारा उसकी इन मूल प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन प्रदान कर उसे परिपक्वता प्रदान किया जा सकता है। बालक को वर्तमान जीवन को समझने व परखने की शिक्षा देती है तथा भविष्य में समाज में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने तथा समाधान निकालने की सूझ-बूझ उत्पन्न करती है तो इंटरनेट शिक्षा अनिवार्य है। इंटरनेट के द्वारा प्राप्त शिक्षा से हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रशिक्षित भी करती है। इंटरनेट के माध्यम से अधिगम बालक के लिए आसान हो जाता है और अधिगम करके बालक अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकाल सकता है।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

सम्बंधित शोध साहित्य का अध्ययन शोध कार्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं पृथक प्रक्रिया है। सम्बंधित शोध साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता को पूर्व में हुए शोध कार्य के लिए नई दिशा मिलती है। सम्बंधित शोध अध्ययन से शोधकर्ता को अपने शोध कार्य के लिए रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। सम्बंधित शोध साहित्य के अध्ययन के अभाव में शोधकार्य दिशाहीन होगा। अतः शोध कार्य के लिए सम्बंधित शोध साहित्य का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

- 1) प्रहलाद एन. एन (1982) ने जूनियर कालेज के विद्यार्थियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर, मानसिक योग्यता एवं व्यक्तित्व समायोजन का अनेक नैतिक निर्णय के साथ सहसम्बंध विषय पर अध्ययन किया।
निष्कर्ष में पाया कि भारतवर्ष के कनिष्ठ महा-विद्यालयी छात्रों और संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के नैतिक निर्णय में सार्थक अंतर है।
- 2) सिंह के वल (1992) ने विभिन्न प्रतियोगिता में बाक्सर खिलाड़ियों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व का अध्ययन किया।
निष्कर्ष में पाया कि सभी खिलाड़ियों का व्यक्तित्व विभिन्न प्रतियोगिताओं में अलग रहता है लेकिन शारीरिक स्वस्थता में समानता पाई गई।
- 3) लीला ए.वी.एस. (1998) ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों में व्यक्तित्व लक्षणों के संदर्भ में धार्मिकता व समायोजन का अध्ययन किया।
निष्कर्ष में पाया उच्च तथा निम्न धार्मिक समूह नियंत्रण की अवस्थिति पर असमानताएँ पाई गई हैं।
- 4) मिश्रा फलाना (2016) ने रीवा जिले के माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का समीक्षात्मक अध्ययन किया।

निष्कर्ष में पाया विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों के संचालन से व्यक्तित्व विकास होता है।

5) डॉ परिहार मृगेन्द्र (2018): ने सीधी जिले के छात्राध्यापकों के व्यक्तित्व विकास में अध्यापक, शिक्षक की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में पाया कि:

(अ) ग्रामीण तथा शहरी अध्यापकों के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर है।

(ब) छात्राध्यापकों के व्यक्तित्व विकास में अध्यापक शिक्षक की भूमिका में सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया।

उद्देश्य

उद्देश्यविहीन कार्य का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही करते हैं इसलिए शोधकर्ता के लिए शोध कार्य करने हेतु अध्ययन का उद्देश्य जानना आवश्यक होता है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य निम्न हैं:

- 1) राजनांदगाँव जिले के विद्यालयों में इंटरनेट का विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- 2) राजनांदगाँव जिले विद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोध कार्य में परिकल्पना की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परिकल्पना की सहायता से शोधकर्ता को तर्कसंगत आकड़ों के संकलन से सही दिशा मिलती है।

परिकल्पना क्रमांक **H1 (1)**: राजनांदगाँव जिले के विद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

परिकल्पना क्रमांक **H2 (2)**: राजनांदगाँव जिले के विद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

परिकल्पनाओं की पुष्टि

H1 राजनांदगाँव जिले के विद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

तालिका 4.1 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 58.8% विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम उच्च स्तर का है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 22 % विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम मध्यम स्तर का है, जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 19.2 % विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम निम्न स्तर का है। गणना किये गये $\chi^2(df=2) = 146.51, p < .01$ से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बहुसंख्यक विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम उच्च स्तर का है।

इस परिणाम के परिपेक्ष्य में परिकल्पना क्रमांक **H1** स्वीकार नहीं है।

तालिका क्रमांक 4.1: इंटरनेट के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अधिगम का विश्लेषण

इंटरनेट के माध्यम से अधिगम की श्रेणियाँ	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी		
	संख्या	प्रतिशत	
उच्च(14-23 अंक)	294	58.8	$\chi^2(df=2)$ =146.51, $p<.01$
मध्यम(8-13 अंक)	110	22.0	
निम्न(0-7 अंक)	96	19.2	
कुल	500	100.0	

$X^2(df = 2) = 5.99$ at .05 level and 9.21 at .01 level.

तालिका 4.1 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 58.8% विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम उच्च स्तर का है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 22% विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम मध्यम स्तर का है, जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 19.2% विद्यार्थियों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम निम्न स्तर का है।

H₂: राजनांदगांव जिले के विद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

तालिका 4.2 के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से उच्च अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी, इंटरनेट के माध्यम से मध्यम स्तर अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में बहिर्मुखी व्यक्तित्व के थे, जिसकी पुष्टि समूहों के मध्य में मध्यमान अंतर 5.21 से भी .05 के सार्थकता स्तर पर हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से उच्च अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी, इंटरनेट के माध्यम से निम्न स्तर का अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में बहिर्मुखी व्यक्तित्व के थे, जिसकी पुष्टि समूहों के मध्य में मध्यमान अंतर 2.78 से भी .05 के सार्थकता स्तर पर हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से मध्यम तथा निम्न स्तर का अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक भिन्नता नहीं पायी गयी जिसके पुष्टि मध्यमान अंतर 2.42 ($p>.05$) से होती है। अतः तालिका 4.2 में दिये परिणामों के संदर्भ में परिकल्पना क्रमांक H₂ स्वीकार नहीं है।

तालिका क्रमांक 4.2: इंटरनेट के माध्यम से उच्च, मध्यम तथा निम्न अधिगम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर मध्यमान अंतर का आंकलन

Mean I	Mean J	Mean difference
इंटरनेट के माध्यम से उच्च श्रेणी का अधिगम	इंटरनेट के माध्यम से मध्यम श्रेणी का अधिगम	5.21*
	इंटरनेट के माध्यम से निम्न श्रेणी का अधिगम	2.78*
इंटरनेट के माध्यम से मध्यम श्रेणी का अधिगम	इंटरनेट के माध्यम से निम्न श्रेणी का अधिगम	-2.42*

तालिका क्रमांक 4.2 से निम्नलिखित भिन्नताओं की पुष्टि हुई:

- इंटरनेट के माध्यम से उच्च अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी, इंटरनेट के माध्यम से मध्यम स्तर का अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक बहिर्मुखी व्यक्तित्व के थे, जिसकी पुष्टि समूहों के मध्य के मध्यमान अंतर 5.21 से भी .05 के सार्थकता स्तर पर हो रही है।
- इंटरनेट के माध्यम से उच्च अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी, इंटरनेट के माध्यम से निम्न स्तर का अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक बहिर्मुखी व्यक्तित्व के थे, जिसकी पुष्टि समूहों के मध्य के मध्यमान 2.78 से भी .05 के सार्थकता स्तर पर हो रही है।
- इंटरनेट के माध्यम से मध्यम तथा निम्न स्तर का अधिगम दर्शाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक भिन्नता नहीं पायी गयी जिसकी पुष्टि मध्यमान अंतर 2-42 ($p > .05$) से होती हैं।

अतः तालिका 4.2 में दिये परिणामों के संदर्भ में परिकल्पना H₂ अंशतः स्वीकार्य है।

विधि

प्रस्तुत शोध में समस्या से जुड़े तथ्य की जानकारी हेतु अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रतिदर्श पूरे समष्टि में बिखरे हुए है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श का चुनाव न्यादर्श की यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत शोध में राजनांदगाँव जिले 6 स्कूलों का चयन किया गया है तथा कक्षा ग्यारहवी के छात्रों में 500 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

उपकरण

शोधकार्य हेतु व्यक्तित्व परीक्षण हेतु उचित सांख्यिकी रूप से मानवीकृत स्वनिर्मित इंटरनेट पर आधारित अधिगम स्केल सिंग एवं सिंग की व्यक्तित्व प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष

- 1) इंटरनेट के माध्यम से अधिगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।
- 2) इंटरनेट के माध्यम से उच्च श्रेणी का अधिगम दर्शाने वाले विद्यार्थियों में बहिर्मुखता, इंटरनेट के माध्यम से मध्यम तथा निम्न स्तर का अधिगम दर्शाने वाले विद्यार्थियों से अधिक पाई गई है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य ये परिणाम विपरीत है।

सुझाव

- 1) इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव पर भविष्य में शोधकार्य किया जा सकता है।
- 2) इंटरनेट के माध्यम से अधिगम का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव पर भविष्य में शोधकार्य किया जा सकता है।
- 3) इंटरनेट के माध्यम से अधिगम करने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. शर्मा आर. ए. 2006 'शिक्षा अनुसंधान' आर.लाल. बुक डिपो मेरठ पृ.क्र.— 99,124
2. पाठक पी.डी. 2010 'शिक्षा मनोविज्ञान' चालीसवां संस्करण अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा पृ.क्र. 460
3. स्वरूप सक्सेना एन.आर. 2016 'शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य' पृ.क्र.—3,8
4. अग्रवाल जे.सी. 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक' पृ.क्र.—23.
5. पापाराव एन. "शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंध" पृ.क्र. 1 से 11.

-----:-----

राज्य एवं देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार

सुरेन्द्र प्रसाद साहू, श्रीमती किरण साहू,

सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र)

लाल बहादुर शास्त्री कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,

बलौदा, जिला जाँजगीर-चाँपा, छत्तीसगढ़

स्वतंत्र भारत में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और जागरूकता के विकास के साथ शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को बदलने के साथ, स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में औपचारिक शिक्षा के रूप में शिक्षा को संस्थागत रूप दिया गया है। शिक्षा सभी के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। यह मानव समाज के सर्वांगीण विकास की रीढ़ है। एक प्रगतिशील समाज के लिए शिक्षा समाज के सदस्यों को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में, विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों और विचारों से चिह्नित देश, आधुनिकता को शर्मसार करते हुए स्वदेशी मूल्यों को मजबूत करना, जनता के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए एक आवश्यक कदम है। वर्तमान शैक्षिक उपकरण और प्रणाली में विकास से व्यापक जागरूकता और सभी की गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रगतिशील घटना में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट शिक्षा शामिल है, ताकि यह सभी तक पहुंचे। शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इसका व्यापक कार्यान्वयन शामिल है ताकि लोगों को उनकी ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण विकसित करने के लिए आवश्यक है समाज, और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, भारत की निरंतर पढ़ाई की कुंजी और आर्थिक विकास के मामले में वैश्विक मंच पर नेतृत्व, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण।

सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे विकास को और अधिकतम करने के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। व्यक्ति, समाज, देश और देश की भलाई के लिए देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधन दुनिया। अगले दशक में भारत में दुनिया में युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी होगी और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी।

शिक्षा व्यक्ति को नये-नये अनुभव प्रदान कर उसे योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा योग्यताओं का पूर्ण विकास कर, योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास हेतु योगदान दे सके।

टैगोर: "शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।"

अरस्तु: "शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का निर्माण है।"

किसी भी ग्रामीण जीवन समाज एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है: "यदि ग्रामीण या जनजाति समाज शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं तो शिक्षा को उन तक पहुँचाना होगा।

स्वतंत्रता के बाद देश की विभिन्न नीतियों की ओर दृष्टि डालते हैं तो ध्यान में आता है कि अधिकतर नीतियों में दिशा का अभाव दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान के बजाय जटिलता बढ़ी हैं और समस्याएँ हो रही है।

मेरे दृष्टि से सारी समस्याओं की जड़ है देश की शिक्षा नीति। दुर्भाग्य की बात है कि तात्कालिक सरकारें शिक्षा नीति की कोई निश्चित दिशा तय नहीं कर पायी। इस हेतु शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, यह देश एवं राज्य की प्राथमिकता का विषय होना चाहिए।

1835 में अंग्रेजों के द्वारा तात्कालिन शिक्षा का ढांचा स्थापित किया गया। इस अभारतीय ढांचा को बदलने हेतु स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नाम से महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविन्द, पं. मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुषों ने आंदोलन चलाये एवं कुछ प्रतिमान भी खड़े किये।

स्वतंत्रता के बाद यह अपेक्षा थी कि देश की शिक्षा का स्वरूप भारतीय दृष्टिकोण से अपनी आवश्यकताओं एवं संस्कृति के अनुकूल होगा।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में सुधार हेतु राधाकृष्णन आयोग मृदुलियार आयोग, कोठारी आयोग, नयी शिक्षा नीति, राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आदि बने। इसमें से कुछ आयोग, समितियाँ ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिये, परंतु इच्छाशक्ति के अभाव के कारण वास्तविक धरातल पर इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया।

उद्देश्य

1. भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक ढांचा तैयार करना।
2. व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में सहायता प्रदान करना।
3. शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच शैक्षिक असामनता को दूर करना।
4. स्टार्ट अप इंडिया पहल और स्टैण्ड अप इंडिया पहल दोनों को प्राप्त करना।
5. मेक-इन-इण्डिया पहल की आवश्यक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
6. शिक्षा के द्वारा कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
7. व्यक्ति, समाज, समुदाय, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शैक्षिक सुधार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना।

राज्य एवं देश की वर्तमान स्थिति में शिक्षा सुधार की आवश्यकता एवं सुझाव

वर्तमान परिवेश में राज्य शिक्षा की स्थिति में सुधार की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के सुधार के बिना समाज एवं राष्ट्र का विकास अपूर्ण है। राज्य शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं—

1 गुणवत्ता के लिए अभिशासन सुधार

- विभिन्न शासकीय निकायों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं।
- पारदर्शिता के माध्यम से अधिक जबाबदेही।
- बड़ी शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता।
- संस्थाओं के उन विद्यार्थियों से उचित शुल्क को लेने का सामर्थ्य जो उनका भुगतान कर सकते हैं और इसी बीच आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुक्त साधन प्रणाली।
- आवश्यकता एवं गरीब छात्र-छात्राओं के लिए मुक्त साधन प्रणाली।
- विनियामक कार्यों को पुनः श्रेणीबद्ध करना, जिससे संस्थाओं के स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया जा सके।
- एकल महत्वपूर्ण विनियामक प्राधिकरण।
- स्वायत्तता के समान मामलों के लिए निर्णय लेने की कॉलेजियम पद्धति।

2 संस्थाओं का प्रत्यायन और रैंकिंग

- एकीकृत उच्चतर शिक्षा अर्हता कार्य ढांचा।
- वर्तमान प्रत्यायन विनियामक एजेंसियों जैसे— एनएएसी, यूजीसी, एनसीटीई आदि की पद्धतियों में बदलाव।
- पाठ्यचर्चा और शैक्षिक सुधार— सीबीसीएस, क्रेडिट अंतरण, विद्यार्थी और संकाय की गतिशीलता आदि।
- अंतर विषयक अध्ययन, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

3 विनियमन की गुणवत्ता में सुधार करना

- विनियमन से सुगमता की ओर जाना।
- एकल बिन्दु/विंडो क्लायरेंस।
- बेहतर आंतरिक और बाह्य मॉनीटरिंग तंत्र।

4 राज्य सार्वजनिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सुधार

- विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
- राज्य विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में अवसंरचना की कमी गुणवत्ता की कमी का मुख्य कारण है। अतः अवसंरचना की कमी में सुधार की आवश्यकता है।
- राज्य की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रशासकीय और वित्तीय स्वायत्ता दी जानी चाहिए।
- राज्य की विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की निम्न गुणवत्ता का मुख्य कारण अधोसंरचना और संकाय की कमी है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं बदलाव की आवश्यकता वर्तमान परिवेश में अवश्यभावी है। अतः परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

5 राज्य एवं देश की शिक्षा में कौशल विकास का एकीकरण

- नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को नियमित पाठ्यक्रमों का भाग बनाया जाना चाहिए।
- कौशल विकास के लिए कुछ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की समुदाय की स्कूलों एवं महाविद्यालय में बदलना चाहिए।
- राज्य की आवश्यकता एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कौशल आधारित कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा पाठ्य चर्चाओं के दायरे में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के बीच तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।

6 ऑनलाईन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन

- राज्य एवं देश में ऑनलाईन शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए।
- राज्य एवं देश में ऑनलाईन पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ऑनलाईन पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का समाधान इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य उपकरणों के द्वारा किया जावे।

7 प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण के लिए अवसर

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा अंतरण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध किया जाये।

8 क्षेत्रीय असामनता का समाधान

- अधिक स्कूल कॉलेज खोलकर।
- मौजूदा स्कूल कॉलेजों के सुदृढीकरण से।
- उत्तम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर।

9 महिला-पुरुष और सामाजिक अंतराल को भरना

- छात्रावास, छात्रवृत्ति।
- कम्प्यूटरिंग उपकरण और कनेक्टिविटी।
- शैक्षणिक संस्थाओं में उपचारी कोचिंग प्रोत्साहित की जानी चाहिए।

10 शिक्षा को समाज से जोड़ना

- स्वच्छता अभियान
- एनएसएस
- एनसीसी
- सामाजिक कार्य
- सामुदायिक कार्य— सफाई, स्वच्छता, सड़कें
- खेलकूद
- साक्षरता कार्यक्रम

11 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तैयार करके

- राज्य एवं देश स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नियुक्ति करने।
- शिक्षकों की सतत प्रशिक्षण ओर पुनः आवधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- शिक्षण व्यवसाय अपनाने के लिए प्रतिभावान शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15 प्रायमरी, मीडिल, हायर सेकेण्डरी एवं उच्चतर शिक्षा का वित्तपोषण

- केन्द्रीय क्षेत्र व्यय में वृद्धि
- राज्य वित्तपोषण में वृद्धि
- कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी
- छात्र फीस

16 राज्य एवं देश में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों से संबंध

- उद्योग प्रतिनिधियों को शैक्षणिक संस्थाओं के शासी निकाय में शामिल किया जाए।
- उद्योग छात्रों में उद्यमिता कौशल निकाय में सहायता प्रदान करके।
- राज्य शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध औद्योगिक गतिविधियों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। देश एवं राज्यों की अधिकतर समस्याओं की जड़, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, इसलिए “देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा।” इसी तरह राज्य की शिक्षा में सुधार लाना है तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार लाना होगा, मात्र सरकार का विषय न होकर समाज एवं राज्य का भी प्रमुख दायित्व है।

संदर्भ ग्रंथ

1. http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/India_in_figures-2018
2. <http://socialjustice.nic.in>
3. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/spemm_report.pdf 18.
4. <http://www.schooleducation.kar.nic.in/pdffiles/mdmguidelines2006.pdf> 11.
5. http://gujarat-education.gov.in/ssa/about_department/activities/activities.htm 14.
6. <http://www.schooleducation.kar.nic.in/pdffiles/mdmguidelines2006.pdf> 11.

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. ए. तारा अनंत,

सहायक प्राध्यापक

कोलंबिया कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)

स्कूली पाठ्यक्रम के संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 की विशेषताएं

- 10 + 2 के वर्तमान शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 की शैक्षिक मॉडल प्रणाली में विभाजित किया गया है।
- छात्रों की भाषाओं संबंधी समस्याओं को दूर करने एवं तकनीकी शिक्षा तथा दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है।
- छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं।
- तीसरी शिक्षा नीति 2020 को देश की तकनीकी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे।
- सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके।
- छठवीं कक्षा से बच्चों को व्यवसायिक परीक्षा दे दी जाएगी, नई शिक्षा नीति के भीतर पढाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे।
- दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेगा।
- छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
- शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
- पुस्तक ज्ञान के बजाए करके सीखने या परंपरागत पद्धति के स्थान पर रोचक व नवाचारी प्रयोग द्वारा पढ़ाया जाएगा।
- कथा एवं कहानियों के माध्यम से खेलों के द्वारा सीखने की कला द्वारा आदि सीखने के तरीकों को और अधिक चर्चात्मक बनाने पाठ्यक्रम में नवाचार मौलिक सिद्धांत समझने, समस्याओं के समाधान खोजने वाले दृष्टिकोण को महत्व दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम के कंटेंट को इस प्रकार कम किया जाएगा जिससे विषय के मूल तत्व पर प्रभाव ना पड़े और उसमें आलोचनात्मक चिंतन को भी शामिल किया जा सकेगा इसके साथ ही अन्वेषण अनुसंधान परिचर्या व विश्लेषण आधारित सीखने को महत्व दिया जाएगा।

समस्याएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से संपन्न करने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि व्यवहारी आवश्यकताओं को पूरा करना और शिक्षा नीति के सैद्धांतिक बिंदुओं को पालन करना इतना सरल नहीं है।

- शिक्षा नीति की सभी अनुशंसा ही सराहनीय और स्वागत योग्य है, किंतु क्या यह वर्तमान समय में संभव हो पाएगी क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई सदी की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होगी। क्या समूचे समाज की आकांक्षाओं आग्रहों और सोच को यह शिक्षा नीति संतुष्ट कर पाएगी ?
- प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देना, किंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार शिक्षा के व्यवसायीकरण से अंग्रेजी के प्रति समाज का झुकाव देखा गया है क्या ऐसे वातावरण में शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं मातृभाषा में शिक्षा संभव हो पाएगी ?
- अल्पसंख्यक विद्यालयों में मदरसों को छोड़कर अन्य मिशनरीज स्कूलों में बहुसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश पर कोई रोक या नियम बनेंगे? यदि नहीं तो फिर मातृभाषा में अध्ययन का क्या विधान होगा?
- त्रिभाषा नियम किस प्रकार लागू होगा ? उदाहरण तमिलनाडु त्रिभाषा नियम को स्वीकार करने तैयार नहीं हैं। वहां केवल तमिल और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को लागू करना चाहते हैं। विरोध के स्वर अन्य राज्यों से भी उठ सकते हैं।
- कक्षा छठवीं के पूर्व छात्रों को रचनात्मक क्रियाकलापों से जोड़ा जाएगा और कक्षा छह के बाद व्यावसायिक गतिविधियों से तो क्या यह संभव है क्या कक्षा 6 की आयु वाले विद्यार्थी में इतना बौद्धिक सामर्थ्य होगा क्या कक्षा छठवीं के अध्ययनरत ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए संसाधन और प्रशिक्षण की व्यवस्था हो पाएगी ।
- क्या सभी विद्यालयों में मनचाहे विषय पढ़ने वाले शिक्षक होंगे ? क्या निजी एवं शासकीय विद्यालयों के छात्रों में अमीरी गरीबी पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे ?
- क्या निजीकरण से इस समय में माता-पिता अंग्रेजी के मोह को त्याग मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होंगे ?

उपसंहार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक सकारात्मक एवं क्रांतिकारी सुझाव हैं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था दशा और शिक्षा बदलकर नए मानक स्थापित करने में सहायक होंगे। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत अधिक और विरोध आंशिक हैं। कुछ शंकाओं का समाधान समय के साथ साथ ही होगा। इसकी सफलता केवल शासन प्रशासन व नीति निर्धारकों के प्रयास द्वारा ही संभव नहीं बल्कि शिक्षकों अभिभावकों छात्रों व समाज के समेकित प्रयास ही हमारी इस विश्व स्तरीय शिक्षा नीति को सफल करने के लिए आवश्यक हैं।

संदर्भ सूची

1. Vijay P. (2020): New Education Policy 2020: 10 + 2 system will end in schools, new system of 5 + 3 + 3 + 4 will be implemented, understand what it is, New Delhi 30 July 2020, 11:59 am <https://www.Livehindustan.com>sto>
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत, <https://www.education.gov.in>
3. Carrier India Hindi desk 2020, 14 September 2020, 1953 (IST) <https://hindi.careeindia.com>
4. New education policy 2020: नई शिक्षा नीति 2020, जानिए क्या है 5+3+3+4 का मतलब (2020), 16 सितंबर, 2020 <https://hindi.bankersadda.com>new>
5. Net

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों के लिए शिक्षा के नए आयाम

उपासना श्रीवास्तव,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
कोलंबिया कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

देश को विश्व पटल पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए और आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रों को व्यवसाय शिक्षा प्रदान करना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे संशोधन किए हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

जो बालक स्वयं की शारीरिक अक्षमताओं के कारण औसत बालकों के समान अपने कियाकलाप संपन्न नहीं कर पाता उसे विकलांग बालक कहते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि यह बालक बिना किसी भेदभाव के समाज में शामिल होकर अपना योगदान दे सकें।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी आरंभ की है जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। पहले की शिक्षा नीति में 10+2 का पैटर्न लागू किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में काफी सारे संशोधन किए गए हैं जिससे कि शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

“जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है”। (डी जी फोर्स)

नई शिक्षा नीति के सिद्धांत

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना।
- साक्षरता एवं संख्यात्मकता का ज्ञान बच्चों में विकसित करना।
- शिक्षा को लचीला बनाना।

- एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना।
- बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना।
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना।
- तकनीकी ज्ञान पर यथासंभव जोर देना।
- मूल्यांकन पर जोर देना।
- विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना।
- बच्चों की सोच को रचनात्मक व तार्किक बनाना।

नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु

- स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधान
- भारतीय विविधता का संरक्षण
- शारीरिक शिक्षा
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार
- शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार
- विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान
- डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान
- पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?

1. बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
3. भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

विकलांग बालक

विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है।

इन बालकों में स्थाई रूप से कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है, अर्थात् कुछ बालकों में जन्म से शरीर के किसी अंग में दोष होता है या बाद में दुर्घटना बीमारी या चोट लगने के कारण उनके शरीर का कोई अंग दोष युक्त हो जाता है।

“वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं अथवा सीमित करते हैं, उन्हें

शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है” (क्रो एंड क्रो)

विकलांग बालकों के प्रकार

- अपंग बालक
- अंधे और अर्द्ध-अंधे बालक
- बहरे और अर्द्ध बहरे बालक
- दोषयुक्त वाणी वाले बालक
- अत्याधिक कोमल या निर्बल बालक

विकलांग बालकों की शिक्षा

विकलांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन, केंद्र आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायक तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ नीव चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा ।

नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत, सभी दिव्यांग बच्चों के लिए अवरोध मुक्त शिक्षा मुहैया कराने की पहल की गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण और भाषा शिक्षण संबंधी व्यवस्था करने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020 तक हरेक विकलांग बच्चे को प्री-स्कूल, प्राथमिक तथा माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। इस दिशा में निम्नांकित पर ध्यान दिया जाएगा :
- स्कूलों को (भवनों, मार्गों, शौचालयों, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों इत्यादि को) अवरोध मुक्त करना ताकि सभी प्रकार के विकलांग वहां पहुंच सकें।
- पढ़ाने के माध्यम तथा विधि को सही तरह से अपनाया जाएगा ताकि वे अधिकतर विकलांगता परिस्थितियों पर खरा उतरे।
- स्कूल या कई स्कूलों के आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्रों पर पढ़ाने/सिखाने के तकनीकी/ पूरक/ विशेष प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।
- तकनीकी/सिखाने वाले यंत्र औजार, जैसे खिलौने, ब्रेल, टॉकिंग बुक, उचित सॉफ्टवेयर इत्यादि भी उपलब्ध कराये जाएंगे। सामान्य पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ब्रेल-लाइब्रेरी तथा टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया जाएगा और उसे देश के अन्य भागों में भी फैलाया जाएगा।
- एक-दूसरे के साथ बात करने के लिए मूक- बधिरों की संकेत भाषा, वैकल्पिक तथा संवर्धी बातचीत (AAC) व अन्य माध्यमों को एक प्रभावी माध्यम के रूप में पहचान दी जाएगी। उनका मानकीकरण किया जाएगा तथा उन्हें लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- स्कूल की स्थापना, आसानी से पहुंचने वाली दूरी पर की जाएगी अन्यथा समुदाय, राज्य तथा एनजीओ के सहयोग से परिवहन व्यवस्था की जाएगी
- स्कूलों में माता-पिता-शिक्षक के बीच परामर्श तथा परेशानी से निपटने की प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- प्राथमिक, मध्य विद्यालय तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में विकलांग छात्राओं की दाखिला तथा उनके उपस्थित होने के आंकड़े को वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

- विकलांगता से प्रभावित कई बच्चे, जो समावेशिक शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले सकते, उन्हें विशेष स्कूलों के जरिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्पेशल स्कूलों में सही तरह से सुधार लाये जाएंगे जो तकनीकी विकास पर आधारित होगा। ये स्कूल विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की समावेशिक शिक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेंगे।
- कुछ मामलों में विकलांगता की प्रकृति (इसके प्रकार तथा गंभीरता के कारण), निजी परिस्थितियों तथा प्राथमिकताओं के कारण घर आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- विभिन्न प्रकार की विकलांगता के शिकार बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाएगा, जिसमें उनकी क्षमता पर ध्यान रखा रखा जाएगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाएगा ताकि यह विकलांगों के अनुकूल बन सके— जैसे सीखने वाला गणित, केवल एक एक भाषा सीखने का प्रावधान करना। इसके अलावा अतिरिक्त समय, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, क्लार्क टेबल का इस्तेमाल, स्काइब्स इत्यादि की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाएगी।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में समावेशिक शिक्षा का मॉडल स्कूल खोला जाएगा, ताकि विकलांग लोगों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
- नॉलेज सोसाइटी के इस दौर में कम्प्यूटर एक अहम भूमिका निभाता है। यह प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चा को उचित रूप से कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने का अवसर मिले।
- 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी तथा उनके लिए आवश्यक चिकित्सा उपाय किए जाएंगे ताकि वे समावेशिक शिक्षा में शामिल होने के लिए सक्षम बन सकें।
- मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनो-सामाजिक पुनर्वास केंद्रों पर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- विकलांग बच्चों की क्षमता के बारे में जानकारी के अभाव में कई स्कूल ऐसे बच्चों को अपने यहां दाखिला लेने से हिचकते हैं। शिक्षकों, प्राचार्यों तथा स्कूल के अन्य कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदत्त विशेष विद्यालय वर्तमान में समावेशिक शिक्षा के संसाधन केंद्र बन गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यकतानुसार नये विशेष स्कूल की स्थापना करेगा।
- वयस्क शिक्षा/ सीखने में गंभीर रूप से अक्षम वयस्कों के लिए अवकाश केंद्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों को विकलांगता केंद्र खोलने में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि विकलांग छात्रों के शिक्षा जरूरत की पूर्ति की जा सके।
- शिक्षकों की परिचय तथा सेवा प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर एक मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। उन्हें विकलांग छात्रों के क्लास रूम, हॉस्टल, कैफेटेरिया तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन,

डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

ग्रंथ सूची

1. Mishra, Savita "The National education policy 2020"
2. <https://hi.m.wikipedia.Org>
3. <https://www.drishtiiias.com>
4. <https://sarkariguider.in>
5. <https://hi-vikaspedia.in>
6. <https://Careerpedia.In>
7. <https://amarujala.Com>

-----:-----

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव

वर्षा रानी,
शोधार्थी,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

डॉ. अभिनेष सुराना,
विभागाध्यक्ष हिंदी

वी.या.ता. स्ना. महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

एक देश के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर अच्छी तरह से परिभाषित भविष्य की शिक्षा नीति आवश्यक है क्योंकि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। विश्व के सभी देश अपनी परंपरा और संस्कृति पर विचार करते हुए विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं और उसे प्रभावी बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा स्तर पर विभिन्न चरणों में परिभाषित करते हैं। नयी शिक्षा नीति भारत में प्रभावशाली, अपनाने योग्य बदलाव हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी शिक्षा सम्बंधित नीति है जो देश में शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य को लेकर प्रभावी है। इसमें स्कूल से लेकर शिक्षण प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। यह नीति ग्रामीण एवं शहरी दोनों को समेटती है। 1986 में स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा एवं तीसरी बार 2020 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिक्षा नीति अनुमोदित की गयी ।

कुंजी शब्द

अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा के अभिकरण, नयी शिक्षा नीति, उद्देश्य, तकनीकी।

शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य

कहते हैं शिक्षा जन्मजात होती है इसी आधार पर कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही अध्यापक के गुण विद्यमान रहते हैं। कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण द्वारा अध्यापक बनाया जाता है। इन्हीं के शिक्षण कौशल के विकास हेतु प्रशिक्षण की शुरुआत की गयी है। सरकार द्वारा समय-समय पर इनके प्रशिक्षण में बदलाव भी किया जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों के भावी जीवन को बहुत प्रभावित करता है। कोठारी कमीशन द्वारा कहा गया है "भारत के भविष्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में होता है।" छात्र ही देश के कर्णधार हैं। अतः शिक्षकों को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षक के व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

1. व्यक्तिगत आदर्शों का विकास।
2. निर्देशक और प्रतिनिधि के गुणों का विकास।
3. अनुशासन विकसित करना।
4. छात्रों को समझने की क्षमता विकसित करना।
5. आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
6. शिक्षा क्षमता का विकास।
7. सामाजिक परिवर्तन का स्रोत।
8. शिक्षण विधियों का ज्ञान।
9. शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का उद्देश्य।
10. उचित पाठ्यक्रम का विकास

उच्च उद्देश्यों के निर्माण से अध्यापक शिक्षा को आदर्श नहीं बनाया जा सकता जब तक उनकी प्राप्ति हेतु व्यवस्थित पाठ्यक्रम एवं उसका क्रियान्वयन नहीं होगा। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि धीरे-धीरे उन पर अमल होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों को हम मार्गदर्शक के रूप में ले सकते हैं।

अध्यापक शिक्षा के अभिकरण

वर्तमान युग में किसी भी प्रजातान्त्रिक देश की उन्नति वहां के शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारत में शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है, परन्तु अध्यापक शिक्षा अपने विकास के कई पड़ाव पर कर ली। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ प्रभावशाली परिवर्तन हुए। इसके लिए कई समितियां बनी जिन्होंने अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कई ठोस सुझाव देती रही। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सन 1902 में प्रयास किया गया। 1929 में कलकत्ता में पहली बार महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हुयी 1936. में मुंबई विश्व विद्यालय में सर्वप्रथम एम.एड.की कक्षा का प्रारंभ हुआ .1943 में इसी विश्व विद्यालय में पहली बार पी-एच.डी.की डिग्री प्रारंभ हुयी। 1970 में चौधरी चरण सिंह वि.वि. मेरठ के द्वारा एम.फिल.कक्षाओं का आरंभ हुआ। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बाँट सकते हैं:

अ. राष्ट्रस्तरीय अभिकरण (NATIONAL LEVEL AGENCIES)

1. वि.वि. अनुदान आयोग (UGC)
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE)
4. राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान(NIEPA)
5. उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र (CASE)

ब. राज्य स्तरीय अभिकरण (STATE LEVEL AGENCIE)

1. राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड (BTE)
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
3. सतत अध्यपक शिक्षा केंद्र (CTEC)
4. दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा (DTE)
5. ग्रीष्म कालीन संस्थान (SIE)

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित की गयी। 29जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नयी शिक्षा नीति के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गयी। यह शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है इस शिक्षा नीति में बदलाव का उद्देश्य शिक्षा पर राज्य के खर्च को बढ़ाना था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% से लेकर 6% हो जनवरी 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी. एस .आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो हमारे समाज को, राष्ट्र को जीवन्त एवं प्रभावशाली ,उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने वाली शिक्षा प्रदान करना है। नैतिक, चारित्रिक, संवैधानिक मूल्यों ,बौद्धिक ,वैज्ञानिक दृष्टिकोण ,रचनात्मकता ,सेवा भावना, 21 वीं सदी के कौशल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत तकनीकी विकास से संबंधित विषयों को रखा गया है। नयी शिक्षा नीति में कुछ मूलभूत परिवर्तनीय बातों को रखा गया है। बहुविषयक विश्व विद्यालय, शैक्षिक विधियों में परिवर्तन मूल्यांकन, राष्ट्रीय अनुसन्धान की स्थापना। अधिकांश विश्व विद्यालयों और स्कूलों में अनुसन्धान पर ध्यान केन्द्रित करना .नयी शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री चार वर्षीय एकीकृत बी. एड डिग्री के साथ TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) स्कूल शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगी .एन.टी.ए. (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) जिन विषयों में परीक्षा आयोजित करेगा उनमें एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा।

समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दृष्टिकोण शिक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकते हैं एवं कभी भी निकल सकते हैं अर्थात् यदि विद्यार्थी स्नातक कर रहा है तो एक वर्ष किसी अन्य कालेज में अपनी सुविधानुसार पढाई कर सकते हैं। उसे हर वर्ष की अलग कॉलेज से डिग्री मिल जाएगी .जैसे स्नातक में एक वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट,

दो वर्ष पूरा करने पर एडवांस डिप्लोमा, तीन वर्ष पश्चात् स्नातक डिग्री प्रदान की जायगी अर्थात् विद्यार्थी किसी कारणवश स्नातक में पढाई छोड़ देता है तो उसे हानि नहीं होगी। भविष्य में कभी भी दुबारा प्रवेश लेकर पूर्ण कर सकता है। एक वर्षीय और दो वर्षीय बी.एड कोर्स भी उपलब्ध होंगे। दो वर्षीय बी.एड स्नातक की डिग्री धारकों के लिए और एक वर्षीय बी.एड कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इन उम्मीदवारों को बाद में विशिष्टता के क्षेत्र में विषय शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चार वर्षीय बी.एड. प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां स्थापित की जायेंगी। इस तरह की छात्रवृत्ति में स्थानीय छात्रों विशेष रूप से महिला छात्रों को स्थानीय नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी, ताकि ये छात्र स्थानीय क्षेत्र के मॉडल शिक्षक के रूप में कार्य कर सकें। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रशिक्षण के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन किये गए हैं, पहले से कार्यरत शिक्षक हर वर्ष कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास में भाग लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है कि शिक्षकों के कार्य काल, वेतन संरचना, पदोन्नति, संरचना विकसित की जाये। एस. मॉडल में शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। मूल्यांकन के तहत कई पैरामीटर शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक, शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शन विकसित किया गया है। हर 10 वर्षों में व्यावसायिक मानकों की समीक्षा की जाएगी। एन.इ.पी. 2020 के अनुसार शिक्षकों के तबादलों को रोक दिया जायेगा बहुत ही विशेष परिस्थितियों में तबादलों की अनुमति दी जाएगी। इसके स्थानांतरण एक ऑनलाइन कम्प्युटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

आज का युग तकनीकी एवं विज्ञान का युग है। इससे मानव जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित एक नये क्षेत्र का उदय हुआ जिसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं, जिसके प्रयोग से शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। शिक्षक को शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान से उचित शिक्षण अधिगम सामग्री व साधनों की व्यवस्था की जानकारी होती है। विभिन्न शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन हेतु अध्यापक इसके द्वारा कम समय एवं कम खर्च में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्रों को सिखाने के लिए प्रभावशाली शिक्षण विधियों तथा सिद्धांतों का प्रयोग कर शिक्षक अपने शिक्षण को आकर्षक बना सकते हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षक के हर कार्य जैसे पाठयोजना, शिक्षण बिन्दुओं का चयन, अच्छी शिक्षण विधियों का चुनाव करने, छात्रों को समझाने, समस्याओं का हल प्रदान करने को आसान बनाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को अनुसंधान कार्य में सहायता करती है। आज के कोरोना कल में तो शैक्षिक तकनीकी 'मील का पत्थर साबित' हुयी है।

निष्कर्ष

इस प्रकार नयी शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु एक ठोस कदम है। इसमें जरूरत है 'सबका साथ सबका विकास' की भावना विकसित करने की। 2020 नयी शिक्षा नीति अनेक गुणों को लेकर आयी है, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि में अनेक प्रभावी परिवर्तन होंगे जिससे नागरिकता के गुणों का विकास होगा। व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के विकास में योगदान होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सक्सेना आर.ए., 'अध्यापक शिक्षा', आर.लाल.बुक डिपो, मेरठ .
2. <https://www.linkedin.com/pulse>.
3. यूनेस्को (2016) ग्लोबल सिटिजन फॉर स्वितेनाबिल डेवलपमेंटरूए गाइड फॉर टीचर .

-----:-----

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नयी शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव

वीरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सहायक प्राध्यापक,
कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन
रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आरंभ की है, जिसके अंतर्गत सरकार ने शिक्षा नीति में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। (चिकित्सा एवं कानूनी अध्ययनों के अलावा) पहले 10+2 पद्धति लागू था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 पद्धति लागू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में शामिल था।

नई शिक्षा नीति योजना का शुभारंभ

शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए जाते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों का समग्र विकास (सार्थक) योजना आरंभ होने जा रही है। सार्थक योजना को सभी पक्षकार जैसे कि राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आदि से विचार, विमर्श और सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों से शिक्षा मंत्रालय को लगभग 7177 सुझाव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा नीति की सिफारिशों के 297 कार्यों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसके लिए जिम्मेदार एजेंसी और समय सीमा भी तय की गई है। इन सभी कार्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत 304 परिमाण भी निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में सरकार के माध्यम से पुरानी शिक्षा नीति में काफी सारे संशोधन किए हैं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

- प्रारंभिक 5 साल में से 3 साल आँगनवाड़ी बाल वाटिका यानी प्री-स्कूल के हैं और अगले 2 साल कक्षा 1-2 यानी 1ली एवं 2री कक्षा के हैं, इसमें 3-8 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे और पढ़ाई का मुख्य केंद्र एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा।
- शैक्षणिक संरचना के अगले 3 प्रारंभिक साल कक्षा 3 से 5 यानी 3री, 4थी एवं 5वीं कक्षा के हैं। इसमें 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल होंगे और इसमें धीरे-धीरे बोलने, पढ़ने, लिखने, शारीरिक शिक्षा, भाषा, कला, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।

- शैक्षणिक संरचना में बीच के 3 साल कक्षा 6 से 8 यानी 6वीं, 7वीं एवं 8वीं कक्षा के हैं। इस मध्य चरण में 11 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे शामिल होंगे और इसमें छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी के विषयों से परिचित कराया जाएगा।

शिक्षा नीति के सिद्धांत

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना।
- साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना।
- शिक्षा को लचीला बनाना।
- एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना।
- बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना।
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना।
- तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर।
- मूल्यांकन पर जोर देना।
- विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना।
- बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक बनाना।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव

उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर, नई शिक्षा नीति का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, कुछ मुख्य प्रभावों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है:

➤ गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास के लिए एवं बेरोजगारी दर को घटाने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है, ऐसे में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार करने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि देश के युवा सक्षम बन सकें एवं उनका समग्र विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी उच्चतर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी जिसमें बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे।

➤ संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि में स्थानांतरित करना है, जिससे कि उच्च शिक्षा की विखंडता को समाप्त किया जा सके। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का लक्ष्य लगभग 3000 या फिर उससे अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। इन संस्थानों के माध्यम से छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों का विकास किया जाएगा। यह विकास करने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

➤ समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा

समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा का तात्पर्य है मनुष्य की सभी क्षमता जैसे कि समाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक आदि को एकत्रित करके विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को सामग्र एवं बहुविषयक

शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए लचीले पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं का विकल्प होगा जिससे कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें।

➤ सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों का सहयोग

छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण होना आवश्यक है जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों की बेहतरी के लिए कुछ अन्य क्षमताएं जैसे कि फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य का आधार आदि भी छात्रों को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल की गई हैं, जिससे कि छात्र अपनी पढ़ाई गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कर सकें। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीकरण भी किया जाएगा जिससे कि भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़े और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका मिल सके। इस नीति के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

➤ अध्यापक शिक्षा

छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है जिसमें उन्हें बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ अभ्यास भी करवाया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ-साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान लोकाचार, परंपराओं, जनजाति परंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक हो। वह संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषयों के साथ-साथ विशेष विषय में विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।

➤ व्यवसायिक शिक्षा

हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उनमें से 18-24 आयु वर्ग के लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य देशों में यह संख्या 50% से 75% तक है। व्यवसायिक शिक्षा को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। व्यवसायिक शिक्षा को हमारे देश में कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। इस नीति के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक धारणा को दूर करना है और अधिक से अधिक छात्रों तक व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2021) के प्रमुख बिन्दु

- उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु होंगे।
- स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते हैं, जिसमें कई सारे अतिरिक्त विकल्प होंगे जो कि उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे, जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई की है, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किये गए डिजिटल अकैडमिक क्रेडिट हो। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा।

- ईलर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम करना भी इस नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगी।
- 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
- 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा। (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर)
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के पास चार वर्टिकल होंगे जो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्कीडिटेशन काउंसिल होगा।
- शिक्षा नीति के अंतर्गत शासकीय एवं निजी शिक्षा मानव एक समान होंगे तथा दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के लाभ

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा।
- पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं।
- बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साल में दो बार छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं ली जाएं।
- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा से एमफिल की डिग्री को खत्म किया जा रहा है।
- अतिरिक्त पाठ्य-सहगामी क्रियाओं को मुख्य पाठ्यवस्तु में रखा जाएगा।
- छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यह नीति सुचारु रूप से चल पाए।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र किसी भी अवधि (पाठ्यक्रम) में पाठ्यक्रम को बीच में छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता है, तो वह पहले पाठ्यक्रम से निश्चित समय तक विराम ले सकता है और दूसरा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चार चरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शासकीय तथा निजी दोनों प्रकार के संस्थानों में लागू करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के चार चरण कुछ इस प्रकार हैं:

प्राथमिक-स्तर

प्राथमिक-स्तर 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। प्राथमिक-स्तर के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पूर्व माध्यमिक-स्तर

पूर्व माध्यमिक-स्तर के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्तर में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

माध्यमिक-स्तर

माध्यमिक-स्तर के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटरनशिप भी प्रदान की जाएगी।

उच्चतर-स्तर

उच्चतर-स्तर में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे विज्ञान, वाणिज्य तथा कला एवं साहित्य विषय लेते थे, परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का विषय ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे विज्ञान के साथ वाणिज्य का या फिर वाणिज्य के साथ कला एवं साहित्य भी ले सकते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा पर जोर

हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षण वाले छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों पर व्यवसायिक शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षण पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा

जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। अब शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा एक से बच्चों को दो से तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी।

शिक्षकों की भर्ती

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी है तो इस स्थिति में विशेष तौर से प्रयास किए जाएंगे की दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों को भर्ती की जाए, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है।

विदेशी भाषा सिखाई जाने पर भी जोर

माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीस, जैपनीज आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक तौर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा की नई नीति काफी लाभप्रद साबित होगा। इसके अंतर्गत शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बालक के रचनात्मक कौशलों के विकास के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवसायिक शिक्षा तथा भाषा शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति की यह योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को नई पहचान दिलायेगी।

संदर्भ सूची

1. नई शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
2. नई शिक्षा नीति-2020: प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में". अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
3. आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी. दैनिक जागरण. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
4. 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा". अमर उजाला. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
5. प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". द क्विंट. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
6. अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) एवं शिक्षक शिक्षा

डॉ. रीता सिंह,
प्राचार्य
संदीपनी एकेडमी
पेन्ड्री (मस्तुरी) बिलासपुर (छ.ग.)

श्री मुकेश खुटले,
सहा-प्रध्यापक
संदीपनी एकेडमी
पेन्ड्री(मस्तुरी) बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना

शिक्षा शब्द का अर्थ होता है सीखने-सीखाने की सतत् प्रक्रिया। किसी भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा ना सिर्फ मनुष्य को ज्ञान की राह दिखाती है बल्कि शिक्षा मनुष्य का व्यक्तिगत भौतिक – आध्यात्मिक, सामाजिक विकास भी करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने में अहम योगदान देता है और अगर यही शिक्षा अपने देश की संस्कृति शान, विद्या और मातृ भाषा से जुड़ जाये तो उस शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जायेगा।

शिक्षा समाज की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी देश तथा समाज में बड़े परिवर्तन करने हो तो शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। जून 2014 में इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में सहस्य कमेटी का गठन किया था, जिसने मई 2019 में शिक्षा नीति से संबंधित प्रारूप तैयार किया। शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया रहा। यह जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक व्यापक स्तर पर सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुये चर्चा की थी और सुझाव लिये गये। 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 'रमेश पोखरियाल निशंक' ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को पेश किया और इससे नये युग की शुरुआत किया, जिसे हम नवीन शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं।

भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाये गये सतत् विकास एजेंडा 2030 का लक्ष्य है सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना इस तरह के लक्ष्य के लिये सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिये पुनर्गठित करने की आवश्यकता है – ताकि सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता

पहले की शिक्षा नीति 1986 मूलरूप से परिणाम देने पर ही केन्द्रित थी अर्थात् विद्यार्थियों का आंकलन उनके द्वारा अर्जित अंक के आधार पर किया जाता था जो कि एक एकल दिशा दृष्टिकोण पर केन्द्रित है। जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा यही नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 में छात्र किताबी ज्ञान के अलावा भौगोलिक/बाहरी ज्ञान को भी अच्छे से समझ व सीख पायेगा। बच्चे को कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होंगे। बस इसी उद्देश्य के कारण शिक्षा नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे – सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि में शिक्षकों की सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।

शिक्षा के लिये एक समान मानकों को बनाये रखने के लिये पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था से जारी रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये आवश्यक समृद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इनका विस्तार किया जाये। शिक्षकों के ऑनलाईन प्रशिक्षण के लिये स्वयं जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किये जाये। National Education Policy में राखी गयी दृष्टि प्रणाली को एक उच्च उत्साही ऊर्जावान देख जा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

अध्यापक शिक्षा

अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिये बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मॉडलों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकसंस्कृति और परंपराओं के प्रति भी जागरूक रहे। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षण शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल लिये जाने की बात कही गयी है।

अध्यापक शिक्षा ले लिये बहु-विषयक के साथ उच्चतर गुणयुक्त विषयवस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किये जाने चाहिये। इसके लिये सभी बड़े बहु-विषय विश्वविद्यालय के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करे। शिक्षा में अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिये बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। न सिर्फ शिक्षा बल्कि विश्वविद्यालयों गुणवत्ता और उनको बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा में गुणवत्ता होगी तो वह रोजगार के द्वार भी खोलेगी और व्यक्ति व राष्ट्र के विकास में सहायक भी होगी। शिक्षा वह है जो हर बच्चे के सम्पूर्ण जीवन के हर पहलू का विकास करे और उसके साथ ही बच्चे की क्षमताओं का भी संपूर्ण विकास करे।

समग्र शिक्षा

नई शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा को खास महत्व दिया गया है। सभी शिक्षक अपने विषयों और उनके पाठ्यक्रमों के बारे में छात्रों के हित को ध्यान में रखकर खुद निर्णय ले सकेंगे। भाषा की बाध्यता भी होगी।

भारत केन्द्रित शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला सही है, जो सही अर्थों में सच्ची शिक्षा होगी। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से भारत केन्द्रित बनाया जा रहा है। इस मातृभाषा, स्थानीय भाषा पर जोर दिया जायेगा और विषयों का चयन विद्यार्थियों पर छोड़ दिया जायेगा। अब भारतीय विधाओं को शिक्षा के केंद्र में लाया जाएगा और संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृति संबंधित ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत केन्द्रित शिक्षा से ही हम भारतीय मूल्यों को पुनः स्थापित कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना को भी पूरा कर सकते हैं। भारत की शिक्षा भारत केन्द्रित ही होनी चाहिये।

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये शिक्षक का महत्व पर सर्वाधिक जोर देते हैं। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिये शिक्षकों और

अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। इसी कारण सभी के लिये उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी।

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं तथा छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर हमारे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पूर्ण योगदान के कारण मेधावी छात्र और योग्य शिक्षक हमेशा समाज में सम्मानित सदस्य रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की शिक्षा गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थपना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्कृष्ट शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा और विशेष तौर पर उस क्षेत्र में जहाँ शिक्षक की कमी पहले से ही है। शिक्षक का दायित्व है कि समुदाय के बीच संबंध बनाये रखे, जिससे छात्रों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। शिक्षक का चयन विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं से होना चाहिये, इसके लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को और विकसित करने की पर बल दिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा एक अभिन्न अंग होता है, इसके लिये सभी साक्षात्कारों को स्थानीय भाषा में करने से किसी भी व्यक्ति की दक्षता का सही आंकलन किया जा सकता है। ऐसा करने से शिक्षक छात्रों की प्रचलित भाषा में बातचीत कर सकेंगे।

शिक्षक

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिये समाज शिक्षक को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता है। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के सर्वोत्तम भविष्य के लिये शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामाग्री के साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कालेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। सभी कालेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य से उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी.एड, एम.एड. और पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केन्द्र के रूप में पहचानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत के शिक्षकों को सशक्त बनाएगी। उनकी निरंतर व्यवसायिक विकास, सेवा सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

National Education Policy –2020 मानता है कि शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामाग्री के साथ-साथ अध्यापन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया जायेगा।

National Educational Policy-2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिये कई प्रावधान किये गये हैं। नई शिक्षा नीति-2020 व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव होगा। सभी विषयों की परिक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन National Testing Agency (NTA) करेगा।

National Education Policy सिद्धान्त

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
2. शिक्षा को लचीला बनाना।
3. प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना।
4. विभिन्न प्रकार की भाषा सिखाना।

5. बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना ।
6. मूल्यांकन पर जोर देना ।
7. बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना ।
8. उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना ।
9. शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना ।
10. बच्चों को सुशासन सीखाना एवं सशक्तिकरण करना ।

नई शिक्षा नीति के लाभ

1. नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए GDP का 6 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा ।
2. बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा। साल में दो बार छात्रों ऊपर से बोझ कम से कम करने के लिये बोर्ड परीक्षाए ली जायेगी।
3. शिक्षानीति-2020 के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
4. पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाये पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाए पढ़ सकते है।
5. उच्च शिक्षा से M. Phil. की डिग्री को खत्म किया जा रहा है।
6. छात्रों को 3 भाषा सिखायी जाएगी।

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की अहम् भूमिका

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने में शिक्षक की अहम् भूमिका है। एक से पांच तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा की जानकारी जरूर होनी चाहिये, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। पाठ्यचर्या की रूपरेखा और शिक्षासास्त्र पर शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव की जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के प्रमुख बिन्दु

नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

- * पाँच वर्ष की (Foundational stage) – 3 साल का – प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 तीन वर्ष का (Preparatory stage) तीन वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण दृ ग्रेड 6, 7, 8
- * 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12
- * National Education Policy 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा –3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जायेगा।
- * National education policy 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृ भाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यायन के माध्यम के रूप अपनाने पर बल दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने की बात या सुझाव दिया गया है। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान रखते हुये कक्षा-10 और कक्षा –12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा।

नई शिक्षा नीति का महत्व

3 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 मॉडल को अपनाने में यह शिक्षा नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 साल की प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को पहचानती है।

इस नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसमें हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान है ।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छी नीति है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र लचीला, बहु-विषयक बनाना है। जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 का आशय कई मायनों में आदर्श प्रतीत होता है, लेकिन यह वह क्रियान्वयन है जहाँ सफलता की कुंजी निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
2. भारत सरकार 2020 नई शिक्षा नीति – शिक्षा मंत्रालय भारत सरकारी नई दिल्ली।
3. नई शिक्षा नीति 2020 – नवभारत टाइम्स – 31 जुलाई 2020।
4. भारत में शिक्षा नीति की दशा और दिशा – डॉ। मनीश खरे श्री विनायक पब्लिकेशन आगरा – 282007।
5. नई शिक्षा नीति (New Education Policy of Higher Education)–मनोज कुमार सक्सेना।
6. नई शिक्षा नीति 2020 – डॉ. सुधांशु कुमार पाण्डेय।

-----:-----

कोरोनाकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ : एक समीक्षात्मक अध्ययन

इस्तेखार अहमद,

एमफिल जनसंचार

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,

वर्धा (महाराष्ट्र), 442001

प्रतीक्षा कुमारी,

एम फिल संगणक भाषा विज्ञान

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,

वर्धा (महाराष्ट्र), 442001

शोध सारांश

2019 के अंत में विश्व में एक ऐसा संकट आया जिससे मानव समाज अब तक नहीं उबर पाया है। इस संकट को कोरोना महामारी का नाम दिया गया और इस संकट की समयावधि को कोरोनाकाल कहा गया। दुर्भाग्य से देश में नयी शिक्षा नीति जब लागू हुई उस समय विभिन्न देशों के साथ-साथ भारत भी कोरोना महामारी के भयंकर चपेट में था। यह समय नयी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए परीक्षा की घड़ी साबित हुआ। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े। फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। लंबे समय तक बंद रहने से उच्च शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उचित रूप से शोधार्थियों और विद्यार्थियों का पठन-पाठन, मूल्यांकन नहीं हो पाया। फलस्वरूप इसका बुरा प्रभाव शैक्षिक गतिविधियों व शोध की गुणवत्ता पर पड़ा। प्रस्तुत शोध प्रस्तुतीकरण कोरोना महामारी के कारण उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले पर प्रभावों और चुनौतियों की समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस शोध प्रस्तुति में द्वितीयक स्रोतों के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध प्रपत्र को तैयार किया गया है। यह मुख्यतः गुणात्मक प्रकार का शोध कार्य होगा। इसमें वेब मीडिया (इंटरनेट आधारित वेबसाइट्स, पोर्टल्स, जर्नल्स) में प्रकाशित व प्रसारित होने वाले कोरोना महामारी, कोरोनाकाल, नयी शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा संबंधी समाचार, लेख, शोध पत्र, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स इत्यादि का अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया है।

महत्त्वपूर्ण शब्द

कोरोनाकाल, कोरोना महामारी, नयी शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, चुनौती।

प्रस्तावना

किसी देश के विकास में शिक्षा का बहुत योगदान होता है। देखा जाए तो वही देश आज तरक्की के पायदान पर खड़े हैं जिनकी शिक्षा प्रणाली श्रेष्ठ एवं सुदृढ़ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा पर जितना अधिक निवेश किया जाएगा उतना ही विकास मानकों में बढ़ोत्तरी होगी। विश्व में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा मद खर्च करने वाला देश नार्वे है। यह देश प्रतिवर्ष अपनी जीडीपी का लगभग छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 3.5 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च करता है। पिछले तीन वर्षों के शिक्षा बजट को देखा जाए तो वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 3.2 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 3.48 प्रतिशत और वर्ष 2017-18 में 3.71 प्रतिशत शिक्षा खर्च रहा है। 29 जुलाई, 2020 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति को पेश किया और इसे 'नयी शिक्षा नीति 2020' नाम दिया। 34 साल बाद लागू होने वाली यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व 1968 एवं 1986 में भी दो शिक्षा नीतियां लागू हुई थीं। नयी शिक्षा नीति को लाने के पीछे तर्क यह है कि भारत में स्कूली और उच्च शिक्षा के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के द्वारा ही जा सकती है। भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी शिक्षा प्रणाली वाले देशों की बराबरी करने हेतु अभी लंबा संघर्ष करना है। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर लगभग मात्र 12 प्रतिशत थी, 2011 तक यह दर 74.04 प्रतिशत ही हो पायी है। (2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार) विशेषज्ञों का मानना है कि नयी शिक्षा नीति भारत की उच्च शिक्षा के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र

विलियम एस बरोज ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि "शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना है।" भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली काफी विस्तृत है। अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली भारत की मानी जाती है मगर गुणवत्तापूर्ण और मानक शिक्षा की रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि द टाइम्स वर्ल्ड यूनीवर्सिटीज रैंकिंग 2020 के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय स्थान ग्रहण नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले 9 छात्रों में से सिर्फ 1 छात्र ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अनुसार भारत के 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और 90 प्रतिशत महविद्यालयों का स्तर बहुत निम्न है। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है प्रति वर्ष विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख छात्र भारत से जाते हैं और लगभग 43000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। मुख्य रूप से निम्न सकल नामांकन दर, निम्नस्तरीय अनुसंधान, दुर्लभ प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की बड़ी खामियाँ हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) हर वर्ष देश के भीतर चल रहे फर्जी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। वर्ष 2020 में यूजीसी ने उच्च शिक्षा के 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। ऐसे फर्जी संस्थान निर्धारित शिक्षा मानकों का पालन नहीं करते और उच्च शिक्षा को निम्न स्तरीय बनाते हैं। इन्हीं कारणों से भारत उच्च शिक्षा की रैंकिंग में पीछे होता जा रहा है।

उच्च शिक्षा और नयी शिक्षा नीति 2020

भारत में शिक्षा मामले को सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन मंत्रालय) के अंतर्गत रखा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नामक संस्था उच्च शिक्षा के संस्थानों को मान्यता और वित्तीय अनुदान देता है। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों की गुणवत्ता मापने का कार्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) करता है। नयी शिक्षा नीति 2020 भारत की वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह 1986 में लागू 34 वर्ष पूर्व पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर लाई गई है। यह शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई।

नयी शिक्षा नीति 2020 में जिन उद्देश्यों को प्रमुखता दी गई है वे हैं :

- भारत के नागरिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- इन्स्टीट्यूशनल रिजल्ट और कंसोलिडेशन को बेहतर बनाना।
- एक या अधिक ऐतिहासिक और और बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम बनाना।
- छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समर्थन तैयार करना।
- छात्र की गतिविधि और भागीदारी बढ़ाना।
- छात्र के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करना।
- निजी, अधिकृत और योग्य सुविधा प्रदान करना।
- सभी नए क्षेत्रों में गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना करना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व स्थापित करना।
- भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का प्रचार।

लॉकडाउन के दौरान उच्च शिक्षा प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियाँ

कोरोना महामारी मानवसमाज के लिए एक बड़ी त्रासदी साबित हुई है। इसने विभिन्न प्रकार की विषमताएँ पैदा कीं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो इसके प्रकोप से अछूता रहा हो। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक हर

स्तर पर चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

शिक्षकों के लिए चुनौतियाँ

कोरोनाकाल में ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो जाने के कारण अधिकांश पठन-पाठन कार्य ऑनलाइन माध्यमों से होने लगे। बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो ऑनलाइन माध्यम की तकनीकी और और कार्यप्रणालियों से परिचित नहीं थे। अतः उन्हें ऑनलाइन कक्षाएँ करने में भिन्न-भिन्न प्रकार की बाधाएँ झेलनी पड़ीं। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई बार कक्षाएं नियत समय पर न होकर देर से शुरू हुईं। कई बार साफ आडियो-वीडियो न होने कारण शोधार्थियों-विद्यार्थियों को समझने में दिक्कतें आईं।

शोधार्थियों-विद्यार्थियों के लिए चुनौतियाँ

लॉकडाउन के बाद सुरक्षा कारणों से बड़ी संख्या में शोधार्थी व विद्यार्थी अपने घर चले गए। भारत के सुदूर गांवों में आज भी खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में कई शोधार्थी व विद्यार्थी ऑनलाइन होने वाले क्लाससेज, मीटिंग्स, वेबिनार्स में पूरी सक्रियता से शामिल नहीं हो पाए। घर पर शोधकार्य और विषय अध्ययन के लिए आवश्यक पुस्तकें, पत्रिकाएँ, जर्नल्स इत्यादि की अनुपलब्धता रही। कोरोना महामारी के दौरान शोधार्थियों-विद्यार्थियों को आर्थिक व मानसिक रूप से भी दिक्कतें आईं।

तकनीकी चुनौतियाँ

भारत के कई स्थानों पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। वहां पर ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ने के दौरान इंटरनेट की स्लो स्पीड आड़े आती है। कई क्षेत्रों में आज भी 4 जी इंटरनेट नहीं उपलब्ध है। फलस्वरूप शोधार्थियों-विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रसारित होने वाला सम्प्रेषण खंडित रूप में प्राप्त होता है। यद्यपि कोरोनाकाल में शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के पठन-पाठन और अध्यापन का सबसे बाद स्रोत ऑनलाइन माध्यम ही रहे, इसके लिए बहुत से शोधार्थियों व विद्यार्थियों को पर्याप्त इंटरनेट डेटा नहीं प्राप्त हो पाया। प्रतिदिन औसतन 1.5 जीबी डेटा से सभी ऑनलाइन गतिविधियों को पूरा कर पाना असंभव था। यूट्यूब लेक्चर, ऑनलाइन क्लाससेज, मीटिंग्स इत्यादि से जुड़ने के लिए अनियमित इंटरनेट डेटा की जरूरत थी, जोकि सभी शोधार्थियों व विद्यार्थियों के लिए खरीद पाना दुश्कर था। अतः इन विभिन्न चुनौतियों के कारण भारत की उच्च शिक्षा लॉकडाउन के दौरान काफी प्रभावित हुई, जिसका असर शोधार्थियों-विद्यार्थियों के शोधकार्य, परीक्षा, मूल्यांकन पर पड़ा।

मानसिक व मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ

कई मेडिकल शोध रिपोर्टों से यह निष्कर्ष निकला कि लॉकडाउन सभी के लिए मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी साबित हुआ। महामारी के दौरान सामान्य रूप से चलने वाला जीवन प्रतिबंधों से घिर गया। लोगों को घरों में बंद होना पड़ा। बाहरी सैर-सपाटा, खेलखूद जैसी गतिविधियां भी बंद हो गईं। निरंतर एक स्थान पर रहने से ऊब या खीज पैदा होने लगी। सामान्य दिनचर्या परिवर्तित हुई। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों से शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों को जूझना पड़ा। मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ होना, अनिद्रा, मोटापा, एकाग्रता-भंग, अवसाद, स्मृति-क्षय जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हुईं जो शैक्षिक कार्यों एवं गतिविधियों में बाधक बनीं।

आर्थिक चुनौतियाँ

लॉकडाउन के दौरान शोधार्थियों व विद्यार्थियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। कई शोधार्थियों व विद्यार्थियों को समय पर अध्ययन-कार्य हेतु छात्रवृत्ति व फेलोशिप नहीं प्राप्त हुईं। आर्थिक संकट के कारण पठन-पाठन की सामग्री नहीं खरीद(ऑनलाइन या ऑफलाइन) सके, जिसके कारण शोधार्थियों व विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों एवं शोध कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट आई।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समाधान हेतु सुझाव

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे निकट भविष्य में ऐसा कोई संकट फिर आए तो ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा पठन-पाठन और शोधकार्य बिना बाधित हुए निरंतर चलते रहें।
- शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों को तकनीकी के कौशल से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- गुणवत्ता परक शिक्षा व शोधकार्य को बढ़ावा देना। निम्न स्तरीय शोधकार्यों एवं अप्रामाणिक शैक्षिक सामग्रियों की कड़ी जांच व निगरानी हो।
- रेडियो, टीवी या डिजिटल ऐप्स पर शैक्षिक चैनलों को स्थापित करके उनपर उच्च शिक्षा संबंधी प्रोग्राम प्रसारित किए जाएँ।
- देश के दुर्गम व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पठन-पाठन व शोधकार्य के लिए फन्डिंग और बढ़ाया जाना चाहिए, अभी शिक्षा का बजट पूरी जीडीपी का लगभग 3.5 प्रतिशत ही है।
- लंबे समय तक पठन-पाठन के कार्य बंद रहने के कारण यूजीसी ने कोरोनाकाल में 40 प्रतिशत कक्षाएं ऑनलाइन और 60 प्रतिशत कक्षाएं ऑफलाइन शुरू करने के निर्देश दिए थे।

निष्कर्ष

- पठन-पाठन के नीरस तरीकों के स्थान पर यदि मनोरंजक तरीकों को बढ़ावा दिया जाए तो यह शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगी।
- उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले के शोधार्थियों व विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उनके संस्थान का सक्रिय हिस्सा बनाया जाना चाहिए जिससे उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा सके और उनके बच्चों के गतिविधियों का सही फीडबैक प्राप्त किया जा सके।
- नयी शिक्षा नीति में ऐसे कदमों का उल्लेख किया गए है जो निश्चित रूप से भारत की लचर हो चुकी उच्च शिक्षा को सुदृढ़ और मानकों के अनुरूप बनाने में मददगार साबित होगी।
- ई-लर्निंग प्रणाली को विस्तृत, सुचारु और सस्ता बनाया जाना चाहिए, जिससे कोरोनाकाल जैसी परिस्थिति यही फिर कभी उत्पन्न हो तो शैक्षिक कार्य प्रभावित न होने पाए।
- ऑनलाइन माध्यमों पर अधिक समय बिताने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों में अवसाद, अकेलापन, मानसिक असंतुलन जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों के मार्गदर्शन भी दिए जाने चाहिए।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, पवन (2018). भारतीय उच्च शिक्षा के पाँच दशक. नई दिल्ली रू सेज पब्लिकेशन इंडिया.
2. खरे, मनीष वर्मा एंड बाबिता, डॉ (2021). भारत में शिक्षा नीति की दशा व दिशा. आगरा रू श्री विनायक पब्लिकेशन.
3. हुसैन, मो जाहिद (2021). शिक्षण तकनीक की रूपरेखा. रेड शाइन पब्लिकेशन प्रा लि रू लुनावड़ा.
4. सिंह, डॉ जे डी (2017). भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ. इंटरनेशनल एजुकेशन जर्नल चेतना, पृष्ठ सं 87-95.
5. सिंह, डॉ रीता (2017). शिक्षा एवं भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता. शोध मंथन, पृष्ठ सं 101-106.

6. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0144334_hindi_he-final-31072020.pdf&ved=2ahUKEwjK4dyI7rD0AhW-wjgGHXslCocQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2II-xp9GWvzxyrH4k17-3H
7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf&ved=2ahUKEwi1kvq78bL0AhWa3jgGHSlaDv0QFnoECEYQAQ&usg=AOvVaw1LvoECphPp4d_4St71vV-v
8. <https://www.orfonline.org/hindi/research/why-internationalisation-of-higher-education-can-be-a-game-changer-for-india/>

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

जयति साहू

सहायक प्रध्यापक

मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन

कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, छत्तीसगढ़

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उसने वाँछनीय परिमार्जन का कार्य करता है। इस विज्ञान द्वारा मानव के व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध बनाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा सामाजिक जटिलता दूर की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिवार के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाने तथा व्यावहारिक कुशलता पैदा करने में सहायक सिद्ध होता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिये तीन बातों की आवश्यकता होती है – पूर्ण अभिव्यक्ति संतुलन संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा व्यापक उद्देश्य। 'ज्ञान – ज्ञान के लिये है' या शिक्षा – शिक्षा के लिये है का नारा सर्वमान सिद्धांत बना हुआ था। बालक के चारित्रिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये शिक्षा देने की परंपरा थी। शिक्षा को अनुत्पादक क्रिया माना जाता था। मानव आज एक पूंजी है साधन है, संसाधन है। उसे शिक्षा देकर देश के मानव संसाधन का विकास करते हैं। शिक्षा द्वारा परस्पर सहानुभूति और प्रेम का आयोजन होना जरूरी है।

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, मानव संसाधन, तकनीकी कौशल, पाठ्यक्रम, भाषा, समुदाय विकास।

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व सुसमायोजित जीवन, संतुलित व्यक्तित्व का विकास, स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, शिशुओं का उचित पालन पोषण, स्वस्थ समाज का निर्माण शैक्षिक प्रगति, मानसिक रोगों का उपचार व्यावसायिक प्रगति और उन्नत राष्ट्रीय भावना और एकता की बुद्धि अन्तर्राष्ट्रीय एकता की बुद्धि पर निर्भर करती है। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र परिवार, विद्यालयों में, सामाजिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में है। मनुष्य की इस कार्य में सहायता करने के लिये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा है। भविष्य में इसके क्षेत्र के और भी बढ़ने की संभावनाएँ हैं।

कुप्पूस्वामी के अनुसार

“मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षों एवं आदर्शों में संतुलन बनाये रखने की योग्यता है। इसका अर्थ जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तथा उनको स्वीकार करने की योग्यता है।”

दो बहुत पुरानी लेकिन शाश्वत है— “पहला सुख निरोगी काया” एवं “तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ” अर्थात् शरीर सुख ही सबसे बड़ा सुख है और शरीर के स्वस्थ रहने पर मन ही स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने को शारीरिक स्वास्थ्य तथा मन के स्वस्थ रहने को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर स्थल है और मन सूक्ष्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर तथा मन का आपस में गहरा संबंध है। मन अमूर्त है, अतः उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं उसे शरीरजन्य परिणामी क्रियाओं के माध्यम से ही देखा जा सकता है। मन की प्रसन्नता एवं रुग्णता शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है तो शरीर की रुग्णता या प्रसन्नता मानसिक क्रियाओं को।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की

सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व की की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर होगा।

शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान एवं कौशल के प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। उच्चशिक्षा मानव संसाधन एवं जनसांख्यिकीय लाभांश में एक प्रमुख तत्व है। यह विशेष रूप से 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयोजन तैयार करती है। हमारी लगभग दो तिहाई जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है, जिसको शिक्षा के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा न कर पाना देश के लिए घातक है। समाज की निरंतर परिवर्तित होती, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन अनिवार्य है।

वर्ष 1968 में भारत सरकार के लिए शिक्षा मंत्रालय के राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सत्र की घोषणा कि जिसके अनुसार हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमात्रा, दक्षिणी भाषा) और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण अनुदेशन की भाषा होनी चाहिए।

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है— जो तर्कसंगत विचार और कार्य लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक, कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समोवशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

एक अच्छी शैक्षिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराये जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढाँचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्धता कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान कौशल मूल्यों और सोच में होना चाहिए, जो मानवाधिकारों स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

नई शिक्षा नीति 2021 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2021 के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की 6 प्रतिशत जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी।

नई शिक्षा नीति के चरणों को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इस पर फामूर्ले के तहत 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा को तथा 12 साल की स्कूली शिक्षा सम्मिलित की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्र तथा मातृ भाषाओं की पढ़ाई को भी सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के भीतर माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्पों को रखा जाएगा। जिससे बच्चे माध्यमिक स्तर से ही फ्रेंच, चाइनीस, जापानीज, स्पेनिश और जर्मन आदि तमाम प्रकार की विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के भीतर भारत की शिक्षा की वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयासों को किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति के भीतर मातृ भाषा क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मिलित किया जाएगा। 2021 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाँचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। जिसमें पाठ्य पुस्तकों से लेकर बोलचाल तक क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा एक से ही बच्चों को दो से तीन प्रकार की भाषाएँ सिखाई जाने शुरू की जाएगी ताकि शिक्षा के बोझ को कम किया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता हर तरह से उच्च की जा सके।

नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक इस प्रतिशत को 50 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी छात्रों को वोक्शनल पढ़ाई कराई जाएगी। इस नीति के तहत भीतर से 2025 के अंत तक 50 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वोक्शनल पढ़ाई के भीतर बागवानी, मिट्टी के बर्तन को बनाना, बिजली का काम और लकड़ी का काम सिखाना आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों को विकास करना है जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलता वादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षक संस्था का लक्ष्य होना चाहिए तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषायी बाधाओं को भी दूर करने का उपाय शक्ति है।

वर्तमान में बड़े पैमाना पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करते के लिए इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं यह काफी प्रभावी होता है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखभाल में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर सभी छात्रों के लिए पियर ट्यूटोरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है।

बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य सहित को स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उसी की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।

बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शैक्षणिक ढाँचा, एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो गुणवत्तपूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज से समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कोण की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए। लेकिन आज भी तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सकल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषय कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में शक्ति है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित संरचनात्मकता और नवीनता स्वास्थ्य और पोषण शारीरिक शिक्षा फिटनेस स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन, डिजिटल कौशल साक्षरता नागरिक कौशल और मूल्य भारत का ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता आदि शामिल है।

उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण सामाजिक रूप से सचेत सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहाँ सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो। एक ऐसे राष्ट्रीय रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे।

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है और साथ ही चरित्र नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के तहत किये गए बदलाव आने वाले लगभग दो दशकों को ध्यान में रखकर किये गए हैं। शिक्षा नीति 2020 में किये गए सारे बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद करके अलग-अलग चरणों में लागू किये जाएंगे। इस नीति का मकसद शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चला वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सफल नामांकन अनुपात को 2030 तक सौ प्रतिशत लाने का टारगेट रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब से शिक्षा में रटने की बजाए कान्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होने वाले सभी लाभों की चर्चा इस प्रकार से है :

इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि आज की शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सभी खामियों को हटाने का प्रयास किया है। नई नीति के तहत इसे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसी नयी एजुकेशन

पॉलिसी के तहत छात्रों के ज्ञान के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान किया जाएगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे। नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था भी सम्मिलित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए केन्द्र ने राज्य सरकार द्वारा जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। छात्रों को पहले की तरह आर्ट्स, साइंस और कामर्स में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा, वो चाहे तो इन तीनों ही स्ट्रीम्स से विषय चुन सकते हैं।

इस नीति में बोर्ड परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है। अब से बोर्ड की परीक्षाएं साल में एक की बजाए दो बार कराई जाने की बात कही गयी है। इससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ खत्म होगा। साल भर की बजाए आखिरी के दो या तीन माह पढ़कर परीक्षा देने की प्रवृत्ति भी खत्म होगी। नई शिक्षा नीति में अब छात्र अपनी भाषा में पढ़ पाएँगे और एग्जाम भी उसी भाषा में दे पाएँगे। भारत की अन्य प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत को पढ़ने की ऑप्शन दिया गया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है। अब से शैक्षिक सत्र में छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें कक्षा 6 से ही कोडिंग आदि सिखायी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों का बोझ कम करने और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए “आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर” के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे रटने की जगह उनकी समझ बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकेगा।

स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क होना भी जरूरी है, इसलिए पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ ही खेल-कूद, कला इत्यादि “एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज” को भी अनिवार्य किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन भी कर सकेंगे। इस संबंध में उन्हे पढ़ने की सामग्री अब ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री छात्रों को मिलने वाले सुविधा है। इस सुविधा के तहत कोई भी छात्र यदि किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ता है, तो उसे पढ़ाई की समयावधि के अनुसार सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर डिग्री प्रदान की जाये। साथ ही अगर वो आते समय में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसके लिए पहले साल से पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो अपने बचे हुए कोर्स को ही पूरा कर सकता है।

नई एजुकेशन पॉलिसी में एक ही स्ट्रीम के विषयों को लेने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषय चुन सकेंगे। साइंस और कॉमर्स के साथ ही आर्ट्स के विषय भी लिए हैं। इसके लिए शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न विषयों का पूल बनाया जाएगा। अध्यापकों को भी अपने छात्रों की असामान्यताओं को समझने तथा दूर करने में यह विज्ञान सहायता करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सक्सेना एन.आर. स्वरूप एवं अन्य., उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, पेज नं. 562, 563, 564, 565, 566
- मदान के.बी. एस, एवं मदान अंशु बाला., एम.टी.ए.यू.जी.सी. नेट/सेट/जे./आर./एफ
शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता पृष्ठ सं. 10ए.2
- मित्तल, आर.ए.एवं अन्य., शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, सूर्या एम.एड. गाइड, पेज नं. 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336

website

- www.pmmodiyojana.in>national
- www.education.gov.in

-----:-----

मानव व्यवहार में मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका

मोना वर्मा,

शोधार्थी

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय,

धनेली, रायपुर (छ.ग.)

सारांश

मूल्यों के विकास में शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा को मूल्यों के विकास में सशक्तिकरण के रूप में अनेक समिति एवं आयोग ने स्पष्ट किया। मूल्यों के विकास में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका एवं महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि अध्यापकों ने एक खोज मस्तिष्क की ऊर्जा को दी है जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरित करने में असफल रहते हैं। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है जिसमें नई-नई खोजे निरंतर होती रहती हैं।

इस युग में व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं फिर भी जीवन में कुछ ना कुछ सुनता ही रहता है। इसका यह परिणाम हो रहा है कि अनेक समस्याओं का विस्तार भी साथ में हो रहा है। व्यक्ति का आचार व्यवहार के संदर्भ में नकारात्मक रूप से उभर रहा है। इसका सामना सभी वर्ग कर रहे हैं। अतः एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई है जो मानव को सही अर्थों में मानव बनाए जिससे व्यक्ति समाज तथा प्राणी मात्र सुख चैन से जी सकें।

मूल्यों के विकास से शिक्षा व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मूल्य उन्मुख बनाना है, अर्थात् सभी विषयों में रक्त संबंधी मूल्यों का समावेश करना। इससे यह लाभ मिल सकेगा कि भले ही मूल्य शिक्षा स्वतंत्र विषय नहीं नहीं है तो भी सभी विषयों के द्वारा मूल्यों हस्तगत किया जा सकेगा। मूल्यपरक शिक्षा के बारे में पहला संगठित प्रयास 1982 में आईटीआई दिल्ली में प्रारंभ किया गया।

मानवीय मूल्यों का विज्ञान विषय पर प्रोफेसर डीएस कोठारी के विशेष भाषण के अनुक्रम में निदेशक ने एक समिति का गठन किया जिससे मानवीय मूल्य के विकास के माध्यम से हम भारत की संस्कृति और राजनीतिक प्राकृतिक विरासत के बारे में आदर की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, शांति की शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक भेदभाव, रंग भेद, शोषण पर बहस कराई जानी चाहिए। व्यक्तिगत खुशी के लिए अपने बारे में सकारात्मक धारणा होनी आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जो जीवन मूल्यों के विकास के लिए उत्तरदाई शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ही संभव है।

शब्द कूजी

त्याग, सहिष्णुता, मूल्य, मानवधिकार, पर्यावरण।

मूल्यपरक शिक्षा के बारे में कोर ग्रुप की रिपोर्ट

1992 में यह बात दोहरायी गई है कि "शैक्षिक संस्थाओं में मूल्य आधारित शिक्षा लागू करने की दिशा में सरकार की ओर से गंभीर और व्यवस्थित प्रयासों की कमी की वजह से मूल्यों के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अवधारणात्मक ढांचे के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है और कई महत्वपूर्ण कार्यशील मॉडल भी उपलब्ध नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूल्य आधारित शिक्षा की एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ऐसे कार्यक्रम में मदद करना है जिनसे विद्यार्थियों और शिक्षकों में मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले।

25 मई 1995 को आयोग ने अपनी बैठक में शिक्षा को उच्चस्तर पर मूल्यपरक बनाने की कार्य योजना पर विचार करने हुए विचार व्यक्त किया है कि "विकास मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और इसमें अन्य मुद्दों जैसे मूल्यपरक शिक्षा, मानवधिकार, पर्यावरण, जनसंख्या अध्ययन, लिंग संबंधी मुद्दों आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के सेंटर फॉर लीडरशिप एण्ड ह्यूमन वैल्यूज' सभी प्रकार के संगठनों-सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक में नेतृत्व के संकट की वास्तविक का अहसास किया है।

मानवीय मूल्य के विकास के माध्यम से हम भरत की सांस्कृतिक और राजनितिक प्राकृतिक विरासत के बारे में आदर की भावना पैदा कर सकते हैं। परिस्थितिक संतुलन शांति की शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक भेदभाव, रंगभेद, दमन, संघर्ष और शोषण पर बहस कराई जानी चाहिए।

मूल्य विकास के लिये शिक्षा विद्यालयी योजना

विद्यालयी पाठ्यचर्चा में वे तत्व निहित होने चाहिए जो आवश्यक मूल्यों का पूर्ण रूप से संचार करें। प्रत्येक को मूल्य-शिक्षक बनना होगा। प्रत्येक क्रियाकलाप, इकाई और अंतः क्रिया का परीक्षण मूल्य-पहचान, मूल्य-प्रचार मूल्य-प्रबलन और इसके पश्चात् मूल्यों को अमलीजामा पहनाने के लिये संतुलित और समुचित कार्यनीति संबंधी निर्णयों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए।

इन मूल्यों को विद्यालयी लक्ष्यों, स्टॉफ और छात्रों की भागीदारी द्वारा विकसित अनुसान का स्पष्ट उल्लेख करके प्राप्त किया जा सकता है। मूल्य निष्पादन के लिये दो पक्षीय संवाद, कल्याण सेवाएं, जरूरतमंद छात्रों की मदद, उपचारत्मक-शिक्षण, पुनर्मुल्यांकन और कमतर उपलब्धियों वाले छात्रों को निरस्त न करने का भाव आवश्यक है। इसके लिये ऐसे नियमों का निर्माण करना आवश्यक होगा, जिनसे प्रत्येक छात्र की खेलकूदों, विद्यालयी-क्रियाकलापों और उनकी रुचियों से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर

1. विद्यालयों, सभा और समूह गायन और मौन एवं ध्यान साधना का अभ्यास,।
2. पैगम्बरों, संतों और पवित्र धर्मग्रंथों से जुड़ी रुचिकर कथाओं और जीवनियों का वर्णन,।
3. खेल के मैदानों की गतिविधियों अर्थात् खेलकूद, ऐसे सामाजिक कार्य जो मनुष्य जाति के साथ-साथ अन्य प्राणियों, यहां तक कि प्रकृति की सेवा का दृष्टिकोण भी पैदा करे और कार्य ही पूजा है' की भावना उत्पन्न करें।
4. उपयुक्त विषयों, कथानकों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटकों का आयोजन।

माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर

1. शिक्षक या अतिथि वक्ता द्वारा प्रातः कालीन सभा में ज्ञानयुक्त पुस्तक एवं महान साहित्य के अंशों का वाचन एवं उपयुक्त संबोधन।
2. विश्व के मुख्य धर्मों की आवश्यक शिक्षाएँ और धर्म-दर्शनों का तुलात्मक अध्ययन।
3. अवकाश एवं विद्यालय छुटने के बाद के समयों में समाज-सेवा।
4. सामुदायिक गायन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता शिविर, राष्ट्रीय समाज सेवा एन.सी.सी. शिविर, स्काउट एवं गाइडिंग कार्यक्रम।
5. उपयुक्त विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, परिसंवाद आदि।

एकाधिक विद्यालय महत्वपूर्ण समारोहों और सभी धर्मों एवं सांस्कृतिक समूहों के त्योहरों को मनाने के लिए संयुक्त आयोजन कर सकते हैं और इससे एक दूसरे के प्रति समझ, पसंदगी और सम्मान की बेहतर भावना विकसित होगी और एक सहिष्णु एवं सुसंबद्ध समाज का निर्माण होगा।

पूरक सहयोग

यहां जिस उपागम का प्रयोग होगा उसके अंतर्गत ये तत्व होंगे:

1. विभिन्न, विषयों में निहित मूल्यों को महत्व बताना।
2. छात्रों को एक-दूसरे से प्रश्न करने, साझेदारी करने और आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के अवसर प्रदान करना।
3. कथा-शिक्षण में लोकतांत्रिका सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करना।
4. स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक जातियों, वर्गों और धर्मों के प्रति समानता के भाव पर बल देना।
5. मानव के अधिकार बच्चों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन-प्रणाली आदि के महत्व को रेखांकित करना।
6. कक्षा के वातावरण को मूल्यों के विकास के लिए तनाव मुक्त और लोकतांत्रिक बनाना।

अन्य सहयोग

1. अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय (अदला-बदला) कार्यक्रम।
2. प्रदर्शनी, बाल मेले, मेले और लोक सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
3. समुचित मार्गदर्शन और परामर्श।

मूल्यों के विकास हेतु सुझावों को बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है :

1. पाठ्यक्रम में शामिल करना— मूल्या शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
2. विभिन्न दिवसों का आयोजन — विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के दिवसों का आयोजन किया जाना चाहिए। जैसे गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, विज्ञान दिवस आदि।
3. धार्मिक उत्सवों का आयोजन — धार्मिक मूल्यों का विकास हेतु विद्यालयों में विभिन्न धर्मों के विशिष्ट त्यौहार एवं उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे: दीपावली, ईद, क्रिसमस, होली, गुरु पूर्णिमा इत्यादि।
4. राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन— विद्यालय में विभिन्न राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती इत्यादि मनाए जाने चाहिए जिसके द्वारा छात्रों को विभिन्न क्रांतिकारी तथा महा-पुरुषों के संघर्ष का परिचय प्राप्त हो सके।
5. विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन— विद्यालय में राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें अतिथि वक्ता के रूप में विशेषज्ञों तथा छात्रों को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
6. विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन —विद्यालयों में मूल्य के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रतियोगिताओं जैसे भाषण, वाद-विवाद, निबंध लेखन, नारा लेखन, पोस्टर प्रदर्शनी, कविता लेखन, नाटक इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए।

7. **भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन**— शैक्षिक भ्रमण हेतु विभिन्न राज्यों में ले जाया जाना चाहिए, जिससे बालक उस राज्य की संस्कृति का अवलोकन कर उनका आदर कर सकें।
8. **विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन**— विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए जैसे विभिन्न पेन्टिंग, पोस्टर प्रदर्शनी इत्यादी का आयोजन किया जाना चाहिए। मूल्यों से संबंधित वृत्तचित्रों तथा चलचित्रों का प्रदर्शन विद्यालय में ही किया जाना चाहिए।
9. **राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी**— बालकों को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए तथा ऐतिहासिक महत्व से भी परिचित कराया जाना चाहिए।
10. **विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी**— पाठ्यक्रमों में विभिन्न लोकगीतों तथा कहानियों को स्थान प्रदान किया जाए। पाठ्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों की संक्षिप्त ज्ञांकी होनी चाहिए।
11. **अंतर्राज्यीय खेलकूद का आयोजन**— विद्यालयों में अंतर्राज्यीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे अन्य प्रांतों के विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया का अवसर प्राप्त हो तथा मूल्यों का विकास हो सके।
12. **अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन**— विद्यालयों में अंतर्राज्यीय विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे अंतर सांस्कृतिक एकता का विकास हो सके।
13. **सामाजिक शिविरों का आयोजन**— विद्यालय के द्वारा विद्यालय स्तर पर विभिन्न सामाजिक शिविरों जैसे एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाइड, कब-बुलबुल इत्यादी का आयोजन समय-समय पर किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी वास्तविक समाज से परिचित हो सके।
14. **अंतर्राज्यीय शिविरों का आयोजन**— अंतर्राज्यीय शिविरों का आयोजन विद्यालयों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न राज्य के विद्यार्थी एक साथ रहकर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।
15. **विद्यालयों में स्थान प्रदान करना**— मूल्यों के विकास हेतु विद्यालय में विद्यार्थियों को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे नोटिस बोर्ड पर मूल्यों से संबंधित विभिन्न विचार प्रदर्शित किए जा सकें।
16. **राष्ट्रीय स्मारकों का परिचय**— विद्यार्थियों को विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों जैसे –ताजमहल, जामा मस्जिद, लालकिला, सोमनाथ का मंदिर, इण्डिया गेट, जंतर –मंतर इत्यादि से परिचित किया जाना चाहिए।
17. **महान व्यक्तियों से परिचय**— बालकों को विभिन्न क्षेत्रों के महान व्यक्तियों जैसे— राजा राजमोहनराय, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चन्द्रबोस, भगत सिंह, लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि से परिचित कराया जाना चाहिए।
18. **प्रार्थना सभाओं का आयोजन**— विद्यालय में नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा उनसे निवेदन किया जाना चाहिए कि प्रवचन तथा उद्बोधन मूल्यों के विकास हेतु ही हो।
19. **विद्यार्थियों में समानता की भावना का विकास**— बालकों में समानता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इस हेतु विद्यालय में निर्धारित गणवेश होना चाहिए।
20. **मूल्यों के महत्व का ज्ञान**— बालकों को मूल्यों के महत्व का ज्ञान कराया जाना भी आवश्यक है। इस हेतु विद्यालय में निर्धारित व उचित मूल्यों का संचार होगा।

इसके अलावा भी विद्यालयों में मूल्यों के विकास हेतु निम्न कार्य किये जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। बालकों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए, विद्यालयों में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए, बालकों को धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दी जानी चाहिए इत्यादि।

मूल्य शिक्षा हेतु विभिन्न प्रविधियां

भरत सिंह नेगी के अनुसार: "मूल्य शिक्षा में गीत, कहानियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और नाटको का सहारा लिया जाना चाहिए। विभिन्न महापुरुषों की जीवनियों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। मानवीय मूल्यों के विकास में स्लाइड, वृत्तचित्रों, सांस्कृतिक विनिमय, कार्यक्रमों का उपयोग भी किया जा सकता है। उन्हे सामुदायिक शैक्षिक संसाधनों जैसे संग्राहलयों, प्रदर्शनियों, विज्ञान और कला, केन्द्रों, ऐतिहासिक स्थलों, वन्य जीव अभ्यारण्यों आदि का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।

मूल्य शिक्षा अन्य विषयों की भांति स्मृति के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। मूल्य शिक्षण केवल पढ़कर परीक्षा में पास होना तथा अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। मूल्य शिक्षा को व्यवहार का अंग अथवा भाग बनाया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों के द्वारा मूल्य को समझ जाना आवश्यक नहीं बल्कि मूल्यों को आत्मसात किया जाना आवश्यक है। अतः मूल्य शिक्षा हेतु व्याख्यान विधियों का प्रयोग न करते हुए अन्य प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्य शिक्षा हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अनेक प्रविधियों की संक्षिप्त में चर्चा की गई है जो क्रमशः है :

मौन धारण: मूल्यों के विकास में मौन धारण को महत्वपूर्ण माना गया है। कक्षा में शिक्षण से पूर्व दो मिनट का मौन रखकर मूल्यों का विकास किया जा सकता है। मौन रहने से व्यक्ति अपनी आसमिक शक्तियों के विकास में सहायता प्राप्त होती है। मौन के माध्यम से ध्यान, एकाग्रता, स्पष्ट चिंतन, स्वास्थ्य, स्मृति, आत्मबल इत्यादि का विकास होता है।

प्रदर्शनी का आयोजन: विद्यालय में मूल्यों के विकास के प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रदर्शनी में चित्र, पोस्टर, कार्टून, फोटोग्राफस, चार्ट, ग्राफ इत्यादि का प्रयोग मूल्यों के विकास में सहायक होगा।

भूमिका निर्वाह: भूमिका निर्वाह को मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। भूमिका निर्वाह के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं प्रदान की जाती हैं। इन भूमिकाओं का अभिनय एवं निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास होता है। भूमिका निर्वाह के दौरान केवल बच्चों से अभिनय नहीं करवाया जाना चाहिए बल्कि अभिनय की सारी तैयारी से भी अवगत कराया जाना चाहिए। भूमिका निर्वाह के दौरान बच्चों को पात्रों की वास्तविक चरित्र का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक आयोजन के बाद बच्चों के साथ मूल्य स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक आयोजन के बाद बच्चों के साथ भूमिका निर्वाह के संबंध में बच्चों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

कहानियां: कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों, जैसे: ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग बलिदान, अहिंसा, विश्वास, इत्यादि गुणों का विकास होता है। कहानी सुनाने से पूर्व शिक्षक को पूर्व तैयारी करनी चाहिए। कहानी सुनाने के पश्चात् मूल्य स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए जिससे सकारात्मक मूल्यों का विकास तथा नकारात्मक मूल्यों की रोकथाम हो सकेगी।

उपाख्यान: इस प्रविधि में जीवन की वास्तविक घटनाओं, जैसे: संघर्ष, दृन्द इत्यादि को प्रस्तुत किया जाता है। उपाख्यान कहानियों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। उपाख्यान के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक मूल्यों का विकास होता है।

समूह गायन: समूह गान का उद्देश्य बच्चों में एकता त्याग, ताल-मेल, लयात्मकता, एकाग्रता आपसी प्रेम, निर्भरता इत्यादी मूल्यों का विकास करना होता है विद्यालय में एकल गायन के साथ-साथ समूह गायन को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

समूह गतिविधियां: समूह गतिविधियां जैसे रैली, नुक्कड़ नाटक, खेल, समूह चर्चा, वाद-विवाद, समूह परियोजना कार्य, भूमिका निर्वाह, इत्यादि का आयोजन विद्यालय में करवाया जाना चाहिए। समूह गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सहनशीलता, त्याग, सहिष्णुता, परस्पर सहयोग, शांति, एकता, संगठन इत्यादि मूल्यों का विकास होता है।

प्रश्नोत्तर: कक्षा शिक्षण में अनेक प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसके माध्यम से सृजनात्मक को प्रोत्साहन, कल्पनाशीलता तथा मूल्य स्पष्टीकरण को बढ़ावा मिले।

परिचर्चा: कक्षा में परिचर्चा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण जैसे विषयों में अनिवार्य रूप से परिचर्चा प्रविधि कर प्रयोग किया जाना चाहिए।

मूल्य स्पष्टीकरण: जब दो मूल्यों के बीच चयन की समस्या उत्पन्न होती है तो मूल्य स्पष्टीकरण के माध्यम से मूल्य चयन में सहायता प्रदान की जाती है। मूल्य स्पष्टीकरण के दौरान शिक्षक के व्यक्तिगत रुझान को बच्चों के समझ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बच्चों को मूल्य चयन की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को तय करने दिया जाये कि क्या सही है और क्या गलत।

उक्त अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करते हुए कक्षा तथा विद्यालय के द्वारा बच्चों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है मूल्य विकास हेतु शिक्षक को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। मूल्य विकास को पाठ्यचर्चा एवं व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन मूल्यों के विकास से संबंध होना चाहिए।

उद्देश्य

1. मूल्यों के विकास से शिक्षा व विद्यालय को समझ पाएंगे।
2. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र का सही ज्ञान कराना।
3. छात्रों को देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।
4. छात्रों में अपने देश, धर्म, संस्कृति एवं मानवता के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना।
5. छात्रों को देश का जागरूक संभ्रांत एवं उत्तरदायी नागरिक बनने हेतु प्रशिक्षित करना।

विधि

शिक्षण विधि की कोई सीमा नहीं है। उन्हें कोई सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। विषय को विद्यार्थियों की योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधि निर्धारित की जाती हैं। जहां तक मूल्यपरक शिक्षा का प्रश्न है वहां सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही विधि को महत्व देना आवश्यक होगा। अतः सिद्धांत और प्रयोग इस मूल्यपरक शिक्षा की शिक्षण विधि है।

निष्कर्ष

जब दो मूल्यों के बीच चयन की समस्या उत्पन्न होती है तो मूल्य स्पष्टीकरण के माध्यम से मूल्य चयन में सहायता प्रदान की जाती है। मूल्य स्पष्टीकरण के दौरान शिक्षक के व्यक्तिगत रुझान को बच्चों के समझ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बच्चों को मूल्य चयन की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बच्चों को तय करने दिया जाये कि क्या सही है और क्या गलत।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शिविरा, मई-जून , 1982.
2. डॉ भरतसिंह नेगी, शैक्षिक संस्थाएं और मानवीय मूल्य, साप्ताहिक राजगार समाचार, नई दिल्ली, 14-20 फरवरी 2004.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986.

-----:-----

नई शिक्षा नीति 2020 और व्यवसायिक शिक्षा

प्रीति देवांगन,

सहायक प्राध्यापक

संदीपनी एकेडमी, अछोटी, दूर्ग, छत्तीसगढ़

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। नीति में ग्रामीण और शहरी कॉलेजों में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्रीप्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर भी फोकस किया जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया होती है और सभी बिंदुओं एवं मुद्दों पर विचार करते हुए किताबों को अंतिम रूप देने में कम से कम 3 साल का समय अवश्य लगता है। किसी भी शिक्षा नीति के बनने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि वह किस प्रकार बालकों के चरित्र का पूर्ण का विकास कर सके एवं उनका सर्वांगीण विकास कर सके।

व्यवसायिक शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, जो व्यावहारिक गतिविधियों पर आधारित होती है। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों में ऐसे कौशलों का विकास किया जाता है जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकें। वे लोग जो किसी भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं अच्छी नौकरियां सुरक्षित कर सकते हैं इसलिए सरकारी और व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में उच्च स्तर की कौशल मांग में वृद्धि करना आवश्यक है। व्यवसायिक प्रशिक्षण पुरुषों एवं महिलाओं की कार्य सीखने में मदद करती है। तकनीकी का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर के क्षेत्र ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल सीखना हमारे युवाओं को रोजगार खोजने या अपने व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाता है।

परिचय

विद्यार्थियों के बेहतर एवं उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में परिवर्तन समय अनुसार किए जाते हैं। इसी प्रकार की 2020 में नई शिक्षा नीति को प्रस्तावित किया गया है जिसमें देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् नामक एक नियामक की परिकल्पना की गई है। इस शिक्षा में मातृभाषा को स्थानीय भाषा के रूप में शामिल करते हुए कक्षा आठवीं एवं आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

शिक्षा नीति में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को रोकने का प्रयास किया गया किया गया है तथा बालकों को सरकारी स्कूलों के प्रति प्रेरित किया गया है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को उच्च कर उसे अंग्रेजी माध्यम में भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। पहले समूह के अनुसार विषय का चुनाव किया जाता था परंतु अब उसमें भी बदलाव किए गए हैं जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत विषय का भी साथ में चुनाव कर सकते हैं। सभी डिग्री 4 साल की होगी एवं छठवीं कक्षा से व्यवसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र आठवीं से अपने विषय का चुनाव कर सकेंगे। छात्रों के परफॉर्मंस का आंकलन करने हेतु कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस आंकलन को तीन स्तर में बांटा गया है, पहले स्तर में छात्र से मूल्यांकन करायेंगे, दूसरे स्तर में सहपाठी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं तीसरे स्तर में शिक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा।

विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया है जिसमें छात्रों के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य

1. शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु।
2. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु।
3. छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने हेतु।
4. विद्यार्थियों की समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करने हेतु।
5. विद्यार्थियों के शिक्षा के मूल्यांकन के स्तर में वृद्धि करने हेतु।

व्यवसायिक शिक्षा

व्यवसायिक शिक्षा एक माध्यम है जो शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ती है परंतु यह अधिक व्यापक है। व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा छात्रों को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। व्यवसायिक शिक्षा का आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझाव द्वारा हुआ है। व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक किया गया है एवं उनके जीविकोपार्जन हेतु कौशल प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा के स्तर को व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्र की आर्थिक रूपरेखा को मजबूत बनाने हेतु यह विशेष कदम है।

देश के विकास को शैक्षिक व्यवस्था में सुधार कर एवं शिक्षा के उद्देश्य का संपूर्ण रूप से पालन करके ही किया जा सकता है। व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्रदान करना एवं व्यवसाय उपलब्ध कराना एक चुनौती है, जिसको पूर्ण करना आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा को पूरे व्यवसाय में परिवर्तित किया जाए। आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्रों के अनुरूप बनाया जाए जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। राष्ट्र का विकास करना सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना एवं शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देना आदि हेतु व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक है। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा को भी उचित स्थान देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का जीवन के साथ सामंजस्य होना अति आवश्यक है। हिंदी को व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा में समस्त व्यवसायिक पुस्तकों का अनुवाद कराया जाए। विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को देखा गया है। यातायात वाहनों के प्रयोग करने विभिन्न वेशभूषा की संरचनाएँ रोगों के उपचार, रहनसहन, संगीत नृत्य नाटक आदि हेतु व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य है। जीवन संबंधित कार्य करने के लिए शिक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि मनुष्य रोटी के बिना नहीं रह सकता। रोटी कपड़ा और मकान अनिवार्य होता है। इसके लिए मनुष्य को कार्य करना ही है, किंतु बिना समुचित प्रशिक्षण के कार्य करना कठिन होता है। व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। सांस्कृतिक अभिरुचि की पूर्ति के लिए भी यह शिक्षा आवश्यक होती है। बालक की रुचि, उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना में शिक्षक एवं पुस्तक के स्थान पर बालकों को विशेष महत्व देना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक ढंग से दिखाया जाता है।

व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

1. शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने हेतु।
2. प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु।
3. छात्रों की योग्यता एवं रुचि अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु।
4. विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण हेतु।

5. शिक्षा के अवसरों में विविधता लाने हेतु।
6. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु।

नई शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या अधिक पाई गई है जिनमें कामकाजी युवकों को व्यवसाय की आवश्यकता है। व्यवसायिक शिक्षा द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का क्रियान्वयन अहम् है, क्योंकि आज की दशक में नियमित स्कूल कॉलेजों की तुलना में व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र को कम महत्व दिया जाता है। अतः व्यवसायिक शिक्षा के स्तर को उच्च करना अनिवार्य है। विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के शिक्षकों को व्यवसायिक शिक्षा के प्रावधान के संबंध में उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है एवं शिक्षकों एकीकरण के साथ अपनाने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सहायक शिक्षा के महत्व को बताते हुए बेसिक शिक्षा से ही छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बिजली का काम, शिल्पकारी, बढ़ई का काम आदि व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार व्यवसायिक कोर्स कराए जाएंगे जिनसे उन्हें भविष्य में लाभ हो सके।

नई शिक्षा नीति के तहत देश के सभी शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया है एवं व्यवसायिक शिक्षा को छठवीं कक्षा से प्रारंभ किया गया है। छात्रों को व्यवसाय संबंधित कुशल प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम छोड़ना चाहते हैं उन्हें आसानी से एग्जिट का उपलब्ध हो सके। नई शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा को देश भर में लागू करना शिक्षा के स्तर को उच्च करने एवं 21वीं सदी के मांगों को पूर्ण करने हेतु एक सफल कदम है जिससे देश के भविष्य को बेहतर किया जा सकता है। व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीख सकें और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो, जिसके परिणामस्वरूप वह श्रम की महत्ता को समझ सके एवं अपने अनुसार व्यवसाय प्राप्त कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार राजीव, कुमार नरेंद्र (2003), तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा :वर्तमान युग की मूलभूत आवश्यकता” भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. अप्रैल।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 “मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार”
3. पांडेय, कुमार सुधांशु “शिक्षा नीति 2020” : कुछ संस्तुतियाँ एवं विमर्श

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा : एक अवलोकन

श्रीमती रंजना ठाकुर,

सहायक प्राध्यापक,

कोलंबिया ग्रुप ऑफ कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

शोध संक्षेप

शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण में योग है। वर्तमान समय परिवर्तनों का है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही है चाहे वह उद्योग, व्यवसाय या विज्ञान हो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य परिवर्तन आये हैं। इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार ने आरम्भ किया है। इस नई शिक्षा पॉलिसी में व्यवसायिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है।

प्रस्तावना

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा।


नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 स्कूली शिक्षा में 100 % जी.ई. आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया जायेगा। पूर्व में 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परन्तु नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जायेगा। यह 2014 के आम चुनावों के घोषणा पत्र में शामिल था।

सरकार ने लगभग 34 वर्षों के बाद कई सुधार लाते हुए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनावरण किया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इसमें टेक्निकल एवं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (T.V.E.T.) हमेशा से एक ऐसी आवश्यकता रही है जिसकी मांग कभी कम नहीं हो सकती।

नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु

1. कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही नियामक द्वारा शासित किया जायेगा।
2. निजी और सार्वजनिक उच्च संस्थानों के लिए समान मानदंड स्थापित किये जायेंगे।
3. एम. फिल कोर्स बंद किये जायेंगे।
4. बोर्ड परीक्षा ज्ञान आवेदन पर आधारित होगी।
5. कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम गृहभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
6. विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली समान प्रवेश परीक्षाएं।
7. स्कूली पाठ्यचर्या को मूल अवधारणाओं तक कम किया जाना, कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा का एकीकरण।

शिक्षा नीति का इतिहास



नेशनल एजुकेशन एवं व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। देश के तमाम शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल करने को कहा गया, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी युवा है और 64 प्रतिशत आबादी के काम करने की उम्र 15 से 30 वर्ष के बीच है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एन. ई. पीमेंवि. ई को शामिल किया गया।

भारत में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अगले एकदश कमेंटी.वी.ई, टी पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह रिपोर्ट देश में टी. वी. ई. टी. शिक्षा प्रणाली की मौजूदा स्थिति बताने में सक्षम है एवं इस बात की भी व्याख्या करती है कि एन.ई. पी लागु करने में शिक्षण संस्थानों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड रहा है, इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट कई तरह के सुझाव एवं प्रस्ताव भी प्रस्तुत करती है।

इन सारी बातों रखते हुआ टी. वी. ई. टी. व्यवस्था हमेशा से ही ऐसी रही है जिसकी मांग कभी कम नहीं हो सकती। यहाँ तक की सबसे बेहतर वकृत में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूरा करने और समावेशी और संतुलित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह शिक्षा जरूरी है।

नई दिल्ली युनेस्को के निर्देशक एरिक कौसर का मत है इनमे दो राय नहीं है कोविड 19 महामारी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट और रोजगार को इस स्तर पर प्रभावित किया है जो इस में पहले नहीं देखा गया था। कई मायनों में कोरोना महामारी ने वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है।

वर्तमान संदर्भ में व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता

शिक्षा समाज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। समाज एवं शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं। बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के कारण शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। इन्ही समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यकता है कि हम बालकों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दें, यह शिक्षा हम बच्चों को प्राइमरी कक्षा से देंगे तभी हमारा मकसद सिद्ध होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्ययन अनुसार 14 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। इनमे से पांचवी पास करते करते 50-55 फीसदी बच्चा स्कूल छोड़ देते हैं। आठवीं पास करते-करते 60 फीसदी बच्चे पढाई छोड़ देते हैं। ऐसे ही आगे की कक्षाओं में ड्रॉपआउट बच्चों की बढ़ती जाती है। यदि इन्हे हम नई शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक शिक्षा दें, तो यह बच्चे स्कूल छोड़ने पर अन्य रोजगार अपना सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा का परिणाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बच्चा आत्मनिर्भर हुए एवं उनका आत्मविश्वास जावेगा। व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा बच्चे कम उम्र में ही आत्म निर्भर होंगे। यह महात्मा गाँधी का विचार था कि बच्चे कम उम्र में आत्म निर्भर हों, ऐसे कौशल उनमें विकसित किये जाएँ जिससे की वे किसी पे निर्भर न हो। यह यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण समग्र शिक्षा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। नीति उच्च शिक्षा में सकल अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने पर आधारित है जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा की ओर बच्चों का रुझान और बढ़ेगा। इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास होगा, जिससे हमारे समाज एवं देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

संदर्भ सूची

1. <https://www-orfonline-org/research/vocational-education-centre-stage-in-the-implementation-of-nep-2020>
2. <https://corporate-cyrlamarchandblogs-com>
3. <https://sprf-in/vocational&education>
4. [https://dise-in/Downloads/kothari commission vol- 1\] PP 287](https://dise-in/Downloads/kothari%20commission%20vol-1%20PP%20287)
5. <https://www-mhrd-gov-in/sites>
6. Agrawal] Rashmi and kumar Indra] 2014] pRole of Vocational Education in shaping Socio&Economic Landscape in Indiaß] Indian Journal of Industrial Relations] 49¼3½] PP- 483&498

-----:-----

व्यवसायिक शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन

सरोज शुक्ला,

शोधार्थी,

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. रेखा नरेन्द्र जीभकाटे,

प्राध्यापक

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

शिक्षा विकास का वह नाम है जिससे मानव अपने को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यदि हम व्यवसायिक शिक्षा को ही लेते हैं तो वह विकास के पथ का एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ राष्ट्र को विकासशील ही नहीं बनाती है, अपितु उस राष्ट्र के प्रत्येक निवासी की आर्थिक स्थिति को दृढ़ता प्रदान कर उसे संपूर्णता आत्मनिर्भर बनाता है। बदलते इस युग के साथ सरकारी/गैरसरकारी द्वारा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेको कार्य किये जा रहे हैं। अतः व्यवसायिक शिक्षा का योगदान सराहनीय है। अब 21वीं शताब्दी में केवल वे लोग जो किसी भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, अच्छी नौकरियां सुरक्षित कर सकते हैं इसलिये सरकारी और या व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में उच्च स्तर की कौशल मांग में वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक सरलता और सहजता से ऐसे उपकरणों की एक सारणी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो शिक्षार्थी के सीखने की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शब्द की एक व्यापक परिभाषा पर निर्भर करती है।

मुख्य शब्द

व्यवसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, व्यवहार एवं अनुदेशन।

प्रस्तावना

भारत में व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय से अब तक अनेक सुधार व परिवर्तन किये गये जिससे व्यवसायिक शिक्षा में कौशल विकास को महत्व दिया गया तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में कौशल को आवश्यक माना गया, जिसके तहत व्यवसायिक पाठ्यक्रम का न सिर्फ नवीनीकरण किया गया है। अपितु अनेक नवीन पाठ्यक्रमों को भी प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है। बढ़ती हुई आबादी के कारण बेरोजगारी सुरसा (राक्षस) की तरह मुँह फैलाये हुए है, अतः इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को योग्य एवं सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नई दिल्ली प्रौद्योगिकीयों का बड़े पैमाने पर पहला उपयोग प्रशिक्षण फिल्मों और अन्य मिडिया सामग्री के माध्यम से द्वितीय विश्वयुद्ध के अमेरिका सैनिकों के प्रशिक्षण में पाया जा सकता है। आज की प्रस्तुतिकरण आधारित प्रौद्योगिकी इस विचार पर आधारित प्रौद्योगिकी इस विचार पर आधारित है कि लोग विषय वस्तु को श्रव्य और दृश्य अभिग्रंथ से सीख सकते हैं जो अनेक प्रारूपों में उपलब्ध है, जैसे स्ट्रीमिंग ऑडियो और विडियो पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण।

आवाज (1940) के दशक का एक अन्य रोचक अविष्कार हाइपर टेक्सट यानि वी बुश का मेमेक्स था। 1950 के दशक में दो प्रमुख लोकप्रिय अभिकल्प दिये। स्कनर्स ने अनुदेशनात्मक विषय वस्तु को छोटी ईकाईयों में विभाजित कर तथा सही अनुक्रियाओं को अक्सर जल्दी पुरस्कृत कर क्रमादेशिक अनुदेशों का व्यवहार अन्य लक्ष्यों के संरूपण पर ध्यान केन्द्रित करना संभव बनाया। अपने बौद्धिक व्यवहारों के वर्गीकरण के आधार अधिगम के प्रति प्रवीण दृष्टिकोण की वकालत करते हुए ब्लूम में अनुदेशात्मक तकनीकों का समर्थन किया जिसने शिक्षार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुदेश एवं समय दोनों परिवर्तित किया। 1970 के दशक से 1990 के दशक ऑनलाईन अधिगम के दो प्रमुख प्रारूपों में अंतर लोकप्रिय हुई जिसमें कम्प्यूटर आधारित सी.वि.टी है। कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण अधिगम पूर्व के इन दोनों ही प्रकारों ने एक ओर छात्र और कम्प्यूटर अभ्यास एवं अनुशिक्षण तथा

दूसरी ओर छात्र और सूक्ष्म संसार एवं अनुरूपरण पर जोर दिया। आज कम्प्यूटर के माध्यम से संचार नियमित विद्यालय प्रणाली में प्रचलित रूपावली है, जहां छात्र एवं अनुदेश के बीच पारस्परिक क्रिया का प्राथमिक प्रारूप कम्प्यूटर के माध्यम से है वही दूसरी ओर सी.बी.एल का मतलब वैयक्तिक अधिगम से है। जबकि सी.एम.सी में शिक्षण निजी शिक्षक सुविधा शामिल है और लचीली शिक्षण गतिविधियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके आलावा आधुनिक आई. सी.टी. उपकरणों के साथ अधिगम समूहों और संबंध ज्ञान प्रबंधन कार्य को बनाये रखने के लिये शिक्षा प्रदान करता है। यह छात्र और पाठ्यक्रम प्रबंधन के लिये उपकरण भी उपलब्ध कराता है। अधिगम प्रौद्योगिकी कक्षा संवर्धन के अलावा पूर्ण कालिक दूरस्थ शिक्षा में प्रमुख भूमिका अदा करता है, जबकि अधिकांश गुणवत्ता की पेशकश कागज, विडियो और सामायिक सी.बी.टी, सी.बी.एल सामग्री पर निर्भर करती है। विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई शिक्षण का उपयोग अधिक किया जा रहा है। 2000 के दशक में बहुगुण मोबाईल तथा सर्वव्यापी प्रौद्योगिकियों के उद्भव में अधिगम के संदर्भ परिदृश्यों के अनुकूल स्थानिक अधिगम को नई प्रेरणा दी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अधिगम प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। यह उचित तकनीकी प्रक्रिया और संसाधनों के सृजन उपयोग प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द के साथ प्रायः अनुदेशनात्मक सिद्धांत तथा अधिगम सिद्धांत संबंध और शामिल होते हैं। जबकि अनुदेशी प्रौद्योगिकी में अधिगम एवं अनुदेश की प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियां शामिल होती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मानवीय क्षमताओं के विकास हेतु प्रयुक्त अन्य प्रणालियां प्रसिद्ध उदाहरण छोटे-मोटे गेम और भी बहुत कुछ पोस्ट कर सकते हैं। आजकल के बच्चे कम्प्यूटर में वेबसाइट खोल सकते हैं, जिससे उन्हें इनका लाभ मिल सकता है।

सिद्धांत एवं व्यवहार

शैक्षिक प्रौद्योगिकी साहित्य में तीन मुख्य सैद्धांतिक स्कूल या कॉलेज में दार्शनिक ढांचे उपस्थित रहे हैं। ये व्यवहारवाद संज्ञानवाद और रचनावाद तीनों वैचारिक स्कूलों में से प्रत्येक आज के साहित्य में उपस्थित हैं। लेकिन उनका विकास उसी प्रकार हुआ है जैसे कि मनोविज्ञान साहित्य का विकास हुआ है।

स्किनर का योगदान

समकालीन शिक्षा में निहित मिथ्यों को समाप्त करने के प्रयास में तथा साही अपनी इस प्रणाली को जिससे क्रमोदशित अनुदेश कहते थे। ओगडेन लिंडसले ने भी इसी प्रकार लिखी ऑफ टिचिंग व्यवहार विश्लेषण पर आधारित सेलेरेशन अधिगम विकसित की थी।

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण

हम में से कई लोग अंततः आश्चर्य करते हैं की हमें इतने सारे विषयों को सीखने के लिये क्यों बनाया गया था जिनके बाद जीवन और काम में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। व्यवसायिक केन्द्रों के लोगों को ऐसा कोई पछतावा नहीं है। उनके पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी हैं। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और इंटरनेट अनुप्रयोगों तथा गतिविधियों का समावेश करती है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी मानविकी

अलबर्टा इनीशियेटिव फॉर स्कूल इम्पुवमेंट के शोध के अनुसार पाठ्यक्रम केन्द्रित पर आधारित दृष्टिकोण प्रभावी रूप से शैक्षिक व प्रौद्योगिकी के अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया में सममिश्रण को समर्थन देते हैं।

कक्षा में प्रौद्योगिकी

पारंपरिक कक्षाओं में वर्तमान में कम्प्यूटर और गैर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के कई प्रकार उपयोग में हैं। इसमें शामिल हैं:

कक्षा में प्रौद्योगिकी

कक्षा में कम्प्यूटर होना एक शिक्षक के लिये एक संपत्ति है। कक्षा में कम्प्यूटर के साथ शिक्षक एक नया पाठ प्रदर्शित करने, नई सामग्री प्रस्तुत करने, नये प्रोग्राम का उपयोग समझने और नयी वेबसाइट दिखाने में सक्षम होते हैं।

कक्षा वेबसाइट

अपने छात्रों के काम को प्रदर्शित करने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि अपनी कक्षा के लिये डिजाइन किया हुआ वेबपेज बनाया जाये। एक बार एक वेबपेज बना लिया गया है तो शिक्षक उस पर गृहकार्य, छात्रकार्य आदि कार्य कर सकते हैं।

नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि

व्यवसाय शब्द स्वयं में ही सुझाव देता है छात्र अधिक विशिष्ट है और इसलिये उनको रोजगार की संभावना अधिक होती है।

छात्रों में परिपक्वता का गुण

व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में परिपक्वता के गुण विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस कार्य को करके देखते हैं जो भविष्य में उनके रोजगार में काम आते हैं।

किसी के करियर का चयन करना

हम में से कई लोग जीवन में बाद में एक गलत पेशे में स्वयं को पाते हैं। जहां हम खुश नहीं हैं व्यवसायिक संस्थान से गुजरने वाले छात्रों को ऐसा कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि वे वहीं चयन करते हैं जिसमें वे कुशल होते हैं। देश की संपत्ति व्यवसायिक शिक्षा किसी व्यक्ति को किसी विशेष छात्र में एक विशेषज्ञ बनाती है। ऐसा व्यक्ति देश के लिये एक संपत्ति बन जाता है। विदेश में रोजगार दुनिया भर में अधिकांश व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होने के नाते निश्चित रूप से पूरी दुनिया में नौकरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त एक वर्क परमिट वीजा प्राप्त करना पड़ता है। व्यवसायिक केन्द्र कौशल या व्यापार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपसंहार

प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं व प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन का समूह है। कई लोग तकनीकी और अभियांत्रिकी शब्द को एक दूसरे के पर्यायवाची मनाते हैं। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। आदिकाल से मानव तकनीकी का प्रयोग करता आ रहा है। आधुनिक सभ्यता के विकास में तकनीकी रूप से सक्षम है, वे सामरिक रूप से भी सबल होते हैं और देर-सबेर आर्थिक रूप से भी सबल बन जाते हैं।

संदर्भ सूची

1. Galshan Kumar And Dr. Kuldeep kumar Pablshed Online 15 April 2019 Volum-04 Issue -04 April 2019.
2. नागपाल वी (2010) इम्पॉटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू-यू केस ऑफ एन जी ओ. इन दिल्ली (द एडिमिशन वैल्यूम -71 इंडियन जर्नल ऑफ एडल्ट ऐजुकेशन -41 -56
3. रिची आर सी 2008 एई सीटी डिफेशनल ऑफ फील्डपर विचार ,टेकट्रेड्स 25-24(1)52
4. लोवेथल पी.आर और विल्सन बी.जी (2010) लेब डू मेटर्स । एई सीटी के रिडीकिनेशन ऑफ द फील्ड की आलोचना ,ट्रेकट्रेड्स (1) 54-38 46 डी.ओ.आई / 10.10075-0362-009-11528 ।

5. हैंडबुक ऑफ ह्यूमन पफॉमेंस टेक्नोलाफजी एंड्स हेरोल्डस्टोलोविच, एरिका कीप्स,जेम्सपार्शिंग 3 एण्ड (2006)
6. व्यूम बी एस (1956) टेक्सोनोंमी ऑफ ऐजुकेशनल आबजेक्टिव,हैंडबुक द काग्निशन डोमेन न्यूयार्क :डेविड मेकके कंपनीइंक
7. सरवील,एस.सी.("2008 इमपवाइंग द नीव एजुकेशनल टेकनोलॉजिस्ट : अ काल फॉर एवीडेश चेंज" पी.डी. एफ) प्रोसेन्डीग ेबपसपजम मेलबार्न .2008 नामालूमप्राचल कॉर्थर्स की अपेक्षा की गई ।
8. स्किनर बी.एफ. (1965) द टेकोलॉजी ऑफ टिचिंग । प्रोस आर स्काटलैण्ड बी. ब्वाईल एस.सी.आई 427 : (989) 162-43 पी.एम.आई डी 4378497 डी ओ आई /10.1098:आर एस पी बी कृकृ1965 :1965.0048
9. <https://supporthoghing.com/links+to+School+Bloggers> or <http://movingforword.wikispaces.com/Blogs> loking
10. प्रोफेसर सेमूर पेपर्ट
11. अध्ययन पर प्रौद्योगिकी प्रभाव
12. प्रौद्योगिकी का प्रभव
13. व्हाइट कसेड्रा बौलार्ड जोसे बास नई दिल्ली निर्देश सोर्सबुक फ्रंसिसको कैलिफोर्निया
14. शिक्षा के क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी का उपयोग
15. कोर्डस कोलेन एंड मिलर एडवर्ड (1999) फूलन गोल्ड अ क्रिटीकल लूक एट कम्प्यूटर इन चाइल्डहूड
16. कला प्रसाद प्रो. अंशु भटिया, शोधार्थी निदेशिका स्कूल ऑफ एजुकेशन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर वर्तमान में मुक्त विश्वविद्यालयी संस्था द्वारा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का अध्ययन एक अवलोकन ।

-----:-----

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आईसीटी का शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव अध्ययन

डॉ. संजीत कुमार साहू,
प्राध्यापक, (शोध निर्देशक)
श्री रावतपुरा सरकार,
विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

विद्याभूषण शर्मा,
शोधार्थी (शिक्षा)
श्री रावतपुरा सरकार,
विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

ज्ञान और कनेक्टिविटी की तकनीक मानव जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा रही है और इसने चीजों को कम समय और खर्च करते हुए अधिक हासिल करने की अनुमति दी है। टेस्ट अध्ययनों से पता चलता है कि ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग शैक्षिक व्यस्तता बढ़ाने, क्षमता में सुधार करने में सफल होता है। चुनौती देने के लिए, परीक्षा की भावना को बेहतर बनाने और स्कूल के अंक बढ़ाने के लिए। यह आमतौर पर तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा को बढ़ाने में काफी हद तक सफल होता है। विभिन्न औसत अंकों, उम्र और स्थानों के साथ पुरुष और महिला छात्रों के बीच, यह प्रभाव समान था। हालांकि, तकनीकी और उच्च विद्यालयों के छात्रों पर इसका प्रभाव अलग था। आज, आधुनिक प्रौद्योगिकियों द्वारा लाए गए सुधारों ने जीवन के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है, जो लोग ग्रह के किसी भी कोने में काम करते हैं। नई और उभरती तकनीक में पारंपरिक शिक्षण और सीखने की विधि ने भी स्कूली शिक्षा को प्रतिस्थापित किया। ज्ञान का सॉफ्टवेयर यह शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव है— शिक्षा, अनुदेशात्मक तकनीक, कक्षा में सीखना आदि। तेजी से संपर्क और बेहतर ज्ञान का उपयोग। घरेलू, कार्यालय और शैक्षिक संस्थानों में, प्रौद्योगिकी (आईटी) ने स्कूली जीवन के लिए एक विधि बना दी है। संचार प्रौद्योगिकी जागरूकता संसाधनों को बढ़ावा देती है। ये शिक्षकों और छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है।

मुख्य शब्द

सूचना और डेटा प्रौद्योगिकियां, शिक्षा, इंटरनेट, प्रभावशीलता।

परिचय

21 वीं सदी सूचना और डेटा क्रांति की सदी है। इसका तात्पर्य औद्योगिक सभ्यता के सूचना प्रणाली में परिवर्तन से है और आज, सबसे अमीर देशों और मानव समुदायों के पास ज्ञान, ज्ञान और बुद्धि की सबसे बड़ी पहुंच है। निश्चित रूप से, आईसीटी संभावित स्कूली शिक्षा में नेतृत्व करेगा। 21 वीं सदी में, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण स्थिति निभाती है इसलिए, किसी भी कंपनी के लिए आज आईटी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कक्षा प्रशासन को आमतौर पर शिक्षण और पाठ्यक्रम में कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के चारों ओर घूमता है और एक शोध-आधारित और छात्र-आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। शिक्षक अब डेटा को कैचर करने और प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन वह विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है और वह एक बहु-कुशल कार्यकर्ता होना चाहिए। शिक्षण उपकरण और पारंपरिक शिक्षण के बंद, न्यूनतम और केंद्रित पैटर्न अक्सर मुक्त, गैर-केंद्रित और अप्रतिबंधित पैटर्न में बदल जाते हैं समय और स्थान प्रतिबंधों की अनदेखी करते हैं, और बल्कि औपचारिक परिणामों के साथ शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी-आधारित पाठ्यक्रम विषय बहु-आयामी और प्रकृति में प्रेरक हैं, और उनके निर्माता प्रक्रिया-आधारित नीतियां प्रदान करते हैं जो संदर्भ-आधारित नहीं हैं। शिक्षक-आधारित नीति इस विषय के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण में मानव शिक्षा का आधार और आधारशिला है। लेकिन एक नई मानसिकता में, शिक्षण और प्रशिक्षण की छात्र-आधारित नींव विकसित की गई।

➤ शिक्षण और प्रशिक्षण चरण में शैक्षिक विकास के महत्व और शिक्षण में गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता और आईसीटी घटना के बेहतर दोहन के संबंध में, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में इन अग्रिमों को पेश करने के लिए ऐसी सुविधाओं को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए, विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी अनुप्रयोगों के अभूतपूर्व परिणामों पर शोध करना आवश्यक है। इन नवाचारों के प्रमुख उपयोगकर्ता सामान्य रूप से वैज्ञानिक हैं और विशेष रूप से छात्र हैं। इंटरनेट छात्रों के शैक्षिक और अवकाश के समय के अनुभवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को समर्पित करता है, और यह संभावना मौजूद है कि इस प्रवृत्ति का लाभ उठाने से स्कूल में उनकी प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव और प्रभाव की मान्यता के मद्देनजर, उभरती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामों के मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना चाहिए।

➤ **अध्ययन का परिसीमन:** प्रस्तुत अध्ययन में शोध के क्षेत्र रूप में बिलासपुर जिले के विद्यालयों के शिक्षकों तक सीमित है

साहित्य की समीक्षा

जमानी और इस्फहानी (2016) ने इस्फहान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षकों की उपलब्धि और उनके आईसीटी के उपयोग के नाम पर एक अध्ययन किया और यह पाया कि प्रशिक्षकों को घर और कक्षा में हार्डवेयर संभावनाओं (सुविधाओं) तक पहुंच प्राप्त है। हालांकि, कंप्यूटिंग क्षेत्र में पहुंच का योग इतना आकर्षक नहीं है। निर्देश, अध्ययन और संचार के तीन क्षेत्रों में आईसीटी का कार्यान्वयन भी इष्टतम मानक से छोटा है।

पेलेग्राम वेलवा (2013) से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आईसीटी को सीखने के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्व दिया गया है, जहां यह तेजी से छात्र-आधारित है। शिक्षकों ने यह भी संकेत दिया कि शिक्षार्थियों में भी बहुत उत्साह है और अनुशासन के साथ मुद्दों को तय किया गया है। शिक्षक अक्सर यह दावा करते हैं कि, काम की मात्रा भारी होने के बीच (जो सीखने के परिचय के लिए तैयारी का उत्पाद है), शिक्षक कक्षा की स्थापना में बहुत अधिक आराम महसूस करते हैं और सराहना करते हैं कि वे अपने विद्यार्थियों को ठीक से तैयार करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अन्य शिक्षकों के साथ उनका सहयोग मजबूत हुआ है और उनका उत्साह बढ़ा है। उपरोक्त समस्याओं के संबंध में, यह शोध दिल्ली प्रांत में तीसरी कक्षा के हाई स्कूल के छात्रों के शैक्षिक सुधार पर आईसीटी के प्रभावों पर शोध करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा, लिंग के चर के आधार पर, अकादमी के प्रकार, आयु, शैक्षिक क्षेत्र और औसत, तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक उन्नति पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बीच पर्याप्त अंतर की उपस्थिति की जांच की गई।

अध्ययन का उद्देश्य

➤ शैक्षिक वृद्धि पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभावों का अनुसंधान करना।

➤ शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझना।

सामान्य परिकल्पना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता है।

1. उपयोग सूचना और संचार तकनीकों के तीसरे ग्रेड उच्च विद्यालय के छात्रों पर असर 'बौद्धिक प्रोत्साहन सुधार हुआ है।
2. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की बेहतर प्रश्न-निर्माण क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है।
3. ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तीसरी कक्षा में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की अध्ययन भावना के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

4. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों के पाठ्यक्रम स्कोर की उन्नति पर प्रभाव पड़ता है।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस समीक्षा में, विश्लेषण विधि उपरोक्त उद्देश्य और परिकल्पनाओं के संबंध में सर्वेक्षण के रूप में एक व्यापक है।

तालिका 1-1: लिंग भेद के अनुसार सांख्यिकीय जनसंख्या की आवृत्ति

Gender/Third Grade in secondary school	Girl	Boy	Total
Population Frequence (fi)	730	1170	1900
Percentage (pi)	38%	62%	100%

इस अध्ययन में, डेटा संग्रह के लिए, दो रिपोर्टिजरी (पुस्तकालय की पुस्तकों, शोधपत्रों, कागजात, त्रैमासिक और प्रासंगिक और विज्ञान से जुड़े (अनुसंधान से संबंधित) इलेक्ट्रॉनिक पेपर) और फील्ड विधियों का उपयोग एक प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है।

शोध के निष्कर्ष

अनुसंधान की पहली परिकल्पना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तीसरी कक्षा के हाई स्कूल के छात्रों के स्कूली शिक्षा (तालिका 2-1 और तालिका 2-2) को बेहतर बनाने के प्रोत्साहन पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 2-1: अनुसंधान के पहले हाइपोथीसिस के लिए उत्तरदाताओं के आवृत्ति प्रतिशत का वितरण

Very Low	Low	To Some extent	High	Very High	Total
0	0	14	226	77	320
0	0	5.3	70.6	24.1	100.0

तालिका के परिणाम (2-1) के अनुसार, 0 प्रतिशत ने बहुत कम और निम्न विकल्पों का जवाब दिया, 5.3 प्रतिशत ने "कुछ हद तक" विकल्प का जवाब दिया, 70.6 प्रतिशत ने मध्यम विकल्पों पर जवाब दिया, और 24.1 प्रतिशत ने बहुत बड़े विकल्पों का जवाब दिया। अधिकतम आवृत्ति एक विकल्प के साथ सहसंबद्ध है।

तालिका 2-2: अनुसंधान की पहली परिकल्पना के संबंध में कार्ई-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम

Sig	X2	Df
0.000	12.171	2

जहां तक तालिका (2-2) का संबंध है, मापा कार्ई-वर्ग (12.171) तालिका में कार्ई-वर्ग के मान (9.21) से अधिक है, इसलिए 99 प्रतिशत दृढ़ विश्वास दर्शाता है कि बीच पर्याप्त अंतर है आवृत्तियों पाया और आवृत्तियों की भविष्यवाणी की और यह खोज बताती है कि तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की बौद्धिक प्रेरणा में सुधार पर ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

शोध की दूसरी परिकल्पना: ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की प्रश्न-निर्माण क्षमताओं (तालिका 3-1 और तालिका 3-2) की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 3-1: अनुसंधान की दूसरी परिकल्पना के लिए उत्तरदाताओं के आवृत्ति प्रतिशत का वितरण

Variable	Very Low	Low	To Some extent	High	Very High	Total
Frequency	0	0	7.0	201.0	115	320
Percentage	0	0	2.2	62.8	35	100.0

टेबल डेटा (3-1) के संबंध में, 0 प्रतिशत ने बहुत कम और निम्न विकल्पों का जवाब दिया, जिस पर 2.2 प्रतिशत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक बिंदु पर, 62.8 प्रतिशत ने उच्च विकल्प के लिए उत्तर दिया और 35.0 प्रतिशत ने वास्तव में उच्च विकल्प के लिए उत्तर दिया, जो आमतौर पर एक उच्च विकल्प के साथ सहसंबंध है।

तालिका 3-2: अनुसंधान की दूसरी परिकल्पना के संबंध में कार्ई-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम

Sig	X2	Df
0.000	17.768	2

0 प्रतिशत ने टेबल डेटा (3-1) के संबंध में बहुत खराब और कम विकल्पों पर प्रतिक्रिया दी, जिस पर 2.2 प्रतिशत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक डिग्री के लिए, 62.8: को उच्च विकल्प के लिए संदर्भित किया जाता है और 35.0: को एक बहुत ही उच्च विकल्प के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे आमतौर पर उच्च विकल्प के साथ पहचाना जाता है।

शोध की तीसरी परिकल्पना : तृतीय श्रेणी माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल) के छात्रों की अध्ययन भावना बढ़ाने से सूचना और ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों (तालिका 4-1 और तालिका 4-2) के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 4-1: अनुसंधान की तीसरी परिकल्पना के लिए उत्तरदाताओं के आवृत्ति प्रतिशत का वितरण

Variable	Very Low	Low	To Some extent	High	Very High	Total
Frequency	0	0.1	6.0	203.0	110.0	320
Percentage	0	0.3	1.9	63.4	34.4	100.0

तालिका के परिणामों के बारे में (4-1), 0 प्रतिशत ने बहुत कम विकल्पों का उत्तर दिया, 0.3 प्रतिशत ने निम्न विकल्पों का उत्तर दिया, 1.9 प्रतिशत ने कुछ विकल्पों के लिए मध्यम विकल्पों का जवाब दिया, 63.4 प्रतिशत ने मध्यम विकल्पों का जवाब दिया और 34.4 प्रतिशत ने बहुत अधिक विकल्पों का जवाब दिया, जो उच्च विकल्पों के साथ अधिक सामान्यतः सहसंबंध हैं।

तालिका 4-2: अनुसंधान की तीसरी परिकल्पना के संबंध में कार्ई-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम

Sig	X2	Df
0.000	13.468	3

तालिका के निष्कर्षों के बारे में (4-1), 0% ने बेहद कम विकल्पों का जवाब दिया, 0.3% ने निम्न विकल्पों का जवाब दिया, 1.9% ने मध्यवर्ती विकल्पों को एक हद तक जवाब दिया, 63.4% ने मध्यवर्ती विकल्पों को जवाब दिया, और 34.4% ने बहुत ही कम जवाब दिया। उच्च विकल्प, जो अक्सर उच्च विकल्पों के साथ जुड़े होते हैं।

अनुसंधान के चौथे परिकल्पना: उपयोग जानकारी की और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी (तालिका 5-1 और तालिका 5-2) तीसरे ग्रेड उच्च विद्यालय के छात्रों के पाठ्यक्रम स्कोर में सुधार पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 5-1: अनुसंधान की चौथी परिकल्पना के लिए उत्तरदाताओं के आवृत्ति प्रतिशत का वितरण

Variable	Very Low	Low	To Some extent	High	Very High	Total
Frequency	0	0	10	175	135	320
Percentage	0	0	3.1	54.7	42.2	100.0

सूचना और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का तीसरी कक्षा के उच्च विद्यालय के छात्रों (तालिका 5-1 और तालिका 5-2) के पाठ्यक्रम स्कोर में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 5-2: अनुसंधान की चौथी परिकल्पना के संबंध में कार्ई-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम

Sig	X2	Df
0.000	13.389	2

तालिका (5 -2) के लिए, मापा कार्ई-वर्ग (13.389) तालिका में कार्ई-वर्ग के मूल्य (9.21) से अधिक है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि देखी गई आवृत्तियों और 99 प्रतिशत विश्वास द्वारा अनुमानित आवृत्तियों के बीच पर्याप्त विसंगति है और इस खोज से पता चलता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की पाठ्यक्रम रेटिंग के बढ़ने पर उच्च प्रभाव पड़ता है।

शोध की सामान्य परिकल्पना : सूचना और नेटवर्किंग प्रणालियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रगति (तालिका 6-1 और तालिका 6-2) पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका 6-1: अनुसंधान की सामान्य परिकल्पना के लिए उत्तरदाताओं के आवृत्ति प्रतिशत का वितरण

Variable	Very Low	Low	To Some extent	High	Very High	Total
Frequency	0	0	5	294	21	320
Percentage	0	0	1.6	91.9	6.5	100.0

तालिका परिणामों (6-1) के अनुसार, 0 प्रतिशत ने बहुत कम और निम्न विकल्पों के लिए उत्तर दिया, 1.6 प्रतिशत ने कुछ विकल्पों के लिए मध्यम विकल्पों को संदर्भित किया, 91.9 प्रतिशत ने मध्यम विकल्पों को जवाब दिया, और 6.6 प्रतिशत ने बहुत ही उच्च विकल्पों को संदर्भित किया, सबसे अधिक सामान्यतः उच्च विकल्पों के साथ सहसंबद्ध है।

तालिका 6-2: अनुसंधान की सामान्य परिकल्पना के संबंध में कार्ई-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम

Sig	X2	Df
0.000	14.947	2

निर्धारित कार्ई-वर्ग (14.947) तालिका (6-2) के संबंध में तालिका (9.21) में कार्ई-वर्ग के मूल्य से अधिक है। इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि मापी गई आवृत्तियों और 99 प्रतिशत निश्चितता के साथ अनुमानित आवृत्तियों के बीच पर्याप्त अंतर है और इस खोज से पता चलता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

तालिका 7: लिंग के संबंध में यूमैन-व्हाइटनी परीक्षण के परिणाम

Property		N	M	Uman-whitny	Z	Sig
Gender	Girl	123	163.89	1.170	1.116	0.265
	Boy	197	158.38			

संस्था का प्रकार: तीसरी श्रेणी के हाई स्कूल के छात्रों के लिए स्कूल-प्रकार की शैक्षिक वृद्धि पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रभाव (तालिका 8)। तालिका (8) के अनुसार, 95% के चरण में, प्राप्त यू (9.353) तालिका में आवश्यक मूल्य (1.64) से अधिक है। इस प्रकार, विसंगति सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और माध्यमिक और तकनीकी स्कूली छात्रों के बीच शिक्षा की उन्नति पर इसके प्रभाव का एक बड़ा अंतर है और व्यवसायिक स्कूलों में छात्रों पर इसका प्रभाव हाई स्कूल के छात्रों की तुलना में अधिक मजबूत रहा है।

परिणाम और निष्कर्ष

इस शोध के परिणाम इस प्रकार हैं:

अनुसंधान की पहली परिकल्पना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रेरणा के विकास पर प्रभाव पड़ता है। परीक्षण के परिणामों के संबंध में, यह गणना की गई थी कि 94.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पहले शोध परिकल्पना पर अत्यधिक उच्च और दृढ़ता से जोर दिया, 5.3 प्रतिशत केंद्र, मध्यम और बहुत कम स्तरों में उत्तर नहीं दे रहे थे। इसी सम्मान में, उत्तरदाताओं ने बढ़ती शैक्षिक प्रेरणा में सूचना और संचार तकनीकों के उपयोग को बेहद सफल बताया।

दूसरा अध्ययन परिकल्पना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों के प्रश्न-निर्माण कौशल के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के परिणामों के संबंध में, यह गणना की गई थी कि 97.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दूसरे अनुसंधान परिकल्पना पर बहुत उच्च और उच्च चरणों में जोर दिया, जिसमें 2.2 प्रतिशत मध्य और निम्न और बहुत कम चरणों में जवाब नहीं देते थे। इस संबंध में, उत्तरदाताओं ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को न्यायपूर्ण कौशल बढ़ाने में बेहद सफल होने का फैसला किया।

तीसरे अध्ययन की परिकल्पना: सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरी कक्षा में हाई स्कूल के छात्रों की अध्ययन भावना में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के परिणाम के संबंध में, यह गणना की गई थी कि 97.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तीसरे अनुसंधान परिकल्पना को बहुत बड़े और उच्च चरणों में, केंद्र में 1.9 प्रतिशत और निम्न और बहुत कम क्षेत्रों में 0.3 प्रतिशत पर जोर दिया। इस संबंध में, उत्तरदाताओं ने अध्ययन की भावना को बढ़ाने में सफल होने के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का दृढ़ता से मूल्यांकन किया।

चौथे अध्ययन की परिकल्पना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की पाठ्यक्रम रेटिंग के बढ़ने पर प्रभाव पड़ा। परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में, यह गणना की गई थी कि 96.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फ्यूथ अनुसंधान की परिकल्पना को अत्यधिक उच्च और उच्च स्तर पर रखा था, 3.1 प्रतिशत के लिए, मध्यम और निम्न और बहुत कम स्तरों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। इसी संबंध में, उत्तरदाताओं ने कक्षा की रेटिंग बढ़ाने में बेहद सफल होने के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का न्याय किया।

सामान्य अध्ययन परिकल्पना : ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तीसरे दर्जे के हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के परिणाम के संबंध में 98.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामान्य अनुसंधान परिकल्पना पर जोर दिया जिसमें चार पिछले परिकल्पनाएं बहुत उच्च और उच्च स्तर पर थीं, 1.6 प्रतिशत, कोई प्रतिक्रिया मध्य और निम्न और बहुत कम स्तरों में प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसी संबंध में, उत्तरदाताओं ने शैक्षिक विकास के संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बेहद सफल माना।

संदर्भ सूची

1. एलस्टोन, एच। (2002)। कॉरपोरेट प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड द लॉन्ग मेव , फ्यूचर्स, नंबर 3।
2. बैनेस, अन्ना। (1998), संगठनात्मक परिवर्तन, कार्य अध्ययन, डैट विष्वविद्यालय प्रेस, टवस.47, नंबर 2 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
3. डेलवर , ए। (1379)। मनोविज्ञान और प्रशिक्षण विज्ञान में अनुसंधान विधि, तेहरान, रोशड प्रकाशन, पृष्ठ 221।
4. हार्डी, जेवी। (1998)। शिक्षक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रति दृष्टिकोण और ज्ञान रखते हैं। स्कूल पत्रिका में कंप्यूटर, वॉल्यूम। 14, नंबर 3-4, पीपी .19-136
5. इस्लामी , रज्जब अली, (1387)। माजंदरान प्रांत के सामान्य शिक्षण स्कूलों में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के विकास के क्षेत्रों का अध्ययन, माजंदरान का शिक्षा संगठन, जाँच का केंद्र।

-----:-----

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में

श्रीमती बर्नाली राय,

शोधार्थी

मैट्स स्कूल ऑफ एजुकेशन

मैट्स विश्वविद्यालय, आरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केन्द्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। वर्ष 1968 और 1986 के बाद भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है, इस नीति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन तथा समिति कस्तुरीरंगन समिति है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व शिक्षक को दी। शिक्षकों का शिक्षण प्रक्रिया गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसे ध्यान में रखते हुए ये नई शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा बहुविषयक इनपुट तथा बहु विषयी संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने की बात कहते हैं तथा चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने की बात है। शिक्षा व्यवस्था पर शोध कार्य और उसे समृद्ध करना चाहिए। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने चाहिए जिसके लिए शिक्षण पेशे में सबसे होनहार व्यक्तियों के चयन करने में सहायता करने होगी। सन् 2030 तक शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही केवल कार्यान्वित होंगे।

मुख्य शब्द

शिक्षानीति, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बहुविषयी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रस्तावना

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परन्तु व्यापक अर्थ में देखे तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का विकास एवं व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नीति में कुछ कमियां रह गयी जिन्हें दूर करने के लिए 2020 की नई शिक्षा लाई गई। इस नीति के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति के द्वारा देश में स्कूल एवं उच्चशिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत हिस्से का बराबर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वाधिक, महत्व शिक्षक को देती है। वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार एवं दिशा निर्देश शिक्षक ही देते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि सभी छात्र का अधिकतम स्तर का विकास करें तथा छात्रों के लिए रोल मॉडल बने उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निर्भर करता है शिक्षकों पर, अतः शिक्षकों का शिक्षण प्रक्रिया गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसे ध्यान में रखते हुए 2020 की नई शिक्षानीति अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक इनपुट तथा बहु-विषयी संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने की बात करते हैं तथा चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने का निर्देश देते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आने वाले नई पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों के लिए एक टीम का निर्माण इस तरह किया जाएगा जिसमें अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरह तैयार किया जाएगा कि बहु विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान के साथ-साथ उन्हें बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मूल्य निर्माण तथा अभ्यास कार्य को कर सकें। अध्यापक शिक्षा और शिक्षण कार्य में प्रगति के साथ-साथ तैयार होने वाली भावी अध्यापकों में भारतीय मूल्यों भाषाओं लोकाचार, ज्ञान तथा जनजातीय

परंपराओं के प्रति भी जागरूक रहे। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे.एस वर्मा आयोग (2012) के अनुसार अध्यापक शिक्षा के प्रति गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे, सिर्फ ऊंचे दामों पर डिग्रियां बेच रहे हैं। अतः इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों तथा नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाही के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित करते हुए शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभावित और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल करने का उपाय किये जा सकते हैं।

शिक्षकीय व्यवसाय को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए जरूरी है नैतिकता एवं विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार सुनिश्चित करें। निम्नस्तरीय तथा बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। वर्ष 2030 तक शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही केवल कार्यान्वित होंगे।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में बहुविषयक इनपुट के साथ उच्चतर गुणवत्तापूर्ण विषयवस्तु एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसके लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु विषयी संस्थानों में ही आयोजित करने पर बल दिया गया है। उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें।

जो शिक्षा में आधुनिक अनुसंधान कार्य को अंजाम देने के साथ-साथ दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला संगीत, साहित्य इतिहास, विज्ञान, गणित जैसे-अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भावी शिक्षकों शिक्षित करने के लिए बी.एड कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। सन् 2030 तक एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान 1 वर्ष 2 वर्षीय बी.एड कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी। अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान विशेष विषयों में विशेषज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे तथा सार्वजनिक एवं निजी स्कूल परिसरों का इन उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ जुड़ाव का नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक इन स्कूलों में सहायक गतिविधियों के कार्य जैसे सामुदायिक सेवा कार्य वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा इस तरह के कार्य में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे। पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु एक समान मानकों को बनाए रखेंगे तथा प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा। देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य रखा गया। शिक्षण फील्ड और शोध अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा ताकि शिक्षकों की बहु विषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक चिंतन और विकास को मजबूती प्रदान की जा सके।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन तथा शिक्षार्थी केन्द्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाईन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरण सामग्री का उपयोग करके उच्चगुणवत्ता वाली सामग्री का स्वयं कैसे सृजन करेंगे। सामग्री संचय करने के साथ-साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCERT) के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा।

निष्कर्ष

नई शिक्षानीति 2020 शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक स्तर पर सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों के विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षणों के लिए स्वयं/दीक्षा जैसे प्राद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम अवधि में अधिक शिक्षकों को उपलब्ध कराया जा सके।

संदर्भ सूची

1. www.hindi.rajras.in
2. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय पृष्ठ 67-70।
3. drishtilas.cm
4. www.hindi.rajrays.in

-----:-----

नई शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा की क्रमबद्धता

कु. पूजा देव,

सहायक प्राध्यापक

कोलंबिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन,

रायपुर, छत्तीसगढ़

कु. ज्योति होता,

सहायक प्राध्यापक

सी आई टी बीएड एंड डीएड कॉलेज,

अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

प्राचीन और सनातन भारती ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मा ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभ जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों में अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे, बुनियादी बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने पर आकार देते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य इंसानो का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति साहस और लचीलापन वैज्ञानिक और रचनात्मक नैतिक मूल्य और आधार है। इसका उद्देश्य उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुत आबादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। उसी प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के सभी स्कूलों और उच्चशिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण विषयों और अलग-अलग स्त्रीम की पाठ्यचर्या के एकीकरण की परिकल्पना की गई है, उसी प्रकार नई शिक्षा नीति वर्तमान में नवीन उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोत्तम प्राथमिकता सन् 2025 प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात् मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारित है। साक्षरता एवं संख्यात्मक एवं राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार चयनित कार्यो और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रवृत्ति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एवं क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्य में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूल की व्यवस्था के ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छठी से आठवीं का जीआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा 9, 10 और 11, 12 कक्षा के लिए क्रमशः केवल 79.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में एन एस एच ओ के 75 राउंड हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच के उम्र के विद्यालय ना जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों की यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोत्तम प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक फ्री स्कूल के माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा 12वीं तक की शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंचे और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया

जाएगा। उसी प्रकार कुल मिलाकर पहल की जाएगी जिससे बच्चों को विद्यालय में वापिस और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और प्रायः बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करने से जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों एवं विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि, सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पहुंचने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विभिन्न परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों को ट्रेकिंग करने होगी, साथ ही साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्कूल के दाखिला ले रहे हैं और उपस्थिति हो रही है या नहीं। बच्चों के लौटने पर यदि पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः धारा से जोड़ने के लिए सुविधाएं सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं या सीख रहे हैं।

राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षित और योग सामाजिक कार्यकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न यंत्रों के माध्यम से इस कार्य को करने से स्कूल में जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का अवसर रचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा ताकि छात्र विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के पर विशेष जोर देते हैं। सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे का व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सके। भारत के उन युवाओं के लिए जो कि संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएफ कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ किया जा सके ताकि ऐसे युवाओं को सीखने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। एनआईओएस अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा। एबीआरसी इस तरह की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर है प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर है, वेबसाइट शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम की तर्ज पर राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह अपने राज्यों में पूर्व में स्थापित स्टूडेंट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और नए संस्थानों की स्थापना करें और अन्य भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाए जाएं दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थानों के लिए। सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समय केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रखने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समाज और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझना होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा के द्वारा इसे प्राप्त करने में मदद होती है। शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में कौशल को आत्मसात किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी कौशल की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यवसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। साल दर साल समग्र विकास और विषयों

और पाठ्यक्रमों के वृद्धि चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषताओं की पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यवसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणी नहीं होगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यवसायिक कौशल जैसे विषयों को या विचार करते हुए की उम्र के पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचि पूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे-मोटे पाठ्यक्रमों को शामिल करने की अनुमति देता है या ऐसे कोर्स जिसमें व्यक्तियों पर शिक्षण होता है ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलापन को सुनिश्चित किया जा सके।

राज्यों को कला, विज्ञान, मानवी की भाषा, खेल और व्यवसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलापन और आनंद से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों का ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चारण एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित के में द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके, जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में देखने को मिलता है कि अपनी भाषा संस्कृति और परंपरा में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ भी होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध सबसे सुदृढ़ है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत, <https://www.education.gov.in>
2. Carrier India hindi desk 2020, 14 September 2020, 1953 (IST), <https://hindi.careeindia.com>
3. New education policy 2020: नई शिक्षा 2020, जानिए क्या है 5+3+3+4 का मतलब (2020), 16 सितंबर, 2020
4. <https://hindi.bankersadda.com>new>

-----:-----

नई शिक्षा नीति और स्कूल शिक्षा

विवेक कुमार गौतम,

शोधार्थी

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के शिक्षा में नवाचार के साथ संशोधन कर नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। नई शिक्षा नीति के तहत सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यह शिक्षा नीति केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की संरचना करती है जो छात्रों को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा जी से जिसे 1992 में संशोधित किया गया था के अधूरे कार्य को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने में पूर्णतः सक्षम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति का गठन 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रारम्भिक शिक्षा को उच्चतर श्रेणी में परिवर्तित कर नया आगम देने में पूर्णतः सक्षम है। इसमें पठन-पाठन के साथ-साथ छात्रों के व्यवसायिक परीक्षण हेतु व्यापक टॉचा निहित है, जिसका एक मात्र लक्ष्य विद्यार्थियों व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर सुयोग्य कामयाब नागरिक बनाना है। छात्रों के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा और रोजगार व्यक्ति के विकास अहम कड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की कार्य योजना है, जिससे वे शीघ्र अधिगम कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा बल देती है, विभिन्न कौशलों के प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित करना इस शिक्षा नीति लक्ष्य है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य 2040 तक पूर्ण रूप से भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है।

मुख्य शब्द

शिक्षा, तकनीकी, गुरुकुल, राष्ट्र, भाषा, कौशल।

प्रस्तावना

मानव व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुचित शिक्षा ही मानव को पूर्ण बनने में अद्भुत सहयोग प्रदान करती है। यों कहें तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का अहम रोल है। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1986 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों का ध्यान केन्द्रित कर लागू किया था। पिछली शिक्षा नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा के मुद्दों तक पहुँचने का था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1992 एन पीई 1986-92 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986-92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने पूर्व (पिछली) शिक्षा नीति में संशोधन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने हेतु 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व एक कमेटी का गठन किया।

प्रविधि

प्रभावी अध्ययन के लिए शोध पत्र से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के स्रोत विभिन्न रिपोर्ट, सोर्स नेशनल साइकोलॉजिकल कारपोरेशन आगरा ए.पी.ए. पब्लिकेशन कारपोरेशन नई दिल्ली, नई शिक्षा नीति 2020 की रिपोर्ट,

गजेटियर सुंदरलाल शर्मा ग्रन्थायल रायपुर, महानदी भवन शासकीय ग्रंथालय रायपुर आधुनिक शिक्षा नीति से संबंधित समय-समय पर प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिका एवं प्रकाशित दस्तावेज आदि को अध्ययन में शामिल किया गया है तथा इसे अपने शोध पत्र में संकलित किया गया है।

उद्देश्य

1. विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करना।

कक्षावार स्कूली शिक्षा का विभाजन

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों की बात की गई है। इसके पूर्व पिछली शिक्षा नीति में प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा कानून लागू करने की बात की गई थी। डॉ. के. कस्तूरी रंगन ने नर्सरी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत चार चरणों में विभाजित किया है। जो इस प्रकार है:

पहला चरण

3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। इसे फंडामेंटल स्टेज कहा गया है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत छात्रों का भाषा कौशल और शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन होगा।

दूसरा चरण

तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए। इसे प्रिपेटरी स्टेज कहा गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति के स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा।

तीसरा चरण

छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसे मीडिल स्टेज कहा गया है, इसमें छठवीं से आठवीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। जिसमें छठवीं कक्षा के बच्चों से कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। चौथा अंतिम चरण 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए इसे सेकेन्ड्री स्टेज कहा गया है। इस स्टेज में 9वीं से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है, इसके अन्तर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त करके बहुवैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया जाएगा, जिसमें छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी पसन्द के अनुसार अपने पाठ्य विषय का चयन कर सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्रों को अपने विषयों को चयन करने की स्वतन्त्रता दी गई है। छात्र साइंस के विषयों के साथ कॉमर्स अथवा आर्ट्स के विषयों को चुन सकता है। इस प्रकार से एक स्ट्रीम के साथ बाकी स्ट्रीम की पढ़ाई स्वेच्छा अनुसार करने की पूरी छूट है।

पाठ्यक्रम व गृहकार्य

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घण्टे का गृहकार्य दिया जाएगा। कक्षा छठवीं से आठवीं के विद्यार्थियों को 1 घण्टे का गृहकार्य दिया जाएगा तथा कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 2 घण्टे का गृह कार्य होगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि छात्रों का बैग उनके वजन से केवल 10 प्रतिशत होना चाहिए।

एल के जी एवं यू के जी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा पहली कक्षा एवं दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों के पुस्तकों का चयन करते समय उनके किताबों का वजन का भी ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थियों के पढ़ने वाले स्कूलों में पीने के स्वच्छ पानी व बाथरूम तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था का समुचित ध्यान रखा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पालिसी के तहत

विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा तथा एकेडमिक स्ट्रीम आदि को बाँटा नहीं जाएगा। इस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के शिक्षा स्तर को और छात्रों के शैक्षिक क्षमता को और अधिक विकसित करना है।

नीति आधार भूत सिद्धान्त

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति एवं नैतिक मूल्यों का आधार हो। एक अच्छी शैक्षणिक संख्या वह होती है, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत हो और उसकी समुचित देखभाल की जाय एवं एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो, जहाँ सभी छात्रों को सीखने की विविध प्रकार नवीन तकनीकी प्रणाली उपलब्ध हो। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति पहचान और उनके विकास हेतु सफल बुनियादी प्रयास होना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता, संख्याज्ञान जैसे सीखने मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्ता पूर्ण मनोवांछित शिक्षा तक पहुँचाना नई शिक्षा नीति का आधारभूत सिद्धान्त हैं।

एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौद्धिक सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित होगी। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास कला, मानविकी, भाषा विज्ञान सामाजिक विज्ञान व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा आदि को आधारभूत संरचना प्रदान करेगी।

व्यवसायिक शिक्षा का नवीन आंकलन

व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यवसायिक परीक्षा गुप्त रूप से कक्षा 11-12 और कक्षा 8वीं और उससे ऊपर की कक्षा के ड्राप आउट्स पर केन्द्रित थी। इसके अलावा, व्यवसायिक विषयों के साथ 11वीं, 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने गए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मापदंड भी व्यवसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे। फलस्वरूप वे अपने ही देश अन्य लोगों के सापेक्ष "मुख्य धारा की शिक्षा" या "एकेडमिक शिक्षा" से वंचित रह जा रहे थे। इसने व्यवसायिक शिक्षा के विषयों से सम्बन्धित विद्यार्थियों लिए शिक्षा में सीधे-सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बद ही कर दिया और एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की घोषणा के माध्यम सम्बोधित करने का प्रयास किया गया है। इस नीति का उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है और उसके लिए आवश्यक होता समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा से एकीकृत करें। इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यवसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो जो कि फिर सुचारु रूप से उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक, कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े, कौशलों को सीखें और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वह श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्त्व से परिचित होगा।

वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आई टी आई, पोलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों को स्थापित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करने वाले संस्थानों के लिए आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और फिर उन्हें एनसीसआईवीई द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें, ताकि व्यवसायिक शिक्षा की पहुँच को विस्तार देने में सहायता मिल सकें। व्यवसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाए। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय/रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। इस माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क, छात्रों को सामान्य से व्यवसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक सुदृढ़ नवीन नवाचार से युक्त शिक्षा नीति है जिसमें छात्रों को विद्यालयी शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की योजना है। पिछली शिक्षा प्रणाली जो 1986 में लागू की गयी थी उसमें केवल शैक्षणिक व्यवस्था का प्रावधान था। हालांकि 1992 में कुछ संशोधन किया गया था परन्तु उसमें बहुत सी खामियां शेष रह गयी थीं, जिसको नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत दूर करने सफल प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को विकसित, सुशिक्षित रोजगार परक, लक्ष्य प्रेरित राष्ट्र बनाने में सुदृढ़ कड़ी का काम करेगी। छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरी रंगन ने शैक्षिक, व्यवसायिक, अन्य विकासात्मक दक्षताओं को प्रभावी ढंग से विद्यालयी शिक्षा में शामिल कर छात्र हितग्राही किया है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000।
2. चेंज फॉर टीचर्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
3. ग्रोवर, जी. एस., वेकेशन एनवायरमेंट एंड एजुकेशन नेशनल चॉइस, साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा।

-----:-----

एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौतियाँ

विद्या देवी,
सहायक प्रध्यापक
संदीपनी एकेडमी,
अछोटी, दुर्ग, छत्तीसगढ़

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ है कि पूरे देश के लिए शिक्षा से संबंधित नियमों एवम् सिद्धांतों की एक निश्चित रूपरेखा। इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार देश की समस्त शिक्षा संबंधी गतिविधियों का संचालन होता है तथा यही नियम व सिद्धांत देश के समस्त राज्यों के लिए भी शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। शिक्षा नीति किसी भी देश के शिक्षा संचालन हेतु स्पष्ट निर्देशन का कार्य करती है। पहले की शिक्षा नीति की अपनी उपलब्धियाँ रही किंतु आशानुकूल प्रगति नहीं हो पाई तथा नई शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने, शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने हेतु 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति लागू हुई। वर्तमान नीति की कमियों को दूर करने, शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने हेतु 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति लागू हुई। वर्तमान नीति अंतरित वैज्ञानिक के कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी।

मुख्य शब्द

शिक्षा, नीति, वैश्विक, ज्ञान, सिद्धांत, अनुभव।

भूमिका

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात् आई नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु) को सार्वभौमिक बनाया है।

देश को सक्षम, दक्ष, ज्ञानी, आत्मविश्वासी बनाने एवं भारतीय मानस को औपनिवेशिकता से मुक्त करने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें एक नई तरह की शिक्षा शक्ति विकसित करने का एक इकोसिस्टम प्रस्तावित करती है, जिसका रचनात्मक क्रियान्वयन ही हमें भविष्य में नए भारत के निर्माण के लिए आधारभूत शक्ति दे पाएगा।

उद्देश्य

- 1) नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भाषाई विविधता का संरक्षण करना।
- 2) नई शिक्षा नीति का दूसरा उद्देश्य पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार करना।
- 3) शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियों का वर्णन

1. राज्यों का सहयोग शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड है इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा।
2. गुणवत्ता उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च शिक्षा के प्रबंधन में राजनेताओं का बढ़ता दखल उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्ता को खतरे में डालता है। इसके अलावा विभिन्न अभियानों में संलग्न छात्र छात्राएं शिक्षा संबंधी अपने उद्देश्यों को भूल जाते हैं और राजनीति में अपना कैरियर विकसित करना शुरू कर देते हैं।
4. अपर्याप्त शोध उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संसाधनों एवं सुविधाओं की कमी है और छात्रों के मार्गदर्शन हेतु सक्षम शिक्षकों की संख्या भी सीमित है।
5. अधिकांश शोधार्थी फेलोशिप से वंचित हैं या उन्हें समय पर फेलोशिप प्रदान नहीं जा रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शोध को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का समन्वय कमजोर है।
6. कमजोर शासन संरचना भारतीय शिक्षा प्रबंधन अतिकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचनाओं और उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं व्यवसायिकता की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

विधि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समूह रचनात्मकता तकनीक है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से योगदान किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के निष्कर्ष को खोजने के प्रयास किए जाते हैं। लोग अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम हैं और वे संभवतः कई सहज नए विचारों का सुझाव देते हैं। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके, सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूँढने के लिए प्रयास करता है।

अतः ब्रेनस्टॉर्मिंग समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लक्ष्य का साकार करने की शिक्षण विधि है।



निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी से भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत के विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा, नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 4 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा- विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। एनसीईआरटी (NCERT) के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा, “नई शिक्षा नीति के अमल का सूत्र वाक्य ‘नेशन फर्स्ट-करेक्टर मस्ट’ तय किया गया है, यानी नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर भी फोकस रहेगा।”

संदर्भ सूची

- 1) राव, एन पापा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक।
- 2) नई शिक्षा नीति 2020, दृष्टि।
- 3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

-----:-----





SANDIPANI
ACADEMY

Kumhari-Ahiwara Road, Achhoti
(Murmunda), Dist- Durg (Chhattisgarh)

🌐 sandipanieducation.org,
✉ Sandipani.achhoti@gmail.com

College enquiry No. 9009077222

सांदीपनी
एकेडमी
←



ADITI PUBLICATION

Opp. New Panchjanya Vidya Mandir, Near Tiranga Chowk,
Kushalpur, Raipur, Dist.- Raipur, Chhattisgarh,
INDIA Pin - 492001 Phone : +91 9425210308
E-mail: shodhsamagam1@gmail.com,
www.shodhsamagam.com